

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2019—आश्विन 12, शक 1941

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

प्ररूप—तीन (ब)

कार्यालय, कलेक्टर निवाड़ी, जिला निवाड़ी  
अंतिम नियम

दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला निवाड़ी मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ- 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात् :-

## सारणी

अनु क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	जनपद पंचायत निवाड़ी जिला निवाड़ी	1	1. लडवारी 2. मकारा 3. राजापुर	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0ज0	6 1 5 3
2		2	1. बिल्ट 2. कुलुवाखास 3. मजरा मकारा 4. नयाखेरा	महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 3 5
3		3	1. चुरारा 2. झिगौरा		
4		4	1. वासवान 2. जुगयाई 3. पोहाखास		
5		5	1. असाटीखास 2. विनवारा		
6		6	1. बाबई 2. बिहारीपुरा 3. गिदखिनी 4. पिपरा		
7		7	1. देवेन्द्रपुरा 2. मुडारा 3. कैना 4. टीला		
8		8	1. किशोरपुरा 2. तरीचरखुर्द 3. उवौरा		
9		9	1. चचावली 2. धमना 3. पठराम		
10		10	1. गुवावली 2. थौना		
11		11	1. डिमरपुरा 2. कुडार 3. सिन्दूरसागर		

अनु क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	
12		12	1. धबाबगरा 2. कठऊपहाडी 3. सेदरी		
13		13	1. सकूली 2. शक्तिभैरों		
14		14	1. बपरौली 2. पुछीकरगुंवा		
15		15	1. बाघाट 2. भीतरी 3. बीजौरा 4. देवरीकलरऊ		
16		16	1. धूधरीखास 2. नौरा 3. उरदौरा		
17		17	1. बरईपुरा 2. भमीराखास 3. जिखनगांव		
18		18	1. अस्तारी 2. बहेरा 3. देवरीनायक		
19		19	1. टेहरका		
20		20	1. बसोवा 2. जिजौरा 3. रामनगर 4. प्रतापपुरा		
21		21	1. गुजरीकलां 2. गुजरीखुर्द 3. जमुनियाखास 4. कुम्हराखास		
22		22	1. बनगायंखास 2. लाडपुरा 3. मडोरपुरी 4. महाराजपुरा		
23		23	1. चकरपुर 2. पठारी 3. रजपुरा		
24		24	1. चंदावनीखास 2. जनौली		

दिनांक - 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर निवाडी जिला निवाडी मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ - 5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात् -

## सारणी

अनु क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जनपद पंचायत पृथ्वीपुर जिला निवाडी म.प्र	1	1. कनौरा 2. रमपुराखास 3. सुनौनिया पश्चिमी 4. सुनौनिया खास	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2 1 3 3 0 3
2		2	1. भेलसा 2. मोहनपुरा 3. सुजानपुरा 4. चन्द्रपुरा	महिला सामान्य	5
3		3	1. कुंवरपुरा 2. ढिल्ला 3. मडवाजुगलपुरा 4. नैगुवां		
4		4	1. दरेठा 2. अतर्रा 3. लडवारीखास		
5		5	1. सकेरा खुर्द 2. पनिहारी 3. सरसौरा 4. धौरा		



अनु क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
6		6	1. पपावनी 2. बनियानी 3. मडवाराजगढ़ 4. बीरसागर		
7		7	1. सिमराखास 2. रमपुरा भेलसी		
8		8	1. दिगवारकलां 2. सिमराभाटा 3. कछियाखेरा		
9		9	1. टोडी 2. डिरगुवां 3. मुडैनी 4. मजराशिवलाल		
10		10	1. जेराखास 2. महुआबाग 3. बमरौली		
11		11	1. ततारपुरा 2. मजल 3. मजरासूरी		
12		12	1. मडिया 2. अछरुमाता (मडिया)		
13		13	1. लुहरगुवां 2. ममौरा		
14		14	1. ककावनी 2. पाराखेरा		
15		15	1. जवारपुरा 2. भोपालपुरा 3. घुरारा		

16		16	1. ज्यौरा मौरा 2. चिरपुरा		
17		17	1. बिरौराखेत 2. बिरौरापहाड़ 3. बारहोबुजुर्ग		

अनु क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
18		18	1. सकेराभड़ारन 2. मनियां		
19		19	1. चौमोखास 2. मनेथा 3. पहाडीबक्सी		
20		20	1. बछौड़ा 2. चिकटागुलेंदा 3. गौराखास		
21		21	1. गैलवारा 2. बंजारीपुरा 3. सोरका		
22		22	1. दुमदुमा 2. सियाखास 3. खिस्टोन		

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर.

प्ररूप-तीन (ब)  
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश  
अंतिम प्रकाशन

दिनांक 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पाँच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात:-

अनु. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	टीकमगढ़	01	हीरानगर		
2			कांटीखास		
3			पहाडीखुर्द		
4	टीकमगढ़	02	गोपालपुरा		
5			आलमपुरा		
6			तखा		
7	टीकमगढ़	03	अनन्तपुरा		
8			बडौराघाट		
9			मऊघाट		
10			कुंवरपुरा		
11	टीकमगढ़	04	नयाखेरा		
12			बोरी		
13			महाराजपुरा		
14	टीकमगढ़	05	शिवपुरी		
15			गनेशगंज		
16			मिनौरा		
17	टीकमगढ़	06	मामौन		
18			नारगुडा		
19			हजूरीनगर		
20			बडागांवखुर्द		
21	टीकमगढ़	07	धजरई		
22			श्रीनगर		

23			पपावनी		
24			जसवन्तनगर		
25	टीकमगढ़	08	मबई खास		
26			मजना		
27	टीकमगढ़	09	रौरई		
28			बम्हौरीनकीवन		
29			रानीपुरा		
30			प्रेमपुरा		
31	टीकमगढ़	10	लखौरा		
32			बडमाडई रिगौरा		
33			बहादुरपुर		
34			पहाडीतिलवारन		
35	टीकमगढ़	11	नचनवारा		
36			चरपुवां		
37			हरपुरामडिया		
38			कुमरऊखिरिया		
39	टीकमगढ़	12	धनवाहा		
40			करमारई		
41			अस्तौन		
42	टीकमगढ़	13	जुडावन		
43			बम्हौरीमडिया		
44	टीकमगढ़	14	माडूमर		
45			पठा		
46			मातौली		
47	टीकमगढ़	15	सुन्दरपुर		
48			नैनवारी		
49			गुदनवारा		
50			समर्रा		
51	टीकमगढ़	16	बकपुरा		
52			सुकवाहा		
53	टीकमगढ़	17	सापीन		
54			अजनौर		
55			लार		
56	टीकमगढ़	18	पातरखेरा		
57			राधापुर		
58			रामनगर		
59	टीकमगढ़	19	बडमाडई खास		
60			लक्ष्मनपुरा		
61			नन्हीटेहरी		

62	टीकमगढ़	20	बुडेश		
63			सूडाधर्मपुरा (नवीन पुरैनिया)		
64	टीकमगढ़	21	डिकौली		
65			नयागांव		
66			भैरा		
67			सुजारा		
68	टीकमगढ़	22	दरगुवा		
69			डूडाटौरा		
70			मौखरा		
71	टीकमगढ़	23	अमरपुर		
72			पराखास		
73			दरी		
74	टीकमगढ़	24	डूडा		
75			अन्तौरा		
76			हैदरपुर		
77			ऊमरी		
78	टीकमगढ़	25	ककरवाहा		
79			भेला		
80			भैसवारी		

क्र.	जनपद पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या	जनपद की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			प्रवर्ग	संख्या
1	25	80	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 0 3 3 1 3 6

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक- 06.09.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पाँच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात:-

अनु. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बल्देवगढ़	1	बैसा		
2			करमासन		
3			दुर्गानगर		
4			राजनगर		
5	बल्देवगढ़	2	सुजानपुरा		
6			देवीनगर		
7			जिनागढ़		
8			जटेरा		
9			बडेरा		
10	बल्देवगढ़	3	भेलसी		
11	बल्देवगढ़	4	बनयानी		
12			भिलौनी		
13			मजगुवाँ		
14			हीरापुर नं. सरकनपुर		
15	बल्देवगढ़	5	सरकनपुर		
16			सिजौरा		
17			श्यामपुरा		
18	बल्देवगढ़	6	पिपरा मडोरी		
19			चौबारा		
20			देवपुर		
21			गोरा		

22	बल्देवगढ़	7	मतौलखास		
23			गुना		
24	बल्देवगढ़	8	फुटेर चक्र-2		
25			खेरा		
26			पथरगुवाँ		
27	बल्देवगढ़	9	फुटेर चक्र-1		
28			धर्मपुरा		
29	बल्देवगढ़	10	देरी		
30			धनेरा		
31	बल्देवगढ़	11	छिदारी		
32			पचेर		
33			पिपराविलारी		
34			भानपुरा		
35	बल्देवगढ़	12	कोटरा		
36			टीला		
37			दोह चक्र-1		
38	बल्देवगढ़	13	चन्देरीखास		
39			दूबदेई		
40			खजरार		
41	बल्देवगढ़	14	कुडीला		
42			रमपुरा		
43	बल्देवगढ़	15	हीरापुरखास		
44			वर्म		
45			वनपुरा बुजुर्ग		
46	बल्देवगढ़	16	पटौरी जागीर		
47			कन्नपुर		
48			खरीला		
49			इमलिया		
50	बल्देवगढ़	17	सरकर खालसा		
51			मोनेका खेरा		
52			मलगुवाँ		
53	बल्देवगढ़	18	खरौं		
54			मनपसार		
55			चन्द्रपुरा		
56			फरका पठराई		
57	बल्देवगढ़	19	देवरदा खास		
58			बुदौरा		
59			बडाघाट		

60	बल्देवगढ़	20	लमेरा		
61			खौंडेरा		
62			ऐरोरा		
63	बल्देवगढ़	21	हटा		
64			इमलाना		
65			सूरजपुर		
66			डारगुर्वो खालसा		
67	बल्देवगढ़	22	कैलपुरा		
68			लखेरी		
69			बनेरा		
70	बल्देवगढ़	23	गुखरई खास		
71			तालमऊ		
72			वृषभानपुरा		
73	बल्देवगढ़	24	लुहरा		
74			डुम्बार		
75			अहार		
76			गनेशपुरा		
77	बल्देवगढ़	25	नारायणपुरा		
78			डूडाखेरा		
79			लडवारी		
80			कछियाखेरा		

क्र.	जनपद पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या	जनपद की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			प्रवर्ग	संख्या
1	25	80	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 0 3 3 1 3 6

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक- 06.09.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पाँच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात:-

अनु. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जतारा	1	हतेरी		
2			केशवगढ़		
3			वृषभानपुरा		
4			अचर्चा		
5			कुवरपुरामोहनगढ़		
6	जतारा	2	बंधा		
7			कुम्हेडी		
8			बहादुरपुरा		
9			बसनेरा		
10			बरेठी		
11	जतारा	3	नदनंवारा		
12			खरबम्होरी		
13			खाकरौन		
14			विदारीखास		
15	जतारा	4	मोहनगढ़		
16			इकबालपुरा		
17			रानीपुरा		

18	जतारा	5	पंचमपुरा		
19			मस्तापुर		
20			दरगांसकला		
21			दरगांसखुर्द		
22			बनगांस		
23	जतारा	6	गोर		
24			भोगना		
25			भौरगढ		
26			लखैपुर		
27			मालपीथा		
28	जतारा	7	पूनौल		
29			विजरावन		
30			नादिया		
31			मझगुवा		
32	जतारा	8	दिगौडा		
33			खरोई		
34	जतारा	9	जगतनगर		
35			पडवार		
36			खैरा		
37			मडखेरा		
38			शिवराजपुरा		
39	जतारा	10	धर्मपुरा		
40			रमपुरा		
41			बिलगांस		
42			पनयाराखेरा		
43			कमलनगर		
44	जतारा	11	लुहरगुवा		
45			रामनगर		
46			वर्माताल		
47			कुराई		
48			वर्माडांग		
	जतारा	12	मउवुजुर्ग		
			धामना		
			देवखा		
49	जतारा	13	बम्होरीखास		
50			रतनगुवा		
51			रानीगंज		

52	जतारा	14	छिपरी		
53			बरानाखास		
54			लाखरौन		
55			मरगुवा		
59	जतारा	15	ईशोन		
60			मातौल		
61			वैदउ		
62			वीरउ		
63	जतारा	16	बछौडा		
64			शाहपुर		
65			कुवरपुरा वि०		
66	जतारा	17	सतगुवा		
67			गोटेट		
68	जतारा	18	चंदेरा		
69	जतारा	19	पैतपुरा		
70			लिधौरताल		
71			शाह		
72			बगौरा		
73	जतारा	20	मुहारा		
74			गरीली		
75			फतेहाखिरक		
76	जतारा	21	वैरवार		
77			बदरगुडा		
78			बाजीतपुरा		
79	जतारा	22	वैदपुर		
80			हरपुरा		
81			हृदयनगर		
82			रामगढ		
83			लारखुर्द		
84			चंदपुरा		
85	जतारा	23	जरुवा		
86			वल्देवपुरा		
87			करमोरा		
88			सिमरिया		
89	जतारा	24	मांची		
90			किटाखेरा		

91			कदवा		
92			मचौरा		
93	जतारा	25	देवराहा		
94			बम्होरीअब्दा		
95			टानंगा		

क्र.	जनपद पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) की संख्या	जनपद की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
			प्रवर्ग	संख्या
1	25	95	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 0 3 4 1 3 6

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक- 06.09.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ - दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पाँच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात:-

अनु. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पलेरा	1	उपरासा		
2			जेवर		
3	पंलेरा	2	हरकनपुरा		
4			मैंदवारा		
5	पलेरा	3	स्यावनी		
6			वीरपुरा		
7			कछियागुड़ा		
8	पलेरा	4	महेबाचक्र 04		
9			नुना		
10	पलेरा	5	महेबाचक्र 03		
11			दरियापुरा		
12			भदरई		
13	पलेरा	6	खरों		
14			जरुवा		
15			वारी		
16	पलेरा	7	मड़ोरी		
17			पठारी		
18			पहाड़ी बुजुर्ग		

19	पलेरा	8	सगरवारा		
20			उदयपुरा		
21			खरगूपुरा		
22	पलेरा	9	खजरी		
23			मबई		
24			गझरी		
25			इटायली		
26	पलेरा	10	कुड़याला		
27			बराना		
28			रतवास		
29	पलेरा	11	सिमरा खुर्द		
30			दिनऊ		
31	पलेरा	12	कलरा		
32			कजना		
33			निवौरा		
34	पलेरा	13	बम्हौरीकला		
35			कनेरा		
36	पलेरा	14	बावई		
37			टीलानरैनी		
38			भगवंतपुरा		
39			प्रेमपुरा		
40	पलेरा	15	बूदौर		
41			महेन्द्र महेबा		
42			घूरा		
43	पलेरा	16	टोरी		
44			टपरियन चौहान		
45	पलेरा		गुड़ा न. पाली		
46	पलेरा	17	रमपुरा उर्फ निवावरी		
47			चरी		
48			रामनगर बुजुर्ग		
49			लहर बुजुर्ग		
50	पलेरा	18	दांतगोरा		
51			पुरैनिया		
52			बन्ने बुजुर्ग		
53	पलेरा	19	आलमपुरा		
54			बेला		

55			गौना		
56			करीला		
57	पलेरा	20	हनौता		
58			नयागांव		
59			बैंडरी		
60	पलेरा	21	लारौन		
61	पलेरा	22	खेरा		
62			परा		
63	पलेरा	23	सैपुरा		
64			बखतपुरा		
65			टौरिया		
66	पलेरा	24	गोवा		
67			कपासी		
68			कछौराखास		
69	पलेरा	25	फूलपुर		
70			मगरई		
71			पाली		

क्र.	जनपद पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या	जनपद की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			प्रवर्ग	संख्या
1	25	71	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	7 0 6 4 1 3 6

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## प्रारूप - एक (ब)

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	कांटीखास	कांटीखास	कांटीखास	2186	01
			कांटीभाटा	कांटीभाटा	48	01
कुल योग :-					2234	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बडागांवखुर्द	बडागांवखुर्द	बडागांवखुर्द	2040	06
कुल योग :-					2040	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मऊघाट	मऊघाट	मऊघाट	1779	11
<b>कुल योग :-</b>					<b>1779</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नयाखेरा	नयाखेरा	नयाखेरा	1436	13
			मजरा जन.सा.	मजरा जन.सा.	02	13
			रामनगर सेवडा	रामनगर सेवडा	278	13
			धर्मपुरा	धर्मपुरा	388	13
<b>कुल योग :-</b>					<b>2104</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बौरी	बौरी	बौरी	1046	14
			हनुमानसागर	हनुमानसागर	1243	14
कुल योग :-					2289	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	महाराजपुरा	महाराजपुरा	महाराजपुरा	2468	15
कुल योग :-					2468	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	गनेशगंज	गनेशगंज खास	गनेशगंज खास	1039	16
			मानिकपुरा	मानिकपुरा	990	16
			गनेशगंज भाटा	गनेशगंज भाटा	00	16
<b>कुल योग :-</b>					<b>2029</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	3476	17
<b>कुल योग :-</b>					<b>3476</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	धजरई	धजरई	धजरई	2026	23
<b>कुल योग :-</b>					<b>2026</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्रीनगरखास	श्रीनगरखास	श्रीनगरखास	1824	24
			दुर्गापुर	दुर्गापुर	918	24
			श्रीनगरभाटा	श्रीनगरभाटा	00	24
			मबई हार	मबई हार	00	24
<b>कुल योग :-</b>					<b>2742</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मबई	मबई	मबई	8480	25
<b>कुल योग :-</b>					<b>8480</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	जसवंतनगर	जसवंतनगर	जसवंतनगर	1127	29
			कटेराखेरा	कटेराखेरा	816	29
			पगाराजंगल	पगाराजंगल	30	29
<b>कुल योग :-</b>					<b>1973</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पपावनी	पपावनी	पपावनी	1501	30
			दरयावनगर	दरयावनगर	430	30
			मबई भाटा	मबई भाटा	453	30
कुल योग :-					2384	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	रानीपुरा	रानीपुरा	रानीपुरा	1720	31
			स्याग	स्याग	815	31
कुल योग :-					2535	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	लखौरा	लखौरा	लखौरा	1861	32
<b>कुल योग :-</b>					<b>1861</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	1369	33
			परसुआ	परसुआ	527	33
<b>कुल योग :-</b>					<b>1896</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बडमाडई रिगौरा	बडमाडई	बडमाडई	1077	34
			रिगौरा	रिगौरा	679	34
<b>कुल योग :-</b>					<b>1756</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	माडूमर	माडूमर	माडूमर	3013	36
			माडूमर भाटा	माडूमर भाटा	906	36
			मधुवन	मधुवन	203	36
			सावतनगर	सावतनगर	04	36
			माडूमर ग्रा. फार्म	माडूमर ग्रा. फार्म	00	36
<b>कुल योग :-</b>					<b>4126</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पहाडी तिलवारन	पहाडीतिलवारन	पहाडी तिलवारन	3649	37
			सागौनी	सागौनी	685	37
			पहाडी तिलवारन भाटा	पहाडी तिलवारन भाटा	00	37
कुल योग :-					4334	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नचनवारा	नचनवारा	नचनवारा	1375	38
कुल योग :-					1375	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	करमारई	करमारई	करमारई	1686	41
<b>कुल योग :-</b>					<b>1686</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	कुमरऊखिरिया	कुमरऊखिरिया	कुमरऊखिरिया	821	43
			वरखिरिया	वरखिरिया	882	43
			नैगुवां	नैगुवां	370	43
<b>कुल योग :-</b>					<b>2073</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	धनवाहा	धनवाहा	धनवाहा	1450	44
			तिदारी	तिदारी	1091	44
			घाटखिरिया	घाटखिरिया	463	44
कुल योग :-					3004	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	अस्तौन	अस्तौन खास	अस्तौन खास	5624	45
			अस्तौन चक्र 1	अस्तौन चक्र 1	00	45
			अस्तौन चक्र 2	अस्तौन चक्र 2	03	45
कुल योग :-					5627	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	जुडावन	जुडावन	जुडावन	1397	46
			बृजपुरा	बृजपुरा	309	46
			सगरवारा	सगरवारा	496	46
<b>कुल योग :-</b>					<b>2202</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बम्हौरी मडिया	बम्हौरी मडिया	बम्हौरी मडिया	1684	47
			प्रतापनगर	प्रतापनगर	00	47
			बम्हौरी जुडावन	बम्हौरी जुडावन	12	47
			किशनपुरा	किशनपुरा	00	47
<b>कुल योग :-</b>					<b>1696</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पठा	पठा	पठा	3916	48
			पठा भाटा	पठा भाटा	298	48
			जटउवा ग्रास फार्म	जटउवा ग्रास फार्म	05	48
<b>कुल योग :-</b>					<b>4219</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मातौली	मातौली	मातौली	1592	49
<b>कुल योग :-</b>					<b>1592</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बहादुरपुर	बहादुरपुर	बहादुरपुर	859	35
			देवपुर	देवपुर	329	35
			बुढकीखेरा	बुढकीखेरा	615	50
कुल योग :-					1803	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुन्दरपुर	सुन्दरपुर	सुन्दरपुर	2463	50
कुल योग :-					2463	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नैनवारी	नैनवारी	नैनवारी	2123	51
<b>कुल योग :-</b>					<b>2123</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	गुदनवारा	गुदनवारा	गुदनवारा	2164	53
			बसगोई	बसगोई	519	53
			मानिकचौक	मानिकचौक	15	53
<b>कुल योग :-</b>					<b>2698</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	समर्रा	समर्रा	समर्रा	3607	54
कुल योग :-					3607	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुकवाहा	सुकवाहा	सुकवाहा	1430	55
			कैनवारा	कैनवारा	1291	55
कुल योग :-					2721	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	अजनौर	अजनौर	अजनौर	2624	57
कुल योग :-					2624	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सापौन	सापौन	सापौन	2238	56
			रतनगंज	रतनगंज	223	56
			हरिनगर	हरिनगर	321	56
			सापौन ऊगड	सापौन ऊगड	185	56
कुल योग :-					2967	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पातरखेरा	पातरखेरा	पातरखेरा	1597	58
			भयामपुरा	भयामपुरा	1127	58
कुल योग :-					2724	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	राधापुर	राधापुर	राधापुर	1369	59
			जमुनियाखेरा	जमुनियाखेरा	344	59
कुल योग :-					1713	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	लार	लार	लार	3963	60
			लार बंजरया	लार बंजरया	457	60
			लार ऊगड	लार ऊगड	154	60
कुल योग :-					4574	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बडमाडई खास	बडमाडई खास	बडमाडई खास	2093	61
			बडमाडई ऊगड	बडमाडई ऊगड	57	61
कुल योग :-					2150	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	लक्ष्मनपुरा	लक्ष्मनपुरा	लक्ष्मनपुरा	1585	62
कुल योग :-					1585	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नन्हीटेहरी	नन्हीटेहरी	नन्हीटेहरी	2790	63
			नन्हीटेहरी ऊगड	नन्हीटेहरी ऊगड	269	63
			गनेशनगर	गनेशनगर	637	63
			मडरखा ताल	मडरखा ताल	03	63
कुल योग :-					3699	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बुडेरा	बुडेरा	बुडेरा	4252	64
			डोगरपुर	डोगरपुर	443	64
कुल योग :-					4695	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	डिकौली	डिकौली	डिकौली	2831	65
कुल योग :-					2831	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नयागांव	नयागांव	नयागांव	3065	66
<b>कुल योग :-</b>					<b>3065</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	भैरा	भैरा	भैरा	990	67
			डिकौली चक्र 02	डिकौली चक्र 02	338	67
<b>कुल योग :-</b>					<b>1328</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	रामनगर	रामनगर	रामनगर	1366	69
<b>कुल योग :-</b>					<b>1366</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सूडा धर्मपुरा	सूडा धर्मपुरा	सूडा धर्मपुरा	952	69
		(नवीन पुरैनिया)	पुरैनिया	पुरैनिया	749	69
<b>कुल योग :-</b>					<b>1701</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	दरगुवां	दरगुवां	दरगुवां	3099	73
कुल योग :-					3099	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	डूडाटौरा	डूडाटौरा	डूडाटौरा	1083	74
			मेरोन	मेरोन	198	74
			मगरा	मगरा	341	74
			गोपालपुरा	गोपालपुरा	416	74
कुल योग :-					2038	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	दरी	दरी	दरी	671	70
			नगारा	नगारा	828	70
			रसोई	रसोई	952	70
कुल योग :-					2451	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पराखास	पराखास	पराखास	1444	72
			चोपरा	चोपरा	525	72
कुल योग :-					1969	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	अमरपुर	अमरपुर	अमरपुर	2366	71
			रमपुरा	रमपुरा	370	71
कुल योग :-					2736	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	अंतौरा	अंतौरा	अंतौरा	2298	77
			भदौरा	भदौरा	504	77
			पराऊगड	पराऊगड	10	77
			गनेशगंज	गनेशगंज	50	77
कुल योग :-					2862	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	डूडा	डूडा	डूडा	2846	78
			कवराटा	कवराटा	329	78
कुल योग :-					3175	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	ऊमरी	ऊमरी	ऊमरी	1689	80
कुल योग :-					1689	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हैदरपुर	हैदरपुर	हैदरपुर	1788	79
कुल योग :-					1788	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	भैसवारी	भैसवारी	भैसवारी	1796	81
			सुकलाई	सुकलाई	765	81
			वीरनगर	वीरनगर	598	81
कुल योग :-					3159	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	भेला	भेला	भेला	761	83
			अटरिया	अटरिया	1092	83
			राशनखेरा	राशनखेरा	809	83
			राजापुर	राजापुर	00	83
कुल योग :-					2662	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	ककरवाहा	ककरवाहा	ककरवाहा	3109	82
			ककरवाहा ऊगड	ककरवाहा ऊगड	324	82
कुल योग :-					3433	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	अनंतपुरा	अनंतपुरा	अनंतपुरा	2313	07
<b>कुल योग :-</b>					<b>2313</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	नारगुडा	नारगुडा	नारगुडा	1220	20
			उत्तमपुरा	उत्तमपुरा	409	20
			नारगुडा भाटा	नारगुडा भाटा	41	20
			डुमरऊ भाटा	डुमरऊ भाटा	674	07
<b>कुल योग :-</b>					<b>2344</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हजूरीनगर	हजूरीनगर	हजूरीनगर	1207	22
			लक्ष्मनपुरा	लक्ष्मनपुरा	968	22
<b>कुल योग :-</b>					<b>2175</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मामौन	मामौन	मामौन	1971	21
			मोहनपुरा	मोहनपुरा	712	21
<b>कुल योग :-</b>					<b>2683</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	रौरई	रौरई	रौरई	500	27
			भडरा	भडरा	790	27
			रायपुर वन ग्राम	रायपुर वन ग्राम	981	27
कुल योग :-					2271	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बम्हौरी नकीवन	बम्हौरी नकीवन	बम्हौरी नकीवन	937	26
			सुनौनी	सुनौनी	1049	26
कुल योग :-					1986	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मजना	मजना	मजना	3221	28
			मजना भाटा	मजना भाटा	170	28
कुल योग :-					3391	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	गोपालपुरा	गोपालपुरा खास	गोपालपुरा खास	1112	05
			गोपालपुरा भाटा	गोपालपुरा भाटा	329	05
कुल योग :-					1441	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हीरानगर	हीरानगर	हीरानगर	3294	02
			बंधिया	बंधिया	710	02
कुल योग :-					4004	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	आलमपुरा	आलमपुरा	आलमपुरा	1100	04
			अमरपुर	अमरपुर	260	04
कुल योग :-					1360	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	तखा	तखा	तखा	2471	08
कुल योग :-					2471	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बडौराघाट	बडौराघाट	बडौराघाट	796	10
			सुनौराखिरिया	सुनौराखिरिया	411	10
			हरपुरा	हरपुरा	418	10
कुल योग :-					1625	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पहाडीखुर्द	पहाडीखुर्द	पहाडीखुर्द	1404	09
कुल योग :-					1404	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मिनौरा	मिनौरा	मिनौरा	1121	39
			नीमखेरा	नीमखेरा	541	39
			सुजानपुरा	सुजानपुरा	261	39
कुल योग :-					1923	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	चरपुवां	चरपुवां	चरपुवां	1076	40
			सूरजपुर	सूरजपुर	508	40
कुल योग :-					1584	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	सुजारा	सुजारा	सुजारा	907	68
			धर्मपुरा	धर्मपुरा	645	68
कुल योग :-					1552	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मौखरा	मौखरा	मौखरा	2495	75
कुल योग :-					2495	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हरपुरा मडिया	हरपुरा मडिया	हरपुरा मडिया	1421	42
			पाण्डेर	पाण्डेर	675	42
कुल योग :-					2096	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	कुंवरपुरा	कुंवरपुरा	कुंवरपुरा	1560	12
			सुनवाहा	सुनवाहा	781	12
कुल योग :-					2341	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक :- 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये गये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बकपुरा	बकपुरा	बकपुरा	738	52
			कछियाखेरा	कछियाखेरा	345	52
			जटसवा खास	जटसवा खास	871	52
कुल योग :-					1954	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	पचेरखास	पचेर खास	पचेर खास	2083	26
			ददगाँव	ददगाँव	1030	
			पुरुषोत्तमगढ़	पुरुषोत्तमगढ़	138	
			पचेरउगड़	पचेरउगड़	44	
			ददगाँव उगड़ (वीरान)	ददगाँव उगड़ (वीरान)	0	
			कुल योग	कुल योग	3295	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	छिदारी	छिदारी	छिदारी	1495	25
			रमसगरा	रमसगरा	892	
			कुल योग		2387	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	पिपरा बिलारी	पिपरा	पिपरा	1694	27
			बिलारीखेरा	बिलारीखेरा	545	
			कुल योग		2239	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	भानपुरा	भानपुरा	भानपुरा	1926	28
			चकमाधौसिंह	चकमाधौसिंह	1155	
			गगरा	गगरा	248	
			कुल योग		3329	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	धनेरा	धनेरा	धनेरा	2018	24
			कुल योग		2018	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	देशी	देशी	देशी	7805	23
			तिगोड़ा	तिगोड़ा	607	
			कुल योग		8412	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	धर्मपुरा	धर्मपुरा	धर्मपुरा	2131	22
			बछौड़ा	बछौड़ा	919	
			कुल योग		3050	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	टीला	टीला	टीला	798	29
			खुड़ौ नज. देरी	खुड़ौ नज. देरी	758	
			हृदयनगर	हृदयनगर	780	
			कुल योग		2336	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	रमपुरा	रमपुरा	रमपुरा	1567	21
			खुड़ौ नज. कुड़ीला	खुड़ौ नज. कुड़ीला	1269	
			कुल योग		2836	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	फुटेर चक्र-1	फुटेर चक्र -1	फुटेर चक्र -1	4217	12
			कुल योग		4217	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	खेरा	खेरा	खेरा	1235	10
			गेंती	गेंती	1367	
			कुल योग		2602	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	पथरगुवां	पथरगुवां	पथरगुवां	1450	9
			मातौलउगड	मातौलउगड	618	
			कुल योग		2068	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	मातौल	मातौल	मातौल	3552	8
			बघाई	बघाई	569	
			कुल योग		4121	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	फुटेरचक्र-2	फुटेरचक्र -2	फुटेरचक्र-2	2760	11
			शिवनगर	शिवनगर	526	
			कुल योग		3286	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	गुना	गुना	गुना	4583	7
			कुल योग		4583	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	गोरा	गोरा	गोरा	1904	6
			कुल योग		1904	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	चौबारा	चौबारा	चौबारा	1941	5
			कुल योग		1941	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	देवपुर	देवपुर	देवपुर	1366	13
			बनपुरासापौन	बनपुरासापौन	1103	
			कुल योग		2469	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	चंद्रपुरा	चंद्रपुरा	चंद्रपुरा	3493	19
			कुल योग		3493	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	फरकापठराई	फरकापठराई	फरकापठराई	2209	18
			कुल योग		2209	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	खरों	खरों	खरों	2019	17
			मजराकाशी	मजराकाशी	195	
			कुल योग		2214	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	मनपसार	मनपसार	मनपसार	911	16
			नौरपारा	नौरपारा	882	
			मजरा अड़कू	मजरा अड़कू	194	
			कुल योग		1987	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बड़ैरा	बड़ैरा	बड़ैरा	1770	15
			कुल योग		1770	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सिजौरा	सिजौरा	सिजौरा	3156	4
			कुल योग		3156	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	पिपरा मड़ोरी	पिपरा	पिपरा	1643	1
			मड़ोरी	मड़ोरी	739	
			कुल योग		2382	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सरकनपुर खास	सरकनपुर खास	सरकनपुर खास	4156	3
			कुल योग		4156	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	श्यामपुरा	श्यामपुरा	श्यामपुरा	1050	2
			सरकनपुरउगड़	सरकनपुरउगड़	526	
			बलबंतपुराखास	बलबंतपुराखास	985	
			कुल योग		2561	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	मझगुवां	मझगुवां	मझगुवां	1089	1
			भितरवार	भितरवार	1333	
			कुल योग		2422	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	हीरापुर नज. सरकनपुर	हीरापुर नज. सरकनपुर	हीरापुर नज. सरकनपुर	1485	3
			कुल योग		1485	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बनयानी	बनयानी	बनयानी	2273	2
			कुल योग		2273	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	भिलौनी	भिलौनी	भिलौनी	1527	4
			कुल योग		1527	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सुजानपुरा	सुजानपुरा	सुजानपुरा	3040	26
			कुल योग		3040	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	जटेश	जटेश	जटेश	908	27
			बलबंतपुराउगड़	बलबंतपुराउगड़	598	
			सुजानपुराउगड़ (वीरान)	सुजानपुराउगड़ (वीरान)	0	
			कुल योग		1506	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	जिनागढ़ खास	जिनागढ़ खास	जिनागढ़ खास	1971	25
			जिनागढ़ जंगल	जिनागढ़ जंगल	299	
			कुल योग		2270	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	देवीनगर	देवीनगर	देवीनगर	897	8
			बैसाउगड़	बैसाउगड़	497	
			कुल योग		1394	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बैसाखास	बैसाखास	बैसाखास	1859	7
			कुल योग		1859	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	करमासन हटा	करमासन हटा	करमासन हटा	1669	6
			करमासन घाट	करमासन घाट	1801	
			कुल योग		3470	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	राजनगर	राजनगर	राजनगर	1335	5
			बनपुराखुर्द	बनपुराखुर्द	988	
			कुल योग		2323	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	दुर्गानगर	दुर्गानगर	दुर्गानगर	1403	9
			झिनगुवां	झिनगुवां	588	
			कुल योग		1991	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	लड़वारीखास	लड़वारीखास	लड़वारीखास	2664	10
			लड़वारीउगड (वीरान)	लड़वारीउगड (वीरान)	0	
			कुल योग		2664	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	कछियाखेरा	कछियाखेरा	कछियाखेरा	1618	11
			कुल योग		1618	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	अहार	अहार	अहार	1713	12
			मदनसागर	मदनसागर	301	
			कछियाखेराउगड़ (वीरान)	कछियाखेराउगड़ (वीरान)	0	
			कुल योग		2014	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	नारायणपुर	नारायणपुर	नारायणपुर	1982	13
			नारायणपुर उगड़ (वीरान)	नारायणपुर उगड़ (वीरान)	0	
			कुल योग		1982	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	डूडाखेरा	डूडाखेरा	डूडाखेरा	1076	14
			खुशीपुरा	खुशीपुरा	581	
			नारायणपुर जंगल	नारायणपुर जंगल	0	
			कुल योग		1657	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	लुहरा	लुहरा	लुहरा	1277	15
			सुकौरा	सुकौरा	398	
			कुल योग		1675	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	गनेशपुरा	गनेशपुरा	गनेशपुरा	2112	17
			कुल योग		2112	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बृषभानपुरा	बृषभानपुरा	बृषभानपुरा	1057	19
			रमपुरा नज. सेवार	रमपुरा नज. सेवार	919	
			कुल योग		1976	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	तालमऊ	तालमऊ	तालमऊ	1772	18
			सेवारखास	सेवारखास	353	
			सेवारउगड़ (वीरान)	सेवारउगड़ (वीरान)	0	
			कुल योग		2125	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	गुखरई	गुखरई	गुखरई	2544	21
			पतारी	पतारी	918	
			गुखरईहार वीरान	गुखरईहार वीरान	0	
			कुल योग		3462	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बनेरा	बनेरा	बनेरा	1906	20
			रजपुरा	रजपुरा	549	
			कुल योग		2455	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	लखेरी	लखेरी	लखेरी	1095	22
			भैरानोवर	भैरानोवर	435	
			डुडियनखेरा	डुडियनखेरा	994	
			कुल योग		2524	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	कैलपुरा	कैलपुरा	कैलपुरा	3298	23
			कुल योग		3298	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	भेलसी	भेलसी	भेलसी	8202	28
			कुल योग		8202	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बड़ाघाट	बड़ाघाट	बड़ाघाट	1157	29
			हनुमतपुरा	हनुमतपुरा	637	
			तमोरा	तमोरा	1015	
			कुल योग		2809	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	देवरदा खास	देवरदा खास	देवरदा खास	3057	30
			कुल योग		3057	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बुदौरा	बुदौरा	बुदौरा	1115	31
			देवरदाउगड़	देवरदाउगड़	316	
			कुल योग		1431	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सूरजपुर	सूरजपुरखास	सूरजपुरखास	2070	32
			सूरजपुरउगड़ (वीरान)	सूरजपुरउगड़ (वीरान)	0	
			कुल योग		2070	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	इमलाना	इमलाना	इमलाना	808	34
			कुड़याला	कुड़याला	1171	
			कुल योग		1979	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	डारगुवां खालसा	डारगुवांखालसा	डारगुवांखालसा	1131	33
			कछियाखेरा	कछियाखेरा	439	
			कुल योग		1570	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	मौनेकाखेरा	मौनेकाखेरा	मौनेकाखेरा	1197	41
			डारगुवां जागीर	डारगुवां जागीर	1016	
			कुल योग		2213	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	मलगुवां	मलगुवां	मलगुवां	3707	42
			गर्सीली	गर्सीली	1173	
			कुल योग		4880	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	कुडीला	कुडीला	कुडीला	4934	20
			कुल योग		4934	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	दोह	दोह चक-1	दोह चक-1	2926	31
			दोह चक-2	दोह चक-2	782	
			कुल योग		3708	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	कोटरा	कोटरा	कोटरा	2677	30
			चिनगुवां	चिनगुवां	856	
			कुल योग		3533	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	चंदेरीखास	चंदेरीखास	चंदेरीखास	3458	33
			कुल योग		3458	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	हीरापुरखास	हीरापुरखास	हीरापुरखास	2347	44
			हीरापुरउगड़ वीरान	हीरापुरउगड़ वीरान	0	
			कुल योग		2347	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	खजरार	खजरार	खजरार	294	32
			जनकपुर	जनकपुर	840	
			पट्टीरामपाल सिंह	पट्टीरामपाल सिंह	146	
			कुल योग		1280	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का कमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बरमें	बरमें	बरमें	870	45
			बार	बार	842	
			कुल योग		1712	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	बनपुराबुजुर्ग	बनपुराबुजुर्ग	बनपुराबुजुर्ग	1667	46
			कड़वाहा	कड़वाहा	742	
			मऊ	मऊ	433	
			कुल योग		2842	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ कमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को कमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ कमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	सरकर खालसा	सरकर खालसा	सरकर खालसा	1498	43
			सरकर जागीर	सरकर जागीर	427	
			कुल योग		1925	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	इमलिया	इमलिया	इमलिया	588	47
			गुजरायतन खास	गुजरायतन खास	1461	
			गुजरायतन उगड़	गुजरायतन उगड़	105	
			कुल योग		2154	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात हैं:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	खरीला	खरीला	खरीला	1248	48
			सैपुरा	सैपुरा	502	
			कुल योग		1750	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	कन्नपुर	कन्नपुर	कन्नपुर	1923	39
			शुभकन्नपुर	शुभकन्नपुर	564	
			कुल योग		2487	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	पटौरी जागीर	पटौरी जागीर	पटौरी जागीर	1254	40
			पटौरी खालसा	पटौरी खालसा	545	
			रमपुरा न. हटा	रमपुरा न. हटा	818	
			कुल योग		2617	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	हटा	हटा	हटा	2884	35
			कुल योग		2884	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	एरौरा	एरौरा	एरौरा	2911	38
			मिड़ावली	मिड़ावली	975	
			जलंगुवां	जलंगुवां	307	
			कुल योग		4193	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	खौड़ेरा	खौड़ेरा	खौड़ेरा	1616	36
			कुलगुवा	कुलगुवा	746	
			गेंदनताल (वीरान)	गेंदनताल (वीरान)	0	
			कुल योग		2362	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	लमेरा	लमेरा	लमेरा	788	37
			कुनेता	कुनेता	165	
			हरपुरा	हरपुरा	506	
			कुल योग		1459	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	दूबदेई	दूबदेई	दूबदेई	308	34
			पट्टीबलवंतसिंह	पट्टीबलवंतसिंह	489	
			पट्टीबल्देव सिंह	पट्टीबल्देव सिंह	477	
			पट्टीगनेशजू	पट्टीगनेशजू	257	
			मनगुंवा	मनगुंवा	581	
			चंदेरी उगड़ (वीरान)	चंदेरी उगड़ (वीरान)	0	
			कुल योग		2112	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक : 22.08.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक(4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जात है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गाँव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गाँव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	बल्देवगढ़	डुम्बार	डुम्बार	डुम्बार	1010	16
			प्रतापुरा	प्रतापुरा	676	
			चंदूली	चंदूली	295	
			कुल योग		1981	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वारी	वारी	वारी	1696	1
<b>कुल योग :-</b>					<b>1696</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	भदरई	भदरई	भदरई	1586	2
			वारौन	वारौन	241	2
<b>कुल योग :-</b>					<b>1827</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	जरुआ	जरुआ	जरुआ	1129	3
			सुनरई	सुनरई	1502	3
कुल योग :-					2631	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	खरौ	खरौ	खरौ	3740	4
कुल योग :-						

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	कछियागुडा	कछियागुडा	कछियागुडा	2451	5
			भगवंतसिंह का खिरक	भगवंतसिंह का खिरक	452	5
<b>कुल योग :-</b>					<b>2903</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	स्यावनी खास	स्यावनी खास	स्यावनी खास	2961	14
<b>कुल योग :-</b>					<b>2961</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	महेवा चक 4	महेवा चक 4	महेवा चक 4	1305	7
			महेवा चक 1	महेवा चक 1	1502	7
			महेवा चक 2 उगड़	महेवा चक 2 उगड़	89	7
कुल योग :-					2896	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	महेवा चक 3	महेवा चक 3	महेवा चक 3	2266	8
			महेवा चक 2	महेवा चक 2	1165	8
कुल योग :-					3431	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	जेवर	जेवर	जेवर	4814	9
			मर्दनपुरा	मर्दनपुरा	352	9
कुल योग :-					5166	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	उपरारा खास	उपरारा खास	उपरारा खास	3131	10
			विशानपुरा	विशानपुरा	724	10
<b>कुल योग :-</b>					<b>3855</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	हरकनपुरा	हरकनपुरा	हरकनपुरा	1786	11
			विजरावन	विजरावन	1018	11
			वनपुरा	वनपुरा	861	11
			उपरारा चक 1	उपरारा चक 1	4	11
<b>कुल योग :-</b>					<b>3669</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	मेंदवारा	मेंदवारा	मेंदवारा	4166	12
			मानपुरा	मानपुरा	100	12
कुल योग :-					4266	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	नुना	नुना	नुना	3108	13
			तगेडी	तगेडी	658	13
कुल योग :-					3766	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	दरियापुरा	दरियापुरा	दरियापुरा	791	6
			पेगाखेरा	पेगाखेरा	666	6
			चक दावली स्यावनी	चक दावली स्यावनी	269	6
			मोरपारिया	मोरपारिया	1065	6
कुल योग :-					2791	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वीरपुरा	वीरपुरा	वीरपुरा	2221	15
			पचौरा	पचौरा	761	15
कुल योग :-					2982	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	मड़ोरी	मड़ोरी	मड़ोरी	1280	17
			खुरमपुर	खुरमपुर	1206	17
			नगरी	नगरी	583	17
<b>कुल योग :-</b>					<b>3069</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	पठारी	पठारी	पठारी	1610	20
<b>कुल योग :-</b>					<b>1610</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	उदयपुरा	उदयपुरा	उदयपुरा	2207	19
<b>कुल योग :-</b>					<b>2207</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	सगरवारा	सगरवारा	सगरवारा	2917	18
<b>कुल योग :-</b>					<b>2917</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	बाबई	बाबई	बाबई	1843	21
<b>कुल योग :-</b>					<b>1843</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	पहाडी बुजुर्ग	पहाडी बुजुर्ग	पहाडी बुजुर्ग	2970	16
<b>कुल योग :-</b>					<b>2970</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	831	26
			पुरुषोत्तमपुरा	पुरुषोत्तमपुरा	500	26
<b>कुल योग :-</b>					<b>1331</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	भगवंतपुरा	भगवंतपुरा खिरक	भगवंतपुरा खिरक	1211	22
			मौथी	मौथी	473	22
			अनंतपुरा	अनंतपुरा	325	22
<b>कुल योग :-</b>					<b>2009</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	टीला नरेनी	टीला नरेनी	टीला नरेनी	1800	27
			गंधर्वगंज	गंधर्वगंज	426	27
कुल योग :-					2226	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	कनेरा	कनेरा	कनेरा	2024	28
कुल योग :-					2024	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वम्हौरीकला	वम्हौरीकला	वम्हौरीकला	6198	29
<b>कुल योग :-</b>					<b>6198</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	निवौरा	निवौरा	निवौरा	1092	30
			वरकछार	वरकछार	251	30
			जरया	जरया	1038	30
			जिटकोरा	जिटकोरा	772	30
<b>कुल योग :-</b>					<b>3153</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	कंजना	कंजना	कंजना	2167	25
<b>कुल योग :-</b>					<b>2167</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	कलरा	कलरा	कलरा	1808	24
<b>कुल योग :-</b>					<b>1808</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	खरगपुरा	खरगपुरा	खरगपुरा	757	33
			आलपुरा	आलपुरा	455	33
			कांकनपुरा	कांकनपुरा	670	33
<b>कुल योग :-</b>					<b>1882</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	दिनउ	दिनउ	दिनउ	1782	23
			दांदपुरा	दांदपुरा	255	23
<b>कुल योग :-</b>					<b>2037</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	सिमरा खुर्द	सिमरा खुर्द	सिमरा खुर्द	4882	35
<b>कुल योग :-</b>					<b>4882</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वराना	वराना	वराना (थर)	2357	34
<b>कुल योग :-</b>					<b>2357</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	कुड़याला	कुड़याला	कुड़याला	2026	36
			थर	थर	1659	36
कुल योग :-					3685	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	रतवास	रतवास	रतवास	1231	32
			धर्मपुरा	धर्मपुरा	252	32
			मलूपुरा	मलूपुरा	186	32
कुल योग :-					1669	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	मवई	मवई	मवई	1759	39
<b>कुल योग :-</b>					<b>1759</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	इटायली	इटायली	इटायली	2013	31
<b>कुल योग :-</b>					<b>2013</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	गढारी	गढारी	गढारी	1203	41
			जवाहरपुरा	जवाहरपुरा	745	41
कुल योग :-					1948	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	खजरी	खजरी	खजरी	2639	42
कुल योग :-					2639	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	कछौरा खास	कछौरा खास	कछौरा खास	2335	40
			कछौरा उगड़	कछौरा उगड़	330	40
			दरदौरा	दरदौरा	935	40
<b>कुल योग :-</b>					<b>3600</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	कपासी	कपासी	कपासी	1993	38
<b>कुल योग :-</b>					<b>1993</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	गोवा	गोवा	गोवा	1258	37
			(घुतकडा) संजयनगर	(घुतकडा) संजयनगर	757	37
कुल योग :-					2015	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	बूदौर	बूदौर	बूदौर	3065	58
			कोटरा खेरा	कोटरा खेरा	529	58
कुल योग :-					3594	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वणित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	महेन्द्र महेवा	महेन्द्र महेवा	महेन्द्र महेवा	1965	53
<b>कुल योग :-</b>					<b>1965</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वणित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	टौरी	टौरी	टौरी	944	54
			लिधौरा नं टौरी	लिधौरा नं टौरी	764	54
<b>कुल योग :-</b>					<b>1708</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	घूरा खास	घूरा खास	घूरा खास	3380	52
<b>कुल योग :-</b>					<b>3380</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	फूलपुर	फूलपुर	फूलपुर	1035	49
			भटगोरा	भटगोरा	841	49
<b>कुल योग :-</b>					<b>1876</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के संतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में संतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा संतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के संतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	मंगरई	मंगरई	मंगरई	2727	48
कुल योग :-					2727	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के संतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में संतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा संतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के संतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	पाली	पाली	पाली	2767	50
कुल योग :-					2767	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	गुडा नं. पाली	गुडा नं. पाली	गुडा नं. पाली	994	51
			मोर रमन्ना	मोर रमन्ना	394	51
			अलोपा	अलोपा	991	51
			रतनगुंवा	रतनगुंवा	585	51
<b>कुल योग :-</b>					<b>2964</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा सतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के सतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	टपरियन चौहान	टपरियन चौहान	टपरियन चौहान	912	59
			खुमानगंज	खुमानगंज	1006	59
<b>कुल योग :-</b>					<b>1918</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	लहर बुजुर्ग	लहर बुजुर्ग	लहर बुजुर्ग	1763	56
			चोट टानगा	चोट टानगा	1259	56
<b>कुल योग :-</b>					<b>3022</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	रमपुरा उर्फ निवावरी	रमपुरा उर्फ निवावरी	रमपुरा उर्फ निवावरी	1723	55
			रजपुरा	रजपुरा	549	55
<b>कुल योग :-</b>					<b>2272</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के संतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में संतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा संतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के संतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	चरी	चरी	चरी	1513	57
			वसतगुंवा	वसतगुंवा	681	57
कुल योग :-					2194	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के संतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में संतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा संतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के संतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	रामनगर बुजुर्ग	रामनगर बुजुर्ग	रामनगर बुजुर्ग	3099	73
कुल योग :-					3099	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	पुरैनिया	पुरैनिया	पुरैनिया	1808	71
			छिदारा	छिदारा	740	71
कुल योग :-					2548	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	दांतगोरा खास	दांतगोरा खास	दांतगोरा खास	1540	72
			किशनपुरा	किशनपुरा	537	72
			भर्दारा	भर्दारा	664	72
कुल योग :-					2741	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वन्नै वुजुर्ग	वन्नै वुजुर्ग	वन्नै वुजुर्ग	2459	70
			वन्नै खुर्द	वन्नै खुर्द	235	70
			करई	करई	241	70
कुल योग :-					2935	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	हनौता	हनौता	हनौता	2368	69
			मुर्राहा वंध	मुर्राहा वंध	584	69
			कुवरी	कुवरी	257	69
			पडुवा	पडुवा	457	69
कुल योग :-					3666	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	नयागांव	नयागांव	नयागांव	817	63
			मुर्हाहा वावा	मुर्हाहा वावा	1228	63
कुल योग :-					2045	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वैंडरी	वैंडरी	वैंडरी	1841	62
			अतहार	अतहार	530	62
कुल योग :-					2371	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के संतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में संतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा संतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के संतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	सैपुरा	सैपुरा	सैपुरा	1808	61
<b>कुल योग :-</b>					<b>1808</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के संतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में संतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप संतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा संतंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के संतंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वखतपुरा	वखतपुरा	वखतपुरा	1674	60
			वम्हौरिया	वम्हौरिया	323	60
			सतवारा	सतवारा	90	60
<b>कुल योग :-</b>					<b>2087</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	टौरिया खास	टौरिया खास	टौरिया खास	4087	43
			टौरिया उगड	टौरिया उगड	38	43
<b>कुल योग :-</b>					<b>4125</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	खेरा	खेरा	खेरा	1639	44
			विजयपुरा	विजयपुरा	1308	44
			छेवला	छेवला	831	44
<b>कुल योग :-</b>					<b>3778</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	परा	परा	परा	1960	45
			अजोखर	अजोखर	903	45
			भगवंत नगर	भगवंत नगर	936	45
<b>कुल योग :-</b>					<b>3799</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	लारौन	लारौन	लारौन	5493	66
			मझाहार	मझाहार	427	66
<b>कुल योग :-</b>					<b>5920</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	आलमपुरा	आलमपुरा	आलमपुरा	2883	67
<b>कुल योग :-</b>					<b>2883</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	वेला	वेला	वेला	1423	68
<b>कुल योग :-</b>					<b>1423</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	करौला	करौला	करौला	1998	46
<b>कुल योग :-</b>					<b>1998</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक:- 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के सतंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में सतंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रमों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप सतंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	पलेरा	गौना	गौना	गौना	1375	47
			मजरा कुटिन	मजरा कुटिन	468	47
<b>कुल योग :-</b>					<b>1843</b>	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	हतेरी	हतेरी	हतेरी	1675	02
कुल योग					1675	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	अचर्राखास	1.अचर्राखास 2.कुजपुरा	1.अचर्राखास 2.कुजपुरा	3620 निरंक	14 14
कुल योग					3620	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बम्होरीखास	बम्होरीखास	बम्होरीखास	6461	03
कुल योग					6461	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बम्होरीअब्दा	1.बम्होरीअब्दा 2.राजनगर 3.रामनगर	1.बम्होरीअब्दा 2.राजनगर 3.रामनगर	2237 656 269	27 27 27
कुल योग					3162	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बिदारीखास	1.बिदारीखास 2.बिदारीभाटा	1.बिदारीखास 2.बिदारीभाटा	1406 937	09 09
कुल योग					2343	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बरानाखास	1.बरानाखास 2.बरानाताल	1.बरानाखास 2.बरानाताल	1645 595	09 09
कुल योग					2240	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बगौरा	बगौरा	बगौरा	1704	24
कुल योग					1704	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	विजरावन	विजरावन	विजरावन	3282	29
कुल योग					3282	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बाजीतपुरा	बाजीतपुरा	बाजीतपुरा	2263	23
कुल योग					2263	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	वनगाँव	1.वनगाँव 2.टोरिया शुक्लान	1.वनगाँव 2.टोरिया शुक्लान	953 1010	28 28
कुल योग					1963	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बंधा	बंधा	बंधा	2384	08
कुल योग					2384	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	वृषभानपुरा	1.वृषभानपुरा 2.जेर्रा	1.वृषभानपुरा 2.जेर्रा	1455 267	03 03
कुल योग					1722	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	वर्माताल	वर्माताल	वर्माताल	1716	12
कुल योग					1716	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बिलगॉयखास	1.बिलगॉयखास 2.महुआबाग 3.बिलगॉयभाटा	1.बिलगॉयखास 2.महुआबाग 3.बिलगॉयभाटा	2720 25 निरंक	13 13 13
कुल योग					2745	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	वर्माडांगखास	1.वर्माडांगखास 2.वर्माडांगभाटा	1.वर्माडांगखास 2.वर्माडांगभाटा	2214 78	10 10
कुल योग					2292	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बसनेरा	1.बसनेरा 2.कांटी	1.बसनेरा 2.कांटी	1390 665	12 12
कुल योग					2055	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बछौडाखास	1.बछौडाखास 2.बछौडाभाटा	1.बछौडाखास 2.बछौडाभाटा	5439 993	04 04
कुल योग					6432	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बैरवारखास	1.बैरवारखास	1.बैरवारखास	5250	32
कुल योग					5250	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	वीरऊ	वीरऊ	वीरऊ	2756	05
कुल योग					2756	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	वैदपुर	1.वैदपुर 2.देवपुर	1.वैदपुर 2.देवपुर	1594 निरंक	18 18
कुल योग					1594	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	वैदरू	1.वैदरू 2.वैदोराखास	1.वैदरू 2.वैदोराखास	1085 703	03 03
कुल योग					1788	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बहादुरपुरखास	1.बहादुरपुरखास 2.बहादुरपुरभाटा 3.कुम्हैडीताल 4.ग्याजीतपुरा	1.बहादुरपुरखास 2.बहादुरपुरभाटा 3.कुम्हैडीताल 4.ग्याजीतपुरा	738 निरंक 12 1081	11 11 11 11
कुल योग					1831	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	भौरगढ़	1.भौरगढ़ 2.टीलादौत 3.टोरियाभौरखरी	1.भौरगढ़ 2.टीलादौत 3.टोरियाभौरखरी	648 438 496	21 21 21
कुल योग					1582	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	छिपरी	1.छिपरी 2.दलपुरा 3.अंतपुरा	1.छिपरी 2.दलपुरा 3.अंतपुरा	3228 461 979	10 10 10
कुल योग					4668	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	चन्द्रपुरा	1.चन्द्रपुरा 2.चदैऊवाखेरा	1.चन्द्रपुरा 2.चदैऊवाखेरा	1856 105	16 16
कुल योग					1961	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	चन्देराखास	1.चन्देराखास 2.चन्देराऊगड़	1.चन्देराखास 2.चन्देराऊगड़	8312 1	17 17
कुल योग					8313	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	दरगाँयखुर्द	दरगाँयखुर्द	दरगाँयखुर्द	1593	20
कुल योग					1593	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	दरगाँयकला	1.दरगाँयकला 2.दरगाँयभाटा 3.कोड़िया	1.दरगाँयकला 2.दरगाँयभाटा 3.कोड़िया	1536 14 880	27 27 27
कुल योग					2430	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	देवखा	1.देवखा 2.सैराई 3.विघा	1.देवखा 2.सैराई 3.विघा	1221 1333 1489	08 08 08
कुल योग					4043	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	देवराहा	देवराहा	देवराहा	3296	29
कुल योग					3296	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	दिगौड़ा	दिगौड़ा	दिगौड़ा	8383	06
कुल योग					8383	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	धर्मपुरा	1.धर्मपुरा 2.उत्तरीकारी 3. उत्तरीजंगल	1.धर्मपुरा 2.उत्तरीकारी 3.उत्तरीजंगल	795 1051 निरंक	14 14 14
कुल योग					1846	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	धामनाखास	1.धामनाखास 2.धामनाभाटा	1.धामनाखास 2.धामनाभाटा	4276 निरंक	07 07
कुल योग					4276	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	ईशोन	ईशोन	ईशोन	1588	07
कुल योग					1588	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	इकबालपुरा	1.इकबालपुरा 2.पिथनौरा 3.पीपरीहार 4.हनुपुरा 5.भैसाईहार	1.इकबालपुरा 2.पिथनौरा 3.पीपरीहार 4.हनुपुरा 5.भैसाईहार	783 408 609 437 निरंक	17 17 17 17 17
कुल योग					2237	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	फतेह का खिरक	1.फतेह का खिरक 2.बिजरीठा 3.विजयपुर	1.फतेह का खिरक 2.बिजरीठा 3.विजयपुर	837 1075 446	15 15 15
कुल योग					2358	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	गोटेटखास	1.गोटेटखास 2.गोटेटऊगड़ 3.रूपगंज	1.गोटेटखास 2.गोटेटऊगड़ 3.रूपगंज	1835 30 977	12 12 12
कुल योग					2842	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	गरौली	गरौली	गरौली	1543	21
कुल योग					1543	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	गोर	1.गोर 2.बादलीहार 3.केशरमढ़	1.गोर 2.बादलीहार 3.केशरमढ़	3498 निरंक निरंक	26 26 26
कुल योग					3498	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	हरपुरा	1.हरपुरा 2.शिवपुरा	1.हरपुरा 2.शिवपुरा	1307 860	17 17
कुल योग					2167	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	हृदयनगर	1.हृदयनगर 2.पठरा	1.हृदयनगर 2.पठरा	1047 1287	38 38
कुल योग					2334	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.  
दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	जगतनगर	1.जगतनगर 2.नदंनपुर 3.पूछी 4.मामरई	1.जगतनगर 2.नदंनपुर 3.पूछी 4.मामरई	1228 422 485 2	25 25 25 24
कुल योग					2137	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	जरूवा	1.जरूवा 2.रघुनाथपुरा 3.हुनरगंज	1.जरूवा 2.रघुनाथपुरा 3.हुनरगंज	3030 1031 23	41 41 41
कुल योग					4084	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	किटाखेरा	किटाखेरा	किटाखेरा	1714	31
कुल योग					1714	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	करमौरा	करमौरा	करमौरा	2544	36
कुल योग					2544	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	कंदवा	कंदवा	कंदवा	2431	37
कुल योग					2431	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.



## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	कुम्हैडीखास	कुम्हैडीखास	कुम्हैडीखास	1550	07
कुल योग					1550	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	कुराई	1.कुराई 2.वर्माभोज	1.कुराई 2.वर्माभोज	1363 939	11 11
कुल योग					2302	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर.

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	कुवंरपुरा (विक्रमपुरा)	1.कुवंरपुरा 2.विक्रमपुरा 3.मथूपुरा	1.कुवंरपुरा 2.विक्रमपुरा 3.मथूपुरा	1226 473 निरंक	19 19 19
कुल योग					1699	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	कुवंरपुरा (मोहनगढ़)	1.कुवंरपुरा(मोहनगढ़) 2.हनौता 3.टपरियन नजदीक कुंजपुरा	1.कुवंरपुरा(मोहनगढ़) 2.हनौता 3.टपरियन नजदीक कुंजपुरा	963 215 1085	15 15 15
कुल योग					2223	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	केशवगढ़खास	1.केशवगढ़खास 2.केशवगढ़भाटा 3.अचरभाटा	1.केशवगढ़खास 2.केशवगढ़भाटा 3.अचरभाटा	1849 निरंक निरंक	01 01 01
कुल योग					1849	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	खाकरौनखास	1.खाकरौनखास 2.खाकरौनभाटा 3.सिद्धगनेश	1.खाकरौनखास 2.खाकरौनभाटा 3.सिद्धगनेश	1221 158 716	04 04 04
कुल योग					2095	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	खरोई	खरोई	खरोई	1903	02
कुल योग					1903	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	खेरा	खेरा	खेरा	2860	34
कुल योग					2860	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	खरबम्होरी	1.खरबम्होरी 2.ढाना	1.खरबम्होरी 2.ढाना	875 991	06 06
कुल योग					1866	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	लारखुर्द	लारखुर्द	लारखुर्द	1942	40
कुल योग					1942	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	लाखरौन	1.लाखरौन 2.प्रतापपुरा	1.लाखरौन 2.प्रतापपुरा	1060 872	01 01
कुल योग					1932	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	लिधौराताल	लिधौराताल	लिधौराताल	2640	25
कुल योग					2640	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	लखैपुर	1.लखैपुर 2.टपरियन नजदीक डारा 3.डारा	1.लखैपुर 2.टपरियन नजदीक डारा 3.डारा	865 390 317	22 22 22
कुल योग					1572	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	लुहरगुवाखास	1.लुहरगुवाखास 2.लुहरगुवाभाटा 3.जनकपुरखास 4.जनकपुरभाटा	1.लुहरगुवाखास 2.लुहरगुवाभाटा 3.जनकपुरखास 4.जनकपुरभाटा	2078 निरंक 63 निरंक	09 09 09 09
कुल योग					2141	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मरगुवा	1.मरगुवा 2.अपरबल	1.मरगुवा 2.अपरबल	2420 545	08 08
कुल योग					2965	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मातौल	1.मातौल 2.बैदोराजंगल	1.मातौल 2.बैदोराजंगल	1721 39	06 06
कुल योग					1760	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर



## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मॉची	1.मॉची 2.पिपरट	1.मॉची 2.पिपरट	3181 835	33 33
कुल योग					4016	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मचौरा	मचौरा	मचौरा	1486	30
कुल योग					1486	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मालपीथा	1.मालपीथा 2.बिहारीपुरा	1.मालपीथा 2.बिहारीपुरा	2100 99	23 23
कुल योग					2199	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मोंगना	मोंगना	मोंगना	2775	24
कुल योग					2775	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मझगुवाँ	मझगुवाँ	मझगुवाँ	1428	32
कुल योग					1428	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मोहनगढ़	1.मोहनगढ़खास 2.मोहनगढ़भाटा	1.मोहनगढ़खास 2.मोहनगढ़भाटा	5812 915	16 16
कुल योग					6727	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मस्तापुरखास	1.मस्तापुरखास 2.मस्तापुरभाटा 3.धनगौरा 4.मस्तापुरपहाड़	1.मस्तापुरखास 2.मस्तापुरभाटा 3.धनगौरा 4.मस्तापुरपहाड़	2305 निरंक निरंक निरंक	18 18 18 18
कुल योग					2305	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मड़खेरा	1.मड़खेरा 2.सेमरखेरा 3.विजयपुर	1.मड़खेरा 2.सेमरखेरा 3.विजयपुर	2234 539 निरंक	35 35 35
कुल योग					2773	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मऊबुर्जुगखास	1.मऊबुर्जुगखास 2. मऊबुर्जुगभाटा	1.मऊबुर्जुगखास 2. मऊबुर्जुगभाटा	3432 निरंक	05 05
कुल योग					3432	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	मुहाराखास	1.मुहाराखास 2.मुहाराजंगल	1.मुहाराखास 2.मुहाराजंगल	7206 निरंक	20 20
कुल योग					7206	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	नदनवाराखास	1.नदनवाराखास 2.नदनवाराभाटा 3.नदनवाराताल	1.नदनवाराखास 2.नदनवाराभाटा 3.नदनवाराताल	2972 610 निरंक	05 05 05
कुल योग					3582	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	नादिया	1.नादिया 2.पचगइया 3.अमरपुरभाटा	1.नादिया 2.पचगइया 3.अमरपुरभाटा	1644 719 निरंक	30 30 30
कुल योग					2363	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	पैतपुरा	पैतपुरा	पैतपुरा	3923	16
कुल योग					3923	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	पड़वार	1.पड़वार 2.बिहार	1.पड़वार 2.बिहार	923 582	31
कुल योग					1505	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	पंचमपुरा	1.पंचमपुरा 2.पनयारी	1.पंचमपुरा 2.पनयारी	1204 154	19 19
कुल योग					1358	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	पूनौलखास	1.पूनौलखास 2.दोर 3.सेवाखेरा	1.पूनौलखास 2.दोर 3.सेवाखेरा	1378 821 164	01 01 01
कुल योग					2363	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर



## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	पनयाराखेरा	1.पनयाराखेरा 2.चतुरकारी	1.पनयाराखेरा 2.चतुरकारी	800 895	15 15
कुल योग					1695	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	कमलनगर	1.कमलनगर	1.कमलनगर	1399	15
कुल योग					1399	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	रतनगुवाखास	1.रतनगुवाखास 2.रतनगुवाभाटा 3.पूनौलहार	1.रतनगुवाखास 2.रतनगुवाभाटा 3.पूनौलहार	1002 460 499	04 04 04
कुल योग					1961	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	रानीगंज	1.रानीगंज 2.फिरोजपुराखास 3.फिरोजपुराभाटा 4.पठार	1.रानीगंज 2.फिरोजपुराखास 3.फिरोजपुराभाटा 4.पठार	919 643 585 317	02 02 02 02
कुल योग					2264	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	रामगढ़	रामगढ़	रामगढ़	1222	39
कुल योग					1222	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	रानीपुरा	रानीपुरा	रानीपुरा	2179	13

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	रमपुरा	1.रमपुरा 2.बिहारीपुरा	1.रमपुरा 2.बिहारीपुरा	700 811	37 37
कुल योग					1511	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	रामनगर	1.रामनगर 2.भगवंतपुराखास 3.भगवंतपुराभाटा	1.रामनगर 2.भगवंतपुराखास 3.भगवंतपुराभाटा	1673 1155 33	33 33 33
कुल योग					2861	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	शाह	शाह	शाह	2179	22
कुल योग					2179	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामो के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	शाहपुर	1.शाहपुर 2.सीतापुर	1.शाहपुर 2.सीतापुर	1124 1353	14 14
कुल योग					2477	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	सतगुवा	1.सतगुवाखास 2.सतगुवाऊगड़	1.सतगुवाखास 2.सतगुवाऊगड़	5296 1102	13 13
कुल योग					6398	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	सिमरिया	1.सिमरिया 2.गुडानदी	1.सिमरिया 2.गुडानदी	1102 737	35 35
कुल योग					1839	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	शिवराजपुरा	1.शिवराजपुरा	1.शिवराजपुरा	1355	36
			2.बाबाखेरा	2.बाबाखेरा	514	36
			3.हसगोरा	3.हसगोरा	462	36
			4.बटवाहा	4.बटवाहा	475	36
			कुल योग			

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	टानगा	1.टानगा	1.टानगा	2484	28
			2.बहारुताल	2.बहारुताल	564	28
			कुल योग			3048

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बरेठीखास	1.बरेठीखास 2.बरेठीभाटा	1.बरेठीखास 2.बरेठीभाटा	1928 437	10 10
कुल योग					2365	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बल्देवपुरा	बल्देवपुरा	बल्देवपुरा	1233	34
कुल योग					1233	

सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर



## दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला टीकमगढ़ के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत स्तंभ क्रमांक (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
टीकमगढ़	जतारा	बंदरगुडा	1. बंदरगुडा 2. बैरवार जंगल	1. बंदरगुडा 2. बैरवार जंगल	926 161	32 32
कुल योग					1087	

सौरभ सिंह सुमन, कलेक्टर.

**प्रारूप-चार (ब)**  
**कार्यालय संभाग आयुक्त, सागर (म.प्र.)**  
**अंतिम प्रकाशन**

दिनांक- 06.09.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ - दो में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पाँच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ:-

अनु.क्र	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	टीकमगढ़	1	हीरानगर		
2			कांटीखास		
3			पहाडीखुर्द		
4			गोपालपुरा		
5			आलमपुरा		
6			तरखा		
7			अनन्तपुरा		
8			बडीराघाट		
9			मऊघाट		
10			कुवरपुरा		
11			मागौन		
12			नारगुडा		
13			हजूरीनगर		
14			बडागांवखुर्द		
15			धजरई		
16			श्रीनगर		
17			पपातनी		
18			जसावरानगर		
19			मवई सारा		
20			मजगा		
21			सैरई		

22			बम्होरीनकीवन		
1	टीकमगढ़	2	नयाखेरा		
2			बोरी		
3			महाराजपुरा		
4			शिवपुरी		
5			गनेशगंज		
6			मिनीरा		
7			पहाडीतिलवारन		
8			नचनवारा		
9			चरपुवां		
10			हरपुरामडिया		
11			कुमरऊखिरिया		
12			धनवाहा		
13			करभारई		
14			अस्तौन		
15			जुडावन		
16			बम्होरीमडिया		
17			माडूमर		
18					पठा
1	टीकमगढ़,	3	समर्ना		
2			बकपुरा		
3			सुकवाहा		
4			डिकौली		
5			नयागांव		
6			भैरा		
7			सुजारा		
8			दरगुवां		
9			डूडाटौरा		
10			मौखरा		
11			अमरपुर		
12			पराखास		
13			दरी		
14			डूडा		
15			अन्तौरा		
16			हेदरपुर		
17			अमरी		

18			ककरवाहा		
19			भेला		
20			भैसवारी		
1	टीकमगढ़	4	रानीपुरा		
2			प्रेमपुरा		
3			लखौरा		
4			बडमाडई रिगीरा		
5			बहादुरपुर		
6			मातौली		
7			सुन्दरपुर		
8			नैनवारी		
9			गुदनवारा		
10			सापौन		
11			अजनौर		
12			लार		
13			पातरखेरा		
14			राधापुर		
15			रामनगर		
16			बडमाडई खास		
17			लक्ष्मनपुरा		
18			नन्हीटेहरी		
19			बुडेरा		
20			सूडाधर्मपुरा (नवीन पुरैनिया)		
1	टीकमगढ़	5	सुजानपुरा		
2			देवीनगर		
3			जिनागढ़		
4			जटेरा		
5			बडेरा		
6			बनयानी		
7			भिलौनी		
8			मजगुवाँ		
9			हीरापुर न. सरकनपुर		
10			सरकनपुर		
11			सिजौरा		
12			श्यामपुरा		

13			पिपरा मडोरी		
14			घोबारा		
15			देवपुर		
16			गोरा		
17			मतौलखास		
18			गुना		
19			फुटेर चक्र-2		
20			खेरा		
21			पथरगुर्वी		
22			फुटेर चक्र-1		
23			धर्मपुरा		
1			बैसा		
2			करमासन		
3			दुर्गानगर		
4			राजनगर		
5			पटौरी जागीर		
6			कन्नपुर		
7			खरीला		
8			इमलिया		
9			खरौ		
10			मनपसार		
11			चन्द्रपुरा		
12	टीकमगढ़	6	फरका पठराई		
13			लमेरा		
14			खीडेरा		
15			ऐरोरा		
16			गुखरई खास		
17			तालमऊ		
18			वृषमानपुरा		
19			नारायणपुरा		
20			डूडाखेरा		
21			लडवारी		
22			कछियाखेरा		
1			भेलसी		
2	टीकमगढ़	7	सरकर खालसा		
3			मोनेका खेरा		

4			मलगुवाँ		
5			देवरदा खास		
6			बुदौरा		
7			बडाघाट		
8			हटा		
9			झमलाना		
10			सूरजपुर		
11			डारगुवाँ खालसा		
12			कैलपुरा		
13			लखेरी		
14			बनेरा		
15			लुहरा		
16			डुम्बार		
17			अहार		
18			गनेशपुरा		
1	टीकमगढ़	8	देरी		
2			धनेरा		
3			छिदारी		
4			पचेर		
5			पिपराविलारी		
6			भानपुरा		
7			कोटरा		
8			टीला		
9			दोह चक्र-1		
10			चन्द्रेरीखास		
11			दूबदेई		
12			खजरार		
13			कुडीला		
14			रमपुरा		
15			हीरापुरखास		
16	वर्मे				
17	वनपुरा बुजुर्ग				
1	टीकमगढ़	9	उपरारा		
2			जेवर		
3			हरकनपुरा		
4			मैदवारा		

5			स्यावनी		
6			वीरपुरा		
7			कठियागुड़ा		
8			महेबाचक्र 04		
9			नुना		
10			महेबाचक्र 03		
11			दरियापुरा		
12			भदरई		
13			खरौं		
14			जरुवा		
15			वारी		
16			मड़ोरी		
17			पठारी		
18			पहाड़ी बुजुर्ग		
19			सगरवारा		
20			उदयपुरा		
21			खरगूपुरा		
22			बावई		
23			टीलानरैनी		
24			भगवंतपुरा		
25			प्रेमपुरा		
1			खजरी		
2			मबई		
3			गड़ारी		
4			इटायली		
5			कुडयाला		
6			बराना		
7			रतवास		
8	टीकमगढ़	10	सिमरा खुर्द		
9			दिनऊ		
10			कलरा		
11			कंजना		
12			निवौरा		
13			बम्हौरीकला		
14			कनेरा		
15			गोवा		

16			कपासी		
17			कछीराखास		
18			खेरा		
19			परा		
1			बूदीर		
2			महेन्द्र महेबा		
3			घूरा		
4			टौरी		
5			टपरियन चौहान		
6			गुड़ा न. पाली		
7			रमपुरा उर्फ निवावरी		
8			चरी		
9			रामनगर बुजुर्ग		
10			लहर बुजुर्ग		
11			दांतगोरा		
12			पुरेनिया		
13			बन्ने बुजुर्ग		
14	टीकमगढ़	11	आलमपुरा		
15			बेला		
16			गौना		
17			करीला		
18			हनौता		
19			नयागांव		
20			बैंडरी		
21			लारीन		
22			सैपुरा		
23			बखतपुरा		
24			टौरिया		
25			फूलपुर		
26			मगरई		
27			पाली		
1			हतेरी		
2			केशवगढ़		
3	टीकमगढ़	12	वृषभानपुरा		
4			अचर्चा		
5			कुवरपुरागोहनगढ़		



6			बंधा		
7			कुम्हेडी		
8			बहादुरपुरा		
9			बसनेरा		
10			बरेठी		
11			नदनवारा		
12			खरबन्होरी		
13			खाकरौन		
14			विदारीखास		
15			मोहनगढ		
16			इकबालपुरा		
17			रानीपुरा		
18			पंचमपुरा		
19			मस्तापुर		
20			दरगांयकला		
21			दरगांयखुर्द		
22			बनगांय		
23			गोर		
24			मोगना		
25			भौरगढ		
26			लखैपुर		
27			मालपीथा		
28			जगतनगर		
29			पडवार		
30			खैरा		
31			मडखैरा		
32			शिवराजपुरा		
1			पूनौल		
2			विजरावन		
3			नादिया		
4			मझगुवा		
5	टीकगढ	13	दिगौडा		
6			खरोई		
7			धर्मपुरा		
8			रभपुरा		
9			बिलगांय		

K1

10			पनयाराखेरा		
11			कमलनगर		
12			लुहरगुवा		
13			रामनगर		
14			वर्माताल		
15			कुरई		
16			वर्माडांग		
17			मउवुजुर्ग		
18			धामना		
19			देवखा		
20			बम्होरीखास		
21			रतनगुवा		
22			रानीगंज		
23			छिपरी		
24			बरानाखास		
25			लाखरौन		
26			मरगुवा		
1			ईशोन		
2			मातौल		
3			वैदउ		
4			वीरउ		
5			बछौडा		
6			शाहपुर		
7			कुवरपुरा वि०		
8			सतगुवा		
9			गोटेट		
10	टीकमगढ़	14	चंदेरा		
11			मुहारा		
12			गरोली		
13			फतेहाखिरक		
14			वैदपुर		
15			हरपुरा		
16			हदयनगर		
17			रामगढ़		
18			लारखुर्द		
19			चंदपुरा		

1	टीकमगढ़	15	पैतपुरा		
2			लिधौराताल		
3			शाह		
4			बगौरा		
5			वैरवार		
6			बदरगुडा		
7			बाजीतपुरा		
8			जरुवा		
9			वल्देवपुरा		
10			करमोरा		
11			सिमरिया		
12			मांची		
13			किटाखेरा		
14			कदंवा		
15			मचौरा		
16			देवराहा		
17			बम्होरीअब्दा		
18			टानंगा		

क्र.	जिला पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या	जिले की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			प्रवर्ग	संख्या
1	15	328	अ0जा0	2
			अ0ज0जा0	0
			अन्य पिछडा वर्ग	2
			महिला अ0जा0	2
			महिला अ0ज0जा0	1
			महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
			महिला सामान्य	3

**प्रारूप-चार (ब)**  
**कार्यालय सभाग आयुक्त, सागर (म.प्र.)**  
**अंतिम प्रकाशन**

दिनांक- 06.09.2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ - दो में अंकित जिला पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ पाँच में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ:-

अनु.क्र.	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	निवाड़ी	1	राजापुर		
2			लड़वारीखास		
3			मकारा		
4			मजरा मकारा		
5			बिल्ट		
6			कुलुवा खास		
7			नयाखेरा		
8			झिगीरा		
9			चुरारा		
10			पोहाखास		
11			वासवान		
12			जुगयाई		
13			देवेन्द्रपुरा		
14			केना		
15			मुडारा		
16			टीला		
1	निवाड़ी	2	दिनवारा		
2			असाटी		
3			वावई		
4			पिपरा		
5			बिहारीपुरा		
6			गिदखिनी		
7			उवौरा		

8			तरीचरखुर्द		
9			किशोरपुरा		
10			पठाराम		
11			चचावली		
12			धमना		
1	निवाड़ी	3	कुड़ार		
2			सिन्दूर सागर		
3			ढिमरपुरा		
4			सेंदरी		
5			कठउ पहाड़ी		
6			धवाबंगरा		
7			शक्तिभैरों		
8			सकूली		
9			पुछीकरगुवां		
10			वपरीली		
11			बीजौर		
12			भीतरी		
13			वाघाट		
14			देवरीकलरऊ		
1	निवाड़ी	4	थौना		
2			गुवावली		
3			घूघसी		
4			नौरा		
5			उरदौरा		
6			भमौरा		
7			जिखन गांव		
8			बरईपुरा		
9			अस्तारी		
10			देवरीनायक		
11			बहेरा		
12			टेहरका		
1	निवाड़ी	5	प्रतापपुरा		
2			बसोवा		
3			रामनगर		
4			जिजौरा		
5			गुजरा खुर्द		
6			गुजरा कलां		
7			जमुनियां खास		

8			कुम्हरा खास		
9			लाड़पुरा खास		
10			महाराजपुरा		
11			मडोरपूर्वी		
12			बनगाय खास		
13			रजपुरा		
14			चकरपुर		
15			पठारी		
16			चंदावनीखास		
17			जनीली		
1	निवाड़ी	6	कनोरा		
2			रमपुरा		
3			सुनौनिया पश्चिमी		
4			सुनौनिया खास		
5			भेलसा		
6			मोहनपुरा		
7			सुजानपुरा		
8			चन्दपुरा		
9			कुंवरपुरा		
10			ढिल्ला		
11			मडवा जुगलपुरा		
12			नैगुवां		
13			दरैठा		
14			अतर्रा		
15			लड़वारी		
16			सकेरा खुर्द		
17			पनिहारी		
18			सरसौरा		
19			धौर्रा		
1	निवाड़ी	7	पपावनी		
2			बनयानी		
3			मडवा राजगढ़		
4			वीरसागर		
5			सिमरा खास		
6			रमपुरा (भेलसी)		
7			दिगरवार कला		
8			सिमरा भाटा		
9			कछिया खेरा		
10			जेरा खास		

11			महुवा बाग		
12			वमरीली		
1	निवाड़ी	8	टोड़ी		
2			डिरगुवां		
3			मुडैनी		
4			मजरा शिवलाल		
5			ततारपुरा		
6			मजल		
7			मजरा सूरी		
8			मड़िया खास		
9			अछरुमाता (मडिया)		
10			जवारपुरा		
11			भोपालपुरा		
12			घुरारा		
1	निवाड़ी	9	लुहरगुवां		
2			ममौरा		
3			ककावनी		
4			पाराखेरा		
5			ज्योरा मौरा		
6			चिरपुरा		
7			विरोरा खेत		
8			विरोरा पहाड़		
9			बारहो बुजुर्ग		
1	निवाड़ी	10	सकेरा भड़ारन		
2			मनिया		
3			चौमो खास		
4			मनेथा		
5			पहाड़ी बक्सी		
6			बछौड़ा		
7			चिकटा गुलैदा		
8			गोरा खास		
9			गैलवारा		
10			बंजारीपुरा		
11			सोरका		
12			दुमदुमा		
13			सिया खास		
14			खिस्टीन		

क्र.	जिला पंचायत के कुल निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या	जिले की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
			प्रवर्ग	संख्या
1	10	137	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1 0 1 1 0 2 2

आनन्द कुमार शर्मा, आयुक्त  
सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

प्रारूप-एक (ब)  
**कलेक्टर जिला-निवाड़ी**  
मध्यप्रदेश  
अन्तिम प्रकाशन

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	असाटीखास	असाटी खास	असाटी खास	4326	14
			असाटी जंगल	असाटी जंगल	वीरान	14

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	अस्तरी	अस्तरी	अस्तरी	2505	40
			टेहरका भाटा	टेहरका भाटा	439	40
			रायपुरा जंगल	रायपुरा जंगल	वीरान	40

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बाबई	बाबई	बाबई	1226	9
			नेगुवां	नेगुवां	754	9

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बाघाट	बाघाट	बाघाट	1379	3

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बहेरा	बहेरा	बहेरा	1716	41

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बपरौली	बपरौली	बपरौली	1217	5
			पुतरीखेरा	पुतरीखेरा	480	5

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	वनगायखास	वनगायखास	वनगायखास	1851	16
			मजरावनगाय	मजरावनगाय	514	16
			वनगायहार	वनगायहार	64	16

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बरईपुरा	रायपुराखास	रायपुराखास	859	38
			बरईपुरा	बरईपुरा	850	38

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	वसोवा	वसोवा	वसोवा	1520	2
			घटवाहा	घटवाहा	458	2

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	वासवान	वासवान	वासवान	1470	56
			वसन्तपुरा	वसन्तपुरा	974	56

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	भमौराखास	भमौराखास	भमौराखास	1122	36
			ऊमरी	ऊमरी	962	36
			ढिमरपुरा (नजूमरी)	ढिमरपुरा (नजूमरी)	1009	36

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	भीतरी	भीतरी	भीतरी	1945	1

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बिहारीपुरा	बिहारीपुरा	बिहारीपुरा	1623	8
			देवराखेरा	देवराखेरा	711	8

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बीजौर	बीजौर	बीजौर	2599	2

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	बील्ट	बिल्ट	बिल्ट	1711	52
			रामनगर	रामनगर	211	52

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	विनवारा	विनवारा	विनवारा	2615	29
			काछीपुरा	काछीपुरा	359	29

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	चचावली	चचावली	चचावली	1815	26
			मजराचचावली	मजराचचावली	वीरान	26

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	चकरपुर	चकरपुर	चकरपुर	1687	17

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	चंदावनी	चंदावनीखास	चंदावनीखास	5557	19
			चंदावनीभाटा	चंदावनीभाटा	वीरान	19

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	चुरारा	चुरारा	चुरारा	3298	43

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	देवरीकलरऊ	देवरीकलरऊ	देवरीकलरऊ	980	4
			देवरीबमनऊ	देवरीबमनऊ	602	4

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	देवरीनायक	देवरीनायक	देवरीनायक	661	42
			चुरारी	चुरारी	648	42
			नामापुरा	नामापुरा	384	42

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	धमना	धमना	धमना	2684	30

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	धवाबंगरा	धवाबंगरा	धवाबंगरा	1807	19
			दुर्गापुर	दुर्गापुर	481	19

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	ढिमरपुरा	ढिमरपुरा	ढिमरपुरा	1517	23
			कुवंरपुराखास	कुवंरपुराखास	1013	23
			कुवंरपुराजंगल	कुवंरपुराजंगल	वीरान	23

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	देवेन्द्रपुरा	देवेन्द्रपुरा	देवेन्द्रपुरा	1391	13

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	घूघसीखास	घूघसीखास	घूघसीखास	2425	35
			घूघसीग्रन्ट	घूघसीग्रन्ट	वीरान	35
			भमौराग्रन्ट	भमौराग्रन्ट	वीरान	35

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	गिदखिनी	गिदखिनी	गिदखिनी	1813	11

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	गुजरकलां	गुजरकलां	गुजरकलां	932	8
			जमुनियाभाटा	जमुनियाभाटा	251	8

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	गुजराखुर्द	गुजराखुर्द	गुजराखुर्द	1044	9

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	गुवावली	बम्हौरीशीतल	बम्हौरीशीतल	1674	31
			गुवावली	गुवावली	1375	31

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	जमुनियाखास	जमुनियाखास	जमुनियाखास	1776	7
			चन्द्रवन	चन्द्रवन	203	7

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	जनौली	जनौली	जनौली	1438	18
			कारीपहाड़ी	कारीपहाड़ी	1036	18



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	झिगौरा	झिगौरा	झिगौरा	1636	46
			धरमपुरा	धरमपुरा	584	46
			बरवाहा	बरवाहा	531	46
			कुलुवाभाटा	कुलुवाभाटा	143	46
			सियाभाटा	सियाभाटा	वीरान	46

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	जिखनगांव	जिखनगांव	जिखनगांव	3019	37

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	जिजौरा	जिजौरा	जिजौरा	1386	3

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	जुगयाई	जुगयाई	जुगयाई	2050	55

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	कठरूपहाडी	कठरूपहाडी	कठरूपहाडी	1721	21

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	कैना	कैना	कैना	1516	10

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	किशोरपुरा	किशोरपुरा	किशोरपुरा	1534	15
			डावरजंगल	डावरजंगल	384	15
			डावरभाटा (उगड)	डावरभाटा (उगड)	127	15

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	कुडार	कुडार	कुडार	2045	24
			गंज	गंज	439	24

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	कुलुवाखास	कुलुवाखास	कुलुवाखास	2144	47

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	कुम्हराखास	कुम्हराखास	कुम्हराखास	1503	4
			कुम्हराभाटा	कुम्हराभाटा	196	4

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	लाडपुराखास	लाडपुराखास	लाडपुराखास	918	12
			वागन	वागन	615	12
			उत्तरीलाडपुरा	उत्तरीलाडपुरा	270	12
			मडोरभाटा	मडोरभाटा	वीरान	12

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	लडवारी	लडवारीकछयऊ	लडवारीकछयऊ	2300	49
			लडवारीहार	लडवारीहार	वीरान	49

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	मडोरपूर्वी	मडोरपूर्वी	मडोरपूर्वी	2368	13

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	महाराजपुरा	महाराजपुरा	महाराजपुरा	1316	11
			राधापुर	राधापुर	832	11

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	मजरामकारा	नीमखेरा	नीमखेरा	937	50
			मजरामकारा	मजरामकारा	604	50

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	मकारा	मकारा	मकारा	1703	51
			मझगुवा	मझगुवा	378	51

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	मुडारा	मुडारा	मुडारा	2936	44

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	नौरा	नौरा	नौरा	1346	33
			निमचौनी	निमचौनी	346	33

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	नयाखेरा	नयाखेरा	नयाखेरा	1326	53

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	पठाराम	पठाराम	पठाराम	2618	27
			मजरा पठाराम	मजरा पठाराम		वीरान

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	पठारी	पठारी	पठारी	1668	14
			लठेसरा	लठेसरा	710	14

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	पिपरा	पिपरा	पिपरा	1951	7

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	पोहाखास	पोहाखास	पोहाखास	3999	54
			पोहाभाटा	पोहाभाटा	65	54
			ब्याटा जंगल	ब्याटा जंगल	वीरान	54

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा	प्रतापपुरा	965	1
			सीतापुर	सीतापुर	704	1
			भोजपुरा	भोजपुरा	390	1
			रुदमकोरा	रुदमकोरा	वीरान	1
			बबेडीजंगल	बबेडीजंगल	वीरान	1

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	पुछीकरगुवां	पुछीकरगुवां	पुछीकरगुवां	4097	6
			मोहनपुरा	मोहनपुरा	1102	6

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	राजापुर	राजापुर	राजापुर	2609	48

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	रजपुरा	रजपुरा	रजपुरा	1422	15
			मडोर पश्चिमी	मडोर पश्चिमी	722	15

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	रामनगर	रामनगर	रामनगर	849	10
			मथुरापुरा	मथुरापुरा	694	10

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	सकूली	सकूली	सकूली	2007	17
			डावरखास	डावरखास	675	17

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	सैंदरी	सैंदरी	सैंदरी	3041	20
			मादरी	मादरी	496	20

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	शक्तिभैरो	शक्तिभैरो	शक्तिभैरो	3089	18

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

### सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	सिन्दूरसागर	सिन्दूरसागर	सिन्दूरसागर	1264	22
			सादिकपुरा	सादिकपुरा	910	22
			फुटेरा जंगल	फुटेरा जंगल	वीरान	22

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	तरीचरखुर्द	तरीचरखुर्द	तरीचरखुर्द	1054	16
			खिरियाखास	खिरियाखास	604	16
			वीरसिंहपुरा	वीरसिंहपुरा	322	16
			खिरियाभाटा (उगड)	खिरियाभाटा (उगड)	वीरान	16
			नवादा	नवादा	वीरान	16

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	टेहरका	टेहरकाखास	टेहरकाखास	6925	39

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	थौना	थौना	थौना	3335	32

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	टीला	टीला	टीला	1601	12
			निवाड़ी भाटा	निवाड़ी भाटा	409	12

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	उवौरा	उवौरा	उवौरा	3998	25
			श्यामसी	श्यामसी	343	25

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाड़ी	निवाड़ी	उरदौरा	उरदौरा	उरदौरा	1859	34
			कलौथरा	कलौथरा	941	34

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	कनौरा	कनौरा	कनौरा	807	1
			हीरापुरा	हीरापुरा	857	
			सुजानपुराभाटा	सुजानपुराभाटा	39	
			<b>योग</b>		<b>1703</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	रमपुराखास	रमपुराखास	रमपुराखास	949	2
			दुलावनी	दुलावनी	227	
			<b>योग</b>		<b>1226</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सुनौनिया खास	सुनौनियाखास	सुनौनियाखास	1908	3
			लिधौरा	लिधौरा	418	
			योग		2326	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सुनौनिया पश्चिमी	सुनौनिया पश्चिमी	सुनौनिया पश्चिमी	2771	4
			योग		2771	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	भेलसा	भेलसा	भेलसा	1980	5
योग					1980	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मोहनपुरा	मोहनपुरा	मोहनपुरा	1319	6
योग					1319	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	ढिल्ला	ढिल्ला	ढिल्ला	1106	7
			मौजन	मौजन	461	
			योग		1567	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	कुंवरपुरा	कुंवरपुरा	कुंवरपुरा	1406	8
			योग		1406	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	चन्द्रपुरा	चन्द्रपुरा	चन्द्रपुरा	1530	9
			बागपुरा	बागपुरा	36	
			चन्द्रपुराभाटा	चन्द्रपुराभाटा	159	
			सेवारी	सेवारी	71	
			योग		1816	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	पनिहारी	पनिहारी	पनिहारी	1204	10
			निबौरा	निबौरा	183	
			योग		1387	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर



दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मडवा जुगलपुरा	मडवाजुगलपुरा	मडवाजुगलपुरा	733	11
			रागौली	रागौली	559	
			योग		1292	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सुजानुपरा	सुजानुपरा	सुजानुपरा	542	12
			सैगुवा	सैगुवा	1137	
			योग		1679	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	नैगुवांखास	नैगुवांखास	नैगुवांखास	2566	13
योग					2566	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सकेरा खुर्द	सकेराखुर्द	सकेराखुर्द	1668	14
			टपरियन हड़ारन	टपरियन हड़ारन	186	
योग					1854	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	दरैठा	दरैठा	दरैठा	1967	15
			लिदवाहा	लिदवाहा	439	
			<b>योग</b>		<b>2406</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	अतर्रा	अतर्रा	अतर्रा	1006	16
			जैतवारा	जैतवारा	145	
			पपावनीपूर्वी	पपावनीपूर्वी	668	
			<b>योग</b>		<b>1819</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	पपावनी खास	पपावनीखास	पपावनीखास	1631	17
			सुनरईखास	सुनरईखास	461	
			सुनरईभाटा	सुनरईभाटा	17	
			विशनपुराभाटा	विशनपुराभाटा	47	
			योग			

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बनियानी	बनियानी	बनियानी	1025	18
			उरदौरा	उरदौरा	688	
			योग			

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	धौरा	धौरा	धौरा	1724	19
			हमीरपुरा	हमीरपुरा	71	
			योग		1795	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सरसौरा	सरसौरा	सरसौरा	1015	20
			कोटीजंगल	कोटीजंगल	140	
			मडोरी	मडोरी	269	
			योग		1424	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बीरसागर	बीरसागर	बीरसागर	1627	21
योग					1627	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मडवाराजगढ़	मडवाराजगढ़	मडवाराजगढ़	2145	22
योग					2145	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बमरोली	बमरोली	बमरोली	965	23
			बीरसागरताल	बीरसागरताल	647	
			योग		1612	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	भोपालपुरा	भोपालपुरा	भोपालपुरा	2711	24
			नयाखेरा	नयाखेरा	978	
			योग		3689	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	जवारपुरा	जवारपुरा	जवारपुरा	1646	25
योग					1646	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	जेराखास	जेराखास	जेराखास	3832	26
योग					3832	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर



दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	महुआबाग	महुआबाग	महुआबाग	995	27
			जेराभाटा	जेराभाटा	858	
			<b>योग</b>		<b>1853</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	कछियाखेरा	कछियाखेरा	कछियाखेरा	1040	28
			छेवलामाता	छेवलामाता	1031	
			<b>योग</b>		<b>2071</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	दिगवार कलां	दिगवारकलां	दिगवारकलां	978	29
			दिगवारखुर्द	दिगवारखुर्द	601	
			गुलेंदाजंगल	गुलेंदाजंगल	242	
			दिगवारजंगल	दिगवारजंगल	73	
			योग		1894	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सिमराभाटा	सिमराभाटा	सिमराभाटा	1506	31
			पतरिया	पतरिया	1020	
			योग		2526	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सिमराखास	सिमराखास	सिमराखास	5300	30
योग					5300	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	रमपुरा भेलसी	रमपुराभेलसी	रमपुराभेलसी	732	32
			भेलसीखुर्द	भेलसीखुर्द	791	
योग					1523	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	टोड़ी	टोड़ी	टोड़ी	1347	33
योग					1347	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	डिरगुवां	डिरगुवां	डिरगुवां	1073	34
			मजराखैराई	मजराखैराई	512	
			मजराकछार	मजराकछार	751	
			योग			2336

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मुडेनी	मुडेनी	मुडेनी	1796	35
योग					1796	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	ममौरा	ममौरा	ममौरा	1758	36
			पंचमखेरा	पंचमखेरा	1004	
			योग			

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

## दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मजरा शिवलाल	मजराशिवलाल	मजराशिवलाल	1194	40
			बोरेसरभाटा	बोरेसरभाटा	360	
			<b>योग</b>		<b>1554</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

## दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	ततारपुरा	ततारपुरा	ततारपुरा	2132	41
			<b>योग</b>		<b>2132</b>	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	घुरारा जागीर	घुराराजागीर	घुराराजागीर	753	42
			मौजीपुरा	मौजीपुरा	704	
			योग		1457	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मजरासूरी	मजरासूरी	मजरासूरी	1384	43
			जिरावनीभिटारा	जिरावनीभिटारा	1431	
			योग		2815	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मजल	मजल	मजल	2404	44
योग					2404	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	लुहरगुवा	लुहरगुवा	लुहरगुवा	3268	45
योग					3268	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर



दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	ककावनी खास	ककावनीखास	ककावनीखास	4056	46
			ककावनीभाटा	ककावनीभाटा	392	
			योग			

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	धिरपुरा	धिरपुरा	धिरपुरा	928	47
			केशरीगंज	केशरीगंज	717	
			रमपुराराख	रमपुराराख	566	
			योग			

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	पाराखेरा	पाराखेरा	पाराखेरा	2444	48
योग					2444	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बारहोबुजुर्ग	बारहोबुजुर्ग	बारहोबुजुर्ग	1314	49
			सैतपुरा	सैतपुरा	716	
			तिलपुरा	तिलपुरा	344	
योग					2374	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

## दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मडिया	मडियाखास	मडियाखास	5239	50
योग					5239	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

## दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	अछरुमाता (मडिया) (नव गठित प्रस्तावित ग्राम पंचायत)	अछरुमाता	अछरुमाता	982	50
			गतारा	गतारा	371	
			मवई	मवई	239	
			केरीपुरा	केरीपुरा	633	
			योग			

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	लडवारी खास	लडवारीखास	लडवारीखास	872	52
			लडवारीताल	लडवारीताल	56	
			टेनीपुरा	टेनीपुरा	957	
			योग		1885	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	दुमदुमा	दुमदुमा	दुमदुमा	1783	55
			मानिकपुरा	मानिकपुरा	629	
			चंदेलीटौरिया	चंदेलीटौरिया	769	
			योग		3180	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सियाखास	सियाखास	सियाखास	1631	56
योग					1631	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	खिस्टौन	खिस्टौन	खिस्टौन	3318	57
योग						

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सोरका	सोरका	सोरका	1389	58
			गरौली	गरौली	748	
			योग		2137	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	गोराखास	गोराखास	गोराखास	1533	58
			गोराभाटा	गोराभाटा	72	
			गोपालपुरा	गोपालपुरा	131	
			योग		1736	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	पहाडीबक्सी	पहाडीबक्सी	पहाडीबक्सी	885	61
			बारहोखुर्द	बारहोखुर्द	315	
			योग		1200	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बंजारीपुरा	बंजारीपुरा	बंजारीपुरा	1552	60
			बंजारीपुराभाटा	बंजारीपुराभाटा	105	
			योग		1657	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	चौमोखास	चौमोखास	चौमोखास	1354	62
			चौमोभाटा	चौमोभाटा	234	
			गोवा पश्चिमी	गोवा पश्चिमी	1006	
			जसरथपुरा	जसरथपुरा	112	
			योग		2706	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	चिकटा गुलेंदा	चिकटागुलेंदा	चिकटागुलेंदा	810	63
			वितर	वितर	1040	
			गैलवाराभाटा	गैलवाराभाटा	377	
			योग		2227	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर



दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	चौमोखास	चौमोखास	चौमोखास	1354	62
			चौमोभाटा	चौमोभाटा	234	
			गोवा पश्चिमी	गोवा पश्चिमी	1006	
			जसरथपुरा	जसरथपुरा	112	
			योग		2706	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बछौड़ा	बछौड़ा	बछौड़ा	2336	65
			बिरौरा	बिरौरा	215	
			पहाडभाटा	पहाडभाटा		
योग		2551				

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बिरौरा पहाड़	बिरौरा पहाड़	बिरौरा पहाड़	1457	66
			बिरौरा पहाड़ उत्तरी	बिरौरा पहाड़ उत्तरी	1167	
			योग			

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	बिरौराखेत	बिरौराखेत	बिरौराखेत	3242	67
योग					3242	

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	सकेरा भंडारन	सकेराभंडारन	सकेराभंडारन	4193	68
			सकेराभंडारन भाटा	सकेराभंडारन भाटा	120	
			<b>योग</b>		<b>4313</b>	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मनेथा	मनेथा	मनेथा	1416	69
			गोवापूर्वी	गोवापूर्वी	675	
			सकेरा भंडारन हार	सकेरा भंडारन हार	114	
			<b>योग</b>		<b>2235</b>	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	मनियां	मनियां	मनियां	1839	70
			कुंवरपुरा	कुंवरपुरा	593	
			योग		2432	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

दिनांक - 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला निवाडी के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम / ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
निवाडी	पृथ्वीपुर	जेवरामौरा	जेवरामौरा	जेवरामौरा	5162	71
			योग		5162	

अक्षय कुमाकर सिंह, कलेक्टर

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल

प्ररूप-चार (ब)

कार्यालय संभाग आयुक्त भोपाल (म.प्र)

अन्तिम प्रकाशन

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 30 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के साथ स्तम्भ-दो में अंकित जनप्रद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने अंकित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ।

## सारणी

अनु. क्र.	जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत का नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भोपाल	01	1. चन्देरी 2. कुठार 3. निपानियासूखा 4. खजूरी राताताल 5. काछीबरखेडा 6. रायपुर 7. निपानियाजाट 8. कनेरा 9. अगरिया 10. गोलखेडी 11. खामखेडा 12. ईटखेडी सडक 13. अचारपुरा 14. अरवलिया 15. बगोनिया 16. तारासेवनिया 17. चंदूखेडी 18. खेजडादेव 19. कुराना	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	01 0 01 01 0 02 02
2	भोपाल	02	1. सूखीसेवनिया 2. मुगालियाकोट 3. पिपलियाजाहिरपीर 4. कान्हासैया		

			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. बरखेडी अब्दुल्ला</li> <li>6. बालमपुर</li> <li>7. अमोनी</li> <li>8. प्रेमपुरा</li> <li>9. चौपडाकलां</li> <li>10. इमलिया</li> <li>11. सेवनियाओंकारा</li> <li>12. इस्लामनगर</li> <li>13. देवलखेडी</li> </ol>		
3	भोपाल	03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. झिरनिया</li> <li>2. रसूलिया पठार</li> <li>3. पुराछिन्दवाडा</li> <li>4. मुगालियाहाट</li> <li>5. परवलिया सडक</li> <li>6. बरखेडाबोदर</li> <li>7. खोरी</li> <li>8. तुमडा</li> <li>9. बगामिया</li> <li>10. बरखेडासालम</li> <li>11. खजूरीसडक</li> <li>12. फन्दाकला</li> <li>13. साहस्ताखेडी</li> <li>14. बोरखेडी</li> </ol>		
4	भोपाल	04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. टीलाखेडी</li> <li>2. मुगालियाछाप</li> <li>3. बरखेडानाथू</li> <li>4. बडझिरी</li> <li>5. नांदनी</li> <li>6. आमला</li> <li>7. मूण्डला</li> <li>8. कौडिया</li> <li>9. रातीबड</li> <li>10. सरवर</li> <li>11. भानपुर केंकडिया</li> <li>12. सेमरीबाज्याफल</li> <li>13. कलखेडा</li> <li>14. बेरखेडीबाज्याफल</li> <li>15. मैडोरी</li> <li>16. सिकंदराबाद</li> <li>17. ईटखेडीछाप</li> </ol>		
5	भोपाल	05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. कालापानी</li> <li>2. गोल</li> <li>3. अमराबत्तकलां</li> </ol>		

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. सुरेरानगर</li> <li>5. धारदा</li> <li>6. क्षमझरा</li> <li>7. पडरियाजाट</li> <li>8. जमुनियाकलां</li> <li>9. बगरौदा</li> <li>10. बगरसिया</li> <li>11. नरोन्हासांकल</li> <li>12. आदमपुर छावनी</li> <li>13. बिलखिरियाकलां</li> <li>14. कोलुआखुर्द</li> </ol>		
6	भोपाल	06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अमरपुर</li> <li>2. बड़वेलीकलां</li> <li>3. बहरावल</li> <li>4. बंदरुआ</li> <li>5. वीलखोहा</li> <li>6. भुजपुराकलां</li> <li>7. गढाकलां</li> <li>8. गढाखुर्द</li> <li>9. गुजरतोडी</li> <li>10. कढैयाकलां</li> <li>11. कढैयाकोटा</li> <li>12. खण्डारिया</li> <li>13. खाताखेडी</li> <li>14. खजेडाघाट</li> <li>15. कोल्हूखेडीखुर्द</li> <li>16. गढाब्राह्मण</li> <li>17. नाथसमद</li> <li>18. मजीराबाद</li> <li>19. रमाहा</li> <li>20. सिन्धौडा</li> <li>21. सूरजपुरा</li> <li>22. खजूरियाकलां</li> <li>23. उमरिया</li> <li>24. पसेया</li> <li>25. दमीला</li> <li>26. सुनगा</li> </ol>		
7	भोपाल	07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अर्जुनखेडी</li> <li>2. बबचिया</li> <li>3. बैसगढ</li> <li>4. बरखेडायाकूब</li> <li>5. बरई</li> <li>6. चांदासलोई</li> </ol>		

			<ol style="list-style-type: none"> <li>7. चाटाहेडी</li> <li>8. धतूरिया</li> <li>9. दोहाघा</li> <li>10. हिंगोनी</li> <li>11. कढैयाशाह</li> <li>12. खितवास</li> <li>13. मेगराकलां</li> <li>14. मूडलाचंद्र</li> <li>15. नरेलादामोदर</li> <li>16. निदानपुर</li> <li>17. सोह्या</li> <li>18. तरावलीखुर्द</li> <li>19. जमूसरकलां</li> <li>20. जमूसरखुर्द</li> <li>21. करारिया</li> <li>22. रानीखजूरी</li> <li>23. गोंडीपुरा</li> <li>24. सेमरीखुर्द</li> <li>25. ललरिया</li> </ol>		
8	भोपाल	08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आंकिया</li> <li>2. बागसी</li> <li>3. बिरहारयामखेडी</li> <li>4. देवलखेडा</li> <li>5. धूतखेडी</li> <li>6. दौलतपुरा</li> <li>7. हवीबगंज</li> <li>8. कढैयाचंवर</li> <li>9. खुकरिया</li> <li>10. कोलूखेडीकलां</li> <li>11. कोटरा</li> <li>12. ललोई</li> <li>13. मंगलगढ</li> <li>14. मनीखेडी (पार्वती)</li> <li>15. मेगरानवीन</li> <li>16. नलखेडा</li> <li>17. परसौरा</li> <li>18. पिपलियाहस्नावाद</li> <li>19. रमगढा</li> <li>20. रमपुराबालाचौन</li> <li>21. रुनाहा</li> <li>22. सेमराभैरोपुरा</li> <li>23. तरावलीकलां</li> <li>24. गंगापिपलिया</li> </ol>		



9	भोपाल	09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अरावती</li> <li>2. बरखेडा बरामह</li> <li>3. बरोडी</li> <li>4. बरीछीरखेडा</li> <li>5. बैसीदा</li> <li>6. दामखेडा</li> <li>7. धमरा</li> <li>8. गरेठियादांगी</li> <li>9. इमलियानरेन्द्र</li> <li>10. झिकरियाखुर्द</li> <li>11. कचनारिया</li> <li>12. खजूरियारामदास</li> <li>13. कुल्हार</li> <li>14. लगरपुर</li> <li>15. महोली</li> <li>16. सेमराकलां</li> <li>17. सेमरीकलां</li> <li>18. सोनकच्छ</li> <li>19. विनेका</li> <li>20. नरेलावाज्याप्त</li> <li>21. सपौआ</li> <li>22. दुंगरिया</li> <li>23. जूनापानी</li> </ol>		
10	भोपाल	10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. भैसखेडा</li> <li>2. दिल्लीद</li> <li>3. गुनगा</li> <li>4. हरीखेडा</li> <li>5. हिमोतीसडक</li> <li>6. इजगिरी</li> <li>7. जैतपुरा</li> <li>8. कलारा</li> <li>9. करोंदिया</li> <li>10. कोटरा चोपडा</li> <li>11. कुटकीपुरा</li> <li>12. पारदी</li> <li>13. पीपलखेडा</li> <li>14. रतुआरतनपुर</li> <li>15. रोडिया</li> <li>16. सुकलिया</li> <li>17. उमीदा</li> <li>18. उदखेडा</li> <li>19. मनीखेडी (गुनगा)</li> <li>20. खादमपुर</li> <li>21. बरी (बगराज)</li> <li>22. केशीखेडी</li> </ol>		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

प्ररूप -तीन (ब)  
कलेक्टर जिला भोपाल  
अन्तिम प्रकाशन

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ अर्थात् -

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बैरसिया	1	1 सुरजपुरा 2 खाताखेडी 3 गढाब्राह्मण 4 कोल्हूखेडी खुर्द 5 उमरिया	अ0जा0 अ0ज0जा0 अन्य पिछडा वर्ग महिला अ0जा0 महिला अ0ज0जा0 महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	6 1 6 3 1 3 6
2	बैरसिया	2	1 सिन्धौडा 2 खेजडाघाट 3 रमाहा 4 नजीरावाद		
3	बैरसिया	3	1 खण्डारिया 2 नायसमंद 3 कढैयाकोटा 4 गढाखुर्द 5 गढाकलां		
4	बैरसिया	4	1 वडवेलीकलां 2 खजूरियाकलां 3 अमरपुर 4 बहरावल 5 कढैयाकलां		

5	बैरसिया	5	1 वीलखो 2 बंदरूआ 3 गूजरतोडी 4 तरावलीखुर्द 5 पसैया		
6	बैरसिया	6	1 जमूसरकलां 2 कढैयाशाह 3 जमूसरखुर्द 4 मेंगराकलां 5 करारिया		
7	बैरसिया	7	1 सोहाया 2 दोहाया 3 धतूरिया 4 अर्जुनखेडी 5 रानी खजूरी		
8	बैरसिया	8	1 आकिया 2 मेंगरानवीन 3 मंगलगढ 4 धूतखेडी 5 कोल्हूखेडीकलां		
9	बैरसिया	9	1 दमीला 2 परसौरा 3 कोटरा 4 सैमराभैरोपुरा 5 सुनगा		
10	बैरसिया	10	1 चांदासलोई 2 खितवांस 3 चाटाहेडी 4 निदानपुर 5 गोंडीपुरा		
11	बैरसिया	11	1 हिंगोनी 2 बरखेडायाकूव 3 बबचिया 4 नरेलादामोदर 5 मूडलाचंद		
12	बैरसिया	12	1 भुजपुराकलां 2 रूनाहा 3 मनीखेडी (पार्वती) 4 बागसी		
13	बैरसिया	13	1 डूंगरिया 2 बैरागढ 3 कुल्हौर 4 सेमरीखुर्द 5 बर्राई		

14	बैरसिया	14	1 रमगढा 2 ललोई 3 दौलतपुरा 4 कटैयाचवंर 5 बिरहाश्यामखेडी		
15	बैरसिया	15	1 हवीबगंज 2 देवलखेडा 3 खुकरिया 4 तरावलीकलां 5 नलखेडा 6 पिपलियाहरनावाद		
16	बैरसिया	16	1 ललरिया 2 झिकरियाखुर्द		
17	बैरसिया	17	1 इमलियानरेन्द्र 2 बरींछीरखेडा 3 लंगरपुर 4 दामखेडा 5 विनेका 6 अर्वावती 7 सपौआ		
18	बैरसिया	18	1 खजूरियारामदास 2 भैसादा 3 सेमराकलां 4 गरेठियादांगी 5 बरोडी 6 नरेलाबाज्याप्त		
19	बैरसिया	19	1 रमपुरावालाचौन 2 कचनारिया 3 गांगापिपलिया 4 धमरा		
20	बैरसिया	20	1 सोनकच्छ 2 बरखेडाबरामद 3 सेमरीकलां 4 बरींबगराज 5 केशोखेडी		
21	बैरसिया	21	1 रौडिया 2 दिल्लीद 3 पीपलखेडा 4 इजगिरी		
22	बैरसिया	22	1 जूनापानी 2 कलारा 3 उनीदा 4 कुटकीपुरा 5 महौली		

23	बैरसिया	23	1 जैतपुरा 2 करोंदिया 3 गुनगा 4 मनीखेडी (गुनगा)		
24	बैरसिया	24	1 हरखेडा 2 पारदी 3 हिनोतीसडक 4 खादमपुर		
25	बैरसिया	25	1 ऊटखेडा 2 सुकलिया 3 कोटराचौपडा 4 भैसखेडा 5 रतुआरतनपुर		

तरूण पिथोडे, कलेक्टर.

**प्ररूप- तीन (ब)**  
**कलेक्टर जिला भोपाल, म0प्र0**  
**अंतिम प्रकाशन**

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांको में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता हूँ, अर्थात -

सारणी

अनु. क्र.	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	जनपद पंचायत फंदा	1	कुठार	अ.जा. मुक्त	2	
			निपानियासूखा	अ.ज.जा.	0	
			खजूरीराताताल	अन्य पिछडा वर्ग	2	
			काछीबरखेडा	महिला अ.जा.	2	
	जनपद पंचायत फंदा	2			महिला अ.ज.जा.	1
					महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
					महिला सामान्य	4
					अनारक्षित मुक्त	6
	जनपद पंचायत फंदा	3		रायपुर		
				निपानियाजाट		
				कनेरा		
				अगरिया		
	जनपद पंचायत फंदा	4		गोलखेडी		
				खामखेडा		
				ईटखेडी सडक		
				अचारपुरा		
जनपद पंचायत फंदा	4		अरवलिया			
			देवलखेडी			
			इस्लाम नगर			

	जनपद पंचायत फंदा	5	इमलिया मुगालियाकोट सूखीसेवनिया चौपड़ाकलां		
	जनपद पंचायत फंद	6	पिपलियाजाहिरपीर सेवनिया ओंकारा कान्हासैया		
	जनपद पंचायत फंदा	7	बरखेडी अब्दुल्ला बालमपुर अमोनी प्रेमपुरा		
	जनपद पंचायत फंदा	8	नरोन्हासांकल आदमपुरछावनी बिलखिरियाकलां कोलुआखुर्द जमुनियाकलां		
	जनपद पंचायत फंदा	9	अमझरा पडरियाजाट बगरौदा बंगरसिया		
	जनपद पंचायत फंदा	10	झिरनिया पुराछिंदवाडा मुगालियाहाट परवलिया सडक		
	जनपद पंचायत फंदा	11	तारासेवनिया		

			बगोनिया		
			चंदेरी		
	जनपद पंचायत फंदा	12	चंदूखेडी		
			बरखेडा बोंदर		
			कुराना		
			खेजड़ादेव		
	जनपद पंचायत फंदा	13	तूमडा		
			रसूलियापठार		
	जनपद पंचायत फंदा	14	फंदाकलां		
			खजूरीसडक		
			साईस्ताखेडी		
			ईटखेडीछाप		
	जनपद पंचायत फंद	15	खौरी		
			बकानिया		
			बरखेडासालम		
	जनपद पंचायत फंदा	16	टीलाखेडी		
			बोरखेडी		
			नांदनी		
			मूंडला		
			बड़झिरी		
	जनपद पंचायत फंदा	17	मुगालियाछाप		
			बरखेडानाथू		
			कौड़िया		
	जनपद पंचायत फंदा	18	रातीबड़		
			सरवर		



			आमला		
			भानपुर कैंकडिया		
	जनपद पंचायत फंदा	19	कलखेडा		
			बेरखेडी बाज्याफत		
			मैंडोरी		
			सिकंदराबाद		
			सेमरी बाज्याफत		
	जनपद पंचायत फंदा	20	अमरावतकलां		
			बोरदा		
			कालापानी		
			गोल		
			सुरैयानगर		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

**प्रारूप-एक (ब)**  
**कार्यालय कलेक्टर (पंचायत), जिला भोपाल, म0प्र0**  
**अंतिम प्रकाशन**

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फदा	कलखेडा	कलखेडा	कलखेडा	1261	50
			रोलुखेडी	रोलुखेडी	45	50
			मालीखेडी	मालीखेडी	710	50
			योग		2016	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फदा	बेरखेडीबाज्यापत	बेरखेडीबाज्यापत	बेरखेडीबाज्यापत	985	48
			योग		985	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	गोल	गोल	गोल	1093	9
			पिपलियाबेरखेडी	पिपलियाबेरखेडी	6	9
योग					1099	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	कालापानी	कालापानी	कालापानी	2725	8
			महाबडिया	महाबडिया	1194	8
			थुआखेडा	थुआखेडा	896	8
योग					4815	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	अमरावतकला	अमरावतकला	अमरावतकला	734	6
			भोजनगर	भोजनगर	199	6
			पचामा	पचामा	196	6
			शोभापुर	शोभापुर	402	6
	योग				1531	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	सरवर	सरवर	सरवर	1265	71
			समसगढ	समसगढ	387	71
			मित्तूखेडी	मित्तूखेडी	112	71
			झागरियाखुर्द	झागरियाखुर्द	580	71
	योग				2344	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	आमला	आमला	आमला	1200	74
			समसपुरा	समसपुरा	257	74
			अमरपुरा	अमरपुरा	194	74
			बावडीखेडा	बावडीखेडा	136	74
	योग				1787	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	बडझिरी	बडझिरी	बडझिरी	1351	70
			खुरचनी	खुरचनी	978	70
	योग				2329	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	सुरैयानगर	सुरैयानगर	सुरैयानगर	441	7
			कोटरा	कोटरा	154	7
			खडबभुलिया	खडबभुलिया	114	7
			खडाबड	खडाबड	137	7
			पिपलियारानी	पिपलियारानी	303	7
			सेवनिया	सेवनिया	128	7
			बंदोरी	बंदोरी	408	7
			कोहडी	कोहडी	221	7
	योग				1906	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	भानपुर	भानपुर	भानपुर	2120	75
योग					2120	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	मुंडला	मुंडला	मुंडला	875	72
			देहरियाकला	देहरियाकला	496	72
			कल्याणपुर	कल्याणपुर	138	72
योग					1509	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	रातीबड	रातीबड	रातीबड	1740	47
			छापरी	छापरी	767	47
			फतेहपुरडोबरा	फतेहपुरडोबरा	743	47
			खुसलपुरा	खुसलपुरा	198	47
			महुआखेडा	महुआखेडा	34	47
	योग				3482	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

**सारणी**

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	सिकंदराबाद	सिकंदराबाद	सिकंदराबाद	1316	69
			रसुलियागोसाई	रसुलियागोसाई	532	69
	योग				1848	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	नांदनी	नांदनी	नांदनी	654	65
			खारपी	खारपी	542	65
			नरेला	नरेला	959	65
योग					2155	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	टीलाखेडी	टीलाखेडी	टीलाखेडी	1765	64
योग					1765	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.



दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फदा	बगरौदा	बगरौदा	बगरौदा	2412	46
			सेमरीखुर्द	सेमरीखुर्द	309	46
योग					2721	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फदा	कोडिया	कोडिया	कोडिया	1454	67
			रसुलियाघाट	रसुलियाघाट	407	67
योग					1861	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	बोरखेडी	बोरखेडी	बोरखेडी	444	62
			हथाईखेडी	हथाईखेडी	247	62
			दुबडी	दुबडी	417	62
			जाटखेडी	जाटखेडी	219	62
			खोकरिया	खोकरिया	243	62
योग					1570	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	साईस्ताखेडी	साईस्ताखेडी	साईस्ताखेडी	713	61
			पिपलियाधाकड	पिपलियाधाकड	866	61
योग					1579	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	पडरियाजाट	पडरियाजाट	पडरियाजाट	545	45
			नरेला वाज्याफत	नरेला वाज्याफत	21	45
			बावडियाखुर्द	बावडियाखुर्द	574	45
			झागरियाखुर्द	झागरियाखुर्द	628	45
योग					1768	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	चंदेरी	चंदेरी	चंदेरी	1620	12
योग					1620	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	बोरदा	बोरदा	बोरदा	1143	
योग					1143	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	मेंडोरी	मेंडोरी	मेंडोरी	1070	52
			मेंडोरा	मेंडोरा	899	52
योग					1990	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	बंगरसिया	बंगरसिया	बंगरसिया	4946	3
योग					4946	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	सेमरीबाज्यापत	सेमरीबाज्यापत	सेमरीबाज्यापत	877	73
			खारपा	खारपा	712	73
योग					1589	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	बरखेडानाथु	बरखेडानाथु	बरखेडानाथु	2324	49
योग					2324	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	मुगालियाछाप	मुगालियाछाप	मुगालियाछाप	3931	68
योग					3931	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	ईटखेडीछाप	ईटखेडीछाप	ईटखेडीछाप	885	66
			कजलास	कजलास	675	66
			खामलाखेडी	खामलाखेडी	354	66
			लखापुरा	लखापुरा	685	66
	योग				2599	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम-	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	खजुरीसडक	खजुरीसडक	खजुरीसडक	2509	60
			खारखेडी	खारखेडी	347	60
			खेतलाखेडी	खेतलाखेडी	140	60
	योग				2996	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	फदाकला	फदाकला	फदाकला	3525	63
			फदाखुर्द	फदाखुर्द	539	63
	योग				4064	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	जमुनियाकला	जमुनियाकला	जमुनियाकला	926	43
			लालपुर	लालपुर	100	43
			बनखेडी	बनखेडी	5	43
			डंगरोली	डंगरोली	411	43
	योग				1442	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.



दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	अमझरा	अमझरा	अमझरा	1115	44
			पिपलियाटीला	पिपलियाटीला	17	44
			बांसिया	बांसिया	787	44
योग					1919	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	बकानिया	बकानिया	बकानिया	1593	59
योग					1593	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	नरोन्हासांकल	नरोन्हासांकल	नरोन्हासांकल	2306	42
योग					2306	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	बरखेडाबोन्दर	बरखेडाबोन्दर	बरखेडाबोन्दर	2005	6
योग					2005	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	बरखेडासालम	बरखेडासालम	बरखेडासालम	2043	56
योग					2043	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	खौरी	खौरी	खौरी	1571	58
			धामनिया	धामनिया	929	58
योग					2500	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	बिलखिरियाकंला	बिलखिरियाकंला	बिलखिरियाकंला	1372	
योग					1372	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	कोलुआखुर्द	कोलुआखुर्द	कोलुआखुर्द	505	40
			झिरियाखेडा	झिरियाखेडा	182	40
			डोबराजागीर	डोबराजागीर	289	40
			चोरसागोनी	चोरसागोनी	201	40
			सागोनीकला	सागोनीकला	409	40
योग					1586	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	आदमपुरछावनी	आदमपुरछावनी	आदमपुरछावनी	3842	39
योग					3842	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	सेवनियाओंकारा	सेवनियाओंकारा	सेवनियाओंकारा	1886	38
			अरेडी	अरेडी	525	38
योग					2411	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	कुराना	कुराना	कुराना	2270	9
योग					2270	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	परवलियासडक	परवलियासडक	परवलियासडक	3310	5
			रातीबड	रातीबड	434	5
योग					3744	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	तुमडा	तुमडा	तुमडा	5413	57
योग					5413	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	कान्हासैया	कान्हासैया	कान्हासैया	6084	37
योग					6084	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	पिपलियाजाहिरपीर	पिपलियाजाहिरपीर	पिपलियाजाहिरपीर	1388	35
			कल्याणपुर	कल्याणपुर	694	35
योग					2082	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	चोपडाकला	चोपडाकला	चोपडाकला	1937	30
योग					1937	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.



दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	देवलखेडी	देवलखेडी	देवलखेडी	698	26
			श्यामपुर	श्यामपुर	659	26
			पुरामनभावन	पुरामनभावन	271	26
			सत्तीखेडा	सत्तीखेडा	101	26
			पिपलियाबाजखा	पिपलियाबाजखा	1169	26
					2898	
		योग				

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	अरवलिया	अरवलिया	अरवलिया	1213	16
			परवलियासानी	परवलियासानी	874	16
		योग			2087	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	ईटखेडीसडक	ईटखेडीसडक	ईटखेडीसडक	2447	19
			घासीपुरा	घासीपुरा	194	19
योग					2641	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	अचारपुरा	अचारपुरा	अचारपुरा	994	17
			हज्जामपुरा	हज्जामपुरा	455	17
			परेवाखेडा	परेवाखेडा	815	17
योग					2264	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	खेजडादेव	खेजडादेव	खेजडादेव	599	10
			चांदपुर	चांदपुर	499	10
			प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	16	10
			बिसनखेडी	बिसनखेडी	726	10
			डोबरा	डोबरा	400	10
		योग			2240	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	चंदुखेडी	चंदुखेडी	चंदुखेडी	1415	7
			मुबारकपुर	मुबारकपुर	1526	7
			मोरगा	मोरगा	0	7
			बदरखासडक	बदरखासडक	386	7
		योग			3327	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	मुगालियाहाट	मुगालियाहाट	मुगालियाहाट	2162	03
योग					2162	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	रसुलियापठार	रसुलियापठार	रसुलियापठार	852	
			नीलबड रसुलिया	नीलबड रसुलिया	864	
			रतनपुर	रतनपुर	957	
योग					2673	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	झिरनिया	झिरनिया	झिरनिया	1100	04
			कलाखेडी	कलाखेडी	905	04
			दौलतपुर ढिकरिया	दौलतपुर ढिकरिया	222	04
योग					2227	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फदा	प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	प्रेमपुरा	1602	36
			समरधा	समरधा	372	36
योग					1974	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	अमोनी	अमोनी	अमोनी	1123	34
			गढमुरा	गढमुरा	943	34
	योग				2066	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	मुगालियाकोट	सूखीसेवनिया	सूखीसेवनिया	2510	33
	योग				2510	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	मुगालियाकोट	मुगालियाकोट	मुगालियाकोट	988	28
			रूसल्लीबेलदार	रूसल्लीबेलदार	0	28
			मुगालियाखुर्द	मुगालियाखुर्द	0	28
			फतेहपुर	फतेहपुर	371	28
			गनियारी	गनियारी	396	28
			चांचेड	चांचेड	164	28
योग					1919	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	इमलिया	इमलिया	इमलिया	1685	29
			घाटखेडी	घाटखेडी	203	29
			सेमरा सैयद	सेमरा सैयद	644	29
योग					2532	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	इस्लामनगर	इस्लामनगर	इस्लामनगर	3638	22
योग					3638	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	खामखेडा	खामखेडा	खामखेडा	1652	27
			कल्याणपुरा	कल्याणपुरा	122	27
योग					1774	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.



दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	गोलखेडी	गोलखेडी	गोलखेडी	538	23
			बीनापुर	बीनापुर	1034	23
			भैरोपुरा	भैरोपुरा	731	23
			कांचबावली	कांचबावली	270	23
योग					2573	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	तारासेवनिया	तारासेवनिया	तारासेवनिया	3301	08
			पिपलियाछपरबंद	पिपलियाछपरबंद	284	08
			पृथ्वीपुरा	पृथ्वीपुरा	103	08
योग					3688	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	बालमपुर	बालमपुर	बालमपुर	2885	32
योग					2885	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	बरखेडी अब्दुल्ला	बरखेडी अब्दुल्ला	बरखेडी अब्दुल्ला	951	31
			डोब	डोब	1162	31
			कीरत नगर	कीरत नगर	0	31
			रसुल्ली चुनगर	रसुल्ली चुनगर	49	31
योग					2162	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	अगरिया	अगरिया	अगरिया	1078	25
			रासलाखेडी	रासलाखेडी	457	25
			सुमेरखेडी	सुमेरखेडी	4	25
			कालापपीपल	कालापपीपल	288	25
योग					1827	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	निपानियाजाट	निपानियाजाट	निपानियाजाट	1617	21
योग					1617	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	खजूरीराताताल	खजूरी	खजूरी	894	15
			राताताल	राताताल	806	15
			हिनोतियाजागीर	हिनोतियाजागीर	495	15
	योग				2195	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.पं.फंदा	निपानियासूखा	निपानियासूखा	निपानियासूखा	709	11
			करदई	करदई	391	11
			गुराडिया	गुराडिया	549	11
			मनीखेडीकोट	मनीखेडीकोट	384	11
			रोजीबेग	रोजीबेग	155	11
			जोगीबरी	जोगीबरी	0	11
	योग				2188	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	बगोनिया	बगोनिया	बगोनिया	1633	02
			झापडिया	झापडिया	497	02
योग					2130	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	पुराछिंदवाडा	पुराछिंदवाडा	पुराछिंदवाडा	1906	01
योग					1906	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	कनेरा	कनेरा	कनेरा	440	24
			करोदखुर्द	करोदखुर्द	980	24
			कढैयाखुर्द	कढैयाखुर्द	206	24
			मोमनपुर	मोमनपुर	176	24
			खीचीताल	खीचीताल	37	24
योग					1839	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	रायपुर	रायपुर	रायपुर	1855	20
			दुपाडिया	दुपाडिया	555	20
योग					2410	

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	काछीबरखेडा	काछीबरखेडा	काछीबरखेडा	808	14
			सागौनिया	सागौनिया	344	14
			बरखेडी हज्जाम	बरखेडी हज्जाम	648	14
योग					1800	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22/08/2019

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम में पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
भोपाल	ज.प.फंदा	कुठार	कुठार	कुठार	1186	13
			शाहपुर	शाहपुर	1086	13
			देवपुर	देवपुर	300	13
योग					2572	

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

**प्रारूप-दो (ब)**  
**कार्यालय कलेक्टर (पंचायत), जिला भोपाल, म0प्र0**  
**अंतिम प्रकाशन**

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आदमपुरछावनी	01	म.सू.अनुसार आदमपुर म.नं. 1 भौलाप्रसाद/अनुसुईया प्रसाद से म.नं. 6 म.न. 11 से 15 एवं म.न0 17 से म.न. 19 दीपिका/डालचंद के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	4 0 5 2 0
		02	म.सू.अनुसार आदमपुर म.नं. 20 सुरज सिंह/बालकिशन के म.न. 25,27,29 एवं 32,35,36,42 से 44,47 से 53,57ख, 59 म. न. कुसुमबाई/भारत सिंह तक से म. नं. 59 कुसुम के मकान तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	3 6
		03	म.सू.अनुसार आदमपुर 24 रचना बाई/रविशंकर से म.क्रं. 60 से 64 तक एवं 66 से 68 एवं म.क्रं. 72 से म. क्रं. 76 तक रानी/राजमल के मकान तक		
		04	म.सू.अनुसार आदमपुर म.नं. 77 भगवती बाई/गोपाल से म.न. 93 सोनू/भुजवल के मकान तक		
		05	म.सू.अनुसार आदमपुर म.नं. 1 रानी बाई/मलखान सिंह से 2 तक 5,11 से 12 तक 15 से 19 तक एवं 21 से 22 तक 30,49,51,62,66,68,72,82,85,88 से 89 तक 94 से 99 तक 107, 114 से 115 तक 117 से 119/1 मका से 123,125 से 126 तक, 128 से 150 तक, 204,262,281,297,320,405/1,431 से 438 तक 442,467,2311 एफ 4 ऐलएन सीटी जी.ऐल.ऐन.सी.टी.		



			से जी-2 ऐल.ऐन.सी.टी. रचना शर्मा/कौशल कुमार के मकान तक	
		06	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 00 सीता सरयाम/कैलाश से 11/1 तक म.न. 13 से 15 तक एवं म.न. 580 रेखा रैकवार/सोनी लाल के मकान तक	
		07	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 15 जसोदा बाई/फूल सिंह से म.न. 20 तक, 22 से म.नं. 28 सेवाराम/प्रेमनारायण के मकान तक	
		08	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 30 गीता बाई/श्यामलाल से म.क्रं. 34 तक 38 से 40 तक एवं म. क्रं. 43 से म.क्रं.43 से म.नं. 47 नेहा शर्मा के मकान तक	
		09	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 49 शांति बाई/हरलाल से म.नं. 51 तक,54,56,58,60 से म.क्रं. 66 विनोद कुशवाह/लक्ष्मण सिंह के मकान तक	
		10	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 67 बिहारीलाल/आनन्दीलाल से म. क्रं. 77 विशाल/हरलाल प्रजापति के मकान तक	
		11	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 79 मुन्नालाल/भोलाराम से 81 से 85/1 तक, 88,90 से 91,97/15 भुरिया बाई/रामफूल के मकान तक	
		12	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 98 ख्यालीराम/मोहनलाल से म.क्रं. 106 दुर्गाबाई/जगदीश के मकान तक	
		13	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 0 जमना प्रसाद/रामलाल विश्वकर्मा 116,121,124 से म.न. 126 तक संध्या बाई/दशरथ केवट के मकान तक	
		14	म.सू.अनुसार छावनी म.नं. 128 बाबूलाल/बालाप्रसाद, 131 से 132 तक, 134 से 139/7 तक 141 से 142 म.क्रं. तक तुलसा बाई/देवीप्रसाद के मकान तक	
		15	म.सू.अनुसार भाग 2 म.क्र. 2	

		देवकी बाई/प्रभुलाल 3 तक, 6 से 7 तक, 10 से 12 तक, 15, 17, 19, 22 से 23 तक 27, 29 से 30 तक 38, 43, 51 / 1, 54, 56, 61, 63, 65, 68, 77 से 78 तक 80, 83 से 84 तक 97, 101, 104 से 108 तक 110 से 114 / 1 तक, 116, 142 से 144 तक 148 से 150 तक 152 से 163 तक 165 से 167 तक, 169 ये 182 तक, 184 से 202 तक, 204 से 214 तक, 216 से 239 तक, 241 से 261 तक एवं 263 से 268 तक 270 से 362 तक, 380 से 383 तक, 386 से 387 तक, 389 से 391 से 405 तक 410, 415, 417, 424 से 425 तक 429 से 450 तक, 463, 466, 469 से 484 तक, 486 से 522 तक, 524 से 586 तक, 589 से 613 तक, 615 से 617 तक, 619, 621 से 640 तक 642 से 646 तक, 649 से 697 तक, 721 से 726 तक 728 से 733 तक, 735, 739 से 748 तक 750 से 793 तक 797 से 871 तक टी क3, एफ 3 ऐ.ऐन. सी.टी. झुग्गी नं. 270 पटार मीना प्रजापति/मुकेश के मकान तक		
	16	म.सू.अनुसार अर्जुन नगर म.नं. 1 राजाराम/लक्ष्मण 3 से 6 तक 9, 12, 14 से 17 तक 19 से 20 तक 22 से 24 तक, 26 से 27 तक, 33, 36 से 39 तक गीता बाई/मोंगी लाल के मकान तक		
	17	म.सू.अनुसार अर्जुन नगर म.नं. 17 मुकेश/बाबू 18, 21, 23, 28, 40 ये 42 से 48 तक 50 से 51 तक, 54 से 64 तक, 69 से 72 तक, 76, 80, 83 से 84 तक 87 से 103 रंजीत/शंकर सेठ के मकान तक		
	18	म.सू.अनुसार हरिपुरा म.नं. 1 परसराम/बापू से म.नं. 3 नर्वदा बाई/जगदीश के मकान तक		
	19	म.सू.अनुसार हरिपुरा म.नं. 3 विजय सिंह/गिरधारी म.नं. 12 तक, 14, 16 से 20 तक एवं म.नं. 28 रेखा बाई/करम सिंह के		
		मकान तक		
	20	म.सू.अनुसार हरिपुरा म.नं. 23 मेहरवान/बालू 25, 27 से 30 तक 37, 38, 40 से 42 / 1 तक 45, 46, 51 से 66 कमला बाई/बालू के मकान तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अचारपुरा	01	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 1 यशोदा बाई पत्नि किशनलाल के मकान से म.नं. 08 अजय मारण के मकान तक	अ.जा.	3
		02	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 09 श्यामलाल पुत्र बटनलाल के मकान	अ.ज.जा.	2
		03	म.सू.अनुसार म.नं. 15 रजनी पत्नि नरेश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		04	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 16 लछिया बाई पत्नि मिश्रीलाल के मकान से म.नं. 22,35 रेनू पत्नि महेन्द्र के मकान तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 23 राम सिंह पत्नि गुटटीलाल के मकान से म.नं. 30 पूजा सेन पत्नि कन्हैयालाल के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 31 भोलाराम पुत्र हरलाल के मकान से म.नं. 37/1 भागवती पत्नि जुगल के मकान तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		07	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 38 फूलिया बाई पत्नि हरलाल के मकान से म.नं. 44,90,92 बबली पत्नि सेन्द्रा के मकान तक	महिला सामान्य	4
		08	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 45 रामकरण पुत्र गंगाराम के मकान से म.नं. 53 सुनन्दा बाई पत्नि देवीलाल के मकान तक		
		09	म.सू.अनुसार अचारपुरा म.नं. 54 मुन्ना पुत्र गंगाराम के मकान से म.		

			नं. 62 तक एवं 71,72,74,78,80,81,82,84,85,88 एवं म.नं. 89 परवीन बी पत्नि अख्तर खां के मकान तक		
		10	म.सू.अनुसार हज्जामपुरा म.नं. 1 मेघा पत्नि टीकाराम से म.नं. 3,10 नीरज पत्नि हरनाम के मकान तक		
		11	म.सू.अनुसार हज्जामपुरा म.नं. 10 हेमा पुत्र सोलू के मकान से म.नं. 17,19,26,30 वीर सिंह पुत्र पूरन सिंह के मकान तक		
		12	म.सू.अनुसार परेवाखेडा म.नं. 27 छोटेलाल पुत्र कालूराम के मकान		
		13	म.सू.अनुसार म.नं. 33 तक 36,37,39,40,45 से 57 तक एवं म. नं. 96 रिकू पत्नि पूनमलाल के मकान तक		
		14	म.सू.अनुसार परेवाखेडा म.नं. 1 मुजीब खां पुत्र जुम्नू खां के मकान से से म.नं. 10 साहिद पुत्र उस्मान तक		
		15	म.सू.अनुसार परेवाखेडा म.नं. 11 कुलसुम बी पत्नि सुलेमान के मकान से म.नं. 20 महेश पुत्र कालूराम के मकान तक		
		16	म.सू.अनुसार परेवाखेडा म.नं. 22 मुकेश पुत्र बंशीलाल 24 से 31,33 से से म.नं. 36 नरेश के मकान तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अगरिया	01	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 1 जानकी बाई/रामदयाल से म.नं. 07,14,17 मोहन/हरी सिंह तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	7
		02	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 18 मुंगिया बाई/कन्हैयालाल से म.नं. 20,103 रजनी/बलवान सिंह तक		0
		03	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 33 रामस्वरूप/नाथूराम से म.नं. 37,39,51,127,129, 134 कमर बाई/भगवत सिंह तक		4
		04	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 53 पन्नालाल/हरीराम से म.नं. 55,62 गोविंद/भंवरप्रसाद तक		4
		05	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 65 कांता बाई/मोहनलाल, से म.नं. 73,132 हरिओम/राधेश्याम तक		0
		06	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 75 नन्नूलाल/मोतीलाल से म.नं. 133 जसमन/लखन तक		2
		07	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 87 सरवर बाई/हल्कूराम से म.नं. 93,97,100, 101 राजेश/मदनलाल तक		2
		08	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 102 मेवा बाई/रामप्रसाद से म.नं. 110 पप्पू/लाल सिंह तक		
		09	म.सू.अनुसार अगरिया म.नं. 111 दौली बाई/छोटेराम से म.नं. 137 कमला बाई/कमल सिंह तक		
		10	म.सू.अनुसार रासलाखेड़ी म.नं. 1 अंगूरी बाई/नरबदाप्रसाद से म.नं. 12,25, शैलान सिंह/देवीराम तक		
		11	म.सू.अनुसार रासलाखेड़ी म.नं. 14 बटनलाल/उत्तम सिंह से म.नं. 25 फूलवती/शिवचरण तक		
		12	म.सू.अनुसार रासलाखेड़ी म.नं. 26 रामभरोसे/नारान प्रसाद से म.नं. 31 रानी बाई/प्रेम सिंह तक		
		13	म.सू.अनुसार रासलाखेड़ी म.नं. 35 महेन्द्र सिंह/वीरन सिंह से म.नं. 40,56 बानो बी/होतम बाई तक		
		14	म.सू.अनुसार कालापीपल म.नं. 1 रितू बाई/स्वदेश से म.नं. 17,22,31, रवि/हेम सिंह तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अमझरा	01	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 1 पुरुषोत्तम / फूल सिंह से म.नं. 07 राजकुमारी बाई / सतीष तक	अ.जा.	1
		02	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 7 निर्मला बाई / गजराज से म.नं. 16 मेवा बाई / अशोक तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	2 4 1
		03	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 17 देवीराम / मुंगाराम से म.नं. 27 देवेन्द्र / मोहनलाल के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
		04	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 28 अचल सिंह / हरनाथ से म.नं. 38 राहुल / खेमचन्द तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 4
		05	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 39 गंगा बाई / मोहनलाल से म.नं. 47 जगीर / इसाक तक		
		06	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 48 जगन्नाथ / धन सिंह से 48 से 59 तक 61 से म.नं. 62 रन्नो बी / नफीस तक		
		07	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 63 अच्छे मिया / अल्ताफ से 65 तक, 67 से म.नं. 71 बेकार / सपूत तक		
		08	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 72 मुन्ने मिया से 75 तक, 77 से म.नं. 80 अफरोज / अजमल तक		
		09	म.सू.अनुसार अमझरा म.नं. 81 नसीम उददीन / मुनीरउद्दीन से 91 तक, 93 से 94 तक, 96, 98 से 101, 103 -104, 106-123 खालिद / अनीस के घर तक		
		10	म.सू.अनुसार पिपलियाहटीला एवं		

			बांसिया म.नं. 01 लक्ष्मण सिंह / मूलचन्द से म.नं. 05 सकुन / कल्लु के घर तक		
		11	म.सू.अनुसार बांसिया म.नं. 08 इमरत बाई / मर्दन सिंह से 11 तक, 16 से 17 तक, म.नं. 22 कालूराम / बालमुकुन्द के घर तक		
		12	म.सू.अनुसार बांसिया म.नं. 1 सुग्रीव / लक्ष्मण से 12, 16, 24 से म.नं. 30 दीपक / हरिनारायण के घर तक		
		13	म.सू.अनुसार बांसिया नर्बदाप्रसाद / निर्भय म.नं. 18 से 19 तक, 20,31 से 32 तक, 34 से से म.नं. 38 नरेश / दयाराम तक		
		14	म.सू.अनुसार बांसिया म.नं. 39 गंगाबाई / हरिनारायण से म.नं. 46 विनोद / गुलाब तक		
		15	म.सू.अनुसार बांसिया मलखान / गुलाब सिंह म.नं. 46 से 47 तक, 49 से 73 तक, 136 मलखान से म. नं. 136 संध्या राजपूत / राधेश्याम तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम. पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अमोनी	01	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 00 मुकेश से 11/, 54/1, 56 से म. नं. 94/1 नासिर खों तक	अ.जा.	3
		02	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 1 मोहती से 12,14 से 19/3 से म.नं. 71 रम्मो बाई तक	अ.ज.जा.	5
		03	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 20/1 कृष्ण कुमार से 24,26 से म.नं. 56 अमित तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		04	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 26 भ्भागीरथ से 31,33 से म.नं. 35 सुरेंद्र तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 00 भूरी बाई से 5,37 से 44/1, 71,76,77,103 से 107 से म.नं. 149/1 नफीसा तक	महिला अ.ज.जा.	3
		06	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 44/1 ओंकार सिंह से म.नं. 52/2 मौसम सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		07	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 21 रूप सिंह से 27,53 से 58, 61 म.नं. 63 सपना तक	महिला सामान्य	3
		08	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 5 मथुरा बाई से 64,65,67 से 70, 73/2,74,75,79 से 83, 85,87 88,91 से म.नं. 100 ईजना तक		
		09	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 64/1 राधेश्याम से 72,84,86,90, 92 से म.नं. 116 श्यामा के मकान तक		
		10	म.सू.अनुसार अमोनी म.नं. 3/2 सुनील से 32,36,38/1, 70		



		71,78,101,102,107 से 116,147 से 153, 157 से म.नं. 159 मोतीलाल तक	
	11	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 1 हल्कुराम से 5,9 से म.नं. 10 कुरुआ के मकान तक	
	12	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 5 प्रभा बाई से 7 से म.नं. 13 सरिता तक	
	13	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 7 कल्लूदास से म.नं. 14 हेमलता तक	
	14	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 13 कोमल सिंह से 14,16 से म.नं. 21 दुर्गा बाई तक	
	15	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 22 फूल सिंह से म.नं. 33 संतरा बाई तक	
	16	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 34 झूमा बाई से म.नं. 43 राधा बाई तक	
	17	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 44 मांगीलाल से 58,60,62,64,65, 68,69,71,72,74,75,78,81,93,95, 96,99,100,101,341 से म.नं. 499 सुनीता सैन तक	
	18	म.सू.अनुसार गढमुर्दा म.नं. 1 भूरे खों से 54 से 60, 64 से 69, 71,73 से 99, 102 से 119,145,146,148 से 154, 162,196,254,297,330,339,341,386, 395,459,494,496 से 510 म.नं. 516 संदीप तक	

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अमरावद कलों	01	म.सू.अनुसार अमरावद कलों म.नं.1 से 5,7 से 15, 28 ओमकार सिंह से सोनम के घर तक, नारायण के घर से सीमा तक से म.नं. 33 नीतू	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	1 0 4 1
		02	म.सू.अनुसार अमरावद कलों म.नं. 14 से 14 तक, 16 से 16 तक, 18 से 20 शक्कर बाई से शकुन्तला, धीसीलाल से राधा बाई तक शम्भुदयाल से ललता प्रसाद, 22 से 29 तक अवधनारायण से अशोक तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	0 2 5
		03	म.सू.अनुसार अमरावद कलों म.नं. 14 से तक, 29 से 35 तक, 37 से 43 तक, 59 से लखनदास के गोविन्द, रामप्यारी से अशोक तक, नेमीचन्द से ममता तक		
		04	म.सू.अनुसार अमरावद कलों म.नं. 44 से 56 तक रामश्री बाई से सविता तक		
		05	म.सू.अनुसार अमरावद कलों म.नं. 39 से 39 तक, 57 से 67 तक लक्षमण सिंह से गायत्री तक, सीताराम से पिकी तक		
		06	म.सू.अनुसार अमरावद कलों म.नं. 6 से 6 तक, 65,69 से 78 तक, 80 रुमस्वरूप से जयोति तक, गायत्री बाई, फूल बाई से जीतमल, पूजा बाई तक		
		07	म.सू.अनुसार भोजनगर म.नं. 1 से 3 से 7 तक, 9 से 13 तक सुगना बाई राजेश तक, सीताराम से लज्जा बाई, मनफूल से सरिता तक		
		08	म.सू.अनुसार भोजनगर म.नं. 14 से 17		

			तक, पन्नालाल से साहिबा तक		
		09	म.सू.अनुसार शोभापुर म.नं. 1 से 4 तक, 6,7 नन्दलाल से अनिल लोधी तक, मुंशीलाल से अनीता तक, सचिन राजपुत		
		10	म.सू.अनुसार शोभापुर म.नं. 7 से 15 तक, 18,25 से डालचंद से राजकुमारी तक, दीपक, सीताराम दुबे से राहीत दुबे तक		
		11	म.सू.अनुसार शोभापुर म.नं. 16 से 18 तक, 20 से 23 तक भागचंद से प्रिति लोधी, परमो बाई से लता बाई तक		
		12	म.सू.अनुसार शोभापुर म.नं. 3 डी 24 से 31 तक, 33 से 39 तक, मधु साहू, प्रेमनारायण से गणेशराम तक, पन्नालाल से भागवती बाई तक		
		13	म.सू.अनुसार पचामा म.नं. 2 से 3 तक, 5 से 6 तक इमरत बाई से तुलसी बाई, धर्मेन्द्र से मनोज नरवरिया तक 9 से 11 से 14 तक भगवत सिंह से आशा तक, सरस्वती से बबली तक		
		14	म.सू.अनुसार पचामा म.नं. 14 से 17 तक, 19 से 21 तक, कालूराम से अंतर सिंह तक, अमर सिंह से भैरो सिंह तक, 23 से 24 तक लीला बाई से रवि कुमार तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आमला	01	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 1 कृष्ण मोहन / रेशमल यादव से 02,4,5,7,9,11,15,26,28, म.नं. 116 ममता / सदानन्द के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	4 4 0 2
		02	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 16 श्रीकिशन / गोपाल से 17 तक 20/1, 26 तक 16,23,27,30 म.नं. 32 म.नं. 32 भूरी बाई / चैन सिंह तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 0 4
		03	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 32 द्वारका प्रसाद / चैन सिंह से 34,42/1 तक म.नं. 186 लालाराम / जगन्नाथ मारण तक		
		04	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 43 गौरिया बाई / राम सिंह से म.नं. 46,47,48,49 रचना मारण / भगवान सिंह मारण तक		
		05	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 50 केशर बाई / बालाप्रसाद से म.नं. 61 पिंटू / रामभरोसे तक		
		06	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 46 मनोज / हरिप्रसाद से म.नं. 62 म.नं. 68 शिल्पा सोलंकी / बागमल तक		
		07	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 69 खूबीलाल / देबबगस से म.नं. 82,87 सुनील सिसोदिया / पर्वत सिसोदिया तक		
		08	वि.स.सूची अनुसार आमला म.नं. 83 सोदरा बाई / मूलचन्द से म.नं. 99 सम्पत बाई / माखन सिंह		

	तक
09	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 101 मोतीलाल / अमर सिंह से म.नं. 105,107,108 म.नं. 109 रवि मीणा / लखनलाल मीणा तक
10	म.सू.अनुसार आमला म.नं. 25/1 सुशीला / शंकरलाल 62,102,110,116,118,158,185, म.नं. 187 बबलू / भूरा तक
11	म.सू.अनुसार समसपुरा म.नं. 01 प्रभुलाल / हीरालाल से म.नं. 09 उषा / लक्ष्मीनारायण तक
12	म.सू.अनुसार समसपुरा म.नं. 4 राहुल मीणा / रामनारायण मीणा से 10, म.नं. 18 नीरज परमार / प्रेमनारायण परमार तक
13	म.सू.अनुसार अमरपुरा म.नं. 1 शारदा बाई / कमलेश से 2,5,7, म.नं. 10 रामस्वरूप / मान सिंह तक
14	म.सू.अनुसार अमरपुरा म.नं. 2 ओमवती / रघुनाथ से 8,10,15,19,21, म.नं. 22 सलमा बी / शेकदुलारे तक
15	म.सू.अनुसार बावडीखेडा म.नं. 1 गुलाब सोलंकी / रामलाल से म. नं. 12 गुड्डी बाई / रामसिंह तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अरवलिया	01	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 1 रहमान खां से म.नं. 12 इमरान खां तक	अ.जा.	2
		02	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 13 अवधेश सिंह से म.नं. 20 सुनीता तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 21 हिम्मत सिंह से म.नं. 24 सविता तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		04	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 25 अजीत प्रकाश से म.नं. 32 शन्नो बाई तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. नजर अली से म.नं. 40 गायत्री तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 41 मुलिया बाई से म.नं. 50 मनोज सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		07	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 51 खुमानि से म.नं. 60 नसीम बी तक	वर्ग महिला सामान्य	6
		08	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 61 आबिद खां से म.नं. 69 सीना तक		
		09	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 70 राजेन्द्र से 97 नासिर खां एवं 99 रशीदा बेगम से म.नं. 109 पचिया बाई तक		
		10	म.सू.अनुसार अरवलिया म.नं. 9 शुमायला खान से 9,15,29,47,48,52, 76,82,93,94,104,106,109,110 हरिचरण से 172,174, से 183,185 से म.नं. 214 रवि / बंशीलाल तक		
		11	म.सू.अनुसार अरवलियासानी म.नं. 1 महेश से 12 एवं 163 से 164,166, से म.नं. 168 रहमान तक		

	12	वि.स. सूची अनुसार परवलियासानी धनिया बाई से अनिल कुमार तक		
	13	म.सू.अनुसार परवलियासानी रतनी बाई से राजेश कुमार तक		
	14	म.सू.अनुसार परवलियासानी तुलसा बाई से मुकेश कुमार तक एवं शाजिदा से सुल्तान तक		
	15	म.सू.अनुसार परवलियासानी नन्नुलाल से प्रियंका गौर तक		
	16	म.सू.अनुसार परवलियासानी श्री राम से अनिता राजपुत तक		
	17	म.सू.अनुसार परवलियासानी मनीराम से श्याम बाई तक		
	18	म.सू.अनुसार परवलियासानी चन्द्रा बाई से रोहित गौर एवं मदनलाल से दरयाव सिंह तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बड़झिरी	01	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 01 गोविंद के मकान से 17,20,21,23,25 म.नं. 27 रिंकी बाई के घर तक	अ.जा.	3
		02	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 28 नन्लाल के घर से 30,32 से 34, 36से40 म.नं.43 सतीश के घर तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 44 कैलाशचंद्र के घर से 48,50 से 54 चिंता बाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		04	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 37 संजना बाई परिवर्तन वार्ड 2, 38 बबली बाई परिवर्तन बाई 2, म.नं. 55 पार्वती बाई से 59,61,63 से 69 ब्रिजेश कुमार तिलक तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 71 अनारी बाई से 72, 74 से 83, म.नं. 125 बीना तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 84 सीताराम के घर से 86,88 से 98 प्रेमनारायण के घर तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		07	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 100 गंगाराम के घर से 110 सुलोचना के घर तक	महिला सामान्य	6
		08	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 16 सोनू मालवीय,म.नं. 40 राजकुमार वर्मा परिवर्तन, म.नं.111 महेंद्र लाल से 117,119,120 नानी बाई तक		
		09	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 121 सिरनाम सिंह से 128,134 मोहन तक		
		10	म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 18 बनप सिंह से 19 राधे मीना, 129अशरफी देवी से 134,143,147, 152 नीलेश		



		पटेल तक	
11		म.सू.अनुसार बड़झिरी म.नं. 20 रवि सूर्यवंशी, म.नं.130 करम पाल, 134करन सिंह, 135 से 164 गायत्री बाई तक	
12		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 1 देवली बाई से 7,12,13 रिका तक	
13		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 1 रूपेश वर्मा / छीतूसिंह, म.नं.18 गिरधारी / हीरालाल से 18,22,24, 28,30,32,34,36,46,53, 234 कमल सिंह / पप्पू वर्मा तक	
14		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 57 जगन्नाथ / ओंकार से 58/1, 61, 64,67,71,72,78,104 दीपक वर्मा / सीताराम तक	
15		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 73 गीता बाई / नाथूराम से 74,76से78, 81से 84 विनिता / कपिल वर्मा तक	
16		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 86 टोली बाई से 88,90,92,93 रितु वर्मा तक	
17		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 94 मांगीलाल / फकीरचंद्र से 101,163 मानसिंह तक	
18		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 73 अनिता / सीताराम, 100,102 से 110 भूमिका मालवीय तक	
19		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 104 रेशम वर्मा / सीताराम 111,114,116, 119,121,122, 131 जगदीश / प्रताप सिंह तक	
20		म.सू.अनुसार खुरचनी म.नं. 123 राधेश्याम / मुंशीलाल से 134 तक, 158 से 163,167 वीरेन्द्र / मानसिंह तक	

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बगोनिया	01	म.सू.अनुसार अनुसार बगोनिया म.नं. 1 भंवर जी से म.नं. 10 तुलसीराम तक	अ.जा. अ.ज.जा.	5 0
		02	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 10क सीताराम से 19 से म.नं. 21 अलमास तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	5 3
		03	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 22 लियाकत बी से म.नं. 36 शहाना तक	महिला अ.ज.जा.	0
		04	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 37 मो.शरीफ खान से 43,45,46,49 से म.नं. 168 अमरीन बी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 4
		05	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 49 लीला बाई से 51,53,57,60,61 से म.नं. तक 161 महेश तक		
		06	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 66 मिया खां से म.नं. 76 रामकली बाई तक		
		07	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 01 अखिलेश से 8,77,79,81,83 से म.नं. 87 अंसार तक		
		08	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 0 महाराज सिंह से 83,88,89,91,95,97,98,100,102 से म.नं. 104 पूजा तक		
		09	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 105 रतनलाल से 115,118 से म.नं. 119 नितेश तक		
		10	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 121 नारायण सिंह से म.नं. 133 मनोज तक		
		11	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 134 रशीद मियां से 136,139 से म.नं. 141 किरण तक		
		12	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 142 भगवती बाई से 147,149 से म.नं. 152 चंचल सिंह तक		
		13	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 151 लक्ष्मी अहिरवार से 161 से म.नं. 163 कमला बाई तक		

	14	म.सू.अनुसार बगोनिया म.नं. 168 हसीना बी से म.नं. 173 वसंती बाई तक		
	15	म.सू.अनुसार झापड़िया म.नं. 1 देवकरण से 3,5, से म.नं. 11 उदल मीना तक		
	16	म.सू.अनुसार झापड़िया म.नं. 12 लालाराम से म.नं. 21 फूलकुंवर बाई तक		
	17	म.सू.अनुसार झापड़िया म.नं. 21क गब्बर सिंह से 26,28 से म.नं. 33 रानी बाई तक		
	18	म.सू.अनुसार झापड़िया म.नं. 34 रामकिशन से म.नं. 45 अनस अली तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बगरौदा	01	म.सू.अनुसार अनुसार बगरौदा म.नं. 3 हरिप्रसाद / लखीचन्द से 5,6,8,10,11,14 से 18,59 से म.नं. 91 जितेंद्र पटेल / बाबूलाल पटेल तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	4 1 5 2
		02	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 22 श्रीकिशन / शंकरलाल से म.नं. 29क संजीता / बदामीलाल तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1 3 5
		03	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 29क चतुरनारायण / दुलीचन्द से 31,33 से 38 से म.नं. 41 शोभा जाटव / जगदीश तक		
		04	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 31 शब्बो बी / अजीज खां से 39 से 42, 46क, 49 से 51,53,66,149 से म.नं. 447 उमेश जाटव / रेवती बाई तक		
		05	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 22 अनुराधा / दयाराम से 53 से 54,54क से 54घ, 56,58 से 61,61ख से 61च, 100,111क से म.नं. 111ख उषा / श्यामलाल तक		
		06	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 34 मुन्नालाल / मंशाराम से 63 से 70,74,76 से 78 से म.नं. 97 अफसाना बी / रज्जाक खां तक		
		07	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 9 राजदुलारी / ओमप्रकाश से 79क,81 से 82,84 से 85,87 से म.नं. 88 माया पटेल / मुरलीधर तक		
		08	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 79 शिवचरण / गिरधारीलाल से 88 से 89,90क,93 से 96 से म.नं. 98 रूकमणी / रघुवीर विश्वकर्मा तक		
		09	म.सू.अनुसार बगरौदा म.नं. 68 कला बाई / किशोरीलाल से 99 से 100,103 से 105,109 से म.नं. 111क सुनील / श्री		

		किशन तक	
10	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं. 111क पतिराम / गिरधारीलाल से 112 से 115, 115क से म.नं. 115ख साधना बाई / जगन्नाथ तक		
11	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं. 116 गोपीलाल / गनपत सिंह से 116ख, 118 से म.नं. 123 पूजा पटेल / नंदकिशोर तक		
12	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं. 124 बंशीलाल / छोटेराम से 133 से म.नं. 135 शायदा बी / हनीफ खां तक		
13	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं. 137 अजुद्धी बाई / रामचरण से 141,143,145क, 146 से 149,149क, 152, 152क, से म.नं. 202 सुनील / रमेश तक		
14	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं. 150 भंमरी बाई / अमरचन्द से 150ख, 152,152क, 153 से 155,155क से 155ख, 157,157ख से 157घ,158 से 158घ, 159,159क, से म.नं. 160 रीना बाई / श्यामलाल तक		
15	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं. 160 जगन्नाथ / बटदुलाल से 160क,160घ,161 से 162,166,166/1, 166क से 166ग, 168,168ग,169 से 170, 172,172क,202, से म.नं. 232 प्रमिला / चम्पतराव तक		
16	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं. 100क खालिद / खलील से 173,173क,174,174क,180 से 186,186क, 187,187क, 188 से 191,191क से 191ग, 192 से 193 से म.नं. 195 शबाना / शकील तक		
17	म.सू.अनुसार बगरीदा म.नं.160 सोरम बाई / जगन्नाथ से 193 से 194, 195क, 199,199क, 202,202/11, 202क, से 202ख,236,919,919क से म.नं. ब पठार अजय / मान सिंह तक		
18	म.सू.अनुसार सेमरीखुर्द म.नं. 1 किशोरीलाल / मुलचन्द से 2,4 से 6,8 से म.नं. 9 कांता बाई / भगवान सिंह तक		
19	म.सू.अनुसार सेमरीखुर्द म.नं. 10 लक्ष्मीचंद / छोटेराम से 11,13 से 21 से म.नं. 85 निशा पटेल / शिवचरण तक		
20	म.सू.अनुसार सेमरीखुर्द म.नं. 22 राकेश / दीपचन्द से 31 से म.नं. 34 सोनू प्रजापति / लालाराम प्रजापति तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बकानिया	01	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 1 कल्लू / नन्नूलाल से म.नं. 3,4,6से 14, 16 से 1781 संजय / द्विवेश तक	अ.जा.	2
		02	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 18 शंकरलाल / भंवरजी से म.नं. 25 रोहित नागर / मूलचंद तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 25/2 लीलाबाई / मोहन सिंह से म.नं. 27,29,31से 36, 114 / 1, 196 / 8 रानी / नरेन्द्र तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		04	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 37 राम बाई / हरिप्रसाद से म.नं. 43, 202 सीमा देवी / संतोष दास तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 45 इमरत बाई / रामप्रसाद से म.नं. 52,54 से 57,59,62 मीना / ओमप्रकाश तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 64 केसर बाई / कनीराम से म.नं. 67,69 से 71, 73से75, 77 हेमराज / गंगाराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		07	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 80 भूरिया बाई / बुढालाल से म.नं. 82से86, 88से89, 93 विनीता नागर / अखिलेश तक	महिला सामान्य	4
		08	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 13 ललिता नागर / कैलाश से म.नं. 91से97, 101,103 से 107 टीना नागर / राधेश्याम तक		
		09	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 108 बल्देव सिंह / हीरालाल से म.नं. 118 धीसी बाई / फूल सिंह तक		
		10	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 33 कमल सिंह / नन्नूलाल से म.नं.		

			120,121,123से 124,126 से 128,130 से 133 सुनीता/सुरेन्द्र तक		
		11	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 26 सावित्री बाई/रतनलाल से म.नं. 136,138से 144,148 अरविंद यादव/गोविंद तक		
		12	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 76 जानकी/रामप्रसाद से 122,133,145,146,148,153, 203 आशाभारती/अशोक भारती तक		
		13	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 12 राजेंद्र प्रसाद/इमरत सिंह से म.नं. 20,25/1 से 25/7, 49,81,100,114,119,148/3,154 से 157/8,159,162, 207 मंजू बाई/श्यामलाल तक		
		14	म.सू.अनुसार बकानिया म.नं. 22/1 कैलाश/गुलाब सिंह से म.नं. 56,185,186,188,196 से 201, 204से 206 आरती/अशोक बड़गुजर तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बालमपुर	01	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 1 गौरैलाल / रामरतन से 13,15,17 से 20,22 से म.नं. 201 दौलतराम / कालूराम तक	अ.जा.	2
				अ.ज.जा.	2
				अन्य पिछड़ा वर्ग	5
				महिला अ.जा.	1
				महिला अ.ज.जा.	1
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला सामान्य	6
		02	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 23 कोका सिंह / गनपत से 24,26 से 37 से म.नं. 334 मीना / विनोद तक		
		03	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 38 भवरजी से 39,41 से 48,50 से 55,158,204 से म.नं. 336 रानी बाई / लक्ष्मीनारायण तक		
		04	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 48 मुकेश / सुखराम से 48,54,56 से 57,59,61,63 से 64, 66 से 67,69,71,74 से 77 म.नं. रामनिवास / चतरनारायण तक		
		05	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 77 बाबूलाल / गोविन्दराम से 79,82 से 83,85 से 89,91 से म.नं. 93 शिवराज / बाबूलाल तक		
		06	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 95 सुंदर बाई / बाबूलाल से 97, से 109 से म.नं. 120 संध्या बाई / हेमराज तक		
		07	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 77 रामश्री बाई / रामदयाल से 110 से 114,116 से 117,119 से 120, 124 से 125 से म.नं. 178 फूल बाई / जगन्नाथ तक		
		08	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 102		



			रानी / श्यामदास से 126,128,130 से 132,136 से 138,140 से 141 से म.नं. 152 जीवन / प्रभूलाल तक		
		09	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 00 कुंजीलाल / लालचन्द से 1/2,4,142 से 159, से म.नं. 161 ब्रजेश / कालूराम तक		
		10	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 00 शैतान सिंह / गोरेलाल से 01,1/2,06,162 से 171,173 से 179 से म.नं. 318 सविता बाई / नर्बदा तक		
		11	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 151 प्रितम सिंह / विजय सिंह से 179 से 186 279, 342, 357 से म.नं. 360 गोरेलाल / रामकिशन तक		
		12	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 190 नाथी बाई / कनिराम से 203,222,236,350 से म.नं. 351 जमना बाई / प्रकाश तक		
		13	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 205 सौंजी / दीपाजी से 206,208,209,212 से 216 से म.नं. 315 शारदा बाई / गुलाब सिंह तक		
		14	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 217 मांगीलाल / गज्जा से म.नं. 226 दुर्गा प्रसाद / भाव सिंह तक		
		15	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 120 सोनू / प्रीतम सिंह से 154,228 से 231,233,236 से 239-1, से म.नं. 241 फूलवती बाई / निर्मय सिंह तक		
		16	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 242 नवल सिंह / हुलासी से 244,246,248 से म.नं. 252 अजय / गणेशराम तक		
		17	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 253 गजराज सिंह / जैराम से 255 से 264 से म.नं. 308 बलवीर सिंह मीना / रामकिशन तक		
		18	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 152 राजेश / टीकाराम से 179,265 से 267,270 से 274,276 से 277, 279 से म.नं. 281 कमला बाई /		

			बाबू तक		
		19	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 153 रवि / रामसिंह से 279,282 से 291,332,348 से म.नं. 349 मथरा / रमेश तक		
		20	म.सू.अनुसार बालमपुर म.नं. 153 राकेश / गोपीलाल से 296 से 307,309 से 314,316 से 331, 333,335,337 से 341,343 से 347, 352 से 359,361,362 से म.नं. 367 प्रहलाद सिंह / गनपत सिंह तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बंगरसिया	01	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 01 शमसुदीन / हबीब खां से 6,8,9,26,44,48,51,183,208 से म.नं. 215 पुतुल मांडी / आशीष मांडी तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	2 1 5 1 1
		02	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 9 श्यामलाल / नाथुराम से 14,202,214 से म.नं. 228 सुनीता / चरण सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	3 6
		03	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 16 मुलिया बाई / राधेकिशन से 17,19,23 से 24, से म.नं. 27 अशोक पाल / हरिनारायण तक		
		04	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 22 जवाहर सिंह / अमर सिंह से 25 से 31, 49,132,142,145, से म.नं. 178 शुभम पटेल / जगराम पटेल तक		
		05	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 27 मूलचंद्र / रंगीलाल साहू से 32 से 35,37,189,198,200 से म.नं. 222 सौरम विश्वकर्मा / गोपाल सिंह तक		
		06	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 23 नियामत खान / करामत खान से 38 से 42,136,143,149,199, से म.नं. 210 मंजूर खां / करीम खां तक		
		07	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 39 रूखसाना / मो. रसीद से 43 से म. नं. 46 सैलानी राय / सुनील राय तक		
		08	म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 47 नन्दराम / गोपीलाल से 50, से म.नं.		

		152 आशीष / मनमोहन सिंह तक		
09		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 2/11 हरिसिंह / मूलचन्द से 32,43,51 से 54 म.नं. 226 अभिषेक मालवीय / धन सिंह तक		
10		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 55 चम्पालाल / गोरेलाल से 56,126, से म.नं. 203 पप्पू लाल / हरिप्रसाद तक		
11		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 53 ममता बाई / गोवर्धन से 57 से 59,214 से म.नं. 219 खातिजा बी / मेहबूब खां तक		
12		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 23 आजम / असद से 60 से म.नं. 62 इमरान / मो. आबिद तक		
13		वि.स.सूची अनुसार बंगरसिया म.नं. 63 रामकली बाई / भंवर जी से 64,66 से म.नं. 67 रानी / कमलेश तक		
14		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 27 नरेश / सुधीर चन्द से 68,70,71,159,181,185,187,188, से म. नं. 224 चन्द मण्डल / बच्चन मण्डल तक		
15		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 27 भगवान दास / लक्ष्मण दास से 73 से 76, 204,206,207,209,225 से म.नं. 227 आर.आर. अवस्थी / हरप्रसाद अवस्थी तक		
16		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 27 दीपा / शोभाराम से 80,82,84,88,89,182,184, से म.नं. 196 रविन्द्र / राजा भैया तक		
17		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 90 दोलतराम / हरिसिंह से 94,98,186,192,193 से म.नं. 220 देवकी बाई / वीरनलाल तक		
18		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 42 बंशीलाल / बाबूलाल से 99,101,103,104,118,131,138,139, से म.नं. 208 मुमताज / चांद मियां तक		
19		म.सू.अनुसार बंगरसिया म.नं. 15 मुनीम / खुमान सिंह से 44,94,102,106,107,110,147,148,195, से म.नं. 197 गीता बाई / राघवर सिंह तक		
20		म.सू.अनुसार बंगरसिया 0 मुकेश कुमार / रामप्रसाद वर्मन से 1/46,		

		<p>1 / 115, 1 / 192, 1 / 236, 2, 2 / 24,  2 / 240, 2 / 342, 7,8,10,15,  16,25,26,34,35,49,60,61,  64,73,74,94,110,111,113,115 से  117,119 से 125,127 से 130,133,  135,137,146,150,153 से 155,157,  158,163,164,166 से 168,170 से  174,177,179,194,201,205,209,211 से  214,216 से 218,221,223, 224,  226,227,229,235, 236,240,265,271,  279,303,329,345, 355,386,443,464,  480,495,आई / 7,आई / 192,आई / 193,  टी-4,टी / 1 / 30, टी / 2 / 98,  टी / 3 / 40, टी / 1 / 106,  टी / 2 / 182, टी / 2 / 279,  टी / 2 / 280,टाईप 2 / 1, टाईप 3 / 3,  टाईप 2 / 100, टाईप / 2 / 137,  टाईप 2 / 171, टाईप 2 / 504, टाईप  2 / 521, टाईप / 6 / 2, टाईप / 2 / 31,  टाईप / 2 / 33, टाईप / 2 / 81,  टाईप / 3 / 19, टाईप / 3 / 34,  टाईप / 1 / 238, टाईप / 2 / 104,  टाईप / 2 / 114, टाईप / 2 / 120,  टाईप / 2 / 145, टाईप / 2 / 211,  टाईप / 2 / 216, टाईप / 2 / 356,  टाईप / 2 / 364, टाईप / 2 / 386,  टाईप / 2 / 400 से म.नं. टाईप आई  307 रवि पराशर / राम कुमार तक</p>		
--	--	--	--	--

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेड़ा बोंदर	01	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 1 गोपती बाई / रामचरण से 4,6 से 11 से म.नं. 41 सरोज तक	अ.जा.	3
		02	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 13 बाबूलाल / खुशीलाल से 15 से 18,71,87,88,150,256,257 से म. नं. 360 सुरेश / शिबू तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	3 4 2 2
		03	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 9 कमल / गोरेलाल से 19 से 22,24 से 31,33,52,61,67,69,88, 103,147,156,158 से 159,249,252 से म.नं. 255 लखन सिंह / शंकरलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 3
		04	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 34 नारायण सिंह / राम सिंह से 35,37 से 42,44 से 45,47,139, 158, से म.नं. 217 अनिल / तोरण तक		
		05	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 8 कामता प्रसाद / धनसिंह से 23,48 से 50,52,54,56 से 59,118,121,124,140 से म.नं. 357 वंदना / सीताराम तक		
		06	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 60 करण सिंह / मोतीलाल से 62 से 63,65 से 70 से म.नं. 359 सावित्री बाई / गोवर्धन तक		
		07	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 56 सुरेश / मौजीलाल से 72,75 से 85 से म.नं. 116 कपिल / प्रीतम तक		
		08	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 87 देवली बाई / हरलाल से 89 से 96 से म.नं. 237 मांगीलाल / नाथुराम तक		
		09	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 98 रामभरोसे / घासीराम से म.नं. 110 रंजीत / भोलाराम तक		
		10	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 85 सुनील / भगवान सिंह से 111 से म.नं. 118 शुभम / शिवनारायण तक		

11	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 119 कला बाई / अमर सिंह से 120,122 से 123,125 से म.नं. 129 ज्योति / कमललाल तक
12	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 130 बदामी / थू से 135,137 से 141,241 से म.नं. 358 बिंदिया बाई / रामदयाल तक
13	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 46 संपत बाई / तुलसीराम से 53,135,139,142 से 146,151,155 से म. नं. 254 सन्नो बाई / रामकिशन तक
14	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 29 कालूराम / प्यारेलाल से 152 से 153,160 से 162,238 से 240,253,256 से 257,356,361 से म.नं. 362 सोहन / रघुवीर तक
15	म.सू.अनुसार बरखेड़ा बोंदर म.नं. 1/53 गीतू चौधरी / जोगिन्दर से 1/क,40,53,56,95,108,112,121,140,147,171,178,195, 236 से म.नं. ए/134 शिप्रा सिंह सेंगर / राम मनोहर सेंगर तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेड़ानाथू	01	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 1 रामप्यारी बाई / जमनाप्रसाद से 9,175,197 सीमा / संतोष प्रजापति तक	अ.जा.	4
		02	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 11 रामचरण / नंदराम से 14,31,144,146 जी 12 शांति बाई / मिश्रीलाल तक	अ.ज.जा.	2
		03	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 21 देवा बाई / नर्बदा प्रसाद से 25,29,104,198 मालती बाई / खूबीलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		04	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 30 बाबूलाल / उमराव सिंह से 34,130,187, जी 34 जमना प्रसाद / विहारी लाल तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 40 जमनपा बाई / कृपाराम से 42,44,49, 50क दीपिका / विष्णु प्रसाद वर्मा तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 28 गंगाराम / गुलाब सिंह से 50,53,56, 60, 183 / 8,234 ममता सिसौदिया / राजेश सिसौदिया तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		07	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 62 काशी बाई / गुलाब सिंह से 65,69,72,153 महेंद्र विश्वकर्मा / केशवादास तक	महिला सामान्य	4
		08	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 8 मदन सिंह / हरिप्रसाद से 76,187 / 7, राजकुमारी बाई / रामभरोसे तक		



09	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 91 खुशीलाल/विहारी लाल से 96,199,207 किशोरी लाल / कालूराम तक
10	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 98 जमनाप्रसाद/बापू से 101,105,107 प्रीति राठौर / नीराज राठौर तक
11	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 108 चतुरनारायण/दुलीचंद्र से 110,115,150/1 प्रताप सिंह / जगन्नाथ सिंह तक
12	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 119 दौलत सिंह/लाडसिंह से 125,130,296 फूलवती/ब्रजेशनाथ तक
13	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं.24 भेलन जोशी / शिवरतन जोशी से 99,129,137, 146,160/1,302/1,331/1 ज्योति महतकुरे
14	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 141 पान बाई/गोविंदी प्रसाद से 201राजू / मोतीलाल तक
15	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं.1 कृष्णकांत / बाबूलाल से 18,28,31, 79, 91,104,109,130,132, 149,175, 234, 269 / 1,296,301,309 राधा साहू/ राकेश सेन तक
16	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 100 रवि कुमार जाटव / मुन्नालाल से 127, 132के, 157,160,165,169/1,175,299 रामसिंह / गोविंद सिंह
17	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं.56 सालिकराम/दुलीचंद्र से 172,175, 181/2,318,352 पूजा सिंह / यदुवेंद्र सिंह तक
18	म.सू.अनुसार बरखेड़ानाथू म.नं. 3/6 वृंदावन भट/बहउल भट से 5,11,29,34, 44ई, 57,76,93ख, 123,130,132,146, 156 / 1,163,176,183 / 1,187,194, 197,257,302 / 1,304,352 / 1,596,132, 95 डैरी, सबीहा बी / शेख रसीद तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेडासालम	01	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 1 तुलसी बाई / गनपत सिंह के मकान से से म.नं. 10 तक, 12 क्षिप्रा बाई के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	3 0 4 2
		02	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 13 सुनेर सिंह / चैन सिंह से म.नं. 16,18,19,21 रामफूल / सीताराम तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	0 2 4
		03	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 23 सुल्तानी बाई / भंवरजी के मकान से म.नं.25,28से 31मनोज / गिरधारी विश्वकर्मा तक		
		04	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 32 शांता बाई / नंदराम से म.नं. 44 अक्षय / रमेश तक		
		05	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 45 ब्रदीप्रसाद / बाफूलाल से म.नं. 47,49 से 59 कविता / पूरन सिंह तक		
		06	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 60 यशोदी बाई / माधोसिंह से म.नं. 64,66 से 70,72 से 74 प्रीतम / रामप्रसाद तक		
		07	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 75 राजकुंवर बाई / कालूराम से म.नं. 86 कूपाल / छगन लाल तक		
		08	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 79 ममता / प्रहलाद दास से म.नं. 96 गीताबाई / करन सिंह तक		
		09	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 97 काशी बाई / गंगाप्रसाद से म.नं. 99,100,103 से 106,108 से 110 शेर सिंह / धीसीलाल तक		

10	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 111 जगन्नाथ / बट्टूलाल से 114,116,118,120, से म.नं. 123 निर्मल / मनोहर तक
11	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 124 किशोरी लाल / पन्नालाल से म.नं. 129,131,132,134 से 140 हिम्मत / मांगीलाल तक
12	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 141 रतिराम / पन्नालाल से 146, 149 से म.नं. 156 रेखा / प्रकाश तक
13	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 157 कला बाई / लीलाकिशन से म.नं. 169 सोनू / रमेश तक
14	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 170 सरजू बाई / देवीप्रसाद से म. नं.175,177 से 179, 181 ज्योति / राजेंद्र मेवाडा तक
15	म.सू.अनुसार बरखेडासालम म.नं. 182 शांता बाई / कमलसिंह से 184,185,187,189, 191,193 ,196, 200, 201, 393, 401, 412,999, 9001 से से म.नं. 9006 राजेश्वरी / राजेश्वर भारद्वाज तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेडी अब्दुल्ला	01	म.सू. अनुसार बरखेडीअब्दुल्ला म.नं. 2 प्रेम बाई / रामलाल के मकान से 6,8,122 / 6,234,246,268,272,280,285 नारायण सिंह / नाथूराम के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	2 0 4 1 0
		02	म.सू.अनुसार बरखेडीअब्दुल्ला लक्ष्मण / रामसिंह के मकान से 1,3,8,13,15,16,17,18,19,22,24,25, 26, 27,45,99,122 / 6,183,194,210, 289,290,298,300,302,669,674 गोविंद / सीताराम के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 5
		03	म.सू.अनुसार बरखेडीअब्दुल्ला जुम्मन खां के मकान से, 7 से 9, 20से 21, 28 से 30, 32 से 38, 122/6, 190,196, 198, 201, 211, 214 से 215, 217, 222, 231 से 233, 237, 238ममता बाई / बटन लाल के मकान तक		
		04	म.सू.अनुसार बरखेडीअब्दुल्ला हरलाल / भवानी के मकान से 1 से6, 19,22 से 24, 27,39 से 41, 43 से 47, 49 से 50, 52, 122/6, 122/15, 146, 182,184,187 से 188, 203, 215 से 216, 235, 236, 252, 256, 257, 262, से 267, 269 से 271, 274,283,297, 299 तक		

05	म.सू.अनुसार बरखेडीअब्दुल्ला म.नं. श्यामलाल /बाबू के मान से 54,56,58 से 63,65,67,122 / 12, 193,199,206,212से213, 218 से 220, 223 से 230, 272, 275 से 279, 284, 286 से 287 प्रकाश /गोमीजी के मकान तक
06	म.सू.अनुसार बरखेडीअब्दुल्ला म.नं. गीता बाई /श्याम लाल के माकन से 65, 71, 76, 78,81,92,122, 122 / 13, 143, 148, 191,200, 202, 204से 205, 207 से 209, 239 से 245, 248 से 251, 253 से 255, 258 से 260, 273, 281 से 282, 288, 291 से 293, 295 से 296 डाली बाई तक
07	म.सू.अनुसार बरखेडीअब्दुल्ला म.नं. हिम्मत सिंह/दुर्जन सिंह के मकान से 1 से 3, 5,33,38,182,185,188, 192,198,221,247,301,654 से 668, 672, एफ-5, पी-7 राकेश सिंह सिसाल/राजेंद्र सिंह सिसाल के मकान तक
08	म.सू.अनुसार डोब म.नं. जमना प्रसाद/सुंदर लाल के मकान से 1 से 6, 8 से 10, 12 से 18, 185,187, 193 से 195, म.नं. 294 कदीर खां /कासम खों के मकान तक
09	म.सू.अनुसार डोब म.नं.रूपसिंह कुशवहा/कल्याण सिंह के मकान से 5,13,19 से 31, 33, 41, 49, 83, 170, 184, 189 से 193, 195, 197, 199 से 200, 303, 670 से 671, म.नं. 675 अजीज खों/जमील खों के मकान तक
10	म.सू.अनुसार डोब म.नं. मिथलेश पत्नि बृजेश सिंह के मकान से 27, 31, 33 से 41, 48, 183, म.नं. 189 जितेंद्र /दीवान सिंह के मकान तक
11	म.सू.अनुसार डोब म.नं.कला बाई /पत्नि कंचन सिंह के मकान से 1, 4,11,41से 44,46,48,468,172,178 से 179,186 म.नं. 677 गीता यादव / सोदान सिंह यादव के मकान तक
12	म.सू.अनुसार डोब म.नं. 18 अभिलाषायादव पत्नि नरेश के मकान से, 30, 49से 53, 55 से 61, 82, 142, 145, 147, 169, 173 से 175,

			182 म.नं. 185 नीतेश/स्व. रामदास के मकान तक		
		13	म.सू.अनुसार डोब म.नं.मेहताब सिंह/मेहरबान सिंह के मकान से 16,62से69,171,184,196म.नं. 304 कालू /कामता प्रसाद के मकान तक		
		14	म.सू.अनुसार डोब म.नं.निरंजन शाह/निरूपम सिंह, 1, 70, से 73, 75, 77 से 78, 144,169,179 से 180,186 म.नं. 188 बल्लू / नंदराम अहिरवार तक		
		15	म.सू.अनुसार डोब म.नं. मूलचंद्र/भुजबल के माकन से 2,4,5,79 से 89, 92, 176, 181,673,676,677 देवी सिंह कुशवहा / पन्नालाल के मकान तक		
		16	म.सू.अनुसार रूसल्लीघुनगढ एवं कीरतनगर म.नं. रामसिंह /अमर सिंह के मकान से 1 से 3, 14,70 से 71, 79,93,93/1से 93/2,120, म.नं. 198 रफत जहां पत्नि अब्दुल अजीज के मकान तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बेरखेड़ी बाज्याफत	01	म.सू. अनुसार म.नं. 1 नंदलाल / नाथुराम से म.नं. 6 रेवाराम / तुलसीराम कुशवाहा के मकान तक	अ.जा.	2
		02	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 7 हरबो बाई / देवीराम से म.नं. 14 पावर्त बाई / सौदान सिंह के मकान तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	1 3 1
		03	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं.15 लालाराम / रामचन्द्र से 22, 24 वैजयन्ती / संदीप के मकान तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1 2
		04	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 25 बिहारीलाल / धनलाल से म.नं. 32 गोलू कुशवाहा के मकान तक	महिला सामान्य	3
		05	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 33 खेमचन्द्र / गंगाराम 35 से 44 मीना / हेमराज के मकान तक		
		06	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 47 बनवारीलाल / मुंशीलाल से 73 गायत्री / जीवन सिंह के मकान तक		
		07	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 66 सनील / परसराम से म.नं. 73 गायत्री बाई / हरिनारायण तक		
		08	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 69 रविकुमार / बाबूलाल से 74,76,78,90 पुनिया बाई / उमर सिंह के मकान तक		
		09	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 90 बीलकुंवरराम / रतिराम से म.नं. 99 गीता बाई / तुलसीराम के मकान तक		
		10	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 100 मान सिंह / कनीराम से म.नं. 109 अर्चना / राजकुमार के मकान तक		
		11	म.सू. अनुसार बेरखेड़ी बाज्याफत म.नं. 123 सोमती बाई / किशनलाल से 125,127, से म.नं. 132 भागवती बाई / रघुवीर प्रसाद के मकान तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भानपुर केकडिया	01	म.सू. अनुसार भानपुर म.नं. 1 अनुराधा / गोवर्धन से म.नं. 9,102 जितेन्द्र दोहरे / नन्नुलाल के मकान तक	अ.जा.	1
		02	म.सू. अनुसार भानपुर म.नं. 00 सुखी बी / रकीब खान से 10,16 से म. नं. 175 रकीब खां / वहीद खां के मकान तक	अ.ज.जा.	8
				अन्य पिछड़ा वर्ग	0
				महिला अ.जा.	1
				महिला अ.ज.जा.	4
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
महिला सामान्य	3				
03	म.सू. अनुसार भानपुर-रसूलिया म. नं. 17 गिरधारीलाल / गंगाराम से 20/1, 22, 28, 34, म.नं. 164 सावित्री बाई / बागमल के मकान तक				
04	म.सू. अनुसार भानपुर-रसूलिया म. नं. 30 तेजराम / भंवरलाल से 31,33,38 म.नं. 72/2 ललिता / मनोज सिंह के मकान तक				
05	म.सू. अनुसार भानपुर-रसूलिया म. नं. 39 बनो बी / मुस्ताक खां से 40/1, से म.नं. 45/1 पिंगा बी / जलाल खां के मकान तक				
06	म.सू. अनुसार भानपुर-रसूलिया म. नं. 46 अब्दुल खां / सुल्तान खां से 48,51,52/1,56,58 म.नं. 60 राजू बाई / कल्लू के मकान तक				



07	म.सू. अनुसार भानपुर-रसूलिया म. नं. 61 जगदीश कुमार / घीसीलाल से 62/1,64,71,73,75 म. नं. 77 सुरेश भिलाला / नारायण सिंह के मकान तक
08	म.सू. अनुसार भानपुर- केकड़िया म.नं. 40 हकीम खां / वहीद खां से 78,83,85, म.नं. 88 मनीषा बाई / नाहार सिंह के मकान तक
09	म.सू. अनुसार भानपुर- केकड़िया म.नं. अमर सिंह से 92/2,94 म.नं. 98 लीला बाई / खुम सिंह के मकान तक
10	म.सू. अनुसार भानपुर- केकड़िया म.नं. 100 रूप सिंह / भाव सिंह से 104,106,107 म.नं. 110/1 रेवली बाई / झेतू सिंह के मकान तक
11	म.सू. अनुसार भानपुर- केकड़िया म.नं. 111 भेर सिंह / गुल सिंह से 112,115,118 म.नं. 124 छीता बाई / खुम सिंह के मकान तक
12	म.सू. अनुसार भानपुर- केकड़िया म.नं. 125 सुमालिया / कन सिंह से 126,128, 129/1,131 म.नं. 133 संगीता / मान सिंह के मकान तक
13	म.सू. अनुसार भानपुर- केकड़िया म.नं. 72 जाम सिंह / गुल सिंह से 134,135,137,139,143 म.नं. 145 भैरू सिंह / जूर सिंह के मकान तक
14	म.सू. अनुसार भानपुर- केकड़िया म.नं. 73 दुडी बाई / मांगीलाल से 129,146, 152/1,154/1,156,161, म.नं. 178 मीरा बाई / रमेश के मकान तक
15	म.सू. अनुसार भानपुर- सरोतीपुरा म.नं. 40/1 शहीद खां / नत्थे खां से 42,152/1 158,158/1, 159,160,162, 162/1,165,167,169 ,171,174,179 म.नं. 183 सईबा बी / अजीज खां के मकान तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बिलखिरियाकला	01	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला म.नं. 01 नन्दलाल कुर्मी के घर 6,22 से म.नं.23 रोहित मीणा तक	अ.जा.	1
		02	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला म.न काशी बाई / नाथूराम से म.नं. 24 हेमलता / मुकेश तक	अ.ज.जा.	1
		03	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला शबाना हुसैन के घर, शिवप्रसाद / दौलत 27,41,75, से म.नं. 1000 अनिल साहू / सोमन साहू के घर तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		04	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला लखनपाल के घर से 29,32 म.नं. नर्बदी बाई / टीकाराम तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला राधेश्याम / हजारीलाल से 33,39 राकेश / रंगबहादूर के घर तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला जसवंत कोर / इकबाल सिंह के घर मोसीन खान के घर तक 35, से म.नं. 36 गोविन्द / चिरौजी कुशावाहा के घर तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		07	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला नन्दकिशोर से 23 तक, 31,38,41,43,44,46, से म.नं. 48 भूषा / अवनामल के घर तक	महिला सामान्य	4
		08	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला म.नं. 49 रंगबहादूर / मनोहर सिंह से 51 से म.नं. 55 राकेश गुर्जर के घर तक		
		09	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला लीला बाई / हाकम सिंह, 2,55 से 57 तक, 59,60 से म.नं. 85 शुभम मीणा / बलराम मीणा के घर तक		
		10	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला म.नं. 10 प्रभू / नाथूराम के घर 62 से 65, से म.नं 67 कमला बाई / बालाप्रसाद के घर तक		
		11	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला इमरत सिंह / तुलसीराम के घर, 71 से 76,78 रवि देशवाल / रतन सिंह के घर तक		
		12	म.सू.अनुसार बिलखिरियाकला राजेश / हन्नूलाल के घर सीमा / रतन सिंह, 79 से 84 तक 117,162 से 183 तक, 188,567,1000 विनिता / रामचरण के घर तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 08/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोरदा	01	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 1 भैयालाल / कालूराम से 3,7,9 म. नं. 12 श्यामलाल / गुलाब सिंह तक	अ.जा.	1
		02	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 2 वैजन्ती बाई / जमनाप्रसाद से 5,7,9,13, म.नं. 22 उजमा / अबरार खां तक	अ.ज.जा.	1
		03	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 11 अनिल उड़के / किशनलाल से 14,17,21, म.नं. ई.एम.102, ई.एम. 16 सृष्टि माहुरकर / विवेक माहुरकर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		04	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 29 नस्रुददीन खां / लालखान से 35,37,41,46,48,49,52, म.नं. 54 अनीता बाई / राधेश्याम तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 41 हल्काराम / नन्हे वीर से 44,46,49,70 म.नं. 73 शाहीन बी / सलीम खां तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 50 लछिया बाई / चैन सिंह से 57,59,62,65,67, म.नं. 70 रमेश / गंगाशाम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		07	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 58 इमरती बाई / हरलाल से 61 म.नं. 63 महेन्द्र / ज्ञान सिंह तक	महिला सामान्य	3
		08	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 65 सोना बाई / रामचरण से 74,76, म.नं. 77 हुमा बी / अबरार तक		
		09	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 0 रेहाना बेगम / मो. शौकत खान 2,7,8,17,20,32,50,70, 74,80,101, 122,112,से म.नं. 145 सावित्री गौर / राजकुमारी गौर तक		
		10	म.सू. अनुसार बोरदा म.नं. 01 रामबंसल / श्री राम से 22,24,26,28,36, 77,84,86,87,97,98, 101,105,107,110,111,114,125,136, 139,155,186,191,209,212,240,241, 245,248, से म.नं. 249 शकीला / शौकत तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोरखेड़ी	01	म.सू. अनुसार बोरखेड़ी म.नं. 1 पर्वत सिंह/भवरजी से म.नं. 4,7,10,12, 15,40,40/1, चन्द्रकलां मालवीय के मकान तक	अ.जा.	3
				अ.ज.जा.	0
				अन्य पिछड़ा वर्ग	4
				महिला अ.जा.	2
		02	म.सू.अनुसार बोरखेड़ी म.नं. 14 हेमराज/देवबक्श से म.नं. 19 तक, 21 से 23 तक रामकली/जगनाथ के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	4
		03	म.सू.अनुसार बोरखेड़ी म.नं. 19 नरेश/दिलीप सिंह के मकान से म.नं. 20, 24 से 26, 28,29,29/1,29/3, 30 से 32, 35,42 अनिल मेवाडा/ प्रेम सिंह के मकान तक तक		
		04	म.सू.अनुसार बोरखेड़ी म.नं. 5 टीना/सुनील कुमार से म.नं. 6,8 से 11,13,28,34 से 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38,39, 40/2, 41, 41/2, 42 संगीता बाई/जीतमल के मकान तक		
		05	म.सू.अनुसार हताईखेड़ी म.नं. 1 कमल प्रसाद/नारान से म.नं. 2,4,4/2,5,6,8 से 12,19,19/1,21,28,29 सुमन बाई/ जगदीश के मकान तक		

06	म.सू.अनुसार हताईखेड़ी म.नं. 13 नारायण सिंह/छोटेराम से म.नं. 15,15/2,15/3,16,16/1,16/3,17,19 से 20, 20क दुलारी बाई के मकान तक
07	म.सू. अनुसार दूबड़ी म.नं. 1 हरिप्रसाद/काशीराम से म.नं. 10, 1/1, 2 से 9, 9/2, 10, 28 मनोहर नागर/अवधनारायण के मकान तक
08	म.सू. अनुसार दूबड़ी म.नं. 11 जमना बाई/धनलाल से म.नं. 13, 13/1, 13/2, 13/3 14, से 17 तक कुला/जयराम के मकान तक
09	म.सू. अनुसार दूबड़ी म.नं. 18/1 सौरम बाई/ राम सिंह से म.नं. 18/2, 18क, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21, 22, 22/1, 28 रूप सिंह/ रमेश के मकान तक
10	म.सू. अनुसार दूबड़ी म.नं. 22/1, रानी अली/ रईस अली से 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 25/1, 25/3, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 28, 42 कुंती बाई/तेज सिंह के मकान तक
11	म.सू. अनुसार जाटखेड़ी म.नं. 1 हीरालाल/नंदकिशोर से म.नं. 5, 7/1, 7/2, 10, 10/2, 11, 11/1,, 11/2, 11/3, सविता/ महेश उर्फ पप्पू के मकान तक
12	म.सू. अनुसार जाटखेड़ी म.नं. 14 हीरालाल/धनराज से म.नं. 15, 18, 19/1, 19/2, 20, 20/1, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 28 मनीश / कृष्णकुमार के मकान तक
13	म.सू. अनुसार खोकरिया म.नं. 1 देवकरण/गिरधारी से म.नं. 10 तक एवं 10/2 रीनावर्मा/रामस्वरूप वर्मा के मकान तक
14	म.सू. अनुसार खोकरिया म.नं. 11 संपत बाई/नन्तूलाल से म.नं. 13,15,17,22, 24,26, अनारी बाई/उमराव के मकान तक तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	चन्देरी	01	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 1 चंदन बाई / पृथ्वीलाल से 19,21 म.नं. 24 रीना नाथ / कमलनाथ तक	अ.जा.	5
		02	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 29 नन्नूलाल / दरयाव सिंह से म.नं. 42 संगीता / मुकेश तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 43 रूपराम / हजारीलाल से 44,46 से म.नं. 56 ब्रजेश / हुकुम सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		04	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 57 करण सिंह / लीलाकिशन से 60,63,65 से म.नं. 72 शीला बाई / संतोष कुमार तक	महिला अ.जा.	3
		05	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 73 सरजू बाई / खुशीलाल से 77,79 से म.नं. 81 नीतू / कैलाश तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 82 अजुद्धी बाई / बालमुकुन्द से म.नं. 91 अमित मीना / नन्दलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		07	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 92 ज्वारीलाल / खुमान सिंह से 100 म.नं. 102 संगीता / मनोहर तक	महिला सामान्य	3
		08	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 101 शिवनारायण / लालाराम से म.नं. 110 रामस्वरूप / रामनारायण तक		
		09	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 115 अजीज अली / मंजूर शाह से म.नं. 122 भुरिया / जवारीलाल तक		
		10	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 123 अनोखीलाल / मानसिंह से म.नं. 134 राजेश / लालकिशन तक		

		11	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 135 हल्कू / श्यामलाल से म.नं. 143 नीलम / सुजीत तक		
		12	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 144 लीलाकिशन / गयाप्रसाद से 150,152 से 154,156 म.नं. 160 रीना मीना / महेन्द्र मीना तक		
		13	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 157 विद्या बाई / घुडेलाल से 162 से 164,167 म.नं. तक 169 मनोज / प्रेमनारायण तक		
		14	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 170 अवधनारायण / जमनाप्रसाद से म.नं. 180 रवि यादव / राजमल तक		
		15	म.सू. अनुसार चन्देरी म.नं. 181 हरिनारायण / जमनाप्रसाद से म.नं. 189 बाबूलाल / पोवसिंह तक		

(नोट-- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	चन्द्रखेड़ी	01	म.सू. अनुसार चन्द्रखेड़ी म.नं. 1 प्रेम बाई पत्नि बटनलाल से म.नं. 13 निर्मला पत्नि हेमराज तक	अ.जा.	2
		02	म.सू.अनुसार चन्द्रखेड़ी म.नं. 14 कमरी पत्नि उमराव सिंह बाई से म.नं. 26 वीरेन्द्र पुत्र सुरेश तक	अ.ज.जा.	0
		03	चन्द्रखेड़ी म.नं. 27 कमल सिंह पुत्र दरयाब सिंह से म.नं. 39 सीमा मीना पत्नि सोनू मीना तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		04	म.सू.अनुसार चन्द्रखेड़ी म.नं. 40 भागीरथ पुत्र मूलचंद से 47 तक 49 से म.नं. 52 कली बाई पत्नि भगवान सिंह तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू.अनुसार चन्द्रखेड़ी म.नं. 56 हिम्मत सिंह पुत्र सालिकराम से म.नं. 70 अजमल पुत्र इमरत सिंह तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू.अनुसार चन्द्रखेड़ी म.नं. 71 बीना बाई पत्नि राजेश कुमार से म.नं. 85, 91 सुरमनी पत्नि अशोक मीना तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		07	म.सू.अनुसार चन्द्रखेड़ी म.नं. 86 रामनारायण पत्नि काशीराम से म.नं. 98,107,110 से 120, 122, 124 तक गीता बाई/गोविंद तक	महिला सामान्य	7
		08	म.सू.अनुसार मुबारिकपुर म.नं. 1 दिनेश पुत्र ओमप्रकाश से म.नं. 11/1,11/2,12/1,12/2, 13 फरीन पुत्र रमजान खां तक		
		09	म.सू.अनुसार मुबारिकपुर म.नं. 13 फैजान मियां से म.नं. 30/2 निसाद बी पुत्र चांद मिया के मकान तक		
		10	म.सू. मुबारिकपुर म.नं. 31 मो.गफुर पुत्र शेख इमाम से म.नं. 37/1,38,39/1,40,40/1,41,42/1,42/2, 43,43/1,44,44/1,45,46/1,46/2,46/3 सबानी/नोसे तक		
		11	म.सू. मुबारिकपुर म.नं. 47 शौकत/इमाम बगस से म.नं. 50/1, 50/2, 50/3, 51, 53/1, 54, 54/1, 55, 56/1, 57, 62/1, 63 से 66, 69/1, 72/1, 180 नारायण सिंह/ देवी सिंह तक		
		12	म.सू. मुबारिकपुर म.नं. 73 सडडूलाल/प्यारेलाल से म.नं. 83/1, 83/2, 84, 84/1, 85, 85/1, 198 शेख अमीर तक		



	13	म.सू. मुबारिकपुर म.नं. 86 कैलाश/हीरालाल से म.नं. 86/1, 87, 87/1, 87/2, 88, 88/1, 89, 91/1, 90/2, 90/3, 91, 91/1, 91/2, 92, 92/1, 93, 96/1, 96/2, 97, 97/1, 97/2, 98, 98/1, 98/2, 100, 100/1, 100/2. ए3 आमीर /हलीम तक	
	14	म.सू. मुबारिकपुर म.नं. 92 अनिल कुशवाहा/रामकिशोर से म.नं. 98/1, 100, 102, 105, 106/1, 106/3, 108, 108/1, 108/2, 109, 112, 114, 116, 118, 123, 144 रीना बाई/ जयराम तक	
	15	म.सू. मुबारिकपुर म.नं. 98/2 विकास कुशवाहा/नवल सिंह से म.नं. 126, 131, 135, 139/1, 139/2, 140, 142/1, 143, 144/1, 145, 146, 148, 148/1 माया बाई/ प्रताप तक	
	16	म.सू.मुबारिकपुर म.नं. 125/5 रेणु तिग्गा/जरवस तिग्गा से म.नं. 149, 175, 337, 359, बी 343, सी 11क, सी.11ए. नूतन चौबे/वीरेन्द्र कुमार चौबे तक	
	17	म.सू.मुबारिकपुर म.नं. 49 पुष्पा देवी/रमाकांत से 108,114,124,125/1, 125/2, 125/3, 125/5, 146, 157, 170, 176, 212 सी, 262, 286-45, 337, 351, 359, क49, बी-247, बी-262, बी-331, बी-334, सी-14, सी-46, सी-49, सी-50, सी-60, सी-62, सी-78, सी-106, सी-108, सी-114, सी-120, सी-136, सी-170, सी-212, सी-340, सी-345, सी-351, सी-89, सी-11क, विनीत चौबे/वीरेन्द्र कुमार चौबे तक	
	18	म.सू.बदरखा सड़क म.नं. 1 रामदयाल/हरिप्रसाद से म.नं. 9,7,10,12,14 विजय मारन/वीरभान तक	
	19	म.नं. म.नं. बदरखा सड़क म.नं. 15 मथरी बाई/रामकिशन से म.नं. 28 राहुल/ ज्वारीलाल तक	
	20	म.नं. बदरखा सड़क म.नं. 29 जमनी बाई/द्वारकाप्रसाद से म.नं. 32,34,39,41,45 निर्मल रावल /राजीव तक	

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	चौपड़ाकलां	01	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 1 नन्दकिशोर के मकानसे 1/2, 2 से 5तक, 8से13,67,68,161 कमलेश के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	2 0 4 1
		02	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 1/2 जीतेन्द्र मीना से 14 मुलिया बाई के मकान तक, 14 से 20, 29 संगीता के मकान तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	0 2 5
		03	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 2 ज्योति धुर्वे के मकान से 30 सेतीज बाई के मकान तक, 30 से 37, 37/1, 38 से 39 ताराचंद्र के मकान तक, म. नं. 41 पूनम मीना के मकान तक		
		04	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 42 मेवा बाई के मकान से म.नं. 50 अनीता बाई तक		
		05	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 01 शेरू मीना, 8,51 से 53 सकुन के घर तक, 56 मैयालाल के घर से 60/1 जाहब खान के मकान तक, 61 से 62,87से 115 द्रोप्ती बाई के मकान तक		
		06	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 62 जगन्नाथ के घर से म.नं.71 मनीष जैन सेन के मकान तक		
		07	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 61 भारती,70 ज्योति धुर्वे के म. से 71 केशव भार्गव के मकान तक, 73,75 प्रेमबाई का मकान, 78राठी के मकान तक, 175 मनोज मिश्रा के मकान तक		

08	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 79 लीला बाई के मकान से 82/1 कांता प्रसाद के मकान तक, 82/1,82/2,82/3,82/4 रविंद्र का मकान, 83,84,85 से 94,494 अनिल के मकान तक
09	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 1/2 चुन्नीलाल लोधी के मकान से म.नं. 8,45,85 ब्रजेश लोधी के मकान तक, 85 सीमा के मकान से 89/1, 89/2 हिदेश लोधी के मकान तक, 90,90/1 नवल सिंह के मकान से ममता के मकान तक, 91,205 राजकुमारी के मकान तक
10	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 92 हरलाल के मकान से म.नं. 100 संतोष के मकान तक
11	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 103 जमनाप्रसाद के मकान से म.नं. 111 विजेता चौहान तक
12	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 68 मीरा बाई के घर से 111 बाबूलाल का मकान, 111 रेखा बाई के मकान से 119 कृष्णा देवी के मकान से 122 कोमल प्रसाद के मकान तक, 122 सावित्री बाई के मकान से 127 रीना लोधी के मकान तक, म.नं. 129 गोविन्द यादव के मकान तक
13	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 72 रामनारायण के मकान से 73 निहाल सिंह तक, 130,137, 137/1,138 भैयालाल के मकान से म.नं.139 गीताबाई के मकान तक, 141 कमलसिंह से 143/1, 143/2,151 भारती अहिरवार तक
14	म.सू. अनुसार चौपड़ाकलां म.नं. 142 प्रमिला लोधी के मकान 144 सावित्री बाई तक, 144 राधेश्याम से 149,151,152,156 शंकर सिंह तक, 156 सरोज बाई से 160 भागवती के मकान तक, 187 रचना रचना चिडार तक

	15	<p>म.सू. अनुसार चौपड़ाकला म.नं. 01 बालचन्द के मकान से 1/2 रामराज के मकान तक 2 से 5 विनोद साहू के मकान तक, 5 नरेंद्र साहू से म.नं.9 ओमप्रकाश के घर तक, 9 मनीष कुमार के घर से</p> <p>23,30,43,43/2,45,47,47/2, 55,69,79,81,85,89 तारालोधी के मकान तक, 107,151,158,161, 179जितेंद्र के मकान तक,182 राजेंद्र गौर के मकान से 185 लक्ष्मी बाई के मकान तक, 187 धन सिंह के मकान से 194 गुड्डी बाई के मकान तक, 196 से 198, 204 राहुल के मकान तक, 206,208,209 सुनील कुशवाह के मकान तक 913 नन्हे भाई कुशवाहा तक</p>			
--	----	--	--	--	--

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देवलखेडी	01	म.सू. अनुसार देवलखेडी म.नं. 2 संतोष कुमार/समदर सिंह के म.नं. 14 तक एवं म.क्रं. 30 एवं 37,49 म क्रं. 56 गोविन्द के मकान	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार देवलखेडी म.नं. 16 कंचन बाई/हीरालाल के मकान से म.नं. 16 राजेश समन्दर सिंह के मकान तक एवं मकान क्रं. 18 से नंदकिशोर/मूलचंद के मकान से मकान क्र. 24 अनुसूईया/शिवनारायन के मकान तक म. क्रं. 26 फरतहां/गुलाम मुईददीन के मकान से मकान क्रं. 28 दुलारी/शिमकूललाल तक एवं मकान क्रं. 30 47 नीलम/नीरज के मकान तक	अ.ज.जा.	0
				अन्य पिछड़ा वर्ग	5
				महिला अ.जा.	2
				महिला अ.ज.जा.	0
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला सामान्य	6
				03	म.सू. अनुसार देवलखेडी म.नं. 30 दिनेश कुमार/शम्भूलाल से म.नं. 42 माया/पप्पू के मकान तक
04	म.सू. अनुसार देवलखेडी म.नं. 45 नाथूराम/वंशीलाल से म.नं. 49 संतोष/मानसिंह तक, म.क्रं. 55 नीतेश/कमलेश के मकान तक				
05	म.सू. अनुसार देवलखेडी म.नं. 19 ज्योति/दिनेश, से 56 से म.नं. 58 शान्तिबाई/संतोष के मकान तक				
06	म.सू. अनुसार श्यामपुर म.नं. 1/1 ब्रजेश कुमार/छन्नूलाल के म.नं. 10 मुगोबाई तक				
07	म.सू. अनुसार श्यामपुर म.नं. 10 कालूराम/दुलीचंद के म.नं. 23 दिनेश गणेश राम के मकान तक				
08	म.सू. अनुसार श्यामपुर म.नं. 24 नफीसा बी के मकान से म.नं 33 क लता बाई के मकान तक				

		के म.नं. 10 म.क्रं. 27,31,35,38,41,54,80,86,90,92,93, 113,116,133,135,137,140,146,147,153,159 विजय सिंह कुशवाहा के मकान तक
10	म.सू. अनुसार पुरामनभावन म.नं. 01 रामदयाल के म.नं. 159 एवं म.क्रं. 10 ख मीना बाई के मकान तक	
11	म.सू. अनुसार पुरामनभावन म.नं. 11 मिटटूलाल से म.नं. 18 एवं 26, 81 ग, 87 ख अशोक कुमार के मकान तक	
12	म.सू. अनुसार सत्तीखेडा म.नं. 01 अफरोज जहां से म.नं. 03 एवं म.नं. 06,06,17,18 एवं म.क्रं. 70 सुनील सैनी के मकान तक	
13	म.सू. अनुसार पिपलियाबाजखां म.नं. 04 लोकेश शर्मा से म.नं. 04 एवं म.क्रं. 06 से म.क्रं 12 एवं म.क्रं 13 राजू मीना के मकान तक	
14	म.सू. अनुसार पिपलियाबाजखां म.नं. 14 सहोद्री बाई के मकान से म.क्रं 24 निर्मला/देवसातपूते के मकान तक	
15	म.सू. अनुसार पिपलियाबाजखां म.नं. 29 खिमो बाई/खुमान सिंह के मकान से म. क्रं 40 संजय शर्मा/मुन्नालाल शर्मा के मकान तक	
16	म.सू. अनुसार पिपलियाबाजखां म.नं. 41 रामनारायण/रामप्रसाद के म.क्रं 47 एवं 49,51,52,53,55,56 एवं म.क्रं 57 शर्मीली बाई/द्वारका प्रसाद के मकान तक	
17	म.सू. अनुसार पिपलियाबाजखां म.नं. 58 बाबूलाल/पन्नालाल के मकान से म.नं. 61 एवं 62 से म.क्रं 72 लक्ष्मी बाई के मकान तक	
18	म.सू. अनुसार पिपलियाबाजखां म.नं. 73 दुर्गाप्रसाद के मकान से म.नं. 76 एवं म.क्रं 78 से म.क्रं 83 जितेन्द्र के मकान तक	
19	म.सू. अनुसार पिपलियाबाजखां म.नं. 01 केशव लोधी से म.नं. 04 एवं म.क्रं 07,12,14,19,21,23,24,25,28,32,33,41,43,45, 47,51,67,71,74,79, 84 से म.क्रं 90,92,94,96,98,99 से म.क्रं 115 रेखा सातपूते के मकान तक	

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

दिनांक 08/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोल	01	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 1 सुमित्रा बाई/राधेश्याम से म.नं. 2,4,11,14, 17, दीपक/राधेश्याम तक	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 14 छोटी बाई/भागचन्द से म.नं. 18,20,21,24,26,27,29,147 संजय/बद्रीप्रसाद तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	1 3 2
		03	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 30 चतरी बाई/आलम सिंह से म.नं. 37,39,149 रानी/मिट्टलाल संतोष सिंह तक	महिला अ.ज.जा.	1
		04	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 42 शांति बाई/कमरलाल से म.नं. 49,66,116, संतोष/तुलसीराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 3
		05	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 50 भंवरी बाई/भंवरजी 51,53,54,56,61, से म.नं. 150 मनी बाई/देवी सिंह तक		
		06	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 62 नर्वदाप्रसाद/मान सिंह से म.नं. 64,66,70,72,116 गोमा बाई/ संतोष तक		
		07	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 73 इकबाल मो.खां/खतीब अहमद से म.नं. 81,84 अमित/अचल सिंह तक		
		08	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 4 गिरजावती/अंतर सिंह से म.नं. 85,89,96,111, 125,128,148 छोटी बाई/नन्दराम तक		
		09	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 97 अरुण खत्री/अमरीश सिंह से म.नं. 127,129,132 विकास शर्मा/ राधेश्याम शर्मा तक		
		10	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 57 आरती/राजेश से म.नं. 109,117,120 हेमंत घारीवाल/सी.पी.घारीवाल तक		
		11	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 3 ईदल सिंह/ नर्वदा प्रसाद से म.नं. 10,14,23,55,121,124, 136,144, 155,266,275, 309 बाबूलाल/छोटेलाल तक		
		12	म.सू. अनुसार गोल म.नं. 1 मुदल/कैलाश से म.नं. 3,8,137, 141,156,187 जगबीर सिंह/राजमल तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोलखेडी	01	म.सू. अनुसार गोलखेडी म.नं. 1 गणेशी बाई/इमरत से म.नं. 09 अरविंद/प्राण सिंह के मकान तक	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार गोलखेडी म.नं. 10 बतेशी बाई/बाबूलाल से म.नं. 17 नर्बदी बाई मनोज के मकान तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू. अनुसार गोलखेडी म.नं. 18 रघुवीर/दौलत सिंह से म.नं. 26 आशाबाई/धाससिंह के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		04	म.सू. अनुसार गोलखेडी म.नं. 2 कविता मीणा/दीवान सिंह से म.नं. 23,27,38,42,48,52 लक्ष्मी/नवल सिंह के मकान तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 1 प्रीतम सिंह/रामप्रसाद से म.नं. 13 शक्ति सिंह/हमीर सिंह के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 14 रामनारायण/रेवाराम से म.नं. 22 सुनील मीणा/लक्ष्मीनारायण के मकान तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		07	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 23 जमना बाई/जगन्नाथ से म.नं. 28 आरती/विष्णु के मकान तक	महिला सामान्य	6
		08	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 30 बबीता/पन्नालाल से म.नं. 34,39 ज्योति/दीपक के मकान तक		



09	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 40 कस्तूरी बाई/गंगाप्रसाद से म. नं. 28,36,43,48,49,54,57,70 अशीस/आशाराम के मकान तक क्रं. 47 विजयमाला/सतीश नामदेव के मकान तक		
10	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 28 शुभम जाटव/रामभरोसा से म.नं. 36,43,48,54,57,70 आशीष/आशाराम के मकान तक		
11	म.सू. बीनापुर म.नं. 17 रवि मीणा/श्यामलाल से म.नं. 58,63,84 लखन प्रजापति/अमान सिंह के मकान तक		
12	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 26 मधु/कैलाश चंद से म.नं. 68,81,83,84 नन्नी बाई/अमान सिंह के मकान तक		
13	म.सू. अनुसार बीनापुर म.नं. 85 बारा बाई/रतन लाल से म.नं. 95,107 रजनी/अमर सिंह के मकान तक		
14	म.सू. अनुसार भैरोपुरा म.नं. 6 सुरेश/कमल सिंह से मकान क्रं. 11,25,29,32,49,58,60,75,80, 83 सुनीता/किशन के मकान तक		
15	म.सू. अनुसार भैरोपुरा म.नं. 12 शैतान सिंह/हीरालाल से म.नं. 22 कालूराम/लीलाकिशन के मकान तक		
16	म.सू. अनुसार भैरोपुरा म.नं. 23 गोवर्धन सिंह/हरभजन सिंह से म. नं. 33 रजनी/मान सिंह के मकान तक		
17	म.सू. अनुसार भैरोपुरा म.नं. 34 मोहनलाल/भंवर जी से म.नं. 49 तक एवं 73,76,78 भूरिया बाई/महाराज सिंह के मकान तक		
18	म.सू. अनुसार भैरोपुरा म.नं. 50 कमल सिंह/बुलारी राम से म.नं. 72 तक एवं 74,77,79,82,85 मलका बेगम/सलीम खों के मकान तक		
19	म.सू. अनुसार काचबावली 01 गेंदालाल/सुन्दरलाल से म.नं. 14 मनी बाई/रतन लाल के मकान तक		
20	म.सू. अनुसार काचबावली 15 अर्जुन सिंह/भैयालाल से म.नं. 36 अनुसुईया/गोपाल के मकान तक		

(नोट.—मकान के साथ मुखिया का नाम अंकित करें.)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 08/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	इमलिया	01	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 03 कैलाश/गोरधन से म.नं. 4,6से13 कपिल/सूरज सिंह तक	अ.जा.	2
		02	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 14 अमरचन्द/सरदार सिंह से म.नं. 16से25, 9 विशाल मीणा/लखनलाल तक	अ.ज.जा.	0
				अन्य पिछडा वर्ग	5
		03	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 26 कृपाराम/शोभाराम से म.नं. 28 से 36 सचिन मीणा/उत्तम मीणा तक	महिला अ.जा.	1
				महिला अ.ज.जा.	0
		04	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 37 शांति बाई/मथुरा प्रसाद से म.नं. 38,40,41,43 से47 हरिनारायण/बटनलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
				महिला सामान्य	6
		05	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 01 सविता बाई/काशीराम से म.नं. 48से49, 51से55, 57से64, एवं 75 अनिल/फूल सिंह तक		
06	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 65 गंगाराम/मूलचंद से म.नं. 67,69 एवं 80 लषा/मुकेश तक				
07	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 81 बुलाखीलाल/बाबूलाल से म.नं. 88/1,90 एवं 93 माया बाई/भगवान दास तक				
08	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 94 भंवरलाल/मांगीलाल से म.नं. 107 राहुल/गोदूराम तक				

	09	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 108 भुंदुलाल/खुरशीलाल से म.नं. 109,111से113, 115से119; पूजा रजक/जीतेन्द्र रजक तक		
	10	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 119 जितेन्द्र/इमरतलाल से म.नं. 129 उर्मिला बाई/नरेश तक		
	11	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 131 कम्मी बाई/कुंजीलाल से म.नं. 141 रवि/दुलार सिंह तक		
	12	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 42 ललिता/सौदान सिंह से म.नं. 142से147, 149से152, एवं 9 कुंती/शिवचरण तक		
	13	म.सू. अनुसार इमलिया म.नं. 00 साकेत दीक्षित /शिवहरि से म.नं. 01से3, 18/1, 27,44,46,52, 53,106,107, 144,153 से 174, 323, 514से523, 530,876, एस77, झु.513, झु.514,9 एवं स्पोर्टी कालेज, शारदा शर्मा/ देवेन्द्र कपिल शर्मा तक		
	14	म.सू. अनुसार सैमरासैययद म.नं. 52 सोनू/कमनाप्रसाद से म.नं. 95,102,110,121,148,167से177, 179 एवं 179/अ संतोष कुमार/ लालाराम तक		
	15	म.सू. अनुसार सैमरासैययद म.नं. 172 योगेश/कालूराम से म.नं. 180से182,184,185, 187से195, 201 एवं 416 पूजा बाई/खिलान सिंह तक		
	16	म.सू. अनुसार सैमरासैययद म.नं. 170 नीलेश सैनी/विमलेश सैनी से 171,186,188ए, 195से199, 201से205,207,209,218, 226,237,239, एवं 253 दिनेश कुमार/बसंतीलाल तक		
	17	म.सू. अनुसार सैमरासैययद म.नं. 210 हजारीलाल/मूलचंद से म.नं. 216,218 से 221, 226से231, निसार मो. /नफीस मो. तक		
	18	म.सू. अनुसार सैमरासैययद म.नं. 233 हरीप्रसाद/ख्यालीराम से म.नं. 234,236,से239, 247 से 254, 323, 374, 389,390, 416,418,455से458, ई14/201, एवं झु.515 मजीद अली/ताहिर अली तक		
	19	म.सू. अनुसार घाटखेडी म.नं. 01 काशीराम/जयराम से म.नं. 24,74 कांती लोधी/सुन्दरलाल लोधी तक		

(नोट-मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ईटखेडी सड़क	01	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं.01 मीना यादव/रोशन यादव से म.नं. 9,61,88,128,151,187,195, 225, 26,269सुमित्रा बाई/रामरतन तक	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 10 गोरेलाल /बाबूलाल से म.नं. 17,19,20,25,201 परवीन बानो /वहीद मिया तक	अ.ज.जा.	2
		03	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 01 रईस खां/मो.खों से म.नं. 3,,21,22,23,24,25,26,27,29,29,30, 31,32,202,208,209,210,211,226, 229,231,232,253,278 नाथीबी / रमजान खों तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		04	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 1 जुबेदा/एजाज खान से म.नं. 28,33,34, 35,36,37,38,40,41, 42,43,44,45,46,47,48,49,92,158, 185,219,236,264,280,282 समीना बी /सईद शाह तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 1 रबिया बी/इस्माइल से म.नं. 30,51,53,54,57,58,59,60,61,62,63, 64,65,66,115,263,285 मुबारिक /फकीर मो. तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 5 मुबीन अली/मोहर अली से 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78, 79,220,274, 298 अजय /मुन्ना लाल सोनी तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
				महिला सामान्य	5

		07	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 1 भुरिया बाई / बाबूलाल से म.नं. 3,6,25,73,80,81,82,83,85,86, 87,88,89,90,101,151,267,279,289 विक्रम सिंह / नवल सिंह तक	
		08	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 6 नरेश कुमार से म.नं.27,92,96, 97,99,100,101,102,103,104,105, 106,108,110,151,216,238,240,241, 262,264,287 अभिषेक / संतोष चौरसिया तक	
		09	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 111 कमला बाई / कालूराम से म.नं. 116,118,183 बन्टी / रूपसिंह तक	
		10	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 119 तुलसा बाई / किशन सिंह से म.नं. 122,124,126,127,128, 130,131,132,177,245, 283 देव कुमारी मीणा / जीवन सिंह तक	
		11	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 133 रागचरण / टीकाराम से 141,260,331 ऐरन कुमार / नर्वदा प्रसाद तक	
		12	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 25 नथन सिंह / उमराव सिंह अहिरवार से म.नं. 142,143,144, 147,148,149,152,153,154,156 हेमलता / ओमप्रकाश तक	
		13	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 1 संजय / बदामी लाल से म.नं. 3,10,66,116,118,121,157,158,159, 160,161,162,163,165,166,167,168, 262 सुनील / रामगोपाल तक	
		14	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 42 आशा बाई / हरिनारायण से म.नं. 58,91,125,137,151,159,166, 167,168,170,172,173,174,176, 177,178,179,180,181,182,183, 184,185,227,228 कमला बाई / अमर सिंह तक	
		15	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 2 सुखिया बाई / हल्कूराम से म.नं. 186,187,189,192,194,198, शाहिना बी / शफीक शाह तक	

		16	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 01 दौलत सिंह/कमलसिंह से से म.नं. 2,81,84,88,114,131,192, 203,204,205,207,209,212,214,215, 218,221,224,225,230,265,298 रवि /अमर सिंह तक		
		17	म.सू. अनुसार ईटखेडी सड़क म.नं. 66 कमलसिंह/विक्रम सिंह से 116,118,185,192,205,206,220,226, 235,248,249,250,251,253,255,256, 258,262,263,265,272,278,283, 289,290,291,293,294,295,296, 297,298 कृष्णा / महाराज, तक		
		18	म.सू. अनुसार घासीपुरा म.नं. 01 मेहबूब अली/मेहमूद अली से म.नं. 4,6,8,13,14,17,25,26,32,81,82,83, 84,85,227,233,257,258,259,270, 271,278,281,284,285,290 शहजाद खां/वहीद शाह तक		
		19	म.सू. अनुसार घासीपुरा म.नं. 16 नगमा बी / अफजल से म.नं.19, 32,33,36,38,43,61 से 73, 79,80,81,243,244,245,246,247, 253, 285,288,289,290 शब्बीर खां / इमाम खां तक		
		20	म.सू. अनुसार घासीपुरा म.नं. 33 जगदीश/दयाराम से म.नं. 51,54, 56 से 59,74,261,262,263,264, 268,273,286 गुडडी बाई / राधेश्याम तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	इस्लामनगर	01	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 1 रितु बाई से 8,10 से 16,18,20 से 22 से म.नं. 24 ज्योति तक	अ.जा.	2
				अ.ज.जा.	1
				अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		02	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 25 दौलत सिंह से 36 से म.नं. 36 शहनाज तक	महिला अ.जा.	1
				महिला अ.ज.जा.	1
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		03	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 37 सलीम से म.नं. 52 ज्योति तक	महिला सामान्य	6
		04	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 53 हफीज से 54,56,59 से म.नं. 62 गणेश बाई तक		
		05	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. नुरजहां बी से 73,75 म.नं. 77 गुडिया बाई तक		
		06	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 78 नन्नुलाल से 82,85,89,91 से म.नं. 95 अनिल बैरागी तक		
		07	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 96 गोरेलाल से म.नं. 108 त्रिवेणी माली तक		
		08	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. हलीम से 117, 119 से म.नं. 125 पूनम तक		
		09	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 126 कपूरी बाई से 128,130,133, 138,140, से म.नं.145 रामकली तक		
		10	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. 146 मत्थूराम से 150,152 से 152,154,161,163से 165,167 से म. नं. 172 कमला बाई तक		

		11	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. मंजूर अली से म.नं. 1709 बीबी जान तक		
		12	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. नन्नी बी से अशोक तक		
		13	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. मनको बाई से म.नं. किशवर तक		
		14	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. अतीक खां से म.नं. दिनेश / दुलीचन्द तक		
		15	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. रामप्रसाद से म.नं. मिथलेश तक		
		16	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. कालूराम से म.नं. पुष्पा बाई तक		
		17	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. गुलाब बाई से म.नं. रेखा तक		
		18	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. भगवान से म.नं. करण सिंह तक		
		19	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. शकीला से म.नं. मुहम्मद अली तक		
		20	म.सू. अनुसार इस्लामनगर म.नं. शांति बाई दास से म.नं. गोपाल सिंह तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)



दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ईटखेड़ीछाप	01	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 1 बालमुकूंद/नर्मदाप्रसाद से म.नं. 3,56, 43 गोपाल/बद्रीप्रसाद तक	अ.जा.	2
		02	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 9 फूल सिंह/काशीराम से म.नं. 49 अजय राजपुत/खुशीलाल तक	अ.ज.जा.	0
				अन्य पिछडा वर्ग	5
		03	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 19 सुखराम/फतेह सिंह से म.नं. 23से30,82,115 वैशाली नगर आशीष पाराशर/कैलाश पाराशर तक	महिला अ.जा.	1
				महिला अ.ज.जा.	0
		04	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 31 अनारी बाई से म.नं. 35,37,38,49 कमलेश/गोविंदप्रसाद तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
				महिला सामान्य	7
		05	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 38 डोली बाई/शिवचरण से म.नं. 43,45से48 हरिकृष्ण/जीतमल तक		
		06	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 49 लक्ष्मीनारायण/रंजीत सिंह से म.नं. 59 भूरिया बाई तक		
		07	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 60 रामप्रसाद/गंगाराम से म.नं. 64,66,से68, निर्मला मेवाडा/रमेश मेवाडा तक		
08	म.सू. अनुसार ईटखेड़ीछाप म.नं. 69 अयोध्या प्रसाद/मुंशीलाल से म.नं. 72,73,75 से 77,79से81,83,84 उर्मिला रजक/ओमप्रकाश तक				
09	म.सू. अनुसार कजलास म.नं. 1 सुनील मेवाडा/फूल सिंह से म.नं. 49 संजू बाई/चौद सिंह तक				
10	म.सू. अनुसार कजलास म.नं. 10 कन्हैयालाल/रामचरण से म.नं. 18 राहुल मेवाडा/दशरथ सिंह तक				

		11	म.सू. अनुसार कजलास म.नं. 19 लक्ष्मण/भंवरजी से म.नं. 26,80 प्रति सिंह मेवाडा/मोर सिंह तक		
		12	म.सू. अनुसार कजलास म.नं. 29 बताशी बाई/रामस्वरूप से म.नं. 39,41,50 कोमल बाई/मोर सिंह तक		
		13	म.सू. अनुसार कजलास म.नं. 30 मुकेश राजपूत/दौलत सिंह से म.नं. 42से49, 51,78,79,384,385,799, राधा बाई तक		
		14	म.सू. अनुसार खामलाखेडी म.नं. 10,12 कनीराम/देवबगस से म.नं. 13 मुकेश/सुखराम तक		
		15	म.सू. अनुसार खामलाखेडी म.नं. 13 दुर्गाप्रसाद/घीसीलाल से म.नं. 14,16,18,20से26, 28से30,32, 33,35से41, 438 सुमन भारती/शिवनारायण भारती तक		
		16	म.सू. अनुसार लखापुर म.नं. 00 सीताराम/काशीराम से म.नं. 18/1,20,21,23,41,51 गिरिजा/भोजराज तक		
		17	म.सू. अनुसार लखापुर म.नं. 12 नबिया बाई/नन्नूलाल से म.नं. 18/1,20,21,23,41,51 गिरिजा/भोजराज तक		
		18	म.सू. अनुसार लखापुर म.नं. 22 भागवती बाई/सुन्दरलाल से म.नं. 30 पवन मेवाडा/दुर्गाप्रसाद तक		
		19	म.सू. अनुसार लखापुर म.नं. 31 हरिप्रसाद/खुशीलाल से म.नं. 39 राकेश/श्रीकिशन सिंह तक		
		20	म.सू. अनुसार लखापुर म.नं. 40 बटदूलाल/देवबगस से म.नं. 50,53/1 भारती/फूल सिंह तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जमुनियाकलां	01	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 1 प्रभा साहू से म.नं. 08 देशराज/दयाराम तक	अ.जा.	1
		02	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 09 अनुप सिंह/रामचरण से म.नं. 14,18 नीतू बाई/धमेन्द्र तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1 3 1 1 2
		03	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 19 बटनलाल/दुर्जन सिंह से म.नं. 22से25, 28,30से32, विक्रम/कन्हैयालाल तक	महिला सामान्य	4
		04	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 33 रेखा बाई/राकेश से म.नं. 43 विकास मीना/ओमप्रकाश मीना तक		
		05	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 45 परसी बाई/राधेकिशन से म.नं. 55 सरिता साहू/अशोक साहू तक		
		06	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 56 मांगीलाल/चिरंजीलाल से म.नं. 68,70 सीताराम/मूलचंद तक		
		07	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 72 रामकली बाई/रामचरण से म.नं. 72,75,77,78/क, एवं 80-82 अनिता बाई/शकरलाल तक		
		08	म.सू. अनुसार जमुनियाकलां म.नं. 04,8,10,12,24,30,55,59,65,68,72,77, 81से84,86से96 रवीन्द्र/रामगोपाल से म. नं. 09 विमला साहू/नेतराम साहू तक		
		09	म.सू. अनुसार लालपूर/बनखेडी म.नं. 1 बाबू खां/जुमून खां से म.नं. 01से3,5 हारून बी/मो.खां तक		
		10	म.सू. अनुसार लालपूर/बनखेडी म.नं. 5से7, आसीन मियां/मो.खां से म.नं. 9 अकबर मियां/रमराज मियां तक		
		11	म.सू. अनुसार डगरोली म.नं. 11से15, 17से18,20से21, मथुरा बाई/चुन्नीलाल से म.नं. 23- 27 पिकी बाई/प्रीतम सिंह तक		
		12	म.सू. अनुसार डगरोली म.नं. 13 सुमन/जसकरन से म.नं. 13,28,31से40क, 42से49, अनिता/राधेश्याम तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	झिरनिया	01	म.सू. अनुसार झिरनिया म.नं. 2 मंशाराम/बारेलाल से म.नं. 10,23,65,73,75,83,84,128,136,136/6,150,464,531 निरसो/जागू सिंह के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	2 2 4 2 1
		02	म.सू. अनुसार झिरनिया म.नं. 03 अपसाना बी/लुकमान खां के मकान से म.नं. 86,91/2,95,101,128,130,131,134, 136,163, 165,196,516/2 से म.नं. 516/2 गुलाब सिंह के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 3
		03	म.सू. अनुसार झिरनिया म.नं. 00 आरिफ स्वामी के मकान से म.नं. 23,84,88,102,107,113,114/5,114/18, 114/19,128, 128/5,128/7, 128/9,136/1,164,214,216,464,516/1,516/2,517 पूनम के मकान तक		
		04	म.सू. अनुसार झिरनिया म.नं. 01 फरीदा बी/नवाव खां के मकान से म.नं. 14,117,124/6,/124/8,125, 136/1, 195 मजीत खां के मकान तक		
		05	म.सू. अनुसार झिरनिया म.नं. 75 कविता/सुरेश के मकान से म.नं. 121,127,128/6,128/8,129, 129/3,130,135,153,215,217,463,464,467,520 राम बाई/राकेश के मकान तक		
		06	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 01 कस्तुरी बाई/लक्ष्मण सिंह के मकान से म.नं. 05,11,18,50,57,97 मीना मारण/नारायण सिंह के मकान तक		
		07	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 18 रामसिंह/कनीराम के मकान से म.नं. 22,27,59 संगीता बाई के मकान तक		
		08	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 26 हजारीलाल/भंवरजी के मकान से 28,41,99 शीलाबाई/महेश्या के मकान तक		

09	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 01 रवि/लक्ष्मण सिंह के मकान से म.नं. 37,42 सुनील भीना/ओमप्रकाश भीना के मकान तक
10	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 43 अचल सिंह के मकान से म.नं. 49 राम कन्याबाई के मकान तक
11	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 01 श्याम सिंह/श्रीकिशन के मकान से म.नं. 53,59,97 नंदकिशोर/प्रभुलाल के मकान तक
12	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 22 प्रमिला/अचल सिंह के मकान से म.नं. 46,60,65,70,73,98,100 शारदा बाई/गोकल सिंह के मकान तक
13	म.सू. अनुसार कलाखेडी म.नं. 16 कैलाश/दरयाव सिंह के से 41,46,80,85,94,96,100 प्रकाश नायक/गोकल सिंह के मकान तक
14	म.सू. अनुसार दौलतपुरठिकरिया म.नं. 00 पूजा बाई/राजेश के मकान से म.नं. 6,8,21,96,465,466 लक्ष्मीबाई/दिनेश के मकान तक
15	म.सू. अनुसार दौलतपुरठिकरिया म.नं. 10 धर्मन्द्र/कमर सिंह के मकान से म.नं. 12,21 कलावती/कैलाश के मकान तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 08/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	काछी बरखेड़ा	01	म.सू. अनुसार काछी बरखेड़ा म.नं. 1 मदन सिंह / ज्ञान सिंह से म.नं.10 तक एवं 34,40,54 गजराज सिंह के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	4 0 4 2
		02	म.सू. अनुसार काछी बरखेड़ा म.नं. 10 शुभम साहू / नंदकिशोर साहू से म. नं.21 तक एवं 80,119,121क्षमा पत्नि दीपक साहू के मकान तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	0 2 3
		03	म.सू. अनुसार काछी बरखेड़ा म.नं. 22 नन्दकिशोर / गिरधारी से म.नं. 30,31 तक एवं 123, 124 अब्दुल रहमान / कलीम खा के मकान तक		
		04	म.सू. अनुसार काछी बरखेड़ा म.नं. 32 अनार सिंह/राधेश्याम से म.नं.35, 37,43महेन्द्र सिंह मेहरा के मकान तक		
		05	म.सू. अनुसार काछी बरखेड़ा म.नं. 44 गनपत सिंह/नंदकिशोर से म.नं. 52,56,54 रचना / गजराज सिंह अहिरवार के मकान तक		
		06	म.सू. अनुसार काछी बरखेड़ा म.नं. 55 भवंरजी / देवचंद्र से म.नं.61,63, 66,70,73,117 ममता / महेश प्रजापति के मकान तक		
		07	म.सू. अनुसार काछी बरखेड़ा म.नं. 74 पार्वती बाई पत्नि प्रहलाद सिंह 117,118, 120 गोवर्धन सिंह के मकान तक		
		08	म.सू. अनुसार सोगोनिया म.नं. 01 गेंदा / रामलाल से म.नं. 6 तक एवं 7,12,16,18 लीलाबाई / नवल सिंह के मकान तक		

	09	म.सू. अनुसार सोगोनिया म.नं. 01 नर्बदा प्रसाद/प्रभुलाल से म.नं. एवं 7,12,19,29,34,39,63 रोहित /गुलाब सिंह के मकान तक		
	10	म.सू. अनुसार बरखेड़ी हजाम म.नं. 1 रीना पत्नि जीवन सिंह से म.नं. एवं 5,11सीमा/जवाहर सिंह के मकान तक		
	11	म.सू. अनुसार बरखेड़ी हजाम म.नं. 12 कमल सिंह/हिम्मत सिंह से म.नं. 20,22 रूपेश कुमार/पदम सिंह के मकान तक		
	12	म.सू. अनुसार बरखेड़ी हजाम म.नं. 22 पदम सिंह/जयलाल से म.नं. 31 सोनु/लाल सिंह के मकान तक		
	13	म.सू. अनुसार बरखेड़ी हजाम म.नं. 33 मिश्रीलाल/छोटेराम से म.नं. 44. सतीश/पूनम सिंह जाट के मकान तक		
	14	म.सू. अनुसार बरखेड़ी हजाम म.नं. 44 रीना / पूनम सिंह जाट से म.नं. से म.नं. 63 रेखा बाई /गजराज सिंह के मकान तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कालापानी	01	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. ननिया बाई / चन्दु बोसम से म.नं. न्यू बस्ती वेरोनिका अवध / सुकेश कुमार अवध तक	अ.जा.	2
		02	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 1 स्नेहा बैरागी / घनश्याम बैरागी से म.नं. 478 रश्मि कनेरिया / अनिल कनेरिया तक	अ.ज.जा.	4
		03	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 3 कुलदीप / लम्बू से म.नं. काजलीखेडी मतीन खान / लतीफ खान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		04	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 26/11 हरि / कालूराम से म.नं. 103 कसमा बाई / गुड्डा झाबुआ तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 2/4 दुधमनी बाई / नारायण सिंह से म.नं. 361 रज्जो बाई / अवधनारायण तक	महिला अ.ज.जा.	2
		06	म.सू. अनुसार कालापानी, म.नं. 1 रामअवतार / रामकृष्णा से म.नं. 801 संतोष वाल्मिक / सोनीराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		07	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 1/2 मुकीम / मौसीन खान से म.नं. झु. 46202 शकुन्तला केवट / रामललु केवट तक	महिला सामान्य	5
		08	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 01 रूखसार / मंजर से म.नं. 457, रीतेश पटेल / श्यामलाल पटेल तक		
		09	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 1 धीरू गौड़ / उधम गौड़ से म.नं. 878 शांता बाई / नवल सिंह तक		
		10	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 00 अजय सिंह / रघुनाथ से म.नं. सी-155 सरिता गोयल / रमाकांत गोयल तक		
		11	म.सू. अनुसार कालापानी म.नं. 1 संगीता पाल / राकेश पाल से म.नं. सी-155 वैभव गोयल / रमाकांत गोयल तक		
		12	म.सू. अनुसार महाबडिया म.नं. 1 दल्लू बाई / मांगीलाल से म.नं. प्लेट नं. 303 / डीएम जितेन्द्र तोमर / मोहनलाल तोमर तक		
		13	म.सू. अनुसार महाबडिया म.नं. 1 संदीप / रघुनाथ से म.नं. डीएम-6 रमेन्द्र मोहन / माई दयाल सक्सेना तक		



14	म.सू. अनुसार महाबडिया म.नं. 20 रेखा बाई / कम लनायक से फ्लेट नम्बर 409 अनुसुईया मालाकार / गणेश मालाकार. तक		
15	म.सू. अनुसार महाबडिया म.नं. खुशबु जायसवाल / पी.के जायसवाल से फ्लेट नम्बर 402 अमरप्रताप / रंजीत सिंह तक		
16	म.सू. अनुसार थुआखेडा म.नं. 1 हैरत बाई / बाबूलाल से म.नं. 364 सबीना बी / जलाल खां तक		
17	म.सू. अनुसार थुआखेडा म.नं. 23 हरिनारायण/परसराम से म.नं. 63 सुदीप सिंह मीना / कमल सिंह तक		
18	म.सू. अनुसार थुआखेडा म.नं. 46 मीज खां / नजब खां से म.नं. 260 ज्योति विश्वकर्मा / सुनील विश्वकर्मा तक		
19	म.सू. अनुसार थुआखेडा म.नं. 56 मुजीब खां / मासुर खां से म.नं. 410 आरती देवी / राजु कुमार तक		
20	म.सू. अनुसार थुआखेडा म.नं. 1 राजकुमारी मीना / निलेश मीना से म.नं. 259 अभिषेक तिवारी / अनुप तिवारी तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कलखेड़ा	01	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 01 रामभरोसे से म.नं. 1/2, 4 से 9, 9से 11, 14, 16 अखलेश/मन्नुलाल तक	अ.जा.	3
				अ.ज.जा.	1
				अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		02	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 17 मो. यूसुफ से म.नं. 214/1 आसिफ/नसीर अहमद तक	महिला अ.जा.	2
				महिला अ.ज.जा.	1
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
				महिला सामान्य	3
		03	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 21 इरफान खान से म.नं. 27, 29 ओमवती/हरनाम तक		
		04	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 31 भालवो शंकर से म.नं. 38, 40 से 45 पराग पराशर तक		
		05	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 46 से म. नं. 52/1, 96 मुरारी कुशवाहा/कदम सिंह तक		
06	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 53 जमील खां/जम्मू खां से म.नं. 64 रवि खरे तक				
07	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 65 रामकिशन/रामचंद से म.नं. 72/1 देवराज/धन्नालाल तक				
08	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 72/2 मुन्नालाल से म.नं. 80, 82 से 90 नेहा कुंवर तक				
09	म.सू. अनुसार कलखेड़ा म.नं. 46/3 आसिफ मियां से म.नं. 75/3, 75/13, 91 से 98/7, 100 से 101/4, 103, 104, 109, 111, 113 से 135 किरण हरदेव सिंह तक				
10	म.सू. अनुसार मालीखेडी म.नं. 1 इदरीस से म.नं. 10 रुखसाना बी तक				

		11	म.सू. अनुसार मालीखेडी म.नं. 11 शरीफ खां से म.नं. 18 सलमान खान तक		
		12	म.सू. अनुसार मालीखेडी म.नं. 19 इरफान से म.नं. 37 अमरीन तक		
		13	म.सू. अनुसार मालीखेडी म.नं. 38 नईम/ लाला से म.नं. 54 रजनी बाई/ मुकेश तक		
		14	म.सू. अनुसार रोलूखेडी म.नं. 1 कमर सुल्ताना से म.नं. 4,55,71 मुनीर खां तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कान्हासैया	01	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 1 सरदारसिंह से 10,12,13,15 से 23, 25 से 27, 32, 49, 52, 209, 213, म.नं. 223 छगन तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग	4 1 4
		02	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं 18 मनोज सिंह/विजय सिंह से म.नं. 21,26,38,40,42,49,51,53,56,206,212, 2015 से म.नं. 222 लालता बाई पति श्याम सिंह के मकान तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	2 1 2 3
		03	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 1 सुनील/विजय के मकान से म.नं. 10,57,59,65,67,69,71,75,77,83,110, 496 मंजू पति उपेन्द्र सिंह के मकान तक		
		04	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 10 सुनील के मकान 19,38,78, 84,88,90 से 91,93,97,100,106,144,148,152,156,159, 224 से म.नं. 97 चिरोजी बाई/पूरन सिंह के मकान तक		
		05	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 28 ममता/रामप्रसाद से म.नं. 78,107,111,113,126, 133,151,159,164, 202,207,217,221,233, 241, 284 देव सिंह/हरिराम के मकान तक		
		06	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 39 ओमवती/भागमल से से म.नं. 126,129,131,144,212,229,236,241,242 भूरि बाई/सुरेश के मकान तक		
		07	म.सू.अनुसार कान्हासैया म.नं. 09 उर्मिला/संतोष के मकान से म.नं. 37,109,118,130,133,135,138,140,145, 148,151,153,157,163,166,166क, 202,211,214,224,228 विमल/अलेरियन के मकान तक		

08	म.सू. अनुसार शांतिनगर म.नं. 04 केशर/हल्कूराम से म.नं. 136,145,148,153,155,162,174,176, 181,183,185,188,191,195,198,204, 218,227,230,240 संगीता बाई/गणेश के मकान तक
09	म.सू. अनुसार नवीन बस्ती कान्हासैया नं. 01 मो.अंसारी के मकान से म.नं. 8,17,27,33,42,53,62,64,74,82,110,112,115,122, 148,150,152, 161,166,172,175,181, 185,191,195,197,200क,205क,216,220,222,230, 240,284,288,291,310 सावित्री/अमृतलाल के मकान तक
10	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 294 कमलेश ठाकुर/मोहन सिंह से म.नं. 297,299,311,313,316,336,344,357,368, 376,378,382,385,394,397 405,407,409,414,419,421,423,427,434, 437,441,444,446,453, 456,460,471,476 484,491,503, 505, 509 संगीता/राजू गेंदले के मकान तक
11	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 510 लाभो गेंदले/प्रिया दास से म.नं. 515,521,523,525,531,533,539,546,551, 560,566,576,582 588,591,593,596,599,606,613,617,621, 624,626,637,648,651,655, 660,664,667,674,677,691,690, 695,698, 709,713,720,728,732,738,742, 746,747,750,755,760,763,767,774,782, 784,787,791,796,803,808,809 अगयदास/महेतरू के मकान तक
12	म.सू. अनुसार कान्हासैया म.नं. 1 गुलाब सिंह/टीकाराम से म.नं. 6,8,16,24,34,39,55,64,66,88,116,118, 121,127,133,143,146,155,159,174,183,188, 191,194,197,214,245,331,333,354,362, 368,418,426/1,435, 443,502,516,518,544,590,633,657,661, 663,665,683,685,702, 707,743,750,762,768,784,802,809,811, 821,827,875,884, 888,891,895,901,906,910,919,925,950, 961,965,975,986,987, 989,993,1257, 1259,5579,सी-16, सी-64, सी-68 शिवकुमारी बंजारे/मान सिंह बंजारे के मकान तक

	13	<p>म.सू. अनुसार कान्हासेया म.नं 00 रविचन्द्र/तुलसीराम से म.नं 1,4,10,27,36,39,52,57,63,70,99,101, 108,117,124,127,129,134, 150,159,168,174,176, 180,188,193,197,202,206,210,216,221, 223,230,239,246,257,263,276 ,282,311,318,321,324,326,331,354,359, 365,370,384,406,408,419 बी, 424,435,446,449,486,496,489,500,502, 504,516,518,531,537,550,556,569 ,601,604,630,662,667,694,719,764,770, 773,786,804,832,875,900,905,915,917, 925,985,1257, सी-14, सी-16, सी-24, सी-29, सी-50, सी-64, सी-80, सी-90 श्यामवती भोई/पोनू भोई के मकान तक</p>		
	14	<p>म.सू. अनुसार ग्राम शांतिनगर म.नं. 00 शांति बाई/फूल सिंह से म.नं. 1,26,66,71,110,116,120,133,134,148,150, 160,169,187,201,210,215, 223,226,311,340,383,422,439,448,479,498, 502,553,555,604,608,630,659,689,693,718, 721,772,792,801,805,811,815,837, सी-25, सी-29, सी-35, सी-64, सी-82, सी-125 उषा टण्डन/सुदामा टण्डन के मकान तक</p>		
	15	<p>म.सू. अनुसार ग्राम शांतिनगर म.नं. 44 सुन्दरलाल भिलाला/नन्नेलाल भिलाला से म.नं. 48,52,72,74,78,87,99,107,114,124,130,133, 138,141,143,146,148 / 917,156, 169,181,185,195,200,203,210,213,216,226, 243,245,249,254,257,270,276,281, 322,329, 367,382,424,759,821, 891,913,917, सी-15, सी-16, सी-29, सी-45, सी-64, सी-125, सी-136, सी-147, सी-168, सी-285, बी-34 श्यामवती भोई/पोनू भोई के मकान तक तक</p>		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	कनेरा	01	म.सू.अनुसार कनेरा म.नं. 1 स्वरूप सिंह / गजराज सिंह से 3,5,7, से 9/1,42,43, से म.नं. 47 धर्मन्द्र / मोहन सिंह तक	अ.जा.	2
		02	म.सू.अनुसार कनेरा म.नं. 10 दरियाब सिंह / बिहारीलाल से म.नं. 18 रेशमा / शेरु सिंह तक	अ.ज.जा.	3
		03	म.सू.अनुसार कनेरा म.नं. 20 कुदन सिंह / खुशीलाल से 29 से म.नं. 36 बालकिशन तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		04	म.सू.अनुसार कनेरा म.नं. 31 लीलाकिशन / धन्नालाल से 33,41/1,44 से म.नं. 48 प्रीति मालवीय / जगदीश तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू.अनुसार करोंदखुर्द म.नं. 01 जगदीश पाल / जवाहर सिंह से 28,3,6 से म.नं. 08 धनकुंवर बाई / बुधराम तक	महिला अ.ज.जा.	2
		06	म.सू.अनुसार करोंदखुर्द म.नं. 9 चुन्नीलाल / काशीराम से 11/1 से म.नं. 19 विनीता / नाथूराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		07	म.सू.अनुसार करोंदखुर्द म.नं. 20 गोरेलाल / मन्नुलाल से 26/1,26/2,27 से म.नं. 30 रेखा बाई / सुरेश कुमार तक	महिला सामान्य	
		08	म.सू.अनुसार करोंदखुर्द म.नं. 31 सीताराम / रतिराम से 31/1,43, से म.नं. 43/1 शीतल बाई / संतोष तक		
		09	म.सू.अनुसार करोंदखुर्द म.नं. 44/1,48,50 मुंगाराम / नन्दराम से म.नं. 70 मुल्लो बाई / श्यामलाल तक		
		10	म.सू.अनुसार करोंदखुर्द म.नं. 51 जवाहर सिंह / बालमुकुन्द से 55/1 से म.नं. 61 जमना बाई / झनक सिंह तक		

		म.सू.अनुसार परसापखुप न.नं. 02 नपरलाल / चुन्नीलाल से म.नं. 69 खुशबु विश्वकर्मा / प्रताप विश्वकर्मा तक	
	12	म.सू.अनुसार करोंदखुर्द म.नं. 70 ब्रजेश सिंह / श्यामलाल से 74/1 से म.नं. 77 राजू / दौलतराम तक	
	13	म.सू.अनुसार कढैया म.नं. 1 राजल बाई / हजारीलाल से म.नं. 9 रेखा बाई / गजेन्द्र सिंह तक	
	14	म.सू.अनुसार कढैया म.नं. 8 जितेन्द्र / सरदार सिंह से 10,16,19, से म.नं. 21 सुनीता बाई / जुगन्दर सिंह तक	
	15	म.सू.अनुसार मोमनपुर एवं खिचिताल म.नं. 1 प्रेम बाई / बाबूलाल से 6/1,14 म.नं. 19 सरोज बाई / अशोक कुमार तक	

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.



दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खजूरी सड़क	01	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 00 मनीष कचहे/रंगलाल से 1,1/1 से 2, 3से5, 5/1 से 5/3, 6से8,10,104,11से12,12/1,13से14क, 14क/1, 15 से 18,18/1,19से22, 31,35,73,82,87,95,96/2,96/2/ख, 109,111/1,111/2,134/1,169,172, 180,196ख2,197,201/1,203,203/1, 203/2,207,209,210,213,214,216,217, 220,221,225,229,230,232,234/3, 234/12,234/30 थाना परिसर विवेक शर्मा/राधेश्याम शर्मा तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	5 0 5 3 0 3 5
		02	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 2 भागवती मेवाडा /लखनसिंह से 3, 5/2,6,139,14क/2,18,40,125,125/1, 126,130,143,172से173,180, 196ख/2, 198,201/2,204,209से211तक,216,219, 222,224,226,228,233रेखा बाई /बने सिंह तक		
		03	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 1/1 शिवप्रसाद/ब्रजलाल से 21,33, 36,38,40,40/1से40/2, 41,43,223,234 हनीफ खों /करीम खों तक		
		04	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 042 ललित पाटीदार/राजमल पाटीदार से 44, 44क, 45 से 47तक, 49 से 59 तक, 154क/2, 155 से 156 तक, 229, 231 दिलीप सिंह/रूप सिंह तक		

05	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 60 गुलाब सिंह/मोतीलाल से 62 तक, 62 क,62/1क, 62/ख, 62/2ख, 63से67 तक 67/1,67क,67/1क,68 से 72 सोनु बाई/मनोज तक
06	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 75 शिवरतन/हीरालाल गुप्ता से 77 से 81तक, 83/1, 83/2,83/3,84 सुमेर सेन/रमेश सेन तक
07	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 85 शेर सिंह सेन /वीर सिंह सेन से 85/1,85/1क,85ख, 85/2ख, 86 से 88तक, 89/1,89/2, 90से91 तक, 92/1,92/2, 93 से 95 तक, 98 अर्जुन/कमल सिंह तक
08	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 88 राजकुमार/मदनलाल से 96,96/1, 96/ख, 98से99 तक, 99/1,99/2, 100 से 101 तक, 101/1,101/2,102, 103,103/3,104 से 106पार्वती/रमेश तक
09	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 89/2 सीमा/पूरन लाल से 107 से 110 तक, 112/1,112/2,113 से 117 तक 215,216,234/1 चिंता बाई/दिलीप सिंह तक
10	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 118 किशनलाल/कालूराम, 120,120/1,120/2,120/3, 121/1, 121/2, 122से 125 तक, 127 से 130 तक माया बाई/रामसिंह के घर तक
11	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 131 राजमल/गुरुबगस से 134 तक, 134/1, 134/2,135से142 तक,145, 154 ललिता बाई /रामस्वरूप तक
12	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 144 अयोध्या बाई /हरिप्रसाद से 149 तक, 151,151/1,151/2,156 नारायण सिंह /नाथूराम तक
13	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 10 प्रेमनारायण/बी.एल.भावसार, 88,89, 89/1,89/2,151/2,152से 154,154क से 154क/2, 156 से 157तक, 159,160,163से 171 तक,174 से 175 तक, 181,191,193,203/1, 207 रानी बाई जसमत सिंह तक

	14	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 10 ज्योति डेनियल / डेनियल मसीह, 14, 14क,14क / 1,135,177से187 तक 189 से 190 तक, 192 से 194 तक, 197 जितेंद्र शर्मा / रामनारायण शर्मा तक		
	15	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 29 कालूराम भारती/मांगीलाल 191,194, 196,196 / 1,196ख / 1,196ख / 2, 198से200 तक, 200 / 1,200 / 2, 201 / 1, 202 / 2, 206,212,226,227 कृष्णा बाई / कैलाश तक		
	16	म.सू.अनुसार खजूरी सड़क म.नं. 04 ब्रजेश / लखनलाल, 18,22,23,24,25 / 1, 25 / 2,26से29तक, 84,89 / 2,101 / 3, 119,134,198,205,218,226,227, 227 किरण / प्रेमनारायण तक		
	17	म.सू.अनुसार खारखेड़ी म.नं. 01 मनोज / लक्ष्मणसिंह से 13 तक शोभाबाई / दिनेश तक,		
	18	म.सू.अनुसार खारखेड़ी म.नं. 14 * ताराचंद / अमान सिंह 23 तक, विशाल / दीनदयाल ठाकुर तक		
	19	म.सू.अनुसार खारखेड़ी म.नं. 24 इमरत बाई / रघुनाथसिंह से 34 तक, 36 से 41 तक ललिता बाई / कैलाश चंद्र तक		
	20	म.सू.अनुसार खेतलाखेड़ी म.नं. 1 भागवती बाई / पन्नालाल से 7 तक, 9 से 11 तक, 15,16,16 / 1,17 तक अमर / राजाराम पटेल तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खजूरी राताताल	01	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 1 हरगोविन्द सिंह से 7,10,46,47,50,55 से 56 से म.नं. 70 वर्षा पाण्डे तक	अ.जा.	4
		02	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 8 संतोष घोसी से 9,11, से 15,18,23,54 से म.नं. 65 जितेन्द्र कुमार तक	अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग	0 5
		03	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 21 सईद पटान से 23,24,25,35,42,44 से म.नं. 47 फरहीन खान तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग	2 0 3
		04	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 24 नजमा बी से 27,29,34 से 40,42 से म.नं. 44 नीलोफर खान तक	महिला सामान्य	6
		05	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 14 सीमा बाई से 27,43,45 से म.नं. 47 रीना तक		
		06	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 46 हिम्मत सिंह से म.नं. 55 सरिता शर्मा तक		
		07	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 48 मदनलाल से 56,57,58,60,61,62,64, 65,66,67, से म. नं. 69 सरिता तक		
		08	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 52 जमनाप्रसाद से 69,70,71,72,73,74,75,76 से म.नं. 82 स्वाती तक		
		09	म.सू. अनुसार खजूरी म.नं. 01 नसरीन बी से 3,4,9,13,38,44,45,58,74, 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,92,97, 98,109,113,114,116,117,118, से म.नं. 506 अस्मत कमाल खान तक		
		10	म.सू. अनुसार राताताल म.नं. 01 फूल बाई से 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,45, से म.नं. 46 ओमवती बाई तक		

11	म.सू. अनुसार राताताल म.नं. 12 बिहारीलाल से 13,14,15,16,17,18,19,20, 21,24,30,31 से म.नं. 35 सतीश तक
12	म.सू. अनुसार राताताल म.नं. 21 कल्याण सिंह से 26 से म.नं. 31 पिकी यादव तक
13	म.सू. अनुसार राताताल म.नं. 33 भैयालाल से 35,37,38,39,40,41 से म.नं. 78 बसंती बाई तक
14	म.सू. अनुसार राताताल म.नं. 42 रामगोपाल से 43,44,47,48,49,50,51,52,53,54, से म.नं. 56 रमेश कुमार तक
15	म.सू. अनुसार राताताल म.नं. 06 रामविलास से 9,14,15,25,27,31,35,36,37, 45,50,53,57,58, 59,60,61,62,63,65,66,67,68, 69,70, 71,73,75 से म.नं. 77 संगीता बाई तक
16	म.सू. अनुसार हिनोतिया जागीर म.नं. 01 आशा मैथिल से 2,3,4,5,7,8,9, से म.नं. 10 गुडडी बाई तक
17	म.सू. अनुसार हिनोतिया जागीर म.नं. 12 रामकली बाई से 14,16,17,18, 21,22,23,24,41 से म.नं. 44 प्रेमलता तक
18	म.सू. अनुसार हिनोतिया जागीर म.नं. 05 आशा बाई से 13,20,25,26,27,28,29,30, 31,32,34,35,36, 39 से म.नं. 53 ज्योति अहिरवार तक
19	म.सू. अनुसार हिनोतिया जागीर म.नं. 37 ख्यालीराम से 38,40,41,42,43, 44,47,48 से म.नं. 50 कन्हैयालाल तक
20	म.सू. अनुसार हिनोतिया जागीर म.नं. 12 हरिराम से 51,52,53,54,55,61 से म.नं. 62 संगीता व्यास तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खामखेड़ा	01	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 1 लखन सिंह से 10 म.नं. 13 पिकी बाई / राधेश्याम तक	अ.जा.	5
		02	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 14 देवी सिंह / श्री किशन से 20,22 से म.नं. 24 भुपेन्द्र दांगी / कालूराम तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	1 4
		03	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 25 प्रेमनारायण सेन से 35,37 म.नं. 132 राकेश / श्यामलाल तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	3 1
		04	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 38 भीकम सिंह / राजाराम से 40 से 47, म.नं. 207 उमेश / भीकम सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		05	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 49 मान सिंह / गोपीलाल से 52,54,57 म.नं. 60 दीपक तक	महिला सामान्य	2
		06	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 62 मांगीलाल / नन्नुलाल से 64, 66 से 71 म.नं. एच/30 प्रीति / जगदीश यादव तक		
		07	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 71 लखन सिंह / रामरतन से म.नं. 78 विनीता रजक / सुनील रजक तक		
		08	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 81 मोतीलाल / देवीलाल से 83, 86 से म. नं. 92 विजय यादव / कालूराम तक		
		09	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 59 रामफूल 90,94 से 95,97 से 99,101,103 से 104 म.नं. 107 राधेश्याम / हरलाल तक		
		10	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 39 गोपाल सिंह / मोहर सिंह 53,56,72,109,112,113,115 से 121,123,124, से म.नं. 207 मुकेश / भूरा तक		

	11	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 71 पान बाई / भारत सिंह, 124 से 126,130 से 135 से म.नं. 137 मधु / कालूराम तक		
	12	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 21 भाव सिंह / बलदेव सिंह, 138,140,142 से 145,147 से म.नं. 153 जुगती बाई / धन्नालाल तक		
	13	म.सू. अनुसार खामखेड़ा म.नं. 1 संजय प्रजापति / फूल सिंह 11,12,154 से 162, 166,170 से म.नं. 171 ज्योति बाई / धर्मन्द्र तक		
	14	म.सू. अनुसार खामखेड़ा एवं कल्याणपुरा म.नं. 35 पिंगला बाई / बाबूलाल 176 से 177,179,201 से 203, 205 से म.नं. 212 रानी बाई / श्यामलाल तक		

(नोट— मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम 2	वार्ड का क्रमांक 3	सीमा गांव के मकान नं. 4	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग 5	संख्या 6
1	खेजड़ादेव	01	म.सू. अनुसार खेजड़ादेव म.नं. 2 अजब सिंह से 13,16 से म.नं. 17 सुमन अहिरवार तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग	7 0 5
02		म.सू. अनुसार खेजड़ादेव म.नं. 18 मुनिया बाई से 24,27,32,34 से म.नं. 35 कुसूम बाई तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग	4 0 3	
03		म.सू. अनुसार खेजड़ादेव म.नं. 36 तुलाराम से 37,39,43,46 से म.नं. 51 अकल बाई तक	महिला सामान्य	3	
04		म.सू. अनुसार खेजड़ादेव म.नं. 52 गिरधारीलाल से 56,58 से म.नं. 64 सावित्री बाई तक			
05		म.सू. अनुसार खेजड़ादेव म.नं. 05 सुनील मीना से 66,66,67,74, 80,82 से म.नं. 85 गंगा बाई तक			
06		म.सू. अनुसार चांदपुर म.नं. 1 काशी बाई से 1/1,2,12,14 से म.नं. 27 मलखान साहू तक			
07		म.सू. अनुसार चांदपुर म.नं. 16 गीता बाई से म.नं. 24 अंकित कुमार मीना तक			
08		म.सू. अनुसार चांदपुर म.नं. 25 फूल सिंह से 27 से म.नं. 34 भूरिया बाई तक			
09		म.सू. अनुसार चांदपुर म.नं. 35 दुर्गा प्रसाद से 49,51,60,66, 68,70 से म. नं. 74 पिटू शर्मा तक			
10		म.सू. अनुसार बिशन खेड़ी म.नं. गुलशन मीना से म.नं. 8 विजय तक			



		11	म.सू. अनुसार बिशन खेड़ी म.नं. 9 जीवन से 12,14,22 से म.नं. 25 रांजी भारण तक		
		12	म.सू. अनुसार बिशन खेड़ी म.नं. 23 सुजानी से 27,29,32 से म.नं. 36 राजेश कुमार तक		
		13	म.सू. अनुसार बिशन खेड़ी म.नं. 36 विजय सिंह से 38,41 से म.नं. 47 रानू मैथिल तक		
		14	म.सू. अनुसार बिशन खेड़ी म.नं. 48 देवकी से 56,59 से म.नं. 60 रामू तक		
		15	म.सू. अनुसार बिशन खेड़ी म.नं. 62 इमरत से 62/1,63,68,70,79,94,92 से म.नं. 6211 सीमा मेहतर तक		
		16	म.सू. अनुसार खेजड़ादेव म.नं. 1 प्रेम बाई से 3/1,3/2,3/3, 4,5/1,5/2, 6,6/1,6/2,7,8/1,8/2,8/3, 9/1,9/3, 10, 10/1,10/2, 11/1 से म.नं. 11/2 भारती पाल तक		
		17	म.सू. अनुसार डोबरा म.नं. 12 बाबूलाल से 12/1,12/ 2,12/ 3,13/1,14/1,16, 16/1,17,19,21 से म.नं. 24 अनीता बाई तक		
		18	म.सू. अनुसार डोबरा म.नं. 24 नवीन मीना से 28,30,34,38, 40,43 से म.नं. 48 लक्ष्मी बाई तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खौरी	01	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 1 धापू बाई से म.नं. 3 से 12,14 से 15 रेखा बाई तक	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 16 मांगीलाल/भवान जी से 25,69,83,191,192 तक संगीता बाई के मकान तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 26 गोरलाल से मकान नं. 32,34 से 36, 38 से 44, 60,61,65/1 से 67,69,81,86,90,91,95,120,121,133,191,194 जेनवी बी के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
				महिला अ.जा.	2
		05	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 67 शांतिबाई से 76 तक 78,79,81 तक सोना बाई के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	0
				महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		06	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 82 अली मो. से म.नं. 85,87 से 91 त 95,98,103,118,123 इरशाद खान के मकान तक	महिला सामान्य	5
		07	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 91 से 93 तक 95,98 से 102 तक 133,194 तक अनीसा बी के घर तक		
	08	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 50/3 मुन्ने खां 83,103 से 116 तक 133,193 से 195 तक 207 तक खुर्शीदा बी तक			

09	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 103 नसीर खां से 118 से 123 तक 190 तक सलमा बी तक
10	म.सू. अनुसार खौरी म.नं. 1 अकीला बी 93,108 से 109,111,115,120,124 से 133 तक 138,152,154,156 से 157,163 से 165,170 से 174 तक 177 से 180 तक 182 से 189 तक मामा के घर तक
11	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 1 आरती के म. नं. 15 से 117 लक्ष्मण के घर तक
12	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 16 पूरन सिंह क.नं. 31 तक 33,43,44,46,50, 64,67,69 से 71 तक 74,78 से विशाल मीणा तक
13	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 01 विजय सिंह से 4 तक 7 से 10 तक 32 से 41 तक 101 से 103 तक शुभमदास वैरागी तक
14	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 08 नेहा 23,33,37,41 से 50 तक 60,69,97 से 100 तक 104 से प्रीति के घर तक
15	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 51 कमल सिंह से 60 तक गीताबाई
16	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 04 देवेन्द्र 11 से 12,15,28 से 31,33,60,61 से 70 तक 70 क ,82,83,85,92 अनीषा मेवाडा के मकान तक
17	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 71 कलिया बाई 85 तक 87 से 90 तक 92 से 93 रामक्षमा मालवीय के घर तक
18	म.सू. अनुसार धामनिया म.नं. 10 से अनार सिंह 27,93 से 98 गोविन्द सिंह के घर तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कौडिया	01	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 1 राम सिंह/पन्नालाल से म.नं. 19 मनोहर सेन/ हजारीलाल तक	अ.जा.	2
		02	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 6 गेंदी बाई/नर्मदाप्रसाद से म.नं. 19 से 29, 31 से 36, 38से39, 41से 44 मंगीता सोनी/कमल सोनी तक	अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	0 4 1 0 2 5
		03	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 45 सीता बाई/दरयाब से म.नं. 46,48 से 54 रवि गौर/मोहनलाल गौर तक		
		04	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 55 नारायण गौर/गोपीलाल से म.नं. 63,65 से 69, 109 सुनील मेवाडा/जीवन सिंह मेवाडा तक		
		05	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 70 श्रीकिशन मेवाडा/मुंशीलाल मेवाडा से म.नं. 74,76 से 84 अनिल गौर/रमेश गौर तक		
		06	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 85 दौलत सिंह/रामकिशन से म.नं. 110,102 से 103, 110 चन्द्रकला मेवाडा तक		
		07	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 104 मिश्रीलाल मेवाडा/किशनलाल मेवाडा से म.नं. 115, 118, 119 सीमा बाई/राकेश कुमार तक		

08	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 1 गीता बाई/ दोलत सिंह से म.नं. 2, 2/2/ से 2/3 संगीता बाई/जीतमल के घर तक
09	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 4 कुंवर जी/रामलाल से म.नं. 5/2 राम सिंह/भगवान सिंह तक
10	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 06 खुशीलाल/गंगाराम से म.नं. 08 चिन्ता बाई/प्रेम सिंह तक
11	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 02 मनोरमा प्रजापति/धनलाल प्रजापति से म.नं. 4 से 9 से 11, 16,18, 33 राजेश मेवाडा/जीतमल तक
12	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 12 पर्वत सिंह से म.नं. 14 राजू बाई/उधम सिंह तक
13	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 15 हनुमत/दरयाब सिंह से म.नं. 17 केसर बाई/राजमल तक
14	म.सू.अनुसार कौडिया म.नं. 17 दशरथ/राजमल से म.नं. 19 शिप्रा बाई/ज्ञान सिंह तक
15	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 19 हनुमत सिंह/शिवचरण से म.नं. 22 ममता मेवाडा/धमेन्द्र मेवाडा तक
16	म.सू.अनुसार रसुलियाघाट म.नं. 23 सुरज बाई/घीसीलाल से म.नं. 24,26 से 26/2,27क, 30क, 263 अभिलाषा शर्मा/शैलेन्द्र शर्मा तक

(नोट-- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोलूआखुर्द	01	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द पडरिया म.नं. 2 नवल सिंह से 4,6,8,11, म.नं.19 राखी ठाकुर तक	अ.जा.	2
		02	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द पडरिया म.नं. 18 अमृता सिंह से 20,23,25,27,30 से म.नं. 32 संजीव कुमार तक	अ.ज.जा.	1
		03	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द पडरिया म.नं. 33 मनोज सिंह से म.नं. 44 करण के घर तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
		04	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द पडरिया म.नं. 45 राधेलाल से 51,51/2,53,56/1 म.नं. 57 नंदनी के घर तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द पडरिया म.नं. 58 कोमल बाई से 58/1,62,64,66/1, 84,89,92,94,96,106,118,128,129,131 से 132,147,151 से म.नं. 154 प्रदीप के घर तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द झिरियाखेडा म.नं. 00 संतोष ठाकुर से 1,2,3,4,5,7,8,14,21, 22,23,24,188,189,190,193,194,195,196, से म.नं. 10 अंति बाई / हुक्मा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	2
		07	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द डोबराजागीर म. नं. 02 सुभम / रतन सिंह से 3,5,6,7, 10,11,12,13, से म.नं. 14 कैलाश / वरनलालके घर तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	4
		08	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द चोरसागोनी म.नं. 6 सीमा बाई / मलखान से 10,11, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,31, से म.नं. 66 रीना ठाकुर / बटी के घर तक	महिला सामान्य	
		09	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द चोरसागोनी म.नं. 1 रूबी खान / रईस मियां से 2,3,4, 5,6,7,8,9,10,12, से म.नं. 14 घनश्याम / कमल सिंह के घर तक		

		10	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द सोगोनीकलां म. नं. 05 नाजमी बी / नईम भियां से 7,15, 16,17,18,19,20,21,22,30, से म.नं 36 रानी / विकास के घर तक		
		11	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द सोगोनीकलां म. नं. 1 चिमन / फूलचन्द से म.नं. 05 लीलाकिशन / जसवंत सिंह के घर तक		
		12	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द सोगोनीकलां म.नं. 8 मोहन सिंह / पर्वत सिंह से 10,13, 14,15,17,20,21,22,23,24,37,42,43,52,53,55, 56,57,58,59,60, से म.नं. 61 राजू / अमर सिंह के घर तक		
		13	म.सू. अनुसार कोलूआखुर्द सोगोनीकलां म.नं. 22 सरिता / हरिसिंह से 32,53,61,78,27,254,279,286,293, 319,394, 395,396,398, 405,406,407,408, 409,410, 411,412,414,415,416,417, 418,420,423,430, 439,440,441,443,460,462,463, 464 से म. नं. 465 सरवन सिंह / हरिनारायण के घर तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कुराना	01	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 2 आजाद सिंह से 5 तक 7 से 12 मकान नं. 59 कमलाबाई के घर तक	अ.जा.	7
		02	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 13 भागीरथ से 23,210 धन्नो बाई के घर तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 24 धनलाल से 26,28,30,38,188 रवि के घर तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		04	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 39 भीकम से म.नं. 46/6,93,103,150 फूलवती के मकान तक	महिला अ.जा.	4
		05	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 5 जमना प्रसाद 46,46/2,46/5,46 क,48,60,93,140,174,187,187,196,198 राधा के घर तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 46 नथीया बाई 46/5, 48,93,179 राज बाई के घर तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		07	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 46 भागवती से 46/5, 46/7,59,61,75,93,131,188,194 कविता बाई के घर तक	महिला सामान्य	3
		08	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 46 नन्नी बाई 96,99 करण सिंह के मकान तक		
		09	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 93 हरि सिंह से 100 तक 105,107,181 सरिता/रामबाबू से म.नं. 113 हरिओम मेवाडा तक		
		10	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 4 भारत सिंह/शंकरलाल 18,28,45,46,46/8,47,93,99,114, 117,122,124, 128/2,131,187,206, 213 कृष्ण बाई/मूलचंद के घर तक		



11	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 48 शांति बाई/राम सिंह 93,128,131,136,140,159,174,181, 187,193,195, 204,205,207,212,219,231,275,278 शीला बाई/रघुवीर के मकान तक
12	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 71 सुमित्रा बाई/शंकरलाल चौहान 118,141,147/1,148,148/ग, 149, 151 से 153 तक 162,191,201,206,220,231, 273,303,305
13	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 50 धर्मेन्द्रनाथफ/रामआधार 93,132,148,149,154,156/2,157,163 तक 166,169,171,184,208,225,277,303 भगवान सिंह/रतन सिंह के मकान तक
14	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 1 पिलर निवास अंतोनियो फ्रेकलिन पिता स्प्यन्टियानो रोड्रिगिस 46,132, 163,165, तक 167 से 168 तक 170 से 173/1 तक 174,180 तक 184/2,184/2,184/3,194, 209/1,220/1, 302,305,315 मुकेश/शिवप्रसाद के घर तक
15	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 46 नवल सिंह/आशाराम 93,143/1,145/1,159,180 से 181 तक 183 से 184/2 तक 184/3,185,192,199, 203,206 से 207 209, 211,216,219,316,318 जसिता/अन्द्रेयस तिग्गा के मकान तक
16	म.सू. अनुसार कुराना म.नं. 1 रोशिली/ओसेफ से 3 तक, 21/2,93,143/1,148,149/1,156 क,159/1,161,161/2,166,171 से 172 तक, 175,181/1,183,184/3,184छ,184घ,206,219, 219/1,220/1,226 से 227 तक 280 से 281 तक 299 से 302 तक 304 से 305 तक, 310 से 314 तक 316 से 317 तक राधिया/अजहर के घर तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कुठार	01	म.सू. अनुसार म.नं. 1 कस्तूरी बाई / तुलसीराम से 2,5,11,15,19,45,59,76,87,83,134, म. नं. 151 ओमवती / रामस्वरूप तक	अ.जा.	3
				अ.ज.जा.	0
				अन्य पिछड़ा वर्ग	5
				महिला अ.जा.	2
		02	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 22 उमरी बाई / बलदेव से 24 से 29,32 से 36,38 से म.नं. 40 अनिल / रमेश तक	महिला अ.ज.जा.	0
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला सामान्य	6
		03	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 39 अमित मीना / सीताराम से 41 से 43, 45,46,48, म.नं. 50 उधम सिंह / मोतीलाल तक		
		04	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 52 बालाप्रसाद / राधेकिशन से 55,58 से म.नं. 64 कृष्णा बाई / प्रेमनारायण तक		
		05	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 67 फूलवती / कृपाल सिंह से म.नं. 75 सपना / महेश तक		
		06	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 77 भमरी बाई / देवी सिंह के घर से 81 तक 84,86,89 से म.नं. 90 शुभम / जगदीश तक		

07	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 91 कमला बाई / गीता चरण से 92,95,99,102,104,106, म.नं. 128 दीपा मारन / मुकेश तक
08	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 53 मदनलाल तिवारी / बनवारी लाल से 69,78,109,111,113,117,118,120, 122,125,म.नं. 127 नीति मीना / देवी सिंह तक
09	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 37 दशरथ सिंह / बालाप्रसाद से 44,46,87,110,128,136,138, म.नं. 139 अरुण मीना / भगवान सिंह तक
10	म.सू. अनुसार कुठार म.नं. 65 सीता बाई / लीलाकिशन से 67,80,106,113,119,124,140,143,146, 148 से म.नं. 151 मनमोहन / प्रभुलाल तक
11	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 1 गुलाब सिंह / देवीराम से 4,7,14,16,23 म. नं. 23/1 कपिल मीना / वृन्दावन मीना तक
12	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 01 राजेश मीना / बटनलाल से 24,30 तक 32,37 म.नं. 38 उधम सिंह / रघुनाथ तक
13	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 38/1 रूप सिंह / पन्नालाल से 39,41,45,52 म.नं. 55 अमरचंद / मंशाराम तक
14	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 56 जानकी बाई / दयाराम से 67 तक 69 म.नं. 129 फूलवती कुशवाहा / जीतेन्द्र कुमार कुशवाहा तक
15	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 70/5 बनवारीलाल / रामकिशन से 72,85/1 तक 91, म.नं. 124 मीना अहिरवार / बद्रीप्रसाद तक

	16	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 85 रामदयाल / हरिसिंह से 89/1 तक 91,94,105, म.नं. 107 सचिन लोधी / फतेह सिंह लोधी तक		
	17	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 106 कोमल प्रसाद / देवीराम से 108/1 तक 110,121 तक 124,127,129/1,131,132,134 म.नं. 135 प्रभु गिरि / खुमान गिरी तक		
	18	म.सू. अनुसार शाहपुर म.नं. 138 मुल्लो बाई / कमल सिंह से 140/1 तक 143,149,151,154, 161 म.नं. 161 सौदान सिंह / लक्ष्मीनारायण तक		
	19	म.सू. अनुसार देवपुर म.नं. 1 दिनेश सिंह / भगवत सिंह से 4 म.नं. 11/3 शोभापाल / सुरेन्द्र पाल तक		
	20	म.सू. अनुसार देवपुर म.नं. 01 नारायण सिंह / भूप सिंह से 4,6,7, 11/4,14,20,22, म.नं. 30 राकेश जाट / रामभरोसे तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मैंडोरी	01	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 2 उमराव सिंह / पुरन सिंह से 6,8 से 10,12,40,58,65,67, 71 से 78, 80 से 83, 85 से 88 पुनमचन्द पाल तक	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 2 कली बाई / हल्कु से म.नं. 9,11,13,16,20,31,33,47,48,50,62,73 सजावल बाई / मनोज तक	अ.ज.जा.	3
		03	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 1 दीपक मारन / धन सिंह से म.नं. 3,7,10,13,16,20,22 से 24,26 से 30,32,34,37,38,40 से 44, 48,51,61,75,79,99,103, म.नं. 105 मालती कुशवाहा / विजयराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		04	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 00 देवेन्द्र वर्मा / बनवारी लाल से म.नं. 1 से 3, 5 से 8, 10,14,16,18,24,26, 30 एवं 31, 51 से 55 एवं 69,76,79,92,107 श्रीमति जिया बाई / जगदीश तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 03 रोशनी विश्वकर्मा / देवीराम से 7,9,11,18,20/2, 21,24,41,86,99,105,119,121,123 एवं 124,128,130 एवं 131,133 से 144,146 से 150 एवं म.नं. 201 सुशीला बाई / उमेश प्रजापति तक	महिला अ.ज.जा.	2
		06	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 12 सतीष साहू / श्यामलाल से 14,19,45,48 से 50,52,61, 150 से 156, 161 एवं 162, 164,166,170,172 से 178 195, 201, 203, 205, 208 एवं 209, 212, 215, 218 एवं म.नं. 222 राजबहादुर / बिहारी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		07	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 1 रामप्यारी / आशाराम से 8,12 से 14 तक एवं 20,24,43,45, 53,70,71,106 से 116 तक एवं 119,125,126,म.नं. 128 कमलेश चौकसे / रामदयाल चौकसे तक	महिला सामान्य	4
		08	म.सू. अनुसार मैंडोरी म.नं. 01 ललिता कुशवाहा / जमनाप्रसाद से 1/6,14,27,45,51, 52,58 एवं 59 63,66,72,74-75,78,90,92 से 94,98,100 से 106 म.नं. डी-1 उमेश कुशवाहा / भोला पटेल तक		

09	म.सू. अनुसार मैडोरी म.नं. 1 रूप सिंह / कालूराम से 3 से 6,9,12 एवं 13,23,56,86,90 एवं 91, म.नं. 103 मुंशीलाल नाथ / सेवानाथ तक		
10	म.सू. अनुसार मैडोरी म.नं. 00 अभिमान सिंह / मोधान सिंह से 1 से 1/2 एवं 4,20 से 23/113,43,63,87,101,105,206,302 से 305 एवं 309 ए105,ए111,ए115 से ए117 एवं ए211 एवं ए214, ए313, ए520, बी-3,बी-202,बी-216,बी-224,बी-312,बी-316, बी-1, डी-1,डी-6,डी-40, एफ-1 एवं एफ-2, एफ-50, जी-1 से जी-4 एवं जी-50, जी-90, जी-106, जी-150, आई/9, एक्स-2,ए/1/2141, एल.आई.जी.32, ए-वन 2141, डी-4,ए/1,डी-2 फेस-2,वातसल्य से वातसल्य भवन श्री आलोक कुमार अरोरा / श्री अजय अरोरा		
11	म.सू. अनुसार मैडोरी म.नं. 1 श्री नारायण सुर्यवंशी / गंगाराम 1/2, 1/7, 3,7,8,10,19, एवं 20 22,24 एवं 25, 51,62, एवं 63 78,87,89 से 91 एवं 93 एवं 94 96 से 99 101 व 102 105,107, 228 एवं 229, 558 पुष्पा / बालकिशन तक		
12	म.सू. अनुसार मैडोरी म.नं. 1 राहुल पाल / भोजराज से 3, से 4/4 एवं 11,25 एवं 26,28 एवं 29, 31 एवं 32, 34 एवं 35, 37 से 44, 46 एवं 47, 51 एवं 52, 55,59, 61 से 64 66 एवं 67 74,78,81,84,86,89,94 से 96, 98 व 99, 104,176,225,230 एवं 231,244,257,270,276,278,301,304 से 306 एवं 310,347, 401/94 एस, 544, बी-1,बी-3,बी-4, सी-2, सी-4, सी-20, डी-2, डी-4, डी-8,डी-7, डी-10, म.नं. प्रकाश / बब्लु तक		
13	म.सू. अनुसार मैडोरा म.नं. 00 संतोष / शिवालय कोल से म.नं. 1 से 3 तक 7,74,76,111 एवं 112 झू-1 धनराज कोल / तीर्थ कोल तक		
14	म.सू. अनुसार मैडोरा म.नं. 5 कुकीला बाई / तुलाराम से 7 एवं 9 से 11 एवं 13 एवं 14, 16 एवं 17 म.नं. 129 संध्या तोमर / धर्मन्द्र तोमर तक		
15	म.सू. अनुसार मैडोरा म.नं. 00 भागमल तोमर / शिवराम से 3 एवं 15 से 18, 20,22,24,62,66,71,87 एवं 87/1,93,97,105,558 म.नं. झू. श्री राजेश कुमार / कोमल सिंह तक		
16	म.सू. अनुसार मैडोरा म.नं. 15 कल्पेश देवदा / पार सिंह देवदा से 20,22 से 24,28 एवं 29,31,34 एवं 35,38,41 एवं 42, 47,51 एवं 52, 54 एवं 55, 57 से 60 एवं म.नं. 62 श्री रामकिशोर कोलम / श्यामलाल तक		
17	म.सू. अनुसार मैडोरा म.नं. 2 शम्भू / मदनलाल से 44,62 से 64 एवं 66, 69 से 71 एवं 73 एवं 74, 76, 85,108,110,119,129,133,137,140 एवं 141, 144 से 144/2 146/2,148,151,154,156,162/1 श्री नाथुप्रसाद तिवारी / बिहारी लाल		
18	म.सू. अनुसार मैडोरा म.नं. 00 रामकुमारी/कर्मोद सिंह से 9 एवं 10,12,17/1,24,61,76,80,82,87,101,105,111,156,189,558, म.नं. झू एवं महुआ केरवा रोड श्रीमति बसंती / दयाराम मर्सकोले तक		
19	म.सू. अनुसार मैडोरी म.नं. 00 श्री दशरथ सिंह राजपुत / बंटे सिंह राजपुत से 1 से 5, 8,10 एवं 11, 13,15-1, 15-सी से 20,30,36 से 38, 40,47,52,54 एवं 55,61/3 एवं 62,64,66,68,71,88,262, 516,518 से 520,522,525,529 एवं 530,म.नं. 532 राधा पाण्डे / भूपाल पाण्डे तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 08/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1				5	6
1	मुंगालियाहाट	01	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 0 लीलावती से 4, 6से11,13से19/1,33, 126,128/2,129,243,256,1059 कमलेश तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	4 0 5 2
		02	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 जया पाटीदार, 16से18/1,21से23, 216,237,239,राज बाई तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	0 3 5
		03	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 बबली राठौर,27से29,31, 33से36, 38से 40, 50से51,68,99,132,140,149,151, 189,197,200,278,330,343 धमेन्द्र तक		
		04	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 उमा, 47से 52,58से60, 88से89, 185, 329 राजकुंवर तक		
		05	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 शारदा पाटीदार, 62,63,65से69, 92, 103 लता बाई तक		
		06	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 1/9 जीतेन्द्र पाटीदार, 77,85,87,88, 90,92,97,99,129 सोना बाई तक		
		07	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 संगीता, 5,100से105,111,119,319से 320/1धमेन्द्र तक		
		08	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 112 मोर बाई से 113,116, 118 से 122, 124 से 129 दुर्गाप्रसाद तक		
		09	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 कमल,62,131से132,134,136,138 से 141,143,144,146 से 148, 159,203 से 206, 248,250,275,475 ममता तक		
		10	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 152,156,158,161,162,165 से 166, 169,174,175,176, 438 आजुध्या तक		

11	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 2/1 देवी बाई,62,77,177 से 179, 182,184 से 185, 187,189से191,1059 प्रिंस बाबू तक
12	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 मलखान सिंह, 48,192 से 194, 197, से 198, 200,201,204 से 206 जमनी बाई तक
13	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 प्रेम बाई, 91,207 से 208, 215 से 217, 219 से 223, 227 से 228, 265, 306 पिकी तक
14	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 91 प्राण राय,106,203,223 से 225, 227 से 231, 233 से 235, 237,447 सरोज सिंह तक
15	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 जगदीश से 2/1, 238से243, 246, 248से 252/2 उषा बाई तक
16	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 2/3 प्रेमनारायण, 31,104,148,207, 227,255से 258, 261, 263 से 266, 269, 273,370,871,999,1059 शुभम तक
17	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 बल्देव,64,105,216,274 से 277,279 से 281,283,285 से 286,288 से 292, 1067 कमला बाई तक
18	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 कौशल्या बाई,293,295/1,298 से 299, 302,304,306,307,320,320/2 दीपिका तक
19	म.सू.अनुसार मुंगालियाहाट म.नं. 00 रामगोपाल से 2/3,16/4,23,48,93, 103,104,139,167,180,189,197,264,285, 307 से 311, 313,315/1,317से 323, 326, 328,331,372,516,1056,1060 विरधराम तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.



दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मुगालियाछाप	01	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 1 लक्ष्मीनारायण से म.नं. 18 राकेश सोनी तक	अ.जा.	5
		02	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 19 गोवर्धन लाल से म.नं. 29 रचना बाई प्रजापति तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 31 शैतान बाई से 33,35 से म.नं. 43 तेजपाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
		04	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 44 रामकुंवर बाई से म.नं. 55 चन्द्रशेखर तक	महिला अ.जा.	3
		05	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 56 अनौखीलाल से 64,66 से म.नं. 68 पूजा पाटीदार तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 67 सुरेश से 67,69 से म.नं. 81 यशोदा तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
		07	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 82 ओमवती बाई से 84,86, से 91,95 से म.नं. 101 रितिका तक	महिला सामान्य	5
		08	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 102 तेज सिंह से 105,107 से म.नं. 117 सबीना बी तक		
		09	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 118 बदीप्रसाद से 124,127 से म.नं. 133 पवन मीणा तक		

10	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 133 राजकुमार से म.नं. 145 /1 धनकुंवर तक
11	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 146 मोसमीअली से म.नं. 158 गुलवेश तक
12	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 159 पन्नालाल से म.नं. 174 /3 गणेशराम तक
13	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 175 हरिप्रसाद से म.नं. 192/1 मनीषा तक
14	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 193 शेखलाल से म.नं. 202 शुभम कुमार तक
15	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 203 सोना बाई से म.नं. 212ख भुरी बाई तक
16	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 213 सम्पत बाई से म.नं. 227 राजेश दोहरे तक
17	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 228 आनन्दी बाई से म.नं. 241 ठाकुर प्रसाद तक
18	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 242 मुन्नी बाई से 244क,252, 260 से म.नं. 273 युनुस अली तक
19	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 261 इदिया बी से 266/1,268, म. नं. 274/1 लाड सिंह तक
20	म.सू. अनुसार मुगालियाछाप म.नं. 274/2 अनार सिंह सूर्यवंशी से 277,280,281,283,284,285, 288,290, 291,293,294,के 203 के म.नं. 244 गेंदी बाई तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मूडला	01	म.सू.अनुसार मूडला म.नं. 1 कालूराम/रामलाल से म.नं. 7 संगीता/रामबाबू तक	अ.जा.	0
		02	म.सू.अनुसार मूडला म.नं. 7/1 नारायण/कनीराम से म.नं. 14 अभिलाश वर्मा /पवन वर्मा तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू.अनुसार मूडला म.नं. 15 मानू बाई/उमर सिंह से म.नं. 22 किरण वर्मा/रोहित वर्मा तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
		04	म.सू.अनुसार मूडला म.नं. 23 सुन्दर बाई/परवत सिंह से म.नं. 31 नेहा वर्मा/ जीतेन्द्र वर्मा तक	महिला अ.जा.	0
		05	म.सू.अनुसार मूडला म.नं. 32 शिवप्रसाद/खुशीलाल से म.नं. 40 जीतेन्द्र जाटव/नारायण तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू.अनुसार मूडला म.नं. 41 रामदयाल/लक्ष्मण से म.नं. 48 विनोद वर्मा/राजमल वर्मा तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
		07	म.सू.अनुसार मूडला म.नं. 49 राम सिंह से म.नं. 59 श्रीमती थावरी बाई/धन सिंह तक	महिला सामान्य	4
		08	म.सू.अनुसार देहरियाकलां म.नं. 1 शांति बाई/दीलिप सिंह से म.नं. 10 महेन्द्र/जसरथ तक		
		09	म.सू.अनुसार देहरियाकलां म.नं. 11 ओमप्रकाश/रामगोपाल से म.नं. 26 श्यामा बाई/कालूप्रसाद तक		
		10	म.सू.अनुसार देहरियाकलां म.नं. 28 नर्मदाप्रसाद/रंजीत सिंह से म.नं. 41 सुखिया बाई/राम सिंह तक		
		11	म.सू.अनुसार देहरियाकलां म.नं. 41 मोहन सिंह/राम सिंह से म.नं. 56 सुधा/महेन्द्र कुमार तक		
		12	म.सू.अनुसार कल्याणपुरा म.नं. 1 इमरत बाई/लाड सिंह से म.नं. 12 कपिल/मनोहर राजपूत तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मुगालियाकोट	01	म.सू.अनुसार मुगालियाकोट म.नं. 1 बसीधर/शोभाराम से म.नं. 16,19, 145 सरोज के घर तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	4 1 4
		02	म.सू.अनुसार मुगालियाकोट म.नं. 1 सोन सिंह/नेतराम से म.नं. 20 से 33, 115 शीला बाई/उमराव सिंह मीना तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	2 1 2 3
		03	म.सू.अनुसार मुगालियाकोट म.नं. 34 छोटेलाल साहू/सरदार सिंह से म.नं. 43 रजनी बाई/सुरेश तक		
		04	म.सू.अनुसार मुगालियाकोट म.नं. 45 पूरनलाल/ग्यारसीराम से म.नं. 49,51, 54, 56, 60 से 66, 131 धनराज/उधम सिंह तक		
		05	म.सू.अनुसार मुगालियाकोट म.नं. 67 हरिशाम/कुंजीलाल से म.नं. 77ग, 79 ममता बाई/रमेश तक		
		06	म.सू.अनुसार मुगालियाकोट म.नं. 80,81,83 से प्रेमनारायण सिंह/लालाराम से म.नं. 90ख रेखा बाई/अंतर सिंह तक		
		07	म.सू.अनुसार मुगालियाकोट म.नं. 01 हमीदा बी/सलीम मियां से म.नं. 90ग से 112,116, 118,146, 147 बहादुर सिंह/धन्नालाल तक		

		08	म.सू.अनुसार फतेहपुर म.नं. 0 आहद उल्ला/हमीद खां 1,3,4,6 से से म.नं. 12 मनोहर/मोतीलाल तक		
		09	म.सू.अनुसार फतेहपुर म.नं. 13 दोली बाई/श्रीराम 17,19 से म.नं. 23 जरीना/इस्राईल तक		
		10	म.सू.अनुसार फतेहपुर म.नं. 24 सायरा बी/निजामुददीन से म.नं. 26,27, 29 से 32,35 से 37 इमरान खान/अजीज खान तक		
		11	म.सू.अनुसार गनियारी म.नं. 1 कृष्णा बाई/भंवरलाल से म.नं. 7, 9क, 12क, 20 हरिप्रसाद/दयाराम तक		
		12	म.सू.अनुसार गनियारी म.नं. 1 अनिल/मदन सिंह से म.नं. 2,11से16, 18से27, 69 पूजा/कमल सिंह तक		
		13	म.सू.अनुसार चाचेड म.नं. 01 लक्षिया बाई/हजारीलाल से म.नं. 6,8, गोमती बाई/खिलान तक		
		14	म.सू.अनुसार चाचेड म.नं. 09 मेवाबाई/ मूलचन्द से म.नं. 13,15, 18, 24 से 25 केसना बाई/नन्नुलाल तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नांदनी	01	म.सू.अनुसार नांदनी म.नं. 1 घीसीलाल/उमराव से म.नं. 12 से एस-2 रानी बाई/प्रदीप तक	अ.जा.	1
		02	म.सू.अनुसार नांदनी म.नं. 13 कमला बाई/हेमराज से म.नं. 23/1 कमला बाई/हेमराज तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू.अनुसार नांदनी म.नं. 23/2 सलाम खां/रहीम से म.नं. 24/3, 26 से 29 दिलासा/ महेन्द्र तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		04	म.सू.अनुसार नांदनी म.नं. 31 मांगीलाल/राधेकिशन से म.नं. 36 से म.नं. 39 से 40/3 शुभम/महेश तक	महिला अ.जा.	1
		05	म.सू.अनुसार नांदनी म.नं. 41 गुलाब सिंह/खुशीलाल से म.नं. 43से46से48 बहादुर/पार्वती बाई तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू.अनुसार खारपी म.नं. 1 जगराम से म.नं. 11 विकमराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		07	म.सू.अनुसार खारपी म.नं. 12/1- प्रेम बाई/प्रेमनारायण से म.नं. 22/1 गेंदी बाई/बेनीप्रसाद तक	महिला सामान्य	6
		08	म.सू.अनुसार खारपी म.नं. 23/1 कुंवरजी/कालूराम से म.नं. 34/2 संतोष/घनश्याम तक		
		09	म.सू.अनुसार खारपी म.नं. 35 तुलसीराम/धन्नालाल से म.नं. 45,49,53 रानी बाई तक		
		10	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 01 लक्ष्मीनारायण/रामचरन से म.नं. 8/2 कृष्णा बाई/विष्णु तक		

11	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 9 कमला बाई/करण सिंह से म.नं. 16 मंजू बाई/राम सिंह तक
12	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 17 नारायण सिंह/नाथूराम से म.नं. 25,27,28 शारदा बाई तक
13	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 29 प्रेम बाई से म.नं. 38/2 योगेश/गणेशराम तक
14	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 39 देवीप्रसाद/रामलाल से म.नं. 46 आरविंद/मिश्रीकिशन तक
15	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 47 रामप्यारी/हेमराज से म.नं. 48, 56/2 रिना/संजय स्वामी तक
16	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 56/1 शिवप्रसाद/अरविंद से म.नं. 58,60 से 62 बीना/कृपाराम तक
17	म.सू.अनुसार नरेला म.नं. 59 जमनाप्रसाद/मुंशीलाल से म.नं. 63से68, 70से79 से अंदर मोहन के घर तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	निपानियासूखा	01	म.सू. अनुसार निपानियासूखा म.नं. 1 रामलाल / खुशीलाल से 3,5, से 9,11 से 13,16 से म.नं. 21 रानी यादव / लालचन्द के घर तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	10 1 0 5
		02	म.सू. अनुसार निपानियासूखा म.नं. 22 केवल / गोमचाप्रसाद से 24,26,28,34,36 से म.नं. 40 राम निवास / चम्पालाल तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	1 0 4
		03	म.सू. अनुसार निपानियासूखा म.नं. 03 राधा बाई / ग्यारसीलाल के घर से 43 से 56, 59 से म.नं. 60 लता / नवल किशोर तक		
		04	म.सू. अनुसार निपानियासूखा म.नं. 57 बालाप्रसाद / गुमान सिंह के घर से म.नं. 67 तुलसीराम / परमलाल के घर तक		
		05	म.सू. अनुसार निपानियासूखा म.नं. 68 छुटया बाई / धनलाल से 73,75 से 84 एवं म.नं. 100 मनोज कुमार रजक के घर तक		
		06	म.सू. अनुसार निपानियासूखा म.नं. 00 देवचंद शाक्या के घर से एवं 14,84 से 87,89,91 से म.नं. 95 दिनेश / लालकिशन तक		
		07	म.सू. अनुसार करदई म.नं. 1 देवकरन के घर से 3,5 से 11,13 से 16, 18 से म.नं. 21 गोविंद मीनातक		
		08	म.सू. अनुसार करदई म.नं. 20 भूरिया बाई के घर से 21,23 से म. नं. 33 भागवती घर तक म.सू.		
		09	म.सू. अनुसार करदई म.नं. 34 छोटेराम / श्री राम के घर से 37,39 से 40,42 से 44,47 से 52 म. नं. 55 मुन्नालाल / राजाराम के घर तक		



10	म.सू. अनुसार गुराड़िया म.नं. 222 ओमप्रकाश के मकान से 223 एवं 225 से 227, 230 से 232, 234 से 238 एवं म.नं. 240 बसंती बाई / सादीलाल के मकान तक
11	म.सू. अनुसार गुराड़िया म.नं. 241 चिरोजी बाई के मकान से 243,245 से 249, 251 से म.नं. 254 वैजती बाई के घर तक
12	म.सू. अनुसार गुराड़िया म.नं. 2 ठाकुर प्रसाद के घर से एवं 256 से 258,260,262 से 264,266 से 270 से म.नं. 272 बबीता / मनोज कुमार के घर तक
13	म.सू. अनुसार गुराड़िया म.नं. 273 गरीब दास के मकान से 275,276,279,281 से म.नं. 290 ज्ञान सिंह के मकान तक
14	म.सू. अनुसार गुराड़िया म.नं. 291 मदनलाल के मकान से 293 से 299 एवं 301 म.नं. 304 ओमवती / राजेश के घर तक
15	म.सू. अनुसार मनीखेड़ीकोट म.नं. 1 नारायण सिंह / बाबुलाल के मकान 08 तक एवं 10 से म.नं. 11 कृष्णा बाई के मकान तक
16	म.सू. अनुसार मनीखेड़ीकोट म.नं. 12 तारा बाई के मकान से म.नं. 21 आरती साहू के मकान तक
17	म.सू. अनुसार मनीखेड़ीकोट म.नं. 13 सुनैना मीणा के घर से 21 से 29/2, 31 से 35 से म.नं. 37 कैशव के घर तक
18	म.सू. अनुसार रोजीबेग म.नं. 01 ओमप्रकाश के घर एवं 15 एवं 101 से 104 एवं 106, 111 से 112, 116 से 118 एवं 126 से म.नं. 128 उर्मिला बाई के घर तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	निपानियाजाट	01	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 1 नब्बूलाल/मूंगाराम से म.नं. 04,06 से 08,10,11,13,14 शारदा बाई/मोहब्बत सिंह तक	अ.जा.	4
		02	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 15 लाल सिंह/मिश्री बाई से म.नं. 22 आरती बेग/हरप्रसाद तक	अ.ज.जा.	0
		03	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 23 रामभरोसे/रतिशम से म.नं. 25से 34,36,37 रश्मि/संतोषजाट तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
		04	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं.38 चैन सिंह/उमराव सिंह से म.नं. 40 से 46 साजिद खां/सईद खां तक	महिला अ.जा.	2
		05	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 47 सलीम खां/अमर अली से म.नं. 52 प्रेमलता जैन/जगदीश जैन तक	महिला अ.ज.जा.	0
		06	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 53 श्यामलाल/चुन्नीलाल से म.नं. 55,58 से 63 शुभमजाट/खेलन सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
		07	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 64 मोहब्बत सिंह/माधौ सिंह से म.नं. 69 पूजा बाई/इंदर सिंह मेहर तक	महिला सामान्य	3
		08	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 70 राधेश्याम/लाल सिंह से म.नं. 72 से 78 सतीष जाट/यशवंत तक		
		09	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 79 लक्ष्मीनारायण/सरदार सिंह से म.नं.87 निधि कुशवाहा/हिरदेश तक		
		10	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 88 जानकी प्रसाद/भाव सिंह से म.नं. 92,94 से 99,101 सोनू जाट/अमोल सिंह तक		

		11	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 102 ईमरत बाई/रामचरण से म.नं. 113 भगवान सिंह/उमराव सिंह तक		
		12	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 114 खेमचंद से म.नं. 122 रेखा बाई तक		
		13	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 123 तुलसीराम से म.नं. 132 रोहित जाट/पर्वत सिंह तक		
		14	म.सू.अनुसार निपानियाजाट म.नं. 7 रघुवीर अहिरवार/उधम सिंह से म.नं. 145,21,23,42,43,58,67,73, 75,80,88, 93,95,117,125,131, 133 से 158 देवकी नंदन/बाबूलाल तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु क्र	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पडरियाजाट	01	म.सू. अनुसार पडरियाजाट म.नं. 1 मोहन / मुन्नालाल से 8,10,12,14 म.नं. 15 रजत जाट / नारायण सिंह तक	अ.जा.	3
		02	म.सू.अनुसार पडरियाजाट म.नं. नूरा खां / सामीर खां 16,18 से म.नं. 26 कल्पना यादव / विशाल तक	अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	1 3 2
		03	म.सू.अनुसार पडरियाजाट म.नं. 27 फुलवती बाई / पूरन से म.नं. 35 कुंती बाई / महेश मेहर तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग	1 2
		04	म.सू.अनुसार पडरियाजाट म.नं. 36 लालाराम / छोटेराम से 38 तक, 40 से म.नं. 45 सुषमा / महेश गुर्जर तक	महिला सामान्य	2
		05	म.सू.अनुसार पडरियाजाट एवं नरेलावाज्यापत म.नं. 1 शंकरलाल / रतनलाल से 46,48 से 51,53,62 से म.नं. 63 लतीफ / युसुफ खां तक		
		06	म.सू.अनुसार बावडियाखुर्द म.नं. 01 नन्नुलाल / टीकाराम से म.नं. 10 पवन / मिश्रीलाल तक		
		07	म.सू.अनुसार बावडियाखुर्द म.नं. 11 घासीराम / अमर सिंह से 11, से 13,15 से म.नं. 20 बसंती बाई / बालमन्द तक		
		08	म.सू.अनुसार बावडियाखुर्द म.नं. 21 अमान सिंह / कालूराम से 21,23 से 28,30 से 31, 33 से म.नं. 35 मनोहर सिंह / भागमल तक		
		09	म.सू.अनुसार बावडियाखुर्द म.नं. 36 रामसिंह / अर्जुन सिंह से 42, 44 से 46, 48 से म.नं. 51 राहुल गुर्जर / चरण सिंह तक		
		10	म.सू.अनुसार बावडियाखुर्द म.नं. 52 परमसुख / फूल सिंह से 60,62 से म.नं. 63 काशी बाई / गणेशराम तक		
				11	म.सू.अनुसार झागरियाखुर्द म.नं. 01 ममता बाई / रामचन्द्र से 11,13 से 14,17 से 22,24 से 33,35 से 38,40 से 45,48 से 55,57,71 से 74,76 से 82, 85,87 से 88,91,99 से 101,106 से 108,110,113,115 से 117,123,127,136,157 से 159,161, 181से 188, 190 से 193, 195 से 207, 209 से 210 झुग्गी 1 से रेशम बाई / हल्के झु. 3

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1				5	6
1	परवलिया सड़क	01	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 3 घासीराम से 6 से 15, 18 से 22/1, 51,63/1,89,115,130,149,209, 281,292,315,322,331,352,359,376 से म. नं. 9999 उर्मिला सिंह / विनोद सिंह तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	4 1 5 2 1 3
		02	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 23 सुशीला / रामचरण से 25 से 29, 31 से 33,3539 से 42 335 से म.नं. 357 पिकी / दीनदयाल तक	महिला सामान्य	5
		03	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 11 सुल्तान सिंह / नारायण सिंह से 39,43 से 47,49 से 50,52,56,60 से 65,72,152 से म.नं. 213 नज़र अहमद शेख रफीक तक		
		04	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 66 सालिगराम / श्री कृष्ण से 76,77,79,82,83 से म.नं. 179 ममता बाई / विजय तक		
		05	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 84 मथुरी बाई / गनपत से 88,90,93, 101 से म.नं. 102 हरिप्रसाद / खुशीलाल तक		
		06	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 94 झनक सिंह से 96,108,173,293,296,317,349 से म.नं. 351 शबाना बी / कल्लू खां तक		

07	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 110 रामकली / नन्नुलाल से 112 से 117, 119 से 124, 298,316,327 से म.नं. 328 साजिद अली / साविर अली तक
08	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 01 दीपेन्द्र / सुरेश पाटीदार से 120,127,129,131 से 136,136 से 137 से म.नं. 308 सुनीता / घनश्याम तक
09	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 94 मोतीलाल / देवकरण से 123,142,144 से 148,150 से 151,153,154, 241, 244,277,303,309 से 310,354 से म.नं. 378 सुलोचना / बद्रीप्रसाद तक
10	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 15 महेश / रामकरण से 73,155 से 156,159 से 169, 171 से म.नं. 326 मीरा बाई / संतोष तक
11	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 01 सलमान / सरीफ से 46,61,100,140 से 143, 148,168,170,172,175 से 179, 184 से 187, 189 से 191, 210,212,228, 248,274,284,294,300 से 301,323,332, 334, से 336, 338,341 से 342, 344 से 346, 377 से म.नं. 379/1 अख्तर / आमीन खां तक
12	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 1,30,63/2,149,161,167,180,192,195 से 196क, 199,201 से 202, 205 से 208, 267,289,299,304,306,313 से 314,333 से म.नं. 379 सबीरा / अलादीन तक
13	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 24 सूरजमल / रूपराम से 26,43,44,47 से 70,99,101,109,114,116,133/2,166, 180,183,185,196,210 से 216,280,282, 297, 305,311 से 312,316,319,332 से 333,336,340 से 341,350 से म.नं. 358 जानकी बाई / शिवसहाय तक
14	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 33 उमरी बाई / दयाराम से 38,128,218 से 221/1,224 से 229,347 से म.नं. 374 भूरी बाई / चिरंजीलाल तक

15	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 230 काशीराम से म.नं. 356 संगीता तक
16	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 247 रमेश / नन्दूराम से 248,250,253, 255 से 257 / 225,261 से 263,265, 285 / 255,302,337,362 से म.नं. 371 राजकली / रामकिशोर तक
17	म.सू.अनुसार परवलिया सड़क म.नं. 0 अनीता बाथम / बल्लु बाथम से 7,11,36,42,47,51,63 / 2,91 / 3,109 / 2, 117,199 से 200,267,272 से 273,277,279,284 से 285, 288 से 289, 291,303,324,325,329 से 330, 337 से 340, 342,353,355,360 से 361, 373 से म.नं. 375 प्रिति / प्रशांत कुमार तक
18	म.सू.अनुसार रातीबड़ सड़क म.नं. 0 देवी सिंह / भागीरथ से म.नं. 12 सोनम / शोभाराम तक
19	म.सू.अनुसार रातीबड़ सड़क म.नं. 13 गोपीलाल / सरदार सिंह से म.नं. 27 राहुल / शिवप्रसाद तक
20	म.सू.अनुसार रातीबड़ सड़क म.नं. 27 लक्ष्मीनारायण / रामचरण से 38,40 से 44 से म.नं. 286 अर्जुन / इमरत तक

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फन्दा कलां	01	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 1 तारु / नन्नुलाल से 6,10,19,21,81,157,178,328,346, म.नं. 434 रतनलाल / इभरतलाल तक	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 17 राहुल / गंगाराम से 22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,40,44,86,135,157,161,163,166, 272,273,276,279 से म.नं. 429 अजब सिंह / राम सिंह तक	अ.ज.जा.	1
				अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		03	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 12 भारत सिंह / भगवान सिंह से 38,40,41,42,43,52,55,125, से म.नं. 337 सरिता / लक्ष्मण तक	महिला अ.जा.	2
				महिला अ.ज.जा.	1
		04	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 56 शांता बाई / मुन्नालाल से 57,58,59,60,61,62,63,66,68,70,86, 133,155 से म.नं. 276 रमेश / माधो सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला सामान्य	6
05	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 69 हरिनारायण / कुंवर जी से 74,79,84,94,266 से म.नं. 1368 राजेश राजपूत / मंगल सिंह तक				
06	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 66 पिकी मेवाडा / हेमराज से 68,71,74,88,93,98,121,275, म.नं. 448 देवकुंवर / राजेश तक				
07	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 101 सुंदरलाल / खेमचन्द से 106,117,119,124,337 से म.नं. 339 किरण / अशोक कुमार तक				



08	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 53 भगवती बाई / रतन सिंह से 78,123,127,130,132,135,138,196, 446 से म.नं. 452 मीना देवी / हरिओम तक
09	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 81 सुरेश / वीरभान से 146,154,157 से म.नं. 277 सीमा / महेश तक
10	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 1 रामचरण / कालूराम से 3,6,10, 13,23,93,137,157,166,253,337 से म. नं. 435 लल्ली मेवाडा / रामभरोसे तक
11	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 2 रमेश महेशवरी / मूलचन्द से 142,17,22,27,30,36,133,142,146,160, 166,264 से म.नं. 269 श्याम बाई / देव सिंह तक
12	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 0 रामकुंवर बाई / रामलाल से 39,41,47,52,55,64,139,160,191,438, से म.नं. 440 शांतिदास / शरण दास तक
13	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 57 हेमराज / गनपत से 59,61,,63,65,68,71,78,82,85 से म.नं. 266 आशा जायसवाल / अशोक जायसवाल तक
14	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 00 रेशमा देवी / शिवराज सिंह से 53,54,87,91,93,95,97,101,105,107, 113,161,263,268,275,278,338,340, 343,345,347, से म.नं. 436 राजू / जसमत सिंह तक
15	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 53 रमेश कुमार / रामरतन से 118,119, 123,125,128,132, 135,141,144,148,158,165,172, 232,246,257,270,428 से म.नं. 429 अन्जु उमठ / गिरधारी उमठ तक

		16	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 0 गोपाल सिंह / अर्जुन सिंह से 29,150,155,157,172 से म.नं. 349 रामकुंवर / हेमराज तक		
		17	म.सू. अनुसार फन्दा कलां म.नं. 0 हरिओम / दुर्गाप्रसाद से 3,53,85, 161,162क,166,196,198 से 200,221, 222,224 से 227,243,249 से 266,271,275,279,342,344,348,350 से 353,355 से 361,430,432, 433,437,439,441 से 447,453, से म.नं. 653 मदनलाल / शौभाराम तक		
		18	म.सू. अनुसार फन्दा खुर्द म.नं. 01 जमना बाई / बाबूलाल से 1,2,2, से 5 से 5 से 8,16,20,24, से म.नं. 270 वंदना रैयकवार / प्रेमनारायण तक		
		19	म.सू. अनुसार फन्दा खुर्द म.नं. 13 देवनारायण / दुलीचन्द से 15 से म.नं. 35 मालती / बल्लु तक		
		20	म.सू. अनुसार फन्दा खुर्द म.नं. 37 अनारी बाई / गुरुबगस से 38,40 से म.नं. 56 शीला बाई / चांद सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पिपलियाजाहिरपीर	01	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 01 किशनलाल के म.नं. 10 तक एवं म.न. 13 क, 14, एवं 16 विश्व के मकान तक	अ.जा.	7
		02	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 15 म.न. 25 का जयपाल के मकान तक	अ.ज.जा.	1
		03	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 26 मनोहर लाल के मकान से म. न. 28 एवं 30 तक एवं 32 से 34 तक एवं 42 पिकी प्रजापति के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		04	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 35 मुलचन्द के मकान से 38 तक म.न. 40,42 से 44 तक एवं 48 से 50 तक रंजनी राजपूत के मकान तक	महिला अ.जा.	4
		05	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 51 मुन्नी बाई के मकान से 62 एवं 65 राहुल के मकान तक	महिला अ.ज.जा.	1
		06	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 67 उषा के मकान से 67 एवं 69,77,81 संजय के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		07	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 83 नारायण बाई 87 तक एवं 89,91,96 शुभम साहू के मकान तक	महिला सामान्य	4

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

08	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 98 बेगम बी के मकान से 100 एवं 102, 103,104,105,106, 107,108,109 मेवाबाई के मकान तक
09	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 110 लक्ष्मी बाई के मकान से 119 पूजा अहिरवार के मकान तक
10	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 120 मन्तई के मकान से एवं 123 तक एवं 125,129 ग राजकुमारी के मकान तक
11	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 129 ग रामकली बाई से म.नं. 132 तक एवं 141 नन्हें सिंह तक
12	म.सू. अनुसार पिपलियाजाहिरपीर म. नं. 138ग तक एवं 144,147,154,166, 170,171 एवं 175 जमना के घर तक
13	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 01 श्यामा बाई के मकान से म.न. 7 एवं म.न. 10 गौतम के घर तक
14	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 11 रानी बाई से म.न. 21 एवं म.न. 24 रानी के मकान तक
15	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 25 राम सिंह के मकान से म.नं. 29 एवं म.न. 36 टीकाराम के मकान तक
16	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 36 पांचो बाई के मकान से एवं म.नं. 38 एवं म.न. 44 गोविन्द के मकान तक
17	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 48 उमेद सिंह के मकान से म.नं. 51 तक एवं 54 से 57 अंजली के मकान तक
18	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 58 उम्मेद सिंह के मकान से म.नं. 59 तक एवं 61,67,71,73,74,75,47,77 गणेशराम के मकान तक
19	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 70 गौरैलाल के मकान से 71 तक एवं 74,78,81,85 म.न. 87 गायत्री के मकान तक
20	म.सू. अनुसार कल्याणपुर म.नं. 88 राम सिंह के मकान से 89 तक एवं 149,155,156 म.न. 157 सुनीता बाई के मकान तक

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	प्रेमपुरा	01	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 1/1 पूरन सिंह/नंदराम से 1/2,1/104, 2,3/19,3/2,4,5,9,13,15,16,26/1,138, 139,140 राधा बाई पत्नि रामदास तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	2 0 5 1
		02	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 06 संतोष / राधेश्याम से एवं 8 से 11, 13,18,19, 20/1,20/2,21,22,26,28,30 से 33, 35, 38, 44/1,49,56/2,58/1,58/2, 63/1,72,94/1,105/1,105/2,110/2. एवं 6311 मं.नं. 6311 मंगल सिंह/ सरवन सिंह तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	0 3 6
		03	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 33/1 हिम्मत सिंह एवं 36 से 40 तक एवं 42, एवं 147 रेखा बाई तक		
		04	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 33/1 राज बाई / हिम्मत सिंह से 44/1,44/2,45, 46,47/1,47/2,49,52/2,51,53,53/1, 53/2,53/3,54/1,56,56/1,58/1 सविता के घर तक		
		05	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 56/2 रुकमनी बाई से 56/2,57,59/1, 59/2,60,61,63/2, 65 थान सिंह/ रामदास तक		

06	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 01 सुनील /भवानी प्रसाद से 67/1,67/2,67/4, 68, 69/1,69/2,69/3,70,72,73,74, 75/1,75/2, 77 अशोक तक
07	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 2 दुली बाई के मकान से एवं 26,34,34/1,35,46, 47/1,52/2,51,61,64,78,79/1,79/2, 80,81,81/1,81/3 एवं 83 सन्जू /कैलाश तक
08	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 40 शादीलाल/फूलचंद्र एवं 84,86,87, 88/1,88/2,89,89/1,89/2,89/3, 89/4,90/1,90/2,91,92/2,93/1 सावित्री बाई तक
09	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 93/1 संतोष से म.नं.95रामबाबू एवं 97, 99, 100,102,103,104,105,105/1,105/2, 106, 107/1,107/2 एवं 607/2 कल्याण सिंह
10	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 80 आशा बाई से एवं 93/1, 108, 110/1, 110/2, 111/1,111/2,112,113,114 एवं म.नं. 222 बापूलाल तक
11	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 01 मंगल सिंह एवं म.नं.114,117,118/1,118/2, 119/1,119/2,119/3,119/4 एवं 120,121 मनोज तक तक
12	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 1एवं 13 सिआ बाई से एवं म.नं.93, 121/1, 121/2,122,123/1,123/2,125, 126/1, 127/1,127/2,128,129, 129/1, म.नं. 129क रामसखी बाई तक
13	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 130 /1 घनश्याम सिंह से 132/2 हिदेश एवं 134, 135/1,135/2,136, म.नं. 137 राम सखी तक
14	म.सू.अनुसार प्रेमपुरा म.नं. 00 रंजीत से म.नं. 0 गनेश नंद एवं 1 एवं 114 एवं 141,142,142क, 143,144,145,146,147, 149,151 एवं 191,192, 193 सुमन बाई तक

	15	म.सू.अनुसार समरधा म.नं.1 अमित कुलश्रेष्ठ से म.नं.7 हमीर सिंह एवं 58/1, 60,64,95 एवं 121/1, 129 एवं म.नं. 196/1 इन्दर यादव तक		
	16	म.सू.अनुसार समरधा म.नं. 8 श्रीकिशन से म.नं.11 बेलन एवं 13 प्रताप यादव तक		
	17	म.सू.अनुसार समरधा म.नं. 11 मोहन सिंह से म.नं. 13,14,15,16 किर्ती उमरे तक		
	18	म.सू.अनुसार समरधा म.नं. 1 बिलोक त्रिलोक से एवं म.नं.16,18,20,21,22,23, म.नं. 26 चरन सिंह तक		

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पुराछिंदवाडा	01	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 4 खुमान सिंह/मिटठूलाल से म.नं. 10,73,77,81 पूजा मीना/सुरेश कुमार तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	3 0 4 2
		02	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 1/22 केशर बाई/द्वारकाप्रसाद से म.नं. 79,85,149 प्रीतम सिंह/काशीराम तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	0 2 5
		03	म.सू.अनुसार छान म.नं. 01 रेणू/सरजन सिंह से म.नं. 74,81,83,86,87,96 आरती/रघुवीर सिंह तक		
		04	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 67/2 गब्बर सिंह /गीताप्रसाद से म.नं. 97,97/5,98,100,105, 112/1 अनीता बाई/कैलाश तक		
		05	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 101 हरिचरण/खुशीलाल से म.नं. 103,105,109 नीतू प्रजापति/बेनीप्रसाद तक		
		06	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 73/1 पूजा मीना /परमनन्द मीणा से म.नं. 110,120,133, 163/1 सरीता बाई/गेंदालाल तक		



07	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 00 पपीता/उमराव सिंह से म.नं. 120,123,125,131,133, 135,148,149,156,158,161, 9003 बालकदास/भागीरथ तक
08	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 22 रानी/उमराव सिंह से म.नं. 117,136,146,148,154 विष्णुप्रसाद/बने सिंह तक
09	म.सू.अनुसार पुराछिंदवाडा म.नं. 148 रामचरण/रामकिशन से म.नं. 154/1,156/161/163/3, लक्ष्मी बाई/कैलाश तक
10	म.सू.अनुसार शेखपुरा म.नं. 1 मोतीराम/रामसिंह से म.नं. 02,03,06,09,22,35 भेन सिंह/मंशाराम तक
11	म.सू.अनुसार शेखपुरा म.नं. 11 इकबाल खा/रईस खां से म.नं. 07,10,18 रघुवीर/मोती सिंह तक
12	म.सू.अनुसार शेखपुरा म.नं. 02 दिनेश बंजारा/प्रहलाद सिंह से म. नं. 26 सपना बाई/रमेश कुमार तक
13	म.सू.अनुसार शेखपुरा म.नं. 27 हीरा बाई से म.नं. 36 सुदामा सिंह तक
14	म.सू.अनुसार शेखपुरा म.नं. 36 भारत सिंह/मिट्टूलाल से म.नं. 47 लता बाई/प्रकाश तक
15	म.सू.अनुसार शेखपुरा म.नं. 48 भुरी बाई/शंकरलाल से म.नं. 56,58,62,140,142,145 फूलवती/गौरधन तक
16	म.सू.अनुसार शेखपुरा म.नं. 3 बदामी लाल/बल्देव से म.नं. 3,63,71 लखन/बसन्तलाल तक

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	01	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 1 हरिराम/नारायण सिंह से म.नं. 5,7, 9 नसरीन/वाहिद खां तक	अ.जा.	9
		02	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 12 जैतून बी/पीशाहा से म.नं. 21 ज्ञानवती/सुरेन्द्र तक	अ.ज.जा. अन्य पिछडा वर्ग महिला अ.जा.	0 5 5
		03	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 23 अजब सिंह/मिश्रीलाल से म.नं. 27,30 रजनी बाई /मलखान तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछडा वर्ग महिला सामान्य	0 3 3
		04	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 32 भगवान/बंसीलाल सिंह से म.नं. 38, 40 44, 43 रानी बाई/गनेशराम तक		
		05	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 44 भागवती/हरी सिंह से म.नं. 46,47,48, 49,51,53 देवेन्द्रपाल/राम सिंह पाल तक		
		06	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 55 सरस्वती/रामकिशन से म.नं. 56,57,58, 61,62 63,64, 65,66, 69, 71, 72 रवि/जगजीवन तक		
		07	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 75 अर्जुन सिंह/गिरधारी से म.नं. 77,79,80, 81,82,83,84, 85,86, 88 रंजीत/राजमल तक		
		08	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 90 ताराचंद/रामप्रसाद से म.नं. 91,92,93, 96,97,99,101,102,103, 124 कला बाई/कालूराम तक		
		09	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 104 रामचरन/हजारीलाल से म.नं. 110,112, 113, 115, 117 गोरेलाल/परसराम तक		
		10	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 119 हल्कूराम/छोटेराम से म.नं. 123,125,127,128,129, 130,131 एवं 135 रीना/श्यामलाल तक		

		11	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 132 मनोहर सिंह/बाबूलाल से म.नं. 136,137,138, 139,140,141,141 थान सिंह/श्यामलाल तक		
		12	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 135 सुरेश/हरलाल से म.नं. 141,142,143,144, 145,146,147, 148,149,150, 151,152,153,154 रुखसाना/हफीज खां तक		
		13	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 133 नन्दराम/दुलीचंद से म.नं. 135,155,156,157,158,159,160,161,162,163, 164,165, 167,168,170,171,172, 173,174, 175 कोमल बाई/राजनारायण तक		
		14	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 121 खेलन सिंह/हरीप्रसाद से म.नं. 177,178,180, 181,182,183, 184,185,186, 187 एवं 188 लखन/गौरिलाल तक		
		15	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 189 मांगीलाल/गिरधारी से म.नं. 195,197, 202, से 210 राजकुमार/आजाद सिंह तक		
		16	म.सू.अनुसार रायपुर म.नं. 136 कालूराम/अमान सिंह से म.नं. 221 से 225 कृष्णा बाई/राधेश्याम तक		
		17	म.सू.अनुसार दुपाड़िया म.नं. 1 करन सिंह/नन्डूलाल से म.नं. 15,18,19, से 24 जितेन्द्र जाट/दलपत सिंह जाट तक		
		18	म.सू.अनुसार दुपाड़िया म.नं. 00 भैरोसिंह/रामप्रसाद से म.नं. 01 एवं 25 से 32 तथा 34,35,36, 51 कृष्णा बाई/कमल सिंह तक		
		19	म.सू.अनुसार दुपाड़िया म.नं. 5 नूरी बी/शहजाद से म.नं. 42,43,48 से 56, 58,59,60,61 एवं 68 विक्रम सिंह/केवल सिंह तक		
		20	म.सू.अनुसार दुपाड़िया म.नं. 01 विजय/बाबूलाल से म.नं. 9,10,39, 60,63,65,66, 130,285 से 291, तथा 373,374,673, 674,675 सोरम बाई/किसन अहिरवार तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रसूलिया पठार	01	म.सू. अनुसार रसूलिया पठार म.नं. 1 कृष्णा बाई से म.नं. 10 से 16 पान बाई सिलावट तक	अ.जा.	3
		02	म.सू. अनुसार रसूलिया पठार म.नं. 11 हल्की बाई से 12,14,16,17,18,19,20,21,22,23 से म. नं. 24 इन्द्रेश तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	1 5
		03	म.सू. अनुसार रसूलिया पठार म.नं. 25 पर्वत सिंह से म.नं. 34 राहूल पाटीदार तक	महिला अ.जा.	2
		04	म.सू. अनुसार रसूलिया पठार म.नं. 35 रामचरण से म.नं. 42 ज्योति तक	महिला अ.ज.जा.	1
		05	म.सू. अनुसार रसूलिया पठार म.नं. 43 धनलाल से म.नं. 48,50,51,52,53,54 से 55 चिरोजी बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		06	म.सू. अनुसार रसूलिया पठार म.नं. 56 घनश्याम से 59,61,63,65,68,69,72,73,74,75,76,77, 78,695 से म.नं. 73 कृष्णा बाई तक	महिला सामान्य	6
		07	म.सू. अनुसार नीलबड़ म.नं. 9 अनुसुईया से 11,13,14,15,16,85 से म.नं. 86 रईसन बी तक		
		08	म.सू. अनुसार नीलबड़ म.नं. 17 कासम खां से म.नं. 26 आमना बी तक		

09	म.सू. अनुसार नीलबड़ म.नं. 27 पप्पु खां से 29,30,31,32,33,34,35 से म.नं. 38 कुसुम दागी तक
10	म.सू. अनुसार नीलबड़ म.नं. 36 इस्माईल खां से 37,39,40,41,42,44,46,48,49,50 से म. नं. 78 कीमल बाई तक
11	म.सू. अनुसार नीलबड़ म.नं. 51 हारून बी से 60 से म.नं. 63 जावेद खां तक
12	म.सू. अनुसार नीलबड़ म.नं. 18 मेहराज बी से 19,27,28,29,46,65,67,68,69,70,71, 73,77,78,79,80,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,93,121 से म.नं. 155/5 संदीप तक
13	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 1 भवानी बाई से 9,50,69,100 से म.नं. 119 भुरिया बाई तक
14	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 12 रामनाशयण से 14,15,16,17,18,20,21, 22,23,24,25 से म.नं. 43 सविता तक
15	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 26 राधेश्याम दागी से 33 से म.नं. 119 कौशल्या बाई तक
16	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 34 दरियाब सिंह से म.नं. 42 अरुण तक
17	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 43 धनलाल से 46,51,52 से म.नं. 53 सुषमा बाई तक
18	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 54 बाबूलाल से म.नं. 64 दिपिका सोनी तक
19	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 66 रामलाल से 67,69,70,71,72,74, से म.नं. 116 ओमप्रकाश तक
20	म.सू. अनुसार रतनपुर म.नं. 40 सर्वेश बाई से 78,79,81,84,85,86,88,89,91,92,93, 94,95,96,100,106,108,109,110,112, 115,116,117 से म.नं. 118 लक्ष्मण सिंह भील तक

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांक में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रातीबड	01	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 0 भगवती/देवी सिंह से 2/4, 5 से 6 8 से 12/3, 17/1, 20/1,22 से 24, 27/3 से 28, 65 हेमराज मारण के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	3 2 5 2
		02	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 20/6 रहमी 24-25, 27-28, 30/1 से 31, 33-35/1. तरुण धुर्वे के घर तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 3 5
		03	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 31 ब्रजेश राजौरिया 33,36/1 से 41/4,43,45,59,105/2,129,235 शुभम शर्मा के घर तक		
		04	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 46/3 रघुनाथ से 56/1, 58 से 59 111/2 सतीश मारण के घर तक		
		05	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 60 प्रेमनारायण से 65, 67 से 69/3, 71/1-73/1 अनील के घर तक		
		06	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 73/1 तेज सिंह से 84,86-2 रेशम बाई		
		07	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 89 अक्षय शर्मा से 99/2 हरी सिंह तक		
		08	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 10/2 कविता शर्मा 58/1,60,100-102,105, 110/2,129 राकेश शर्मा के घर तक		

09	म.सू. अनुसार रातीबड म.नं. 20 नरेश मारण 50, 53, 64, 67/1, 73/1, 86, 98, 110/2, 115, 121, 129, 132, 169, 135, 151, 786, 302 छापरी थाना थाना परिसर, राहुल शर्मा के घर तक
10	म.सू. अनुसार छापरी म.नं. 1 ललिता से 2/5,4/5-7क,9,19,21,40,46/1,78,109/1 दीपका शर्मा के घर तक
11	म.सू. अनुसार छापरी म.नं. 1 सुनीता सिंह 2,5,8,14,39,46,49,105/2,116,118, 119,121,123,124,126 पूजा के घर तक
12	म.सू. अनुसार छापरी म.नं. 1 सूर्यनारायण 24/1,25,50,126,130,131,133/2,364 अनीता शर्मा के घर तक
13	म.सू. अनुसार छापरी म.नं. 25 भागीरथ 28,39,43,72/19,721 वसन्ती बाई के घर तक
14	म.सू. अनुसार छापरी म.नं. 44 शकीलाल से म.नं. 47,49,53,55,58,60, 62,62/1 ,65-67, 75/1,101,133 द्रोपदी बाई के घर तक
15	म.सू. अनुसार छापरी म.नं. 1 मुकेश सिंह 24/1, 59, 70, 72-73/1, 75-76, 78/1, 82, 84, 90, 98/1, 111, 119, 124/1, 126/10, 130/1, 132, 133/1, 786 ओमप्रकाश के घर तक
16	म.सू. अनुसार फतेहपुर डोबरा म.नं. 1 अनवर से 3, 5-6, 10-12, 14/11,16-18,20,24,59,214 हुर बी के घर तक
17	म.सू. अनुसार फतेहपुर डोबरा म.नं. 19 सप्पू खां से 26/3,28-30,83 मर्सरत के घर तक
18	म.सू. अनुसार फतेहपुर डोबरा म.नं. 29 पप्पू खां से 32,34-43, 45 जरीना बी के घर तक
19	म.सू. अनुसार फतेहपुर डोबरा म.नं. 21 शदनम बी 46,47-78,80-84,87,141-1,224,398, 406,413,414,420,431,441 अमीना बी के घर तक
20	म.सू. अनुसार महुआखेड़ा/कुशलपुरा म.नं. 1 जय सिंह बारला से 4,6 अमल के घर तक

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शाईस्ताखेड़ी	01	म.सू.अनुसार शाईस्ताखेड़ी म.नं. 2 छगनलाल/सुंदरलाल, म.नं.4 से 7, 10 से 14,16/1, विजय मालवीय/कैलाश मालवीय के मकान तक	अ.जा.	2
				अ.ज.जा.	0
				अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला अ.जा.	1
				महिला अ.ज.जा.	0
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
			महिला सामान्य	4	
		02	म.सू.अनुसार शाईस्ताखेड़ी म.नं. 15 नीतेश त्यागील / गणेशराम त्यागी से 22, 36,55 से 56 उर्मिला वर्मा /प्रीतम वर्मा के मकान तक		
		03	म.सू.अनुसार शाईस्ताखेड़ी म.नं.23 दामोदर/मूलचंद से म.नं.29 सुजात प्रसाद के मकान तक		
		04	म.सू.अनुसार शाईस्ताखेड़ी म.नं. 30 सरजू बाई / अवधनारायण से म.नं. 37/6 राजेश/लालाराम के मकान तक		
		05	म.सू.अनुसार शाईस्ताखेड़ी म.नं. 40 देवकरण/रामलाल से म.नं.48/4 रेखा शर्मा/मधुसूदन शर्मा के मकान तक		
		06	म.सू.अनुसार शाईस्ताखेड़ी म.नं. 50 घीसीलाल/उमराव से 51,53,55, 56,71,105,126,117 काशीराम / मोतीलाल के मकान तक		



		07	म.सू.अनुसार पिपलिया धाकड़ म.नं. 1 गुल्लो बाई/हल्कूदास से म.नं. 12 राधेश्याम रु नन्नु लालके मकान तक		
		08	म.सू.अनुसार पिपलिया धाकड़ म.नं. 2 राजकुमार / शंकर व 11 से 19, 21 से 30 आकाश नागर / हरिनारायण नागर के मकान तक		
		09	म.सू.अनुसार पिपलिया धाकड़ म.नं. 31 मुन्नी बाई/सरजूदास से म.नं.38 रामनिवास / शिवप्रसाद के मकान तक		
		10	म.सू.अनुसार पिपलिया धाकड़ म.नं. 38 रूपसिंह मीना/रामनिवास मीना से म.नं.57 आकाश नागर / पुरुषोत्तम नागर के मकान तक		
		11	म.सू.अनुसार पिपलिया धाकड़ म.नं. 58 तुलसीदास / नारायण से म.नं. 70 उर्मिला/विरेन्द्र के मकान तक		
		12	म.सू.अनुसार पिपलिया धाकड़ म.नं. 70 नितेन्द्र त्यागी/शांतिप्रकाश त्यागी से म.नं.88 राजामुन्नी पत्नि / अजब सिंह के मकान तक		
		13	म.सू.अनुसार पिपलिया धाकड़ म.नं. 88 नीतेश नागर / गंगाराम नागर से म.नं.108 तक, 116,123 अनीता नागर / बबलू नागर के मकान तक		

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नरोन्हासांकल	01	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 1 कृष्णा बाई से म.नं.8 रामसखी के मकान तक	अ.जा.	6
				अ.ज.जा.	3
				अन्य पिछड़ा वर्ग	5
		02	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 9 मान सिंह से म.नं. 11 किरण तक, म.कं.13 से 15/1 तक म.कं.17 से 18 सचिन तक	महिला अ.जा.	3
				महिला अ.ज.जा.	2
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
				महिला सामान्य	3
		03	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 19 हरिकिशन से म.नं. 23 कंचन प्रजापति तक		
		04	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 24 लक्ष्मणसिंह से म.नं. 26,29 से 31 तक म.कं. 33 से म.कं.34/1 सुषमा के मकान तक सुषमा तक		
		05	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 35 रामप्रसाद से म.नं. 42 सीमा के मकान तक		
		06	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं.43 धन्नालाल से म.नं. 52 प्रमिला के मकान तक		
		07	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं.29 से 53,62 से म.नं. 68 मनोज तक		
		08	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 63 पन्नालाल से म.नं. 68 चांदनी / राजेन्द्र के मकान तक		
		09	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 69 सुखराम से म.नं. 73 आफरीन / फरमाज के मकान तक		
		10	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 74 भंवरलाल से 77/1,79 से 83 म. नं. 85 लक्ष्मी बाई तक		

11	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 86 गोवर्धन से म.नं. 94 रोशनी / अनवर के मकान तक
12	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल पडरिया म. नं. 117 लाल सिंह से 120 से म.नं. 124 रामप्यारी बाई तक
13	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल शांतिनगर म. नं. 1 जगदीश से 10,13 से 18,20 से म. नं.25 ईश्वरसिंह / बाबूलाल तक
14	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल सांकल म.नं. 2 चुन्नीलाल से 6,8,11 से 13, 24 से 26, 30 एवं म.नं. 121 हरिवेश / कमल के मकान तक
15	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल सांकल म.नं. 1 राहुल से 3,5 से 7,9,11 से म.नं. 20 सजना बाई / संतोष के मकान तक
16	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल सांकल म.नं. 02 शावेज से 21,23 से 28, 30,32 से 33 म.नं. 35 रेखा बाई / सुनील के मकान तक
17	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल सांकल म.नं. 36 गणेशी बाई से 41,43,45,48 से म.नं. 50 रामकिशोर / जगवेद के मकान तक
18	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल सांकल म.नं. 51 दौली बाई / हीरालाल से म.नं. 62 ममता बाई के मकान तक
19	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल सांकल म.नं. 63 किशनलाल / भवानी से म.नं. 74 रेखा / घनश्याम तक
20	म.सू. अनुसार नरोन्हासांकल सांकल म.नं. 75 बटनलाल / धन्नालाल से 82,96 से म.नं. 97 सावित्री बाई / बाबूलाल के मकान तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सरवर	01	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 01 राकेश मीणा/शिवनारायण से म.नं. 15 प्रिया/मोर सिंह के मकान तक	अ.जा.	3
		02	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 16 लक्ष्मीनारायण/गोविन्दराम के मका से 29,58,75 एवं 61 पूजा मीणा/राजमल के मकान तक	अ.ज.जा.	6
				अन्य पिछडा वर्ग	5
		03	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 30 सीताराम/रामरतन से म.नं. 38 प्रेम बाई/हरिप्रसाद के मकान तक	महिला अ.जा.	2
				महिला अ.ज.जा.	3
		04	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 39 ज्ञान सिंह/बाबूलाल के मान से 57 अमृतलाल/लालराम के मकान तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
				महिला सामान्य	3
		05	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 51 कौशल्या मीना/मोहन मीणा से 59, म.नं. 73 गोवर्धन/परसराम के मकान तक		
06	म.सू अनुसार मित्तुखेडी म.नं. 17/1 लखनलाल/अमर सिंह मीणा के मकान से 74, 77 अजय मीणा/विसराम मीणा के मकान तक				
07	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 78 हरिसिंह/हरफुल 83,85,110/4,1897,189 रामप्यारी/दीपक के मकान तक				
		08	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 100 बलराम/कोमल से म.नं. 127ए 127 भागवती बाई/रामचरण के घर तक		

09	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 130 श्याम/लखन के मकान 137,160 म.नं 163 अनुजप्रताप सिंह/ऋषिराज के मकान तक
10	म.सू अनुसार सरवर म.नं. 65 श्यामा बाई/राजेश म.नं. 99,101,161,164,171,660, 1401/1 ज्ञानाबाई/पप्पू के मकान तक
11	म.सू अनुसार समसगढ म.नं. 1 बानो बी/इसरार के म.नं. 13,27 माधव/सूरसिंह के मकान तक
12	म.सू अनुसार समसगढ म.नं. 8 सददाम/वहीद खान के मकान से 12,27 सीना बाई/माधव सिं के मकान तक
13	म.सू अनुसार समसगढ म.नं. 13 विस्ता/खपरिया के मकान से 20 कमला बाई/ज्ञान सिंह के मकान तक
14	म.सू अनुसार समसगढ म.नं. 21 मांगीलाल/थुआन सिंह के मकान से 25,30 अन्तर सिंह/कुंवर सिंह के मकान तक
15	म.सू अनुसार झागरियाखुर्द म.नं. 1 संतोषी बाई/जमनाप्रसाद के मकान से 26,40,130 मंजू शर्मा/सुरेश शर्मा के घर तक
16	म.सू अनुसार झागरियाखुर्द म.नं. 11 सुमित मुदगल/विनोद के मकान से 159 दिनेश/नारायण के मकान तक
17	म.सू अनुसार झागरियाखुर्द म.नं. 20 छोटेराम/छीतू के मकान से 29,35 जशोदी/अनोखी लाल के मकान तक
18	म.सू अनुसार झागरियाखुर्द म.नं. 36 सुंदरलाल/राम प्रसादइ के मकान से 48 देवी लाल नारायण सिंह के मकान तक
19	म.सू अनुसार झागरियाखुर्द 50 झेतु सिंह/भूरा सिंह के मकान से 53,58,62,9005,60 अरुण कुमार/दिनेश चंद के मकान तक

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

4,

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेमरी बाज्याफत	01	म.सू. अनुसार सेमरी बाज्याफत म.नं. 1 शेषराम / खनाराम से 3,11 म.नं. 80 मल्ला सिंह / बालाप्रसाद तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	2 0 3 1
		02	म.सू. अनुसार सेमरी बाज्याफत म.नं. 5 रोशन बाई मारण / घुडे सिंह मारण से 16,22,27,27/1 सरिता / संजेश मारण तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	0 2 4
		03	म.सू. अनुसार सेमरी बाज्याफत म.नं. 28 अवधनारायण / शंकरलाल से 33,39 39/1 सुनील मारण / रामप्रसाद तक		
		04	म.सू. अनुसार सेमरी बाज्याफत म.नं. 40 श्यामलाल / छोटेलाल से 44,47,49,54,56, 56/1 इन्तियाज / नवाब खां तक		
		05	म.सू. अनुसार सेमरी बाज्याफत म.नं. 58 भागीरथ / हजारीलाल से 60,68,70 उमा बाई / गजराज तक		
		06	म.सू. अनुसार सेमरी बाज्याफत म.नं. 27/2 कैलाश / गंगाराम से 31,72,76,77,81, 85 कमला बाई / भगवान सिंह तक		
		07	म.सू. अनुसार सेमरी बाज्याफत म.नं. 33 रतन सिंह / भागचन्द से 86,88,91,96,103,125,126,152,196,198 विनिता बाई / संजय तक		
		08	म.सू. अनुसार खारपा म.नं. 282 फुंदीलाल / गोपाल से 378,389 / 1,397/2. 399,407,412,422,423 अखिलेश / रामचरण तक		

		09	म.सू. अनुसार खारपा म.नं. 388 कमलेश / करण सिंह से 390,392/3 शैलेन्द्र वर्मा / राजेश वर्मा तक		
		10	म.सू. अनुसार खारपा म.नं. 393 रामकली बाई / रामकिशन से 397/3 ललिता सेन / देवेन्द्र सेन तक		
		11	म.सू. अनुसार खारपा म.नं. 400 भागीरथ / रामलाल से म.नं. 406 कपिल गौर / गोरधन गौर तक		
		12	म.सू. अनुसार खारपा म.नं. 397/3 धमेन्द्र सेन / नारायण सेन से 408,413,424 हीरा बाई / अमर सिंह तक		
		13	म.सू. अनुसार खारपा म.नं. 01 मंजू मालवीय / सुरेश मालवीय से 389,413,415, 425 तनु श्री / बाबू तक		

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेवनियाओंकारा	01	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 1 रामकिशन से 3 एवं 5,6 एवं म.नं. 16 रचना बाई के घर तक	अ.जा.	5
		02	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 08 हेमलता से म.नं. 9 एवं 11 से 14 एवं 82,220 रजनी लोधी के मकान तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	1 5
		03	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 16 दीनदयाल से म.नं. 19,21 ,178 गुंजाबाई के घर तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा.	3 1
		04	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 22 मूलचंद के घर से म.नं. 86,620 जीतेन्द्र शाक्य के मकान तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
		05	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 31 हीरालाल के मकान से 35 तक एवं 35 तथा 36 राजेश के मकान तक	महिला सामान्य	4
		06	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 37 अर्जुन सिंह के मकान से 42 तक एवं 44 से 47 तक 87,88,210 एवं 213 तक गीता बाई के मकान तक		
		07	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 48 रामकली बाई के मकान से 55 तक एवं 218 राजाबाबू के मकान तक		
		08	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 57 गोकुल प्रसाद के मकान एवं 59 से 62 तक एवं 65 एवं 221 आशाबाई के मकान तक		
		09	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 66 अशाक कुमार के मकान से 68 तक एवं 72 तक एवं 219 चन्द्रकला के मकान तक		



		10	म.सू. अनुसार सेवनियाओंकारा म.नं. 2 मदन सिंह चौहान के घर से 3 तक एवं 587,12,22,25,29,32,38,40,52, 16,63,78,81,83,84,85,87,89,206, 208,209,211,212,215,216, 2187,218,222,224,226, 227,228,229,230,231,232,233, 234,236,237,238,239,240,241, 242,243,244,245,246,247,248,249, 250,251,252,253,254,255,256,257, 258,259,260,261,262,263, 264,265,266,267,268,270,277,278, 2798,280,282,283,282 से 320 तक एवं 322 से 327 तक एवं 329 से 332 तक एवं 334 से 362 तक एवं 364 से 365 तक एवं 367 से 599 तक एवं 605 से 613 तक एवं 617 से 622 तक एवं 626 से 648 तक एवं 663,5410,5740 रानू बरकडे के घर तक		
		11	म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 01 विष्णु के घर से म.न. 6 तक एवं म.न. 8 से 11 तक एवं म.न. 13 से 19 तक एवं 21,31,48,50 तक एवं 144 मोहन के घर तक		
		12	म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 18 बशीर खां के घर से म.न. 22 शवनम बी के घर तक		
		13	म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 11 अनीस खां के घर से म.न. 23 से 31 तक तथा 102,156,157,159,160,161,162 समद के घर तक		
		14	म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 07 बद्रीप्रसाद के घर से 32, एवं 38 से म. न. तक एवं 42,145,158 असद खां के घर तक		
		15	म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 43 भवानी सिंह के घर से 44 तक एवं 46 से 47 तक एवं 50,145 व म.प. 154 अविना के घर तक		

1  
ख्या  
6  
5  
1  
5  
3  
1  
3  
4

		16 म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 01 गुडडी बाई के घर से म.न. 2 तक एवं म.न. 51 से 53 तक एवं म.न. 55 से 56 तक एवं 58,60,62,65,66 तक एवं 122,130,185,186,188,189,191 व 276 अशवन कुमार के घर तक	
		17 म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 11 चन्दा बाई बंसारा के घर से 21,46,67,72,75,76,77,78,81, 82,83,84,187,189,227,228,231, 232,233,234,235,236,237,238 प, 244,245,246,248,250,251, 152,253,254,256,259,394,395,396,रीना बंजारा के घर तक	
		18 म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 1/1 चन्द्रभान के घर से एवं 17,18,49,85,88,89,90 से 93 तक व 95 से 96 तक व 99 से 102 तक 155,167,168,169,170, 172 से 176 तक व 178 से 180 तक व 182,184,185 तक एवं 239 से 243 तक व 247,249 प 260 से 283 तक व 286 से 288 तक 291,294,296,298,319,350,883 (झुग्गी) संतोष के घर तक	
		19 म.सू. अनुसार अरेडी म.नं. 102 रामकुंवर बाई के घर से 109 म.न. तक एवं 112,115,116,117 तक व 120 म.न. से 121 तक व 123,127,128,129,132, 133, 143,181,190,192 तक व 195 से 227 तक व 229 से 230 सत्यवती लोधी के मकान तक	

(नोट- मकान नं. के साथ मुखिया का नाम अंकित करें)

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिकंदराबाद	01	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 276 द्रोपती बाई / डालचंद्र के घर से 277,278,279,280,281, 283,289,292,337,म.नं.419 सुधा बाई / नरेश कुमार के घर तक	अ.जा.	1
		02	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 282 नारायण सिंह / सुखराम के घर से म.नं.283,286,287,289, म.नं.290 मोना चौकसे / संतोष चौकसे के घर तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 3 1 1 2 4
		03	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 0 शैलेन्द्र द्विवेदी / दुर्गा प्रसाद द्विवेदी के घर से म.नं.1,2, 19,31,32,292,293,294,295,296,297,298,301, 306 शमीम बी / शफीक खॉ के घर तक		
		04	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 1 मो.नसीम खान / चांद मिया के घर से म.नं. 2/1,292, 297/1, 300,301,303,306,307,307 / 1,376,377, 425,म. नं. 477 राकेश / शंकरलाल माहेश्वरी के घर तक		
		05	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 31 बबलू खान / हमिद खॉ के घर से 57,104,209,301,302, 308,310,311,312,313,314,315,316,363लक्ष्मी बाई / अशोक के घर तक		
		06	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 317 फूलवती बाई / बाबूलाल के घर से 318,319,320,321, 323,324 ठाकुर प्रसाद / शंकरलाल के घर तक		
		07	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 324 मोतीलाल / सुखराम के घर से 327,329,330,331,419 सुनीता / मखमल सिंह के घर तक		

		08	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 332 गीता बाई / अवधनारायण के घर से 333,334,335,336, 337,338,339,340,342,344,345 कामता प्रसाद / रामचरण के घर तक		
		09	म.सू.अनुसार सिकंदराबाद म.नं. 19 मुन्नी बाई / जगन्नाथ के घर से 778,321,322,325,326, 327,328,330,333,334,336,337,338,340,341, 342,343,344,345,346,347,376 / 1,419,420,421, 422,423,424,426,427,428,429,430,431,432,433, 434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444, 445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455, 456,457,458,459,460,461 / 1,461,462,463,464, 465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475, 476, 876 कम्मू खों / युसूफ खों के घर तक		
		10	म.सू.अनुसार रसूलिया गोसाई म.नं. 29 माया बाई / तेजराम के घर से म.नं. 36,40,57,351,352, 353,354,355,356,357,358,359,361,362,363, 378,561 म.नं.778 मुन्नी बाई / खिलान के घर तक		
		11	म.सू.अनुसार रसूलिया गोसाई म.नं. 290 बाबूलाल / गणेशराम के घर से म.नं.362,363, 364, 366,368,370,370क, कोमल बाई / मोहन सिंह के घर तक		
		12	म.सू.अनुसार रसूलिया गोसाई म.नं. 373 सुंदर बाई / फूल सिंह के घर से म.नं.374,375,376, 376 / 1, 377 म.नं.779 अफसाना बी / मासूम खों के घर तक		

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सूखीसेवनिया	01	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 00 मो.इस्माल से म.नं. 1से10क,64, 122/6,156क से 157क, 162, 162क, एवं 241 रंजीत मीना/हेमराज तक	अ.जा.	3
		02	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 11 शंकरलाल/रामप्रसाद से म.नं. 15ख, 17से20क, 64,64क,93, 116,121, 122/6, 131,151,157से159,163,166, 167,173, एवं 311 सुमन/काशीराम तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा.	1 4 2
		03	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 03 महेश झरबडे/शंकरलाल 15,21 से म.नं. 27,112,122,122/6,156,163, 241 एवं 579 मुकेश/चतर सिंह तक	महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1 2
		04	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 28 जैयराम/कुंजीलाल से म.नं. 31, 33से35, 37 ,59 एवं 534 रजत मीना/ रघुनाथ तक	महिला सामान्य	4
		05	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 38 योगेश कुमार/रामेश्वर राव से म.नं. 51,51क,54,58,59,66,85,122/6, सु.सेवनिया मिथुन मीना/ तकत तक		
		06	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 58 विनोद सिंह/प्यारेलाल से म.नं. 65,105,160 एवं 171 अरुण कुमार शर्मा/श्री स्व.गिरधारी लाल तक		
		07	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 02 विनीत कुमार तिवारी/ सन्तराम तिवारी से म.नं. 9क,11क,54,65से68,70से72, 165 एवं 176 पान बाई/मंशाराम तक		
		08	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 1 फूल सिंह/मांगीलाल से म.नं. 9क,74, 76से83,100,161,164,195,502, एवं 561 विनीता विश्वकर्मा/महेश विश्वकर्मा तक		

09	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 76 दयाराम/मौजी से म.नं. 77,80,81,84,85,89,91,93 से 97, 100,102,106,119से 121 एवं 131 लीलावती/आशाराम तक
10	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 1 दौलत सिंह /पहलवान सिंह 4,13क,83,101से102,104से105,107से110, 112से119,121,131, 167 से. 172, 177से178, 189,242से 243, 261,502,559,567,569,1421 एकता नगर म.नं. थाना परि. संजय सिंह बैस /रामकेश सिंह सिंह तक
11	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 01 रुबि/कल्लूशाह से म.नं. 6/8 रेस्ट. 8ए झुग्गी से 11एकतान, 13ई से 14ए, 18बी से 24 झुग्गी, 28,32ए से 33झुग्गी, 36ए, 38डी, 41सी,46डी,41सी,46डी,53डी,57ए,61से62झुग्गी, 64,71सी, 85,101/57ए से 106,110/10,116,122 एवं 132एच रवि/समाधान तक
12	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 114 लीलाधर ठाकुर/महेन्द्र सिंह ठाकुर से म.नं. 122से123,126,128,131,133से 134, 138से142ए मेहरबान चंदेल/भरोसीलाल चंदेल तक
13	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 12 राजेश बाई/हुकूम सिंह से म.नं. 28ए,142से144, 148से154,158से159,162,164 एवं 165 सब्बो बाई/देवीराम तक
14	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 10ख गज्जू बाई/अंतर सिंह से म.नं. 13ख से 14क, 18एकता नगर, 32,171से173, 175,177से184, 186से196, 198से199 एवं 219 नर्बदी बाई/गणेश तक
15	म.सू.अनुसार सूखीसेवनिया म.नं. 01 लक्ष्मी/जगदीश से म.नं. 3,7,8,11,13,15,20,23,26,27,29,40,42,43,45,46, 51,52,54,56,65,69,71,73,76,85,87,89,90,92,94,96, 102,108,109,110,112,114से117,120,122,129से130, 145,151,155,160,173से175,178,180,184,185,193,194, 197,199,219,221,222,249,257,266झुग्गी,269,306,311, 351,386,487,491से512,514से517,519से588,692,851, ई.34,अ.बी.एच8, अ.बी.7,आर.बी. 1ए,एकतानगर,एफ18,झुग्गी2, झुग्गी-4, झुग्गी-6, झुग्गी-11, झुग्गी17, झुग्गी22, झुग्गी135,डी-16,डी-28,डी-67से68,थाना परिसर, बी-8, बी-10, बी-झुग्गी,रेस्टे,रे.स्टे. 5ए,सी-2,सी-43,सी-59 एवं सूखीसेवनिया सुमन बाई/राकेश तक

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सुरैयानगर	01	म.सू. अनुसार सुरैयानगर म.नं. 1 हरिप्रसाद / कालूराम से 3,5 से 8,10 से 19 से म.नं. 83/4 रेखा बाई / किशन तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	2 1 4
		02	म.सू. अनुसार सुरैयानगर म.नं. 20 नन्नेलाल से 24,26 से 34,50 से म.नं. 51 सपना / प्रेम शर्मा तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1 1 2
		03	म.सू. अनुसार सुरैयानगर म.नं. 36 हरप्रसाद / सुखलाल से 44,47 से म.नं. 49 रवीकुमार / गौरीशंकर तक	महिला सामान्य	4
		04	म.सू. अनुसार कोटरा म.नं. 1 रामकिशन / बालमुकुन्द से 7,9 से म.नं. 15 रेखा बाई / देवी सिंह तक		
		05	म.सू. अनुसार खडबमूलिया म.नं. 1 हीरालाल / केशोराम से 3,6 से 11,16,26, 27,36 से म. नं. 39 अलका / मुन्नालाल तक		
		06	म.सू. अनुसार खोडाबड़ म.नं. 2 धन सिंह / दयाराम से 8,10,11,13 से म.नं. 16 मोहम्मद सद्दाम / यासीम तक		
		07	म.सू. अनुसार पिपलियारानी म.नं. 1 मूलचंद / आशाराम से म.नं. 10 सौरभ लौवंशी / मनोज तक		
		08	म.सू. अनुसार पिपलियारानी म.नं. 11 बाबूलाल / हजारीलाल 19 से म.नं. 20 कला बाई / अर्जुन तक		
		09	म.सू. अनुसार पिपलियारानी म.नं. 20 बाबूलाल / बलीराम से 21,23 से 24,27 से 28,30,32,53 से 54, से म.नं. 06 रमेश / मुशीलाल तक		

		10	म.सू. अनुसार सेवनिया म.नं. 1 राजेन्द्र मीना / लक्ष्मीनारायण से 10,13,14 म.नं. 16 गंगाराम / रामलाल तक		
		11	म.सू. अनुसार बन्दौरी म.नं. 1 लालाराम / मदनलाल से 8,211 से म.नं. 217 जशु बाई / रामनारायण तक		
		12	म.सू. अनुसार बन्दौरी म.नं. 4 राहूल / हरिसिंह से 9 से 10,12,14 से 17 से म.नं. 19 शिवनारायण / हरिराम तक		
		13	म.सू. अनुसार बन्दौरी म.नं. 20 पन्नालाल / मूलचन्द से 23,25 से म.नं. 30 शेखर / चिरौंजीलाल नरवरिया तक		
		14	म.सू. अनुसार कोहोड़ी म.नं. 5 विष्णुप्रसाद / रामसिंह से 8,10 से म.नं. 20 अभिषक मीना / सुरेश मीना तक		
		15	म.सू. अनुसार कोहोड़ी म.नं. 21 नारायणी / प्रेमनारायण से 23,26 से 31,35 से 36,40 से म.नं. 41 पंकज / रमेश तक		

तरूण पिथोड़े, कलेक्टर.



दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	तारासेवनिया	01	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 1 गंगाराम / रामप्रसाद के घर से 7, 9 से म.नं. 15 पूजा / विजय के घर तक	अ.जा.	5
				अ.ज.जा.	1
				अन्य पिछड़ा वर्ग	5
				महिला अ.जा.	3
				महिला अ.ज.जा.	1
				महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
			महिला सामान्य	5	
		02	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 15 रतन सिंह / हजारी लाल के घर से म.नं. 27 दिलीप / नारायण सिंह के घर तक		
		03	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 28 मीरा बाई / मानसिंह कुशवाह के घर से म.नं. 47, म.नं.49 से 51 नर्मदप्रसाद / फूल सिंह के घर तक		
		04	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 52 रमेश / बाल मुकुंद के घर से 55, म. नं. 57 से 66 बबली / सोनू के घर तक		
		05	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 67 काशी बाई / रामप्रसाद से म.नं. 77 दिनेश / रमेश तक		
		06	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 77 बाबूलाल / गोपीलाल से म.नं. 77 तक, म.नं. 79 से 81 तक, म.नं.83 से 86 तक, म.नं.88 से 89 तक, म. नं.91 से 93 मनीष / महेश तक		

07	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 95 गुलाब बाई / लालाराम के घर से म.नं.107 तक, म.नं.109 से म.नं. 113 रुकमणि / दिनेश तक
08	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 114 शांति बाई / रामदयाल के घर से म.नं.127तक, म.नं. 130 से म.नं. 131विनिता / राजू के घर तक
09	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 132 नन्नीबाई / घासीराम से म.नं. 141तक, म.नं. 143 से म.नं.144, म. नं.146 से 156 केशरी / गोपाल सिंह के घर तक
10	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 2/8 पूजा / सूरज, 3, म.नं. 157 से म.नं.172 प्रभा / प्रकाश के घर तक
11	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 173 शिवप्यारी / इंद्रजीत के घर से म.नं.189 प्रकाश चंद्र / कैलाश चंद्र के घर तक
12	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 190 बाबूलाल / मुन्नालाल के घर से म.नं. 194, म.नं. 196 से म.नं.205 आशा / सोमत के घर तक
13	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 206 नाथूराम / रूगनाथ के घर से म.नं.207, म.नं.209 से म.नं.211, म. नं.213 से म.नं.215, म.नं.218, म.नं. 221 से म.नं.223, म.नं.225 से 227, म.नं.229 से 231, म.नं.233 संजय / चिरौंजी तक
14	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 233भगवती / अमरदास के घर से 236, म.नं.238 से 254 विजय सिंह / मदनलाल के घर तक

		15	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 255 कमल सिंह/खुमान सिंह के घर से म.नं.257, म.नं.260 से म.नं. 262, म.नं.264 से 270, म.नं.272 से 274, म.नं.276 से म.नं. 278 महेश /सीताराम के घर तक		
		16	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 279 सीताराम/ प्रभुलाल के घर से 284, म.नं.286 से 293, म.नं.295 से 296पवन कुमार /भैरु सिंह के घर तक		
		17	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 297 जमना प्रसाद / बाबूलाल के घर से 298, म.नं.302 से म.नं.303, म.नं.305, म.नं.308,म.नं. 312से 313, म.नं.315 से 317, म.नं.319 से म.नं. 326 अनीता /अशोक कुमार के घर तक		
		18	म.सू. अनुसार तारासेवनिया म.नं. 327 हरिनारायण/भागीरथ के घर से 339, म.नं.341 से 342, म.नं.345 से 349, म.नं.713,764,765, म.नं. क221 प्रागीलाल /चरललाल के घर तक		
		19	म.सू. अनुसार पिपलियाछपरबंद म.नं. 172 बिनिया बाई/वंशीलाल के घर से 176, म.नं.179, म.नं.181से182, म. नं.184 से 191, म.नं.193से 196,म.नं. 198 से 205, 207, म.नं.286 बने सिंह /बाबूलाल के घर तक		
		20	म.सू. अनुसार पिपलियाछपरबंद, पृथ्वीपुरा म.नं. 21हिरिया बाई/प्रभुलाल के घर से, म.नं.175, म.नं.203, म.नं.208 से 212, म.नं.214 से म.नं.219पप्पी / गंगाराम के घर तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	टीलाखेडी	01	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 3/1 मनोहरलाल/मोतीलाल से 6,9,39/1,43/1,59/1, 178/3 राधा मालवीय/अविनाश मालवीय के मकान तक	अ.जा. अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग	2 0 4
		02	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 9/4 जगन्नाथ/राधेकिशन से 9/5,10,10/1,11,11/1,11/2,12,12/1,12/2, 13,13/1,13/2,13/3,14,16/1,16/2 उमा वर्मा/राहुल वर्मा के घर तक	महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	1 0 2 5
		03	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 17/1 राम सिंह/रामलाल से 17/2,18,19,23,23/1,24,24/1,25,26/1, 26/2,31,31/1, 31/2,35,36/2,37,37/21,38,,38/1, 39/2,39/3,39/4, 39/5 प्रदीप./ओमप्रकाश के घर तक		
		04	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 31 अरविन्द कुमार/जगदीश प्रसाद के मकान से 36/2,38,38/2,38/3,38/11,38/12, 38/22,39,40,40/1, 40/2,43,44/1,158/3,158/4,158/5 सुईया बाई/ताराचंद के मकान तक		

05	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 45/1 बसंती बाई/बाबूलाल के मकान से 46/2,46,47/2,97/21,98,48/1,48/2,49, 49/1,49/2,50,51, 51/1,51/2,51/21,51/22, 58,58/1 ,58/2,58/3,58/4,58/5 नगीना/बदीप्रसाद के मकान तक
06	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 43/2 हरिप्रसाद/जगन्नाथ से 59,60,60/1,62/1,63/1,63/2,69, 65/2,66,67/1, 67/2,67/32,67/34,67/35,91/3 हेमलता के घर तक
07	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 68 घनश्याम/छगनलाल से 69,71,71/1,72,73,77/1,77/2,77/11, 79/2,80,81/1,81/2, 81/1 सीमा बाई के मकान तक
08	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 62/2 रमेशचन्द्र/मोतीलाल से 91/3,86/3,86/4,86/5,86/6,86/6, 86/31,87,89,91/2, 92,93,95/1 रिकी बाई/विक्रम के घर तक
09	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 95/2 बाबूलाल/बुलचंद से म.नं. 95/3,95/9,97/1,97/2,97/3, 97/11,99/1,92/2, 99/21,102,103/1,103/2,108,110,110/1, 112/2,112/3, 112/3 हरिकिशन/देवाजी के मकान तक
10	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 23 सीमा वर्मा/ब्रजेश वर्मा से 114/1,114/2,114/22,116,117/1, 117/2,117/21,117/22,118,119/1, 119/2, 119/3,119/4,119/2क,121,123,125/1, 144/1 अनिल राठौर के मकान तक

11	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 125/1 गीता बाई/बद्रीप्रसाद से 125/2,125/3,125/4,126,126/1,130,132, 133,133/1, 138,139/1,139/2,139/3 मुकेश सेन/माखन सेन के घर तक		
12	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 141 देव बक्श/इमरतलाल से 141/1,141/2,142,142/1,142/2,142/3,142/4, 143,143/1, 143/2,143/3,143/4,145,146,146/1,146/2, 153,153/1,153ग, 154 नारायणी बाई/सुमेर सिंह के मकान तक		
13	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 138 देवेन्द्र वर्मा/बाबूलाल से म.नं. 153/2,155,155/1,155/2, 155/3, 156/1,156/2,158, 158/1,161,163,163/1,163/2 लीला बाई/सुमेर सिंह के मकान तक		
14	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 164 बतूल बी/मेहमूद बी से म.नं. 164/1,164/2,164/3,164/4,164/5, 168,168/1,168/2,168/3,168/4,168/5, 168/6,168/7, 168/8,168/3ब,170,170/1,172,172/1,173,174, 178,178/1,172/2,178/3,178/4,179/1 मोहन/दरयाव सिंह के घर तक		
15	म.सू.अनुसार टीलाखेडी म.नं. 179/1 दरयाबदास/गंगादास से म.नं. 179/2,179/3,179/12,179/13, 179/14,179/2, 179/3,180,181/1,180/1,188,188/1, 188/2,188/3, 189,191,192,192/1,192/2,193,193/1, 194,194/1,194/2,194/1 क, 197,201,202,203,204 अर्चना/रामगोपाल के मकान तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 06/09/2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात :-

अनु. क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	तूमड़ा	01	म.सू. अनुसार तूमड़ा म.नं. 1 कविता/ओमप्रकाश के मकान से 8,10, 1403 रानी /बाबूलाल के मकान तक	अ.जा.	6
		02	म.सू.अनुसार तूमड़ा म.नं.15 कन्हैया/ पन्नालाल के मकान से 23 मंजू /सुधीर , 28 सौरभ/कमल से 28,30,38,40,44, 48,52, 56 निर्मला /राहुल यादव के मकान तक	अ.ज.जा. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अ.जा. महिला अ.ज.जा. महिला अन्य पिछड़ा वर्ग महिला सामान्य	0 5 3 0 3 5
		03	म.सू.अनुसार तूमड़ा म.नं. 57 सुखिया बाई/जगन्नाथ के मकान से 60,62,71, 81,85,87,88 रागिनी पाटीदार/ भूषण पाटीदार के मकान तक		
		04	म.सू.अनुसार तूमड़ा म.नं. 89 सूरज /नन्नु लाल के मकान से 95,97,102, 113,117,119 गोपाल /कन्हैया लाल के मकान तक		
		05	म.सू.अनुसार तूमड़ा म.नं. 120 रुकमणि बाई / रामप्रसाद के मकान से 136,138,139,141,142,144,149,246 हरिप्रसाद /रामप्रसाद के मकान तक		
		06	म.सू.अनुसार तूमड़ा म.नं. 150 केवल कृष्ण / चौखेलाल के मकान से 162, 165,169,173 मधु /प्रवीण पाटीदार के घर तक		

07	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 174 रामकिशन/माधोलाल के घर से 175, 177,179,181,183,186,188,196,198,200, 203, 208 विवेक /परमानंद पाटीदार तक
08	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 209 नन्नू लाल के मकान से 210,212,214,216, 219, 221,224,227,235,237,244,288,810 सरिता / जीवन के मकान तक
09	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 1 रवि कुमार / कैलाश चंद्र, 12,14,16,18, 185,19,196,20,21,201,203,245,246, 253 इमरत सिंह / लीलाकिशन अहिरवार के मकान तक
10	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 24 भगवती बाई / मांगीलाल के घर से 42,45,49, 51,55 रामप्यारी / रामचरण के घर तक
11	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 48 देवनारायण / ग्यारसी लाल के घर से 48,55,57,59,74रोहित / रामप्रसाद के घर तक
12	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 75 सरजू बाई / लालजीराम के घर से 75,91, 94,97,99,100 दयावती / शिवनारायण के घर तक
13	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 101 नन्नू लाल/जयसिंह के घर से 117,119,121, 123,125,126,133 दिनेश / गंगाराम के घर तक
14	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 134 प्रेमनारायण/सरदार के घर से 138,140, 141,143,145,147,148,150,156,158, 159,161,165 प्रीति /कांता प्रसाद के घर तक
15	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 166 जयराम/देवीराम के घर से 166,168, 178,181,186,190,197,राजकुमार /रामसिंह के घर तक



	16	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 70 रामेश्वर शर्मा / मूलचंद्र शर्मा के घर से 70,198, 205,207,210,212,215,217,221,223,229, 232,236,241,243,245,254,284,285,340, 372,412,414 सावित्री बाई / भरोसे लाल के घर तक		
	17	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 1 मदननाथ / देवनाथ के घर से 3,5,13,16,28,30, 32,34,40,42,43,53,81,142,154,155 सौरभ बाई / चैनसिंह नाथ के घर तक		
	18	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 1 दरियाव सिंह/भमर जी 15,17,23,25,26 शरीफ / आशिफ अली के घर तक		
	19	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 26 शबाना बी / शफीक अली के घर से 27,29, 41,43,50 राहुल/कुंवर जी के घर तक		
	20	म.सू.अनुसार तूमड़ा. म.नं. 51 गेंदी बाई / धनलाल के घर से 58,60,61,63, 67,69,71,73,18 अनीता बाई / अजब सिंह के घर तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सूरजपुरा	सूरजपुरा	सूरजपुरा	1061	1
			बाबूखेडी	बाबूखेडी	321	1

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खाताखेडी	खाताखेडी	खाताखेडी	839	2
			गनाखेडी	गनाखेडी	553	2
			चंदपुरा	चंदपुरा	557	2
			बीजापुरा	बीजापुरा	137	2

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गढाब्राहमण	गढाब्राहमण	गढाब्राहमण	1013	3

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सिन्धौडा	सिन्धौडा	सिन्धौडा	1716	17
			पीपाखेडी	पीपाखेडी	372	17

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कोल्हूखेडी खुर्द	कोल्हूखेडी खुर्द	कोल्हूखेडी खुर्द	938	4
			रावतपुरा	रावतपुरा	580	4
			पातलापानी	पातलापानी	547	4
			किटईदेवापुरा	किटईदेवापुरा	286	4
			पातलपुर	पातलपुर	409	4

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खण्डारिया	खण्डारिया	666	666	5
			कालापाठा	176	176	5
			हरिपुर	639	639	5
			खेरखेडा	227	227	5
			गौरिया	147	147	5

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खेजडाघाट	खेजडाघाट	708	708	18
			घोघलपुर	587	587	18
			खेरखेडी	407	407	18

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	रमाहा	रमाहा	रमाहा	938	16
			खेजडाकल्याणपुर	खेजडाकल्याणपुर	793	16

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	नजीरावाद	नजीरावाद	3756	3756	19

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	नायसमंद	नायसमंद	नायसमंद	1899	9

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	वीलखो	वीलखो	वीलखो	1623	6
			ढोकापुरा	ढोकापुरा	147	6

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	वडवेलीकलां	वडवेलीकलां	वडवेलीकलां	966	20
			धामनतोडी	धामनतोडी	655	20

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खजूरियाकला	खजूरियाकला	खजूरियाकला	673	14
			सुराना	सुराना	939	14
			मैनापुरा	मैनापुरा	349	14

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कढैयाकोटा	कढैयाकोटा	कढैयाकोटा	1366	10
			भैसाना	भैसाना	417	10
			कीटगढ	कीटगढ	90	10
			मानाकुण्ड	मानाकुण्ड	655	10

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गढाखुर्द	गढाखुर्द	गढाखुर्द	624	12
			श्यारकला	श्यारकला	289	12
			नेकली	नेकली	63	12
			कल्याणपुर	कल्याणपुर	489	12

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बंदरुआ	बंदरुआ	बंदरुआ	609	7
			वडवेलीखुर्द	वडवेलीखुर्द	392	7
			बैरखेडी	बैरखेडी	428	7
			भानपुर	भानपुर	229	7
			तिनोनिया	तिनोनिया	95	7
			बरखेडी	बरखेडी	382	7
			मलकारी	मलकारी	495	7

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	अमरपुर	अमरपुर	अमरपुर	1092	22
			बरखेडाकला	बरखेडाकला	786	22

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बहरावल	बहरावल	बहरावल	1013	21
			डोंगरगांव	डोंगरगांव	638	21
			भाटनी	भाटनी	732	21

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गढाकलां	गढाकलां	गढाकलां	2136	11

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गुर्जरतोडी	गुर्जरतोडी	गुर्जरतोडी	760	8
			सुजनपुरा	सुजनपुरा	वीरान	8
			कांदीखेडी	कांदीखेडी	367	8
			दरीयापुर	दरीयापुर	145	8

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	तरावलीखुर्द	तरावलीखुर्द	तरावलीखुर्द	588	61
			इन्दरपुरा	इन्दरपुरा	361	61
			मूडलाचट्टान	मूडलाचट्टान	485	61
			ठिकरियाबरामद	ठिकरियाबरामद	326	61

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	जमूसरकला	जमूसरकला	जमूसरकला	2825	64

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सोहाया	सोहाया	सोहाया	3024	63

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	दोहाया	दोहाया	दोहाया	841	62
			मानापुरा	मानापुरा	593	62
			हिनोतियाघाट	हिनोतियाघाट	526	62

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	धतूरिया	धतूरिया	धतूरिया	851	75
			बिछनई	बिछनई	104	75
			खाईखेडा	खाईखेडा	270	75
			दौजयाई	दौजयाई	558	75

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	आंकिया	आंकिया	953	953	23
			भकवाहा	577	577	23

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	भुजपुराकला	भुजपुराकला	भुजपुराकला	1037	13
			नीमखेडी	नीमखेडी	801	13
			मंझेडा-मंझेडी	मंझेडा-मंझेडी	317	13

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	दमीला	दमीला	दमीला	613	26
			दंदेरी	दंदेरी	88	26
			कनेरा	कनेरा	289	26
			गनियारी	गनियारी	248	26
			कढैयाब्रह्माण	कढैयाब्रह्माण	229	26
			बम्होरी	बम्होरी	159	26
			शेषापुरा	शेषापुरा	303	26

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	चांदासलोई	चांदासलोई	चांदासलोई	533	58
			शाहपुर	शाहपुर	544	58
			पथरिया	पथरिया	191	58

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कढैयाशाह	कढैयाशाह	कढैयाशाह	1457	59
			रमपुराखुर्द	रमपुराखुर्द	513	59

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	जमूसरखुर्द	जमूसरखुर्द	जमूसरखुर्द	1364	65
			खेजडामिश्र	खेजडामिश्र	863	65

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बराई	बराई	बराई	719	73
			अराईरायसिंह	अराईरायसिंह	328	73
			अराईसरदारसिंह	अराईसरदारसिंह	284	73
			हिनोतियापीरान	हिनोतियापीरान	709	73
			पीपलखेडी	पीपलखेडी	11	73

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	हिंगोनी	हिंगोनी	हिंगोनी	653	74
			परसोरिया	परसोरिया	673	74
			खेजडापरिहार	खेजडापरिहार	498	74

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बरखेडायकूव	बरखेडायकूव	बरखेडायकूव	1297	77
			हमीदखेडी	हमीदखेडी	622	77

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बबचिया	बबचिया	बबचिया	2255	78

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	अर्जुनखेडी	अर्जुनखेडी	अर्जुनखेडी	964	76
			खेजडाघाट	खेजडाघाट	540	76

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	मेंगरानवीन	मेंगरानवीन	मेंगरानवीन	618	30
			बांदीखेडी	बांदीखेडी	564	30
			सुमेर	सुमेर	217	30
			विजावनकलां	विजावनकलां	704	30

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	मंगलगढ	मंगलगढ	मंगलगढ	810	29
			पाडली	पाडली	337	29
			विजावनखुर्द	विजावनखुर्द	184	29

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	रुनाहा	रुनाहा	रुनाहा	3082	24

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सुनगा	सुनगा	सुनगा	1328	25
			बडली	बडली	318	25
			भुजपुराखुर्द	भुजपुराखुर्द	70	25
			जगमैरी	जगमैरी	297	25

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	परसौरा	परसौरा	परसौरा	895	27
			हिर्नोतियाजागीर	हिर्नोतियाजागीर	578	27
			नेतापुरा	नेतापुरा	326	27
			शुक्ला	शुक्ला	361	27
			बम्हौरा	बम्हौरा	403	27
			रामटेक	रामटेक	113	27

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खितवांस	खितवांस	खितवांस	746	57
			बागापुरा	बागापुरा	613	57
			बोरपुरा	बोरपुरा	216	57
			जूनापानी	जूनापानी	303	57

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	चाटाहेडी	चाटाहेडी	चाटाहेडी	1093	60
			ढेकपुर	ढेकपुर	1085	60

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	मैगराकलां	मैगराकलां	मैगराकलां	1368	66
			कीटखेडी	कीटखेडी	488	53

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	डूंगरिया	डूंगरिया	डूंगरिया	2236	72

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	नरेलादामोदर	नरेलादामोदर	नरेलादामोदर	825	80
			चंदनखेडी	चंदनखेडी	263	80
			उमरिया	उमरिया	303	80

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	धूतखेडी	धूतखेडी	धूतखेडी	949	31
			पारासौन	पारासौन	861	31

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	मनीखेडी (पार्वती)	मनीखेडी (पार्वती)	मनीखेडी (पार्वती)	533	32
			ठिकरियालक्ष्मणपुरा	ठिकरियालक्ष्मणपुरा	179	32
			भाउपुरा	भाउपुरा	372	32
			गोंदाखेडी	गोंदाखेडी	363	32
			कालापीपल	कालापीपल	306	32

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	मूडलाचंद	मूडलाचंद	मूडलाचंद	503	79
			लहारपुर	लहारपुर	523	79
			खजूरी रांकू	खजूरी रांकू	495	79

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कोल्हूखेडीकला	कोल्हूखेडीकला	कोल्हूखेडीकला	2222	28
			कढैयाखुर्द	कढैयाखुर्द	308	28

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बागसी	बागसी	बागसी	1515	33
			जाजनखेडी	जाजनखेडी	451	33

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	रमगढा	रमगढा	रमगढा	1158	55
			भौजापुरा	भौजापुरा	715	55

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	हबीबगंज	हबीबगंज	हबीबगंज	1762	56

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	निदानपुर	निदानपुर	निदानपुर	505	54
			गांगाखेडी	गांगाखेडी	336	54
			सलोईसंगराज	सलोईसंगराज	491	54
			बरखेडामौजी	बरखेडामौजी	325	54

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	करारिया	करारिया	करारिया	995	67
			पातालपुर	पातालपुर	14	66

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बैरागढ	बैरागढ	बैरागढ	1036	71
			परवरिया	परवरिया	303	71
			बरेलाखेडा	बरेलाखेडा	344	71

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	ललरिया	ललरिया	ललरिया	6385	81

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कोटरा	कोटरा	कोटरा	822	34
			धनोरा	धनोरा	615	34
			जंगलियापुरा	जंगलियापुरा	276	34

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	ललोई	ललोई	ललोई	1862	38
			डकनई	डकनई	18	38

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	देवलखेडा	देवलखेडा	देवलखेडा	557	53
			इमलियास्वरूप	इमलियास्वरूप	439	53
			खेजडागोपी	खेजडागोपी	592	53

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	इमलियानरेन्द्र	इमलियानरेन्द्र	इमलियानरेन्द्र	1296	68
			मनख्याई	मनख्याई	921	68

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कुल्हौर	कुल्हौर	कुल्हौर	2111	70

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	झिकरियाखुर्द	झिकरियाखुर्द	झिकरियाखुर्द	912	82
			खेजडाकमाल	खेजडाकमाल	211	82
			छपरियाई	छपरियाई	525	82
			लतीफपुर	लतीफपुर	425	82

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सैमराभैरोपुरा	सैमराभैरोपुरा	सैमराभैरोपुरा	834	35
			मीठीछापरी	मीठीछापरी	432	35
			झिरनिया	झिरनिया	962	35

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	दौलतपुरा	दौलतपुरा	दौलतपुरा	1009	37
			अजबपुरा	अजबपुरा	488	37
			करनपुरा	करनपुरा	425	37
			झिरनियाकांकड	झिरनियाकांकड	976	37

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019  
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

ला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कढैया चवर	कढैया चवर	कढैया चवर	1313	36
			कढैया खो	कढैया खो	698	36
			रीछई	रीछई	243	36
			अगरा	अगरा	38	36

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019  
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खुकरिया	खुकरिया	खुकरिया	872	39
			मदनई	मदनई	22	39
			चपडिया	चपडिया	742	39

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बिरहाश्यामखेडी	बिरहाश्यामखेडी	बिरहाश्यामखेडी	1489	51
			रेहटई	रेहटई	164	51
			बिरहई	बिरहई	85	51
			महुआखेडा	महुआखेडा	394	51

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खजूरिया रामदास	खजूरिया रामदास	खजूरिया रामदास	1119	48

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बरी छीरखेडा	बरी छीरखेडा	बरी छीरखेडा	647	69
			भौरासा	भौरासा	970	69

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	लंगरपुर	लंगरपुर	लंगरपुर	1094	84

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड. का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	दामखेडा	दामखेडा	दामखेडा	1951	83

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड. का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	रमपुरा वालाचौन	रमपुरा वालाचौन	रमपुरा वालाचौन	2118	40
			वावडीखार	वावडीखार	432	40

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कचनारिया	कचनारिया	कचनारिया	1232	41
			गोरियासनखेडा	गोरियासनखेडा	718	41

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	तरावलीकलां	तरावलीकलां	तरावलीकलां	1212	42
			हिरनखेडी	हिरनखेडी	1355	42
			चाकखेडा	चाकखेडा	144	42

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	नलखेडा	नलखेडा	नलखेडा	2285	50

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	भैसोदा	भैसोदा	भैसोदा	1560	49

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सेमराकलां	सेमराकलां	सेमराकलां	1026	47

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	महौली	महौली	महौली	1134	91
			उन्दरई	उन्दरई	543	91
			बरखेडी बरामद	बरखेडी बरामद	160	91
			बरी गुर्जर	बरी गुर्जर	603	91

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	धमर्रा	धमर्रा	धमर्रा	3398	90

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सोनकच्छ	सोनकच्छ	सोनकच्छ	1001	43
			टांडा	टांडा	668	43

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बरखेडाबरामद	बरखेडाबरामद	बरखेडाबरामद	2055	44
			चारपहाडी बाज्याप्त	चारपहाडी बाज्याप्त	168	44

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गरेठियादांगी	गरेठियादांगी	गरेठियादांगी	862	46
			सागोनीकलां	सागोनीकलां	598	46
			सागोनीखुर्द	सागोनीखुर्द	2	46

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बरोडी	बरोडी	बरोडी	1062	45
			दरवाजी	दरवाजी	329	45
			खूजाखेडी	खूजाखेडी	268	45

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	अर्रावती	अर्रावती	अर्रावती	842	85
			चठीआ	चठीआ	694	85
			पीपलखेडी	पीपलखेडी	527	85

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	जूनापानी	जूनापानी	जूनापानी	1297	93

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	रौंडिया	रौंडिया	रौंडिया	1495	94
			जाफरावाद	जाफरावाद	345	94

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	दिल्लौद	दिल्लौद	दिल्लौद	2507	102

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	हर्राखेडा	हर्राखेडा	हर्राखेडा	2429	89

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सेमरीकलां	सेमरीकलां	सेमरीकलां	1044	88

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	उंटखेडा	उंटखेडा	उंटखेडा	1172	87
			बगराज	बगराज	706	87

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	बरीबगराज	बरीबगराज	बरीबगराज	791	86
			रौजियाबाज्याप्त	रौजियाबाज्याप्त	729	86
			खेजडाबब्बर	खेजडाबब्बर	375	86
			बुधोरकलां	बुधोरकलां	823	86

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कलारा	कलारा	कलारा	2520	95

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	पीपलखेडा	पीपलखेडा	पीपलखेडा	1405	100

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	मनीखेडी (गुनगा)	मनीखेडी (गुनगा)	मनीखेडी (गुनगा)	1265	103

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	जैतपुरा	जैतपुरा	जैतपुरा	838	108
			मुडियाखेडा	मुडियाखेडा	564	108

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	पारदी	पारदी	पारदी	629	104
			बांदीखेडी	बांदीखेडी	476	104

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	हिनोतीसडक	हिनोतीसडक	हिनोतीसडक	1632	105

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	पिपलियाहस्नावाद	पिपलियाहस्नावाद	पिपलियाहस्नावाद	1694	52

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सुकलिया	सुकलिया	सुकलिया	1172	106
			पिपलियाकदीम	पिपलियाकदीम	846	106

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कुटकीपुरा	कुटकीपुरा	कुटकीपुरा	914	97
			नामदारपुरा	नामदारपुरा	330	97
			खेडी	खेडी	390	97

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	करोँदिया	करोँदिया	करोँदिया	1510	98

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गुनगा	गुनगा	गुनगा	3745	99

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	रतुआरतनपुर	रतुआरतनपुर	रतुआरतनपुर	2752	107
			सागोनीजोरा	सागोनीजोरा	272	107

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कोटराचौपडा	कोटराचौपडा	कोटराचौपडा	999	109
			बेरखेडीकला	बेरखेडीकला	619	109

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	भैंसखेडा	भैंसखेडा	भैंसखेडा	1250	110
			पिपलियाजुन्नारदार	पिपलियाजुन्नारदार	218	110

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	कढैयाकला	कढैयाकला	कढैयाकला	1061	15
			बरखेडाखुर्द	बरखेडाखुर्द	609	15

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गांगापिपलिया	गांगापिपलिया	गांगापिपलिया	1226	92

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	इजगिरी	इजगिरी	इजगिरी	1338	101

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	उनीदा	उनीदा	उनीदा	1011	96
			भुगनयाई	भुगनयाई	478	96

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	खादमपुर	खादमपुर	खादमपुर	1118	108
			चांदबडकदीम	चांदबडकदीम	468	108
			रुसल्ली	रुसल्ली	944	104

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक 22 अगस्त 2019  
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	गोंडीपुरा	गोंडीपुरा	गोंडीपुरा	1077	58

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019  
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	विनेका	विनेका	विनेका	503	84
			डंगरोली	डंगरोली	479	84
			चारपहाडी	चारपहाडी	239	70

## तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सेमरीखुर्द	सेमरीखुर्द	सेमरीखुर्द	589	67
			गरेठियाबाज्याप्त	गरेठियाबाज्याप्त	520	67

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	रानीखजूरी	रानीखजूरी	रानीखजूरी	737	76
			पुराखाना	पुराखाना	531	76

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	केशोखेडी	केशोखेडी	केशोखेडी	614	88
			कोल्हूखेडीसडक	कोल्हूखेडीसडक	480	88

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	पसैया	पसैया	पसैया	671	8
			सेमरा	सेमरा	516	8
			महुआखेडा	महुआखेडा	115	8

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	सपौआ	सपौआ	सपौआ	725	47
			झिकरियाकलां	झिकरियाकलां	625	47

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	उमरिया	उमरिया	उमरिया	643	1
			आमल्या	आमल्या	461	1
			सहोदरा	सहोदरा	113	17

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक 22 अगस्त 2019  
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला भोपाल के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। इस संविलियन के परिणाम स्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुये सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

## सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
भोपाल	बैरसिया	नरेला बाज्याप्त	नरेला बाज्याप्त	नरेला बाज्याप्त	913	48
			आजमपुर	आजमपुर	244	47

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खजूरियारामदास	1	खजूरियारामदास हंसो बाई म.न. 01 से म.न.12 गोपाल तक	अ.जा.	5
2	खजूरियारामदास	2	खजूरियारामदास राम बाई म.न. 13 से म.न. 19 रामदयाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	खजूरियारामदास	3	खजूरियारामदास विनिया बाई म.न. 20 से म.न.31 मिश्रीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	खजूरियारामदास	4	खजूरियारामदास सुन्दरलाल म.न. 32 से म.न.51 बारेलाल तक	महिला अ0जा0	3
5	खजूरियारामदास	5	खजूरियारामदास बट्टूलाल म.न. 52 से म.न.62 शिवचरण तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	खजूरियारामदास	6	खजूरियारामदास विशो बाई म.न. 63 से म.न. 76 जानकी बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	खजूरियारामदास	7	खजूरियारामदास रजिया बाई म.न. 77 से म.न.91 बालकिशन तक	महिला सामान्य	
8	खजूरियारामदास	8	खजूरियारामदास सोदानसिंह म.न. 92 से म.न.102 सुरतसिंह तक		
9	खजूरियारामदास	9	खजूरियारामदास मोतीलाल म.न. 103 से म.न.108 जितेन्द्र सिंह तक		
10	खजूरियारामदास	10	खजूरियारामदास उमदसिंह म.न. 117 से म.न.130 भुरीबाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बैरागढ	1	बैरागढ मकान नं. 1 पम्मी बाई से मकान नं. 13 दलपत सिंह तक	अ.जा.	3
2	बैरागढ	2	बैरागढ मकान नं. 14 दौलत सिंह से मकान नं. 27 पन्नालाल तक	अ.ज.जा.	1
3	बैरागढ	3	बैरागढ मकान नं. 28 पूना बाई से मकान नं. 46 चैन सिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	बैरागढ	4	बैरागढ मकान नं. 48 मुन्नीलाल से मकान नं. 59 गबरु तक	महिला अ0जा0	2
5	बैरागढ	5	बैरागढ मकान नं. 60 जयशम से मकान नं. 73 कुन्दन सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	बैरागढ	6	बैरागढ मकान नं. 74 लालाराम से मकान नं. 91 सडी बाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	बैरागढ	7	बैरागढ मकान नं. 92 हरिसिंह से मकान नं. 111 भुर जी तक	महिला सामान्य	2
8	बैरागढ	8	बैरागढ मकान नं. 114 दौलत सिंह से मकान नं. 131 कोमल सिंह तक		
9	बैरागढ	9	परवरिया मकान नं. 1 प्रताप सिंह से मकान नं. 11 विनयसिंह तक		
10	बैरागढ	10	परवरिया मकान नं. 12 मानो बाई से मकान नं. 20 पतिराम तक		
11	बैरागढ	11	परवरिया मकान नं. 23 लूमा बाई से मकान नं. 34 भगीरथ तक		
12	बैरागढ	12	बरेलाखेडा मकान नं. 1 जमनाप्रसाद से मकान नं. 16 कामती बाई तक		
13	बैरागढ	13	बरेलाखेडा मकान नं. 17 तूफान सिंह से मकान नं. 25 पूरन सिंह तक		
14	बैरागढ	14	बरेलाखेडा मकान नं. 26 खेलन सिंह से मकान नं. 37 (ख) प्रेमदास तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेमराकला	1	सेमराकला मकान नं. 1 रामकली बाई से मकान नं. 21 ज्ञान सिंह तक	अ.जा.	3
2	सेमराकला	2	सेमराकला मकान नं. 22 प्रहलाद सिंह से मकान नं. 31 उत्तमसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सेमराकला	3	सेमराकला मकान नं. 32 उमेशसिंह से मकान नं. 45/क देवीसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सेमराकला	4	सेमराकला मकान नं. 46 लीलाकिशन से मकान नं. 53 गंगाप्रसाद तक	महिला अ0जा0	2
5	सेमराकला	5	सेमराकला मकान नं. 55 नवलसिंह से मकान नं. 63 सौदानसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सेमराकला	6	सेमराकला मकान नं. 63 क कमलेशकुमार से मकान नं. 72 पुन्नालाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	सेमराकला	7	सेमराकला मकान नं. 74 सम्पतबाई से मकान नं. 85 पुन्नालाल तक	महिला सामान्य	निरंक
8	सेमराकला	8	सेमराकला मकान नं. 86 हल्कीबाई से मकान नं. 98 अजब बाई तक		
9	सेमराकला	9	सेमराकला मकान नं. 99 भमरजी से मकान नं. 111 इमरतसिंह तक		
10	सेमराकला	10	सेमराकला मकान नं. 112 बारेलाल से मकान नं. 124 संध्या तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर, जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	हिंगोनी	1	हिंगोनी मकान नं. 1 रघुवीर सिंह से मकान नं. 11 हरि बाई तक	अ.जा.	7
2	हिंगोनी	2	हिंगोनी मकान नं. 12 आधार बाई से मकान नं. 28 आधार बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	हिंगोनी	3	हिंगोनी मकान नं. 30 चरण सिंह से मकान नं. 40 कुवर बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	हिंगोनी	4	हिंगोनी मकान नं. 43 सुरजन सिंह से मकान नं. 52 मन्जूलाल तक	महिला अ0जा0	4
5	हिंगोनी	5	हिंगोनी मकान नं. 53 बद्रीप्रसाद से मकान नं. 63 केशर बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	हिंगोनी	6	परसोरिया मकान नं. 1 बालमुकंद से मकान नं. 12 सोमत सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	हिंगोनी	7	परसोरिया मकान नं. 13 गुलाव बाई से मकान नं. 28 प्रचम सिंह तक	महिला सामान्य	1
8	हिंगोनी	8	परसोरिया मकान नं. 29 तखत सिंह से मकान नं. 39 पैजम सिंह तक		
9	हिंगोनी	9	परसोरिया मकान नं. 40 रूप सिंह से मकान नं. 52 बख्शीराम तक		
10	हिंगोनी	10	परसोरिया मकान नं. 53 किशोरीलाल से मकान नं. 86 इन्दर सिंह तक		
11	हिंगोनी	11	खेजडापरिहार मकान नं. 2 पर्वत सिंह से मकान नं. 12 रमेश तक		
12	हिंगोनी	12	खेजडापरिहार मकान नं. 13 कालूराम से मकान नं. 29 प्रान बाई तक		
13	हिंगोनी	13	खेजडापरिहार मकान नं. 30 मनीराम से मकान नं. 35 लल्ली तक		
14	हिंगोनी	14	खेजडापरिहार मकान नं. 36 धनवीर सिंह से मकान नं. 44 अजबीबाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	करारिया	1	करारिया मकान नं. 1 विनिता से मकान नं. 8 अंगूरी बाई तक	अ.जा.	5
2	करारिया	2	करारिया मकान नं. 9 लक्ष्मी बाई से मकान नं. 20 भैयालाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	करारिया	3	करारिया मकान नं. 21 बुद्धाराम से मकान नं. 29 बदरसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	करारिया	4	करारिया मकान नं. 30 धनवीरसिंह से मकान नं. 38 घीसीबाई तक	महिला अ0जा0	3
5	करारिया	5	करारिया मकान नं. 39 धीरप सिंह से मकान नं. 45 क नारायणसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	करारिया	6	करारिया मकान नं. 46 गोमती बाई से मकान नं. 53 ख सुनीता बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	करारिया	7	करारिया मकान नं. 54 रोडसिंह से मकान नं. 62 सुरेन्द्र कुमार तक	महिला सामान्य	
8	करारिया	8	करारिया मकान नं. 63 चमेली से मकान नं. 80 राजकमल तक		
9	करारिया	9	करारिया मकान नं. 81 नवलसिंह से मकान नं. 91 मशाराम तक		
10	करारिया	10	करारिया मकान नं. 92 बिहारीलाल से मकान नं. 153 दिवानसिंह तक एवं ग्राम पातालपुर		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	करोँदिया	1	करोँदिया मेवा बाई म.न. 1 से म.न. 8 दौलतबाई तक	अ.जा.	6
2	करोँदिया	2	करोँदिया अमरसिंह म.न. 9 से म.न. 21 मोहरसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	करोँदिया	3	करोँदिया जसोदीबाई म.न. 24 से म.न. 37 किशोरीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	करोँदिया	4	करोँदिया मनीराम म.न. 38 से म.न. 43 जहीरउल्ला तक	महिला अ0जा0	3
5	करोँदिया	5	करोँदिया दौलतराम म.न. 46 से म.न. 55 रामगोपाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	करोँदिया	6	करोँदिया द्रोपती बाई म.न. 56 से म.न. 66 प्रेमनारायण तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	करोँदिया	7	करोँदिया कुंदनलाल म.न.68 से म.न. 81 हरबो बाई तक	महिला सामान्य	1
8	करोँदिया	8	करोँदिया लक्ष्मीनारायण म.न. 82 से म.न. 99 सुशीलाबाई तक		
9	करोँदिया	9	करोँदिया पार्वतीबाई म.न. 100 से म.न. 117 बटनलाल तक		
10	करोँदिया	10	करोँदिया शंताबाई म.न. 118 से म.न. 135 गोकूल तक		
11	करोँदिया	11	करोँदिया मुल्लोबाई म.न. 136 से म.न. 153 रामकली तक		
12	करोँदिया	12	करोँदिया चैनसिंह म.न. 154 से म.न. 165 सईदउल्लाखा तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 अक्टूबर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				पूर्ववर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सुरजपुरा	1	सुरजपुरा मकान नं.1 भवरी बाई से मकान नं. 14 देवीराम तक	अ.जा.	2
2	सुरजपुरा	2	सुरजपुरा मकान नं.15 मन्मूलाल से मकान नं. 24 शंकरलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सुरजपुरा	3	सुरजपुरा मकान नं.25 हरीराम से मकान नं. 36 केशर बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सुरजपुरा	4	सुरजपुरा मकान नं.37 बद्रीलाल से मकान नं. 45 इमरत सिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	सुरजपुरा	5	सुरजपुरा मकान नं.48 लल्लू सिंह से मकान नं. 63 रामप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सुरजपुरा	6	सुरजपुरा मकान नं.65 सदाराम से मकान नं. 77 पर्वत सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	सुरजपुरा	7	सुरजपुरा मकान नं.78 हिमात सिंह से मकान नं. 91 इरकिशन तक	महिला सामान्य	2
8	सुरजपुरा	8	सुरजपुरा मकान नं.93 लीला बाई से मकान नं. 138 करनसिंह तक		
9	सुरजपुरा	9	बाबूखेडी मकान नं.1 बदलूलाल से मकान नं. 13 कस्तूरी बाई तक		
10	सुरजपुरा	10	बाबूखेडी मकान नं.14 रुपा बाई से मकान नं. 31 ग्यारसी बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खाताखेडी	1	खाताखेडी मकान नं.1 नाराणी बाई से मकान नं. 7 कमला बाई तक	अ.जा.	2
2	खाताखेडी	2	खाताखेडी मकान नं.9 शकेश कुमार से मकान नं. 18 बलराम तक	अ.ज.जा.	1
3	खाताखेडी	3	खाताखेडी मकान नं.19 नर्वदी बाई से मकान नं. 29 अजब बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	खाताखेडी	4	खाताखेडी मकान नं.30 नाराणी बाई से मकान नं. 39 गोरम सिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	खाताखेडी	5	खाताखेडी मकान नं.40 अमर सिंह से मकान नं. 50 शिवलाल तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	खाताखेडी	6	खाताखेडी मकान नं.51 चंदनसिंह से मकान नं. 73 नारायण प्रसाद तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	खाताखेडी	7	खाताखेडी मकान नं.75 हरीसिंह से मकान नं. 91 रगलाल तक	महिला सामान्य	4
8	खाताखेडी	8	बीजापुरा मकान नं.1 काशी बाई से मकान नं. 11 सडी बाई तक		
9	खाताखेडी	9	चंदपुरा मकान नं.1 प्यारी बाई से मकान नं. 15 कला बाई तक		
10	खाताखेडी	10	चंदपुरा मकान नं.16 हीसलाल से मकान नं. 27 काशीराम तक		
11	खाताखेडी	11	चंदपुरा मकान नं.28 मोतीलाल से मकान नं. 39 भारत सिंह तक		
12	खाताखेडी	12	चंदपुरा मकान नं.40 मंगीलाल से मकान नं 58 मान सिंह तक		
13	खाताखेडी	13	गनाखेडी मकान नं.1 लालाराम से मकान नं. 11 गणेशराम तक		
14	खाताखेडी	14	गनाखेडी मकान नं.12 कोमल बाई से मकान नं. 25 गिन्दी बाई तक		
15	खाताखेडी	15	गनाखेडी मकान नं.26 अमर सिंह से मकान नं. 40 अके सिंह तक		
16	खाताखेडी	16	गनाखेडी मकान नं.41 हरी सिंह से मकान नं. 74 सरथन लाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गढाब्राह्मण	1	गढाब्राह्मण मकान नं.1 खुशीलाल से मकान नं. 13 तखत सिंह तक	अ.जा.	6
2	गढाब्राह्मण	2	गढाब्राह्मण मकान नं.14 वहीद खां से मकान नं. 18 बादास बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	गढाब्राह्मण	3	गढाब्राह्मण मकान नं.19 हरको बाई से मकान नं. 25 सरजू बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4	गढाब्राह्मण	4	गढाब्राह्मण मकान नं.26 गोवर्धन सिंह से मकान नं. 37 इमरत सिंह तक	महिला अ0जा0	3
5	गढाब्राह्मण	5	गढाब्राह्मण मकान नं.38 किशनलाल से मकान नं. 44 रमको बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	गढाब्राह्मण	6	गढाब्राह्मण मकान नं.45 बोरलाल से मकान नं. 57 चैन सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7	गढाब्राह्मण	7	गढाब्राह्मण मकान नं.58 राम सिंह से मकान नं. 62 वंशीलाल तक	महिला सामान्य	4
8	गढाब्राह्मण	8	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (मजीदगढ डूब क्षेत्र) मकान नं.1 सुधा बाई से मकान नं. 3 किशन लाल तक		
9	गढाब्राह्मण	9	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (मजीदगढ डूब क्षेत्र) मकान नं.4 राम सिंह से मकान नं. 11 भूली बाई तक		
10	गढाब्राह्मण	10	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (मजीदगढ डूब क्षेत्र) मकान नं.12 भवर जी से मकान नं. 19 भारत सिंह तक		
11	गढाब्राह्मण	11	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (मजीदगढ डूब क्षेत्र) मकान नं.20 भूर जी से मकान नं. 27 अर्जुन सिंह तक		
12	गढाब्राह्मण	12	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (मजीदगढ डूब क्षेत्र) मकान नं.28 मोहन बाई से मकान नं. 32 लक्ष्मीराम तक		
13	गढाब्राह्मण	13	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (मजीदगढ डूब क्षेत्र) मकान नं.33 कमोद सिंह से मकान नं. 41 चन्नुलाल तक		
14	गढाब्राह्मण	14	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (मजीदगढ डूब क्षेत्र) मकान नं.42 कालूराम से मकान नं. 54 अतरबाई तक		
15	गढाब्राह्मण	15	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (खेडली डूब क्षेत्र) मकान नं.1 गोपीलाल से मकान नं. 16 बुहराम तक		
16	गढाब्राह्मण	16	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (खेडली डूब क्षेत्र) मकान नं.17 फूल सिंह से मकान नं. 28 सम्पत बाई तक		
17	गढाब्राह्मण	17	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (खेडली डूब क्षेत्र) मकान नं.29 बापूलाल से मकान नं. 34 बापूलाल तक		
18	गढाब्राह्मण	18	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (खेडली डूब क्षेत्र) मकान नं.36 गोपीलाल से मकान नं. 43 हरी सिंह तक		
19	गढाब्राह्मण	19	गढाब्राह्मण अतिरिक्त (खेडली डूब क्षेत्र) मकान नं.44 उधम सिंह से मकान नं. 55 घनश्याम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सिन्धौडा	1	सिन्धौडा मकान नं.1 सरदार बाई से मकान नं. 7 नारायण कवर तक	अ.जा.	5
2	सिन्धौडा	2	सिन्धौडा मकान नं.8 सागर बाई से मकान नं. 17 मोतीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सिन्धौडा	3	सिन्धौडा मकान नं.18 कालूराम से मकान नं. 33 मधुरालाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	सिन्धौडा	4	सिन्धौडा मकान नं.34 मेवा बाई से मकान नं. 49 भुरेलाल तक	महिला अ0जा0	3
5	सिन्धौडा	5	सिन्धौडा मकान नं.50 सीताराम से मकान नं. 65 हरी सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सिन्धौडा	6	सिन्धौडा मकान नं.66 केशर बाई से मकान नं. 80 छोटेराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	सिन्धौडा	7	सिन्धौडा मकान नं.81 रामचरण से मकान नं. 96 आशा सौलंकी तक	महिला सामान्य	4
8	सिन्धौडा	8	सिन्धौडा मकान नं.97 मदनलाल से मकान नं. 107 केशर बाई तक		
9	सिन्धौडा	9	सिन्धौडा मकान नं.108 रघुनाथ से मकान नं. 117 मांगीलाल तक		
10	सिन्धौडा	10	सिन्धौडा मकान नं.118 श्रीराम से मकान नं. 130 भगवतीप्रसाद तक		
11	सिन्धौडा	11	सिन्धौडा मकान नं.131 मोतीलाल से मकान नं. 144 बद्रीलाल तक		
12	सिन्धौडा	12	सिन्धौडा मकान नं.146 पीर खा से मकान नं. 154 हकीम खा तक		
13	सिन्धौडा	13	सिन्धौडा मकान नं.155 सागर बाई से मकान नं. 167 रामप्रसाद तक		
14	सिन्धौडा	14	सिन्धौडा मकान नं.168 भोलाराम से मकान नं. 179 मदनलाल तक		
15	सिन्धौडा	15	सिन्धौडा मकान नं.180 सम्मत बाई से मकान नं. 195 लालाराम तक		
16	सिन्धौडा	16	पीपाखेडी मकान नं.1 जगन्नाथ से मकान नं. 8 दौलत सिंह तक		
17	सिन्धौडा	17	पीपाखेडी मकान नं.9 सुन्दर बाई से मकान नं. 19 बलराम तक		
18	सिन्धौडा	18	पीपाखेडी मकान नं.20 हल्कूराम से मकान नं. 38 हजारी लाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोल्हूखेडीखुर्द	1	कोल्हूखेडीखुर्द मकान नं.1 मोहरसिंह से मकान नं. 15 रामधरन तक	अ.जा.	2
2	कोल्हूखेडीखुर्द	2	कोल्हूखेडीखुर्द मकान नं.16 कनीराम से मकान नं. 40 रामसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कोल्हूखेडीखुर्द	3	कोल्हूखेडीखुर्द मकान नं.41 काशी बाई से मकान नं. 65 बादाम बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	कोल्हूखेडीखुर्द	4	कोल्हूखेडीखुर्द मकान नं.66 सम्पत बाई से मकान नं. 89 सरजन तक	महिला अ0जा0	1
5	कोल्हूखेडीखुर्द	5	कोल्हूखेडीखुर्द मकान नं.91 मांगीलाल से मकान नं. 110 कुंअर लाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कोल्हूखेडीखुर्द	6	कोल्हूखेडीखुर्द मकान नं.111 गोपीलाल से मकान नं.130 मेहताव सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	कोल्हूखेडीखुर्द	7	कोल्हूखेडीखुर्द मकान नं.131 धन्नालाल से मकान नं. 150 मुशीलाल तक	महिला सामान्य	6
8	कोल्हूखेडीखुर्द	8	पातलापानी मकान नं.1 गुमान सिंह से मकान नं. 14 हीरालाल तक		
9	कोल्हूखेडीखुर्द	9	पातलापानी मकान नं.16 मन्ना से मकान नं. 30/1 अंतरसिंह तक		
10	कोल्हूखेडीखुर्द	10	पातलापानी मकान नं.31 गोपीलाल से मकान नं. 39 इमरतलाल तक		
11	कोल्हूखेडीखुर्द	11	पातलापानी मकान नं.40 जोधाराम से मकान नं. 50 अजय सिंह तक		
12	कोल्हूखेडीखुर्द	12	देवापुरा मकान नं.1 बापूलाल से मकान नं. 20 बदीलाल तक		
13	कोल्हूखेडीखुर्द	13	देवापुरा मकान नं.21 बुलाखीराम से मकान नं. 41 सिरदार बाई तक		
14	कोल्हूखेडीखुर्द	14	रावतपुरा मकान नं.1 बाबूलाल से मकान नं. 21 भवानी सिंह तक		
15	कोल्हूखेडीखुर्द	15	रावतपुरा मकान नं.22 कन्हैयालाल से मकान नं. 48 हिम्मत सिंह तक		
16	कोल्हूखेडीखुर्द	16	रावतपुरा मकान नं.49 भीकम सिंह से मकान नं. 67 भवरलाल तक		
17	कोल्हूखेडीखुर्द	17	रावतपुरा मकान नं.68 नारायण सिंह से मकान नं. 89 बदीप्रसाद तक		
18	कोल्हूखेडीखुर्द	18	पातलपुर मकान नं.1 खेमचन्द्र से मकान नं. 19 मानसिंह तक		
19	कोल्हूखेडीखुर्द	19	पातलपुर मकान नं.20 दयाली बाई से मकान नं. 39 हजारी लाल तक		
20	कोल्हूखेडीखुर्द	20	पातलपुर मकान नं.40 असरफ़ी बाई से मकान नं. 60 उका बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खण्डारिया	1	खण्डारिया मकान नं. 1 कोमल से मकान नं. 18 हरी बाई तक	अ.जा.	1
2	खण्डारिया	2	खण्डारिया मकान नं. 19 मलखानसिंह से मकान नं. 30 संजीव तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	खण्डारिया	3	खण्डारिया मकान नं. 32 बाबूलाल से मकान नं. 54 निरंजन तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	खण्डारिया	4	खण्डारिया मकान नं. 55 पर्वत सिंह से मकान नं. 175 प्रीति बाई तक	महिला अ0जा0	1
5	खण्डारिया	5	कालापाठा मकान नं. 1 मुशीलाल से मकान नं. 21 मल्थूराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	खण्डारिया	6	हरीपुर मकान नं. 1 परसराम से मकान नं. 16 पूरन तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	खण्डारिया	7	हरीपुर मकान नं. 17 नवलसिंह से मकान नं. 28 हीरालाल तक	महिला सामान्य	3
8	खण्डारिया	8	हरीपुर मकान नं. 29 उदीया बाई से मकान नं. 43 जमना बाई तक		
9	खण्डारिया	9	हरीपुर मकान नं. 44 बल्ला से मकान नं. 59 भवरलाल तक		
10	खण्डारिया	10	खैरखेडा मकान नं. 1 भारतसिंह से मकान नं. 11 कमला बाई तक		
11	खण्डारिया	11	खैरखेडा मकान नं. 12 धन्नालाल से मकान नं. 27 डालचंद तक		
12	खण्डारिया	12	गोरिया मकान नं. 1 मथरा बाई से मकान नं. 19 मलखान सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खेजडाघाट	1	खेजडाघाट मकान नं.1 गोपाल सिंह से मकान नं. 16 जगन्नाथ तक	अ.जा.	2
2	खेजडाघाट	2	खेजडाघाट मकान नं.17 डालचंद से मकान नं. 21 प्रभूलाल तक	अ.ज.जा.	निरक
3	खेजडाघाट	3	खेजडाघाट मकान नं.22 शंकरलाल से मकान नं. 34 बालमुकुंद तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	खेजडाघाट	4	खेजडाघाट मकान नं.35 हरबो बाई से मकान नं. 41 छोटे लाल तक	महिला अ0जा0	1
5	खेजडाघाट	5	खेजडाघाट मकान नं.42 बद्रीलाल से मकान नं. 61 कन्हैयालाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरक
6	खेजडाघाट	6	घोघलपुर मकान नं.1 गंगा बाई से मकान नं. 9 गनपत सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	खेजडाघाट	7	घोघलपुर मकान नं.10 कन्हैयापुरी से मकान नं. 20 जगन्नाथ तक	महिला सामान्य	4
8	खेजडाघाट	8	घोघलपुर मकान नं.21 रुपी बाई से मकान नं. 28 हल्की बाई तक		
9	खेजडाघाट	9	घोघलपुर मकान नं.29 सम्पत बाई से मकान नं. 38 देवा बाई तक		
10	खेजडाघाट	10	घोघलपुर मकान नं.39 रोशन लाल से मकान नं. 53 जमनी बाई तक		
11	खेजडाघाट	11	खैरखेडी मकान नं.1 गोरम सिंह से मकान नं. 13 कौशल्या बाई तक		
12	खेजडाघाट	12	खैरखेडी मकान नं.14 छोटेराम से मकान नं. 26 रामचरण तक		
13	खेजडाघाट	13	खैरखेडी मकान नं.27 विशमील्ला बी से मकान नं. 34 अब्दुल हमीद तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रमाहा	1	रमाहा मकान नं.1 निर्मय सिंह से मकान नं. 14 भवर जी तक	अ.जा.	5
2	रमाहा	2	रमाहा मकान नं.15 राम सिंह से मकान नं. 24 सबजू बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	रमाहा	3	रमाहा मकान नं.25 गिरधारीलाल से मकान नं. 28 गणेशी बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	रमाहा	4	रमाहा मकान नं.29 नदकिशोर से मकान नं. 36 कालूराम तक	महिला अ0जा0	3
5	रमाहा	5	रमाहा मकान नं.37 नारानी बाई से मकान नं. 46 धीसीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	रमाहा	6	रमाहा मकान नं.47 दयाराम से मकान नं. 61 घंदर सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	रमाहा	7	खेजडाकल्याणपुर मकान नं.1 किशन लाल से मकान नं. 6 प्रभूलाल तक	महिला सामान्य	2
8	रमाहा	8	खेजडाकल्याणपुर मकान नं.7 कैलाश से मकान नं. 21 कम्मा बाई तक		
9	रमाहा	9	खेजडाकल्याणपुर मकान नं.22 सीताराम से मकान नं.38 भूरीबाई तक		
10	रमाहा	10	खेजडाकल्याणपुर मकान नं.39 जसरत से मकान नं. 43 शारदाबाई तक		
11	रमाहा	11	खेजडाकल्याणपुर मकान नं.44 रामकिशन से मकान नं.50 किशनलाल तक		
12	रमाहा	12	खेजडाकल्याणपुर मकान नं.51 विजयसिंह से मकान नं. 59 मांगीलाल तक		
13	रमाहा	13	खेजडाकल्याणपुर मकान नं.60 दरयाव बाई से मकान नं. 66 भागभल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान न	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नजीराबाद	1	नजीराबाद बालमुकंद मकान न. 2 से मकान न. 22 नोरंगीलाल तक	अ.जा.	7
2	नजीराबाद	2	नजीराबाद ललिता बाई मकान न. 24 से मकान न. 48 प्रभुलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	नजीराबाद	3	नजीराबाद सुखराम मकान न. 49 से मकान न. 89 सोमरा बी तक	अन्य पि.वर्ग	5
4	नजीराबाद	4	नजीराबाद मुशीलाल मकान न. 70 से मकान न. 91 राजाराम तक	महिला अ.जा.	4
5	नजीराबाद	5	नजीराबाद धीसया मकान न. 91/1 से मकान न. 141 छैन खों तक	महिला अ.ज.जा.	निरंक
6	नजीराबाद	6	नजीराबाद जाहिदा बी मकान न. 143 से मकान न. 161 बदीप्रसाद तक	महिला अन्य पि.वर्ग	3
7	नजीराबाद	7	नजीराबाद केशर बाई मकान न. 162 से मकान न. 173 धीसीलाल तक	महिला सामान्य	3
8	नजीराबाद	8	नजीराबाद बानो बी मकान न. 173/1 से मकान न. 186 जामदाबीतक		
9	नजीराबाद	9	नजीराबाद सी.एल.घतुर्वेदी मकान न. 187 से मकान न. 209 विजयसिंह तक		
10	नजीराबाद	10	नजीराबाद अजीम खों मकान न. 209/1 से मकान न. 217 बाबूलाल तक		
11	नजीराबाद	11	नजीराबाद शिवचरण मकान न. 218 से मकान न. 235 चंदनसिंह तक		
12	नजीराबाद	12	नजीराबाद धांपू बाई मकान न. 237 से मकान न. 256 मांगीलाल तक		
13	नजीराबाद	13	नजीराबाद बहादुर सिंह मकान न. 257 से मकान न. 270 मकबूल अहमद तक		
14	नजीराबाद	14	नजीराबाद इमरान खों मकान न. 275 से मकान न. 292 भारतसिंह तक		
15	नजीराबाद	15	नजीराबाद तुलसी बाई मकान न. 293 से मकान न. 314 पन्नालाल तक		
16	नजीराबाद	16	नजीराबाद बिसती बाई मकान न. 315 से मकान न. 335 ग्यारसीराम तक		
17	नजीराबाद	17	नजीराबाद हंसिया बाई मकान न. 336 से मकान न. 358 मोर बाई तक		
18	नजीराबाद	18	नजीराबाद दौलतसिंह मकान न. 360 से मकान न. 381 धांपूबाई तक		
19	नजीराबाद	19	नजीराबाद अशोक मकान न. 382 से मकान न. 396 अमजुद खों तक		
20	नजीराबाद	20	नजीराबाद गफूर खों मकान न. 398 से मकान न. 415 परसराम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नायसमंद	1	नायसमंद मकान नं. 1 बाबूलाल से मकान नं. 10 हरीप्रसाद तक	अ.जा.	5
2	नायसमंद	2	नायसमंद मकान नं. 2 भवरलाल से मकान नं. 25 भगवान सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	नायसमंद	3	नायसमंद मकान नं. 26 अमान से मकान नं. 37 भदरी बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	नायसमंद	4	नायसमंद मकान नं. 38 गणू भारती से मकान नं. 47 गुडडी बाई तक	महिला अ0जा0	3
5	नायसमंद	5	नायसमंद मकान नं. 48 बृजलाल से मकान नं. 62 प्रहलाद सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	नायसमंद	6	नायसमंद मकान नं. 63 शंकर सिंह से मकान नं. 73 निवास खों तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	नायसमंद	7	नायसमंद मकान नं. 74 कमरी बाई से मकान नं. 86 पन्नालाल तक	महिला सामान्य	3
8	नायसमंद	8	नायसमंद मकान नं. 87 उमेदी बाई से मकान नं. 94 छन्नु खों तक		
9	नायसमंद	9	नायसमंद मकान नं. 95 रईस खों से मकान नं. 106 जगन्नाथ सिंह तक		
10	नायसमंद	10	नायसमंद मकान नं. 107 जंगबहादुर सिंह से मकान नं. 119 राजाराम तक		
11	नायसमंद	11	नायसमंद मकान नं. 120 ब्रह्मलाल से मकान नं. 129 अर्चना तक		
12	नायसमंद	12	नायसमंद मकान नं. 131 खुशीलाल से मकान नं. 143 चुन्नी बाई तक		
13	नायसमंद	13	नायसमंद मकान नं. 144 लक्ष्मी बाई से मकान नं. 153 मिट्टूलाल तक		
14	नायसमंद	14	नायसमंद मकान नं. 154 परमा बाई से मकान नं. 166 निरमा तक		
15	नायसमंद	15	नायसमंद मकान नं. 169 हल्ली से मकान नं. 182 देवीराम तक		
16	नायसमंद	16	नायसमंद मकान नं. 183 चंदन बाई से मकान नं. 199 धानो बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बीलखो	1	बीलखो मकान नं. 1 भोवतिया से मकान नं. 14 भवानीप्रसाद तक	अ.जा.	5
2	बीलखो	2	बीलखो मकान नं. 15 भवरलाल से मकान नं. 30 सरजू बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बीलखो	3	बीलखो मकान नं. 31 लल्लाराम से मकान नं. 45 आशाराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	बीलखो	4	बीलखो मकान नं. 47 कुजीलाल से मकान नं. 68 बीना बाई तक	महिला अ0जा0	3
5	बीलखो	5	बीलखो मकान नं. 73 मोतीलाल से मकान नं. 85 कलाबाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बीलखो	6	बीलखो मकान नं. 86 जमना बाई से मकान नं. 101 श्यामा बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	बीलखो	7	बीलखो मकान नं. 102 रामचरण से मकान नं. 115 शारदा बाई तक	महिला सामान्य	2
8	बीलखो	8	बीलखो मकान नं. 116 प्रकाश बाबू से मकान नं. 131 रमेश बाबू तक		
9	बीलखो	9	बीलखो मकान नं. 132 चैन सिंह से मकान नं. 142 पूरन तक		
10	बीलखो	10	बीलखो मकान नं. 143 कैलाश से मकान नं. 149 कला बाई तक		
11	बीलखो	11	बीलखो मकान नं. 150 नर्वदाप्रसाद से मकान नं. 172 छोटेलाल तक		
12	बीलखो	12	बीलखो मकान नं. 173 अवधनारायण से मकान नं. 188 सरस्वती तक		
13	बीलखो	13	बीलखो मकान नं. 189 सुरेश से मकान नं. 212 कमल सिंह तक		
14	बीलखो	14	ढोकापुरा मकान नं. 1 मांगीलाल से मकान नं. 20 मांगीलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	वडवेलीकला	1	वडवेलीकला मकान नं. गजराज म.न. 2 से मकान नं. 25 कोमलबाई तक	अ.जा.	2
2	वडवेलीकला	2	वडवेलीकला पन्नालाल मकान नं. 26 से मकान नं. 36 बद्रीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	वडवेलीकला	3	वडवेलीकला प्रभुलाल मकान नं. 37 से मकान नं. 61 मोहरलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	वडवेलीकला	4	वडवेलीकला बाफूलाल मकान नं. 63 से मकान नं. 75 बद्रीप्रसाद तक	महिला अ0जा0	1
5	वडवेलीकला	5	वडवेलीकला गनपत सिंह मकान नं. 76 से मकान नं. 92 कमलाबाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	वडवेलीकला	6	वडवेलीकला पन्नालाल मकान नं. 94 से मकान नं. 110 चैनसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	वडवेलीकला	7	वडवेलीकला परसराम मकान नं. 111 से मकान नं. 128 मोहरसिंह तक	महिला सामान्य	4
8	वडवेलीकला	8	वडवेलीकला पार्वती बाई मकान नं. 129 से मकान नं. 145 मदनलाल तक		
9	वडवेलीकला	9	धामनतोडी पन्नालाल मकान नं. 1 से मकान नं. 11 गुलाबसिंह तक		
10	वडवेलीकला	10	धामनतोडी अमरसिंह मकान नं. 14 से मकान नं. 26 कालूराम तक		
11	वडवेलीकला	11	धामनतोडी निर्भयसिंह मकान नं. 28 से मकान नं. 49 लदूर तक		
12	वडवेलीकला	12	धामनतोडी पन्नालाल मकान नं. 52 से मकान नं. 64 सरदार बाई तक		
13	वडवेलीकला	13	धामनतोडी माधो सिंह मकान नं. 65 से मकान नं. 75 अफरोज बी. तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर.

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खजूरियाकला	1	खजूरियाकला देवाजी मकान न. 1 से मकान न. 9 सरजू बाई तक	अ.जा.	4
2	खजूरियाकला	2	खजूरियाकला सरजू बाई मकान न. 13 से मकान न. 29 मोतीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	खजूरियाकला	3	खजूरियाकला मोहनलाल मकान न. 30 से मकान न. 42 दयालसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	खजूरियाकला	4	खजूरियाकला प्रेमबाई मकान न.43 से मकान न. 57 पछियाबाई तक	महिला अ0जा0	2
5	खजूरियाकला	5	खजूरियाकला कालूराम मकान न. 58 से मकान न. 69 अमरसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	खजूरियाकला	6	खजूरियाकला फतेसिंह मकान न. 70 से मकान न. 89 रोड जी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	खजूरियाकला	7	सुराना जगन्नाथ मकान न. 1 से मकान न. 11 विश्रामसिंह तक	महिला सामान्य	4
8	खजूरियाकला	8	सुराना हीरालाल मकान न. 12 से मकान न. 22 मांगीलाल तक		
9	खजूरियाकला	9	सुराना फतेसिंह मकान न. 23 से मकान न. 34 भारतसिंह तक		
10	खजूरियाकला	10	सुराना जगन्नाथ मकान न. 35 से मकान न. 49 गेंदी बाई तक		
11	खजूरियाकला	11	सुराना मिश्री बाई मकान न. 50 से मकान न. 64 फूलसिंह तक		
12	खजूरियाकला	12	सुराना मोरसिंह मकान न. 65 से मकान न. 83 कमलसिंह तक		
13	खजूरियाकला	13	सुराना कमल मकान न. 84 से मकान न. 103 गोरेलाल तक		
14	खजूरियाकला	14	मैनापुरा बापूलाल मकान न. 1 से मकान न. 14 कमलसिंह तक		
15	खजूरियाकला	15	मैनापुरा चैनसिंह मकान न. 15 से मकान न. 36 नवलसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं; तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कढैयाकोटा	1	कढैयाकोटा मकान नं. 1 धापू बाई से मकान नं. 13 मोहर बाई तक	अ.जा.	4
2	कढैयाकोटा	2	कढैयाकोटा मकान नं. 14 भूली बाई से मकान नं. 24 परमा तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कढैयाकोटा	3	कढैयाकोटा मकान नं. 27 भवानी सिंह से मकान नं. 29 अभय सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	कढैयाकोटा	4	कढैयाकोटा मकान नं. 30 विक्रम सिंह से मकान नं. 54 पूरन तक	महिला अ0जा0	2
5	कढैयाकोटा	5	कढैयाकोटा मकान नं. 55 रामप्रसाद से मकान नं. 64 तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कढैयाकोटा	6	कढैयाकोटा मकान नं. 67 भवरी बाई से मकान नं. 88 गुलाब बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	कढैयाकोटा	7	कढैयाकोटा मकान नं. 89 सूरजपुरी से मकान नं. 102 शम्भू सिंह तक	महिला सामान्य	5
8	कढैयाकोटा	8	कढैयाकोटा मकान नं. 103 मोतीलाल से मकान नं. 114 नन्नुलाल तक		
9	कढैयाकोटा	9	कढैयाकोटा मकान नं. 119 हजारीलाल से मकान नं. 123 लक्ष्मण तक		
10	कढैयाकोटा	10	कढैयाकोटा मकान नं. 124 शैतानकुंवर से मकान नं. 127 सादुल सिंह तक		
11	कढैयाकोटा	11	कढैयाकोटा मकान नं. 128 अन्तरकुंवर से मकान नं. 140 तुलसाबाई तक		
12	कढैयाकोटा	12	भैसाना मकान नं. 2 जालम सिंह से मकान नं. 12 बापूलाल तक		
13	कढैयाकोटा	13	भैसाना मकान नं. 13 सुन्दर बाई से मकान नं. 21 अमर सिंह तक		
14	कढैयाकोटा	14	भैसानाकोटा मकान नं. 22 जैन सिंह से मकान नं. 26 जालम सिंह तक		
15	कढैयाकोटा	15	मानाकुण्ड मकान नं. 1 वशीलाल से मकान नं. 7 सिनरी बाई तक		
16	कढैयाकोटा	16	मानाकुण्ड मकान नं. 8 नरवदी बाई से मकान नं. 15 मथरी बाई तक		
17	कढैयाकोटा	17	मानाकुण्ड मकान नं. 16 रामनारायण से मकान नं. 23 शोभाराम तक		
18	कढैयाकोटा	18	मानाकुण्ड मकान नं. 24 खुशीलाल से मकान नं. 33 रतिराम तक		
19	कढैयाकोटा	19	मानाकुण्ड मकान नं. 34 कल्याण सिंह से मकान नं. 44 तुलसीराम तक		
20	कढैयाकोटा	20	मानाकुण्ड मकान नं. 45 दयाराम से मकान नं. 69 पुनिया बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गढाखुर्द	1	गढाखुर्द मकान नं. 1 श्रीकिशन से मकान नं. 21 बाबूलाल तक	अ.जा.	3
2	गढाखुर्द	2	गढाखुर्द मकान नं. 22 फूल सिंह से मकान नं. 35 रामप्रसाद तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	गढाखुर्द	3	गढाखुर्द मकान नं. 36 गौरिलाल से मकान नं. 43 नन्नूलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	गढाखुर्द	4	गढाखुर्द मकान नं. 44 धुरिया बाई से मकान नं. 59 मण्डू तक	महिला अ0जा0	2
5	गढाखुर्द	5	गढाखुर्द मकान नं. 60 भीका से मकान नं. 76 भवरलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	गढाखुर्द	6	कल्याणपुर मकान नं. 1 धापूबाई से मकान नं. 9 बाबूलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	गढाखुर्द	7	कल्याणपुर मकान नं. 10 रतनलाल से मकान नं. 22 मांगीलाल तक	महिला सामान्य	2
8	गढाखुर्द	8	कल्याणपुर मकान नं. 23 लीलाकिशन से मकान नं. 36 कमल सिंह तक		
9	गढाखुर्द	9	कल्याणपुर मकान नं. 37 अमरसिंह से मकान नं. 49 पन्नालाल तक		
10	गढाखुर्द	10	सियारकला मकान नं. 1 इफत खों से मकान नं. 11 गुलाव तक		
11	गढाखुर्द	11	सियारकला नेकली मकान नं. 12 रामप्रसाद से मकान नं. 45 मुकेश तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एव ग्राम स्वराज आधानयम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बंदरुआ	1	बंदरुआ मकान नं. 1 सेवाराम से मकान नं. 8 भैयालाल तक	अ.जा.	2
2	बंदरुआ	2	बंदरुआ मकान नं. 9 धन्नालाल से मकान नं. 18 धरमी बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बंदरुआ	3	बंदरुआ मकान नं. 20 नवल सिंह से मकान नं. 28 माजीद खों तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	बंदरुआ	4	बंदरुआ मकान नं. 29 श्यामा बाई से मकान नं. 44 सुआ बाई तक	महिला अ0जा0	1
5	बंदरुआ	5	बंदरुआ मकान नं. 45 हजारीलाल से मकान नं. 62 गोरेलाल तक	महिला अ0जा0जा0	निरंक
6	बंदरुआ	6	मलकारी मकान नं. 1 भूरे खों से मकान नं. 11 सलीम बेग तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	बंदरुआ	7	मलकारी मकान नं. 13 जलाल बेग से मकान नं. 24 मन्नालाल तक	महिला सामान्य	6
8	बंदरुआ	8	मलकारी मकान नं. 25 गुडडी बाई से मकान नं. 41 अनवर खों तक		
9	बंदरुआ	9	बैरखेडी मकान नं. 1 प्रताप सिंह से मकान नं. 12 कारेलाल तक		
10	बंदरुआ	10	बैरखेडी मकान नं. 14 सेवाराम से मकान नं. 25 रामसिंह तक		
11	बंदरुआ	11	बैरखेडी मकान नं. 26 कामल सिंह से मकान नं. 35 नैनया तक		
12	बंदरुआ	12	भानपुर मकान नं. 1 गजरी बाई से मकान नं. 13 नथिया बाई तक		
13	बंदरुआ	13	भानपुर मकान नं. 14 काशीराम से मकान नं. 27 गोपीलाल तक		
14	बंदरुआ	14	बडबेलीखुर्द मकान नं. 1 रईस खों से मकान नं. 9 बन्ने खों तक		
15	बंदरुआ	15	बडबेलीखुर्द मकान नं. 10 हैदर खों से मकान नं. 17 लाल खों तक		
16	बंदरुआ	16	बडबेलीखुर्द मकान नं. 19 ताज खों से मकान नं. 40 गजशज सिंह तक		
17	बंदरुआ	17	बरखेडीखुर्द मकान नं. 1 गफूरी बाई से मकान नं. 12 फूल खों तक		
18	बंदरुआ	18	बरखेडीखुर्द मकान नं. 13 मुन्नी बी से मकान नं. 20 जानी बाई तक		
19	बंदरुआ	19	बरखेडीखुर्द मकान नं. 21 जानी बाई से मकान नं. 26 मालम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अमरपुर	1	अमरपुर हनमंत सिंह मकान नं. 1 से मकान नं. 7 दौली बाई तक	अ.जा.	3
2	अमरपुर	2	अमरपुर मुशीलाल मकान नं. 10 से मकान नं. 19 मोतीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	अमरपुर	3	अमरपुर पार्वती बाई मकान नं. 20 से मकान नं. 29 रामसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	अमरपुर	4	अमरपुर मोनलाल मकान नं. 30 से मकान नं. 37 फतेहसिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	अमरपुर	5	अमरपुर उमरी बाई मकान नं. 38 से मकान नं. 46 वंशीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	अमरपुर	6	अमरपुर बापूलाल मकान नं. 47 से मकान नं. 59 कालूराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	अमरपुर	7	अमरपुर धूरजी मकान नं. 60 से मकान नं. 69 रतनगिर तक	महिला सामान्य	4
8	अमरपुर	8	अमरपुर खुमानसिंह मकान नं. 70 से मकान नं.84 रामरतन तक		
9	अमरपुर	9	अमरपुर कला बाई मकान नं. 85 से मकान नं.94 भंवरजी तक		
10	अमरपुर	10	बरखेडाकला कमला बाई मकान नं. 01 से मकान नं. 10 अमरसिंह तक		
11	अमरपुर	11	बरखेडाकला चतरी बाई मकान नं. 11 से मकान नं.21 प्रेमनाशायण तक		
12	अमरपुर	12	बरखेडाकला कमला बाई मकान नं. 22 से मकान नं. 32 गोरियाबाई तक		
13	अमरपुर	13	बरखेडाकला भंवरजी मकान नं. 33 से मकान नं. 43 मन्नु सिंह तक		
14	अमरपुर	14	बरखेडाकला गोरधनसिंह मकान नं. 44 से मकान नं. 54 घुडीलाल तक		
15	अमरपुर	15	बरखेडाकला प्रभुलाल मकान नं. 56 से मकान नं. 79 दरयाब बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बहरावल	1	बहरावल मांगीलाल मकान नं. 1 से मकान नं. 18 लक्ष्मण तक	अ.जा.	3
2	बहरावल	2	बहरावल भागमल मकान नं. 20 से मकान नं. 33 रामकिशन तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बहरावल	3	बहरावल मोतीलाल मकान नं. 34 से मकान नं. 46 हरिराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	बहरावल	4	बहरावल भुजबल मकान नं. 47 से मकान नं. 52 अमरसिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	बहरावल	5	बहरावल प्यारेलाल मकान नं. 54 से मकान नं. 64 रामसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बहरावल	6	बहरावल रामलाल मकान नं. 65 से मकान नं. 80 दौलतसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	बहरावल	7	बहरावल वृजमोहन मकान नं. 83 से मकान नं. 98 गुलाबबाई तक	महिला सामान्य	5
8	बहरावल	8	भाटनी मांगीलाल मकान नं. 1 से मकान नं. 21 घासीराम तक		
9	बहरावल	9	भाटनी मानसिंह मकान नं. 22 से मकान नं. 32 प्रेमबाई तक		
10	बहरावल	10	भाटनी रामसिंह मकान नं. 34 से मकान नं. 44 सरजू बाई तक		
11	बहरावल	11	भाटनी जगन्नाथ मकान नं. 45 से मकान नं. 54 गोरधन सिंह तक		
12	बहरावल	12	भाटनी शांति बाई मकान नं. 55 से मकान नं. 61 भंवरी बाई तक		
13	बहरावल	13	डोंगरगांव जगन्नाथ मकान नं. 1 से मकान नं. 17 कल्याण सिंह तक		
14	बहरावल	14	डोंगरगांव प्रेमबाई मकान नं. 18 से मकान नं. 31 जमनाप्रसाद तक		
15	बहरावल	15	डोंगरगांव गगाराम मकान नं. 32 से मकान नं. 43 मानसिंह तक		
16	बहरावल	16	डोंगरगांव वंशीलाल मकान नं. 45 से मकान नं. 57 कालूराम तक		
17	बहरावल	17	डोंगरगांव बाबूलाल मकान नं. 59 से मकान नं. 75 निरंजन तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गढाकला	1	गढाकला मकान नं. 1 बाबूलाल से मकान नं. 11 झुमकी बाई तक	अ.जा.	1
2	गढाकला	2	गढाकला मकान नं. 12 सिंगार कवर से मकान नं. 21 दशरथ तक	अ.ज.जा.	2
3	गढाकला	3	गढाकला मकान नं. 22 डुंगर सिंह से मकान नं. 30 भवर सिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	गढाकला	4	गढाकला मकान नं. 32 फूलकवर से मकान नं. 44 गोरिलाल तक	महिला अ0जा0	1
5	गढाकला	5	गढाकला मकान नं. 45 वशीलाल से मकान नं. 57 शिवप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	गढाकला	6	गढाकला मकान नं. 58 उदयनारायण से मकान नं. 69 बट्टलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	गढाकला	7	गढाकला मकान नं. 70 भवरलाल से मकान नं. 84 भवर बाई तक	महिला सामान्य	5
8	गढाकला	8	गढाकला मकान नं. 85 सिंगार बाई से मकान नं. 98 पेपकवर तक		
9	गढाकला	9	गढाकला मकान नं. 99 बजरंग सिंह से मकान नं. 109 रघुवीर सिंह तक		
10	गढाकला	10	गढाकला मकान नं. 110 राजेन्द्र सिंह से मकान नं. 124 मोहनलाल तक		
11	गढाकला	11	गढाकला मकान नं. 126 नानी बाई से मकान नं. 140 घीसीनाथ तक		
12	गढाकला	12	गढाकला मकान नं. 141 पृथी से मकान नं. 150 नंदलाल तक		
13	गढाकला	13	गढाकला मकान नं. 151 दौली बाई से मकान नं. 160 काशी बाई तक		
14	गढाकला	14	गढाकला मकान नं. 161 हिम्मत सिंह से मकान नं. 176 रामगोपाल तक		
15	गढाकला	15	गढाकला मकान नं. 177 अनार सिंह से मकान नं. 189 बालकिशन तक		
16	गढाकला	16	गढाकला मकान नं. 191 चैन सिंह से मकान नं. 205 केशर बाई तक		
17	गढाकला	17	गढाकला मकान नं. 206 मौहर सिंह से मकान नं. 217 कला बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गूजरतोडी	1	गूजरतोडी मकान नं. 1 मांगीलाल से मकान नं. 18 हरीबाई तक	अ.जा.	2
2	गूजरतोडी	2	गूजरतोडी मकान नं. 19 अयोध्या बाई से मकान नं. 30 जालम सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	गूजरतोडी	3	गूजरतोडी मकान नं. 31 मोहरसिंह से मकान नं. 39 सजनी तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	गूजरतोडी	4	गूजरतोडी मकान नं. 40 बापूलाल से मकान नं. 48 जंगदीश तक	महिला अ0जा0	1
5	गूजरतोडी	5	गूजरतोडी मकान नं. 49 काशीबाई से मकान नं. 61 नन्लाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	गूजरतोडी	6	गूजरतोडी मकान नं. 62 हरीप्रसाद से मकान नं. 68 प्रेम बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	गूजरतोडी	7	गूजरतोडी मकान नं. 69 भवर जी से मकान नं. 85 पर्वतसिंह तक	महिला सामान्य	2
8	गूजरतोडी	8	कादीखेडी मकान नं. 2 काशी बाई से मकान नं. 13 चैन सिंह तक		
9	गूजरतोडी	9	कादीखेडी मकान नं. 14 पृथी से मकान नं. 28 भारत सिंह तक		
10	गूजरतोडी	10	कादीखेडी मकान नं. 29 मान सिंह से मकान नं. 45 नन्लाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	तरावलीखुर्द	1	तरावलीखुर्द मकान नं. 1 लालजीराम से मकान नं. 16 उदम सिंह तक	अ.जा.	1
2	तरावलीखुर्द	2	तरावलीखुर्द मकान नं. 17 जसोदी बाई से मकान नं. 25 राज बाई तक	अ.ज.जा.	1
3	तरावलीखुर्द	3	तरावलीखुर्द मकान नं. 26 कालूराम से मकान नं. 39 मंशाराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	तरावलीखुर्द	4	तरावलीखुर्द मकान नं. 40 मौजीराम से मकान नं. 49 लालाराम तक	महिला अ0जा0	1
5	तरावलीखुर्द	5	मूडलाचट्टान मकान नं. 1 महाराज सिंह से मकान नं. 12 कल्ली बाई तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	तरावलीखुर्द	6	मूडलाचट्टान मकान नं. 13 हरिनारायण से मकान नं. 28 फूला बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	तरावलीखुर्द	7	मूडलाचट्टान मकान नं. 29 सुन्दरलाल से मकान नं. 42 हमीर सिंह तक	महिला सामान्य	2
8	तरावलीखुर्द	8	मूडलाचट्टान मकान नं. 43 छोटी बाई से मकान नं. 49 मुंशीलाल तक		
9	तरावलीखुर्द	9	ठिकरियाबरामद मकान नं. 1 भमरी बाई से मकान नं. 11 मान सिंह तक		
10	तरावलीखुर्द	10	ठिकरियाबरामद मकान नं. 12 जमनी बाई से मकान नं. 46 तुलसीराम तक		
11	तरावलीखुर्द	11	इन्दरपुरा मकान नं. 1 केशर बाई से मकान नं. 6 अमर सिंह तक		
12	तरावलीखुर्द	12	इन्दरपुरा मकान नं. 7 तुलसी बाई से मकान नं. 14 करन सिंह तक		
13	तरावलीखुर्द	13	इन्दरपुरा मकान नं. 15 विनय सिंह से मकान नं. 24 गोटरिया तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जमूसरकला	1	जमूसरकला मकान नं. 1 गणपत सिंह से मकान नं. 9 निश्रीलाल तक	अ.जा.	8
2	जमूसरकला	2	जमूसरकला मकान नं. 10 प्रेम बाई से मकान नं. 25 लालाराम तक	अ.ज.जा.	1
3	जमूसरकला	3	जमूसरकला मकान नं. 26 भैवरलाल से मकान नं. 40 करन सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	जमूसरकला	4	जमूसरकला मकान नं. 41 बूला बाई से मकान नं. 55 बलराम तक	महिला अ0जा0	4
5	जमूसरकला	5	जमूसरकला मकान नं. 56 सुखराम से मकान नं. 70 चैन सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	जमूसरकला	6	जमूसरकला मकान नं. 71 भुजबल से मकान नं. 83 चैन सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	जमूसरकला	7	जमूसरकला मकान नं. 84 भगवान सिंह से मकान नं. 100 परमा तक	महिला सामान्य	2
8	जमूसरकला	8	जमूसरकला मकान नं. 101 घिसिया बाई से मकान नं. 132 धनसिंह तक		
9	जमूसरकला	9	जमूसरकला मकान नं. 133 बदन सिंह से मकान नं. 142 पहलवान सिंह तक		
10	जमूसरकला	10	जमूसरकला मकान नं. 144 भारत सिंह से मकान नं. 167 पुनियाबाई तक		
11	जमूसरकला	11	जमूसरकला मकान नं. 168 करनसिंह से मकान नं. 175 भीकम सिंह तक		
12	जमूसरकला	12	जमूसरकला मकान नं. 177 भैवरलाल से मकान नं. 190 रामबक्स तक		
13	जमूसरकला	13	जमूसरकला मकान नं. 192 अम्बाप्रसाद से मकान नं. 206 जमनीबाई तक		
14	जमूसरकला	14	जमूसरकला मकान नं. 207 भैवरलाल से मकान नं. 225 देवीराम तक		
15	जमूसरकला	15	जमूसरकला मकान नं. 226 खूदी बाई से मकान नं. 243 गोरेलाल तक		
16	जमूसरकला	16	जमूसरकला मकान नं. 244 बदनसिंह से मकान नं. 254 मूलचंद तक		
17	जमूसरकला	17	जमूसरकला मकान नं. 257 प्रमूलाल से मकान नं. 265 उधमसिंह तक		
18	जमूसरकला	18	जमूसरकला मकान नं. 266 बिदिया बी से मकान नं. 276 भगवानसिंह तक		
19	जमूसरकला	19	जमूसरकला मकान नं. 277 देवीराम से मकान नं. 294 खूरजप्रसाद तक		
20	जमूसरकला	20	जमूसरकला मकान नं. 295 नंदराम से मकान नं. 310 देवीराम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
	सोहाया	1	सोहाया मकान नं. 1 छुट्टीलाल से मकान नं. 16 मुलाम खॉ तक	अ.जा.	3
2	सोहाया	2	सोहाया मकान नं. 18 कन्हैयालाल से मकान नं. 46 कंचन सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सोहाया	3	सोहाया मकान नं. 52 धीसूलाल से मकान नं. 71 शांति बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	सोहाया	4	सोहाया मकान नं. 72 पर्वत सिंह से मकान नं. 90 विनय सिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	सोहाया	5	सोहाया मकान नं. 91 भंवरी बाई से मकान नं. 110 वंशीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सोहाया	6	सोहाया मकान नं. 111 पर्वत सिंह से मकान नं. 131 उमेदी बी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	सोहाया	7	सोहाया मकान नं. 133 बली खॉ से मकान नं. 149 रामरतन तक	महिला सामान्य	5
8	सोहाया	8	सोहाया मकान नं. 151 जगन्नाथ सिंह से मकान नं. 170 आजाद खॉ तक		
9	सोहाया	9	सोहाया मकान नं. 171 मुन्नी बी से मकान नं. 179 छोटी बी तक		
10	सोहाया	10	सोहाया मकान नं. 179 रामचरन से मकान नं. 179 रामचरन तक		
11	सोहाया	11	सोहाया मकान नं. 180 उमराव सिंह से मकान नं. 194 कृष्णा बाई तक		
12	सोहाया	12	सोहाया मकान नं. 196 हीरो बाई से मकान नं. 218 रईस खॉ तक		
13	सोहाया	13	सोहाया मकान नं. 219 अंजीत खॉ से मकान नं. 240 लाल सिंह तक		
14	सोहाया	14	सोहाया मकान नं. 241 कपूरी बाई से मकान नं. 258 लक्ष्मी बाई तक		
15	सोहाया	15	सोहाया मकान नं. 259 काशी बाई से मकान नं. 279 गनेशराम तक		
16	सोहाया	16	सोहाया मकान नं. 280 गोपीलाल से मकान नं. 299 लालजीराम तक		
17	सोहाया	17	सोहाया मकान नं. 300 जमना बाई से मकान नं. 316 गोमची बाई तक		
18	सोहाया	18	सोहाया मकान नं. 317 कपूरी बाई से मकान नं. 333 कमला बाई तक		
19	सोहाया	19	सोहाया मकान नं. 334 हरिराम से मकान नं. 354 दयाली बाई तक		
20	सोहाया	20	सोहाया मकान नं. 355 रामस्वरुप से मकान नं. 377 करोडी लाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दोहाया	1	दोहाया मकान नं. 1 गजराज सिंह से मकान नं. 13 तुलसी बाई तक	अ.जा.	2
2	दोहाया	2	दोहाया मकान नं. 14 हरप्रसाद से मकान नं. 29 बेगम बी तक	अ.ज.जा.	3
3	दोहाया	3	दोहाया मकान नं. 30 सलीम खों से मकान नं. 39 मेवा बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	दोहाया	4	दोहाया मकान नं. 40 मूलचन्द से मकान नं. 53 किशन सिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	दोहाया	5	दोहाया मकान नं. 54 जमना पुरी से मकान नं. 62 निरपत सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	2
6	दोहाया	6	दोहाया मकान नं. 63 राधा बाई से मकान नं. 71 बुन्देल सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	दोहाया	7	दोहाया मकान नं. 76 नाथूराम से मकान नं. 83 सरस्वती बाई तक	महिला सामान्य	3
8	दोहाया	8	मानपुरा मकान नं. 1 मिटदूलाल से मकान नं. 11 कोमल सिंह तक		
9	दोहाया	9	मानपुरा मकान नं. 14 पंखा बाई से मकान नं. 25 केशा बाई तक		
10	दोहाया	10	मानपुरा मकान नं. 27 बृज बाई से मकान नं. 45 कपूरी बाई तक		
11	दोहाया	11	मानपुरा मकान नं. 47 कल्याण सिंह से मकान नं. 61 कन्हैयालाल तक		
12	दोहाया	12	हिनोतियाघाट मकान नं. 1 तीरन सिंह से मकान नं. 9 जय सिंह तक		
13	दोहाया	13	हिनोतियाघाट मकान नं. 10 किशोरी लाल से मकान नं. 20 जीलालसिंह तक		
14	दोहाया	14	हिनोतियाघाट मकान नं. 25 मोहर बाई से मकान नं. 31 नियाल सिंह तक		
15	दोहाया	15	हिनोतियाघाट मकान नं. 32 सुमेर सिंह से मकान नं. 39 मोहर सिंह तक		
16	दोहाया	16	हिनोतियाघाट मकान नं. 43 बीना बाई से मकान नं. 50 मथरी बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धतूरिया	1	धतूरिया मकान नं. 1 गोपीलाल से मकान नं. 19 मांगीलाल तक	अ.जा.	5
2	धतूरिया	2	धतूरिया मकान नं. 20 द्योपती बाई से मकान नं. 48 विद्या बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	धतूरिया	3	धतूरिया मकान नं. 49 सावित्री बाई से मकान नं. 68 गुलाब सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	धतूरिया	4	धतूरिया मकान नं. 70 किशन सिंह से मकान नं. 91 श्याम लाल तक	महिला अ0जा0	3
5	धतूरिया	5	धतूरिया मकान नं. 93 दौली बाई से मकान नं. 106 भंवर लाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	धतूरिया	6	धतूरिया मकान नं. 107 मेहरवान सिंह से मकान नं. 116 रज्जन लाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	धतूरिया	7	बिछनई मकान नं. 3 श्यामलाल लाल से मकान नं. 121 रेखाबाई तक	महिला सामान्य	2
8	धतूरिया	8	खाईखेडा मकान नं. 1 किशन सिंह से मकान नं. 11 निर्भय सिंह तक		
9	धतूरिया	9	खाईखेडा मकान नं. 12 उधम सिंह से मकान नं. 16 रामकली तक		
10	धतूरिया	10	दौजयाई मकान नं. 4 रजनी बाई से मकान नं. 21 किशन सिंह तक		
11	धतूरिया	11	खाईखेडा मकान नं. 22 भूरे सिंह से मकान नं. 30 भारत सिंह तक		
12	धतूरिया	12	खाईखेडा मकान नं. 31 श्यामलाल से मकान नं. 41 कमल सिंह तक		
13	धतूरिया	13	खाईखेडा मकान नं. 42 रघुवर सिंह लाल से मकान नं. 53 रामप्रसाद तक		
14	धतूरिया	14	खाईखेडा मकान नं. 54 जगराम से मकान नं. 84 मुकेश तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	आंकिया	1	आंकिया मकान नं. 1 रणधीर से मकान नं. 12 रेशम कुंवर तक	अ.जा.	3
2	आंकिया	2	आंकिया मकान नं. 13 हंसकुंवर से मकान नं. 23 शिवराजसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	आंकिया	3	आंकिया मकान नं. 24 भगवान सिंह से मकान नं. 37 गंगा बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	आंकिया	4	आंकिया मकान नं. 38 मानसिंह से मकान नं. 52 गेदा जी तक	महिला अ0जा0	2
5	आंकिया	5	आंकिया मकान नं. 53 घीसा जी से मकान नं. 62 कमला बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	आंकिया	6	आंकिया मकान नं. 63 नारायणप्रसाद से मकान नं. 78 भरमा जी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	आंकिया	7	आंकिया मकान नं. 79 कालूराम से मकान नं. 93 रोडी बाई तक	महिला सामान्य	3
8	आंकिया	8	आंकिया मकान नं. 94 धूरीलाल से मकान नं. 111 गजरी बाई तक		
9	आंकिया	9	भकवाहा मकान नं. 2 धन्नालाल से मकान नं. 13 बट्टीप्रसाद तक		
10	आंकिया	10	भकवाहा मकान नं. 15 रामदयाल से मकान नं. 27 गोरधन सिंह तक		
11	आंकिया	11	भकवाहा मकान नं. 28 लाल सिंह से मकान नं. 39 पन्नालाल तक		
12	आंकिया	12	भकवाहा मकान नं. 40 मायाराम से मकान नं. 48 वंशीलाल तक		
13	आंकिया	13	भकवाहा मकान नं. 49 जमनी बाई से मकान नं. 65 क्रोमल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भुजपुराकला	1	भुजपुराकला घीसीबाई मकान न. 1 से मकान न. 9 रामनारायण तक	अ.जा.	3
2	भुजपुराकला	2	भुजपुराकला बुध्भारती मकान न. 10 से मकान न. 24 कमरी बाई	अ.ज.जा.	*निरक
3	भुजपुराकला	3	भुजपुराकला मोजीलाल मकान न. 25 से मकान न. 34 नारायण सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	भुजपुराकला	4	भुजपुराकला प्रेमबाई मकान न. 35 से मकान न. 44 बाबूलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	भुजपुराकला	5	भुजपुराकला पन्नालाल मकान न. 47 से मकान न. 55 झुनिया बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरक
6	भुजपुराकला	6	भुजपुराकला गंगाप्रसाद मकान न. 56 से मकान न. 64 गोपीलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	भुजपुराकला	7	भुजपुराकला हरिप्रसाद मकान न. 65 से मकान न. 72 दुर्गाप्रसाद तक	महिला सामान्य	4
8	भुजपुराकला	8	भुजपुराकला गोपीलाल मकान न. 73 से मकान न. 84 राजाराम तक		
9	भुजपुराकला	9	नीमखेडी गोरधन मकान न. 2 से मकान न. 10 माधोसिंह तक		
10	भुजपुराकला	10	नीमखेडी नंदराम मकान न. 12 से मकान न. 24 अजुददी बाई तक		
11	भुजपुराकला	11	नीमखेडी हरिप्रसाद मकान न. 26 से मकान न. 36 मनिया बाई तक		
12	भुजपुराकला	12	नीमखेडी जगन्नाथ मकान न. 37 से मकान न. 47 लालचंद तक		
13	भुजपुराकला	13	नीमखेडी दीपसिंह मकान न. 48 से मकान न. 58 धन्नालाल तक		
14	भुजपुराकला	14	नीमखेडी श्रीकेशन मकान न. 59 से मकान न. 96 पुनिया बाई तक		
15	भुजपुराकला	15	मंझेडा शकरलाल मकान न. 1 से मकान न. 27 मांरीलाल तक		
16	भुजपुराकला	16	मंझेडा दरयाव बाई मकान न. 28 से मकान न. 42 घासीराम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	दमीला	1	दमीला रामभरोसे म.न. 1 से म.न. 23 केदारनाथ तक	अ.जा.	1
2	दमीला	2	दमीला चतरकुवर म.न. 30 से म.न. 48 कमलसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	दमीला	3	दमीला दरयाब बाई म.न. 50 से म.न. 72 दौलतसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	दमीला	4	दमीला भावसिंह म.न. 74 से म.न. 89 अमरसिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	दमीला	5	दमीला पक्षीया बाई म.न. 93 से म.न. 103 सरूपी बाईतक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	दमीला	6	बम्हौरी नानाजी म.न. 1 से म.न. 15 पार्वती बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	दमीला	7	शैषापुरा अमरसिंह म.न. 1 से म.न. 7 नानी बाई तक	महिला सामान्य	5
8	दमीला	8	शैषापुरा दरयाब बाई म.न. 8 से म.न. 15 कंचन बाई तक		
9	दमीला	9	शैषापुरा लाखन सिंह म.न. 16 से म.न. 23 उमेदी बाई तक		
10	दमीला	10	कढैयाब्रह्माण प्रथोर म.न. 1 से म.न. 12 भंवरजी तक		
11	दमीला	11	कढैयाब्रह्माण अमरसिंह म.न. 15 से म.न. 23 गनपत सिंह तक		
12	दमीला	12	गनियारी रामप्रसाद म.न. 1 से म.न. 17 मौजीलाल तक		
13	दमीला	13	गनियारी तीजा बाई म.न. 18 से म.न. 30 बटनलाल तक		
14	दमीला	14	कनेरा हल्की बाई म.न. 1 से म.न. 19 मेवा बाई तक		
15	दमीला	15	कनेरा मर्दन म.न. 20 से म.न. 31 संपत बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	चांदासलोई	1	चांदासलोई मकान नं. 1 अमरसिंह से मकान नं. 7 चैन सिंह तक	अ.जा.	1
2	चांदासलोई	2	चांदासलोई मकान नं. 8 नारायण सिंह से मकान नं. 17/1 रघुवीर सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	चांदासलोई	3	चांदासलोई मकान नं. 18/1 सरुपा से मकान नं. 23 उमराव बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	चांदासलोई	4	चांदासलोई मकान नं. 24 मोहर सिंह से मकान नं. 28 भूली बाई तक	महिला अ0जा0	1
5	चांदासलोई	5	शाहपुर मकान नं. 1 घीसी बाई से मकान नं. 12 दरीया बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	चांदासलोई	6	शाहपुर मकान नं. 13 मागीलाल से मकान नं. 20 देवा जी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	चांदासलोई	7	शाहपुर मकान नं. 21 हीराबाई से मकान नं. 35 फतेह सिंह तक	महिला सामान्य	2
8	चांदासलोई	8	शाहपुर मकान नं. 34 कालूराम से मकान नं. 45 हजारीलाल तक		
9	चांदासलोई	9	पथरिया मकान नं. 1 मोहनलाल से मकान नं. 8 कल्ली बाई तक		
10	चांदासलोई	10	पथरिया मकान नं. 9 मोरियाबाई से मकान नं. 18 नारायणसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कढैयाशाह	1	कढैयाशाह मकान नं. 1 गोपालसिंह से मकान नं. 12 शोभाराम तक	अ.जा.	2
2	कढैयाशाह	2	कढैयाशाह मकान नं. 13 नारायण प्रसाद से मकान नं. 24 रामबाबू मीणा तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कढैयाशाह	3	कढैयाशाह मकान नं. 25 हल्की बाई से मकान नं. 31 सीता बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	कढैयाशाह	4	कढैयाशाह मकान नं. 32 फूलचंद से मकान नं. 37 बापूलाल तक	महिला अ0जा0	1
5	कढैयाशाह	5	कढैयाशाह मकान नं. 38 दिमान सिंह से मकान नं. 55 कालुराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कढैयाशाह	6	कढैयाशाह मकान नं. 56 मर्दन सिंह से मकान नं. 66 काशीराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	कढैयाशाह	7	कढैयाशाह मकान नं. 67 प्रभूलाल से मकान नं. 83 केसर बाई तक	महिला सामान्य	5
8	कढैयाशाह	8	कढैयाशाह मकान नं. 85 अनार बाई से मकान नं. 93 ललता बाई तक		
9	कढैयाशाह	9	कढैयाशाह मकान नं. 94 नर्बदी बाई से मकान नं. 99 पुरन सिंह तक		
10	कढैयाशाह	10	कढैयाशाह मकान नं. 100 रामवीर से मकान नं. 116 भारत सिंह तक		
11	कढैयाशाह	11	कढैयाशाह मकान नं. 117 झुनिया बाई से मकान नं. 132 सिलबास बाई तक		
12	कढैयाशाह	12	कढैयाशाह मकान नं. 133 धारुसिंह से मकान नं. 148 सोबीराम तक		
13	कढैयाशाह	13	रमपुराखुर्द मकान नं. 1 रामवक्स से मकान नं. 12 सरस्वती बाई तक		
14	कढैयाशाह	14	रमपुराखुर्द मकान नं. 13 बटनलाल से मकान नं. 19 दिम्मो बाई तक		
15	कढैयाशाह	15	रमपुराखुर्द मकान नं. 20 कोसिया बाई से मकान नं. 24 मुल्लो बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जमूसरखुर्द	1	जमूसरखुर्द मकान नं. 1 नन्लाल से मकान नं. 10 रमको बाई तक	अ.जा.	4
2	जमूसरखुर्द	2	भूरीपठार मकान नं. 13 हरि सिंह से मकान नं. 32 मोहन सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	जमूसरखुर्द	3	बैजाखेडी मकान नं. 33 पतिराम से मकान नं. 46 सम्पत बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	जमूसरखुर्द	4	लालूखेडी मकान नं. 47 सनमान से मकान नं. 52 वीरेन्द्र जैन तक	महिला अ0जा0	2
5	जमूसरखुर्द	5	लालूखेडी मकान नं. 53 नरेन्द्रसिंह से मकान नं. 55 रामप्यारी बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	जमूसरखुर्द	6	लालूखेडी मकान नं. 57 बदाम सिंह से मकान नं. 75 रामचरण तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	जमूसरखुर्द	7	लालूखेडी मकान नं. 77 अमर सिंह से मकान नं. 98 मालम सिंह तक	महिला सामान्य	5
8	जमूसरखुर्द	8	लालूखेडी मकान नं. 99 उमराव सिंह से मकान नं. 115 पर्वत सिंह तक		
9	जमूसरखुर्द	9	लालूखेडी मकान नं. 120 महाराज सिंह से मकान नं. 134 मोहर सिंह तक		
10	जमूसरखुर्द	10	लालूखेडी मकान नं. 135 गन्धर्व सिंह से मकान नं. 153 ईश्वरीप्रसाद तक		
11	जमूसरखुर्द	11	खैजडामिश्र मकान नं. 1 इमरत बाई से मकान नं. 9 हरकिशन तक		
12	जमूसरखुर्द	12	खैजडामिश्र मकान नं. 10 मिश्रीलाल से मकान नं. 23 रामचरण तक		
13	जमूसरखुर्द	13	खैजडामिश्र मकान नं. 25 कस्तूरी बाई से मकान नं. 36 हरलाल तक		
14	जमूसरखुर्द	14	खैजडामिश्र मकान नं. 37 ज्ञानसिंह से मकान नं. 44 रईस खों तक		
15	जमूसरखुर्द	15	खैजडामिश्र मकान नं. 45 मूलचंद से मकान नं. 56 गंगाराम तक		
16	जमूसरखुर्द	16	खैजडामिश्र मकान नं. 58 गोपीलाल से मकान नं. 71 धीसूलाल तक		
17	जमूसरखुर्द	17	खैजडामिश्र मकान नं. 72 गंगाराम से मकान नं. 91 सुरेश तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बराई	1	बराई मकान नं. 1 जमनी बाई से मकान नं. 15 फूल सिंह तक	अ.जा.	7
2	बराई	2	बराई मकान नं. 16 बाबूलाल से मकान नं. 28 कस्तूरी बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बराई	3	बराई मकान नं. 29 कस्तूरी बाई से मकान नं. 39 मालम सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	बराई	4	बराई मकान नं. 40 भवरी बाई से मकान नं. 55 सिया बाई तक	महिला अ0जा0	4
5	बराई	5	बराई मकान नं. 57 मोहर सिंह से मकान नं. 693 प्रेमनारायण तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बराई	6	हिनोतियापीरान मकान नं. 1 बटनलाल से मकान नं. 22 राजबाला तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	बराई	7	हिनोतियापीरान मकान नं. 23 सवाल सिंह से मकान नं. 36 बटनलाल तक	महिला सामान्य	2
8	बराई	8	हिनोतियापीरान मकान नं. 37 यशोदी बाई से मकान नं. 49 हरिसिंह तक		
9	बराई	9	हिनोतियापीरान मकान नं. 50 भवानी सिंह से मकान नं. 72 वंशीलाल तक		
10	बराई	10	हिनोतियापीरान मकान नं. 74 गनपत सिंह से मकान नं. 86 बाबूलाल तक		
11	बराई	11	अराईरायसिंह मकान नं. 2 कन्हैया लाल से मकान नं. 13 रतनीबाई तक		
12	बराई	12	अराईरायसिंह मकान नं. 16 ग्यारसा से मकान नं. 28 मुशीलाल तक		
13	बराई	13	अराईरायसिंह मकान नं. 29 बाबूलाल से मकान नं. 41 कमल सिंह तक		
14	बराई	14	अराईसरदारसिंह मकान नं. 3 हल्कूराम से मकान नं. 19 बरेलाल तक		
15	बराई	15	अराईसरदारसिंह मकान नं. 20 रामगोपाल से मकान नं. 39 हीरालाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज आयोग, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेडायकूव	1	बरखेडायकूव मकान नं.1 किशोरीलाल से मकान नं. 17 श्रीबाई तक	अ.जा.	5
2	बरखेडायकूव	2	बरखेडायकूव मकान नं.19 वलवंतसिंह से मकान नं. 32 हकीमन बी तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बरखेडायकूव	3	बरखेडायकूव मकान नं.33 हजीद खांसे मकान नं. 42 कोमलसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	बरखेडायकूव	4	बरखेडायकूव मकान नं.43 छोटी बाई से मकान नं. 52 सलीम खां तक	महिला अ0जा0	3
5	बरखेडायकूव	5	बरखेडायकूव मकान नं.53 गुडडी बाई से मकान नं. 67 कन्धइलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बरखेडायकूव	6	बरखेडायकूव मकान नं.68 मुजफ्फर शाह से मकान नं. 80 मुस्ताकखां तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	बरखेडायकूव	7	बरखेडायकूव मकान नं. 81 युसुफ खां से मकान नं. 90 ह्योपती बाई तक	महिला सामान्य	4
8	बरखेडायकूव	8	बरखेडायकूव मकान नं. 92 उमदसिंह से मकान नं. 105 पन्नालाल तक		
9	बरखेडायकूव	9	बरखेडायकूव मकान नं.106 दौली बाई से मकान नं. 115 गंगाराम तक		
10	बरखेडायकूव	10	बरखेडायकूव मकान नं.117 पृथ्वीलाल से मकान नं. 129 बालमुकुंद तक		
11	बरखेडायकूव	11	बरखेडायकूव मकान नं.133 गुलाव बाई से मकान नं. 143 पन्नालाल तक		
12	बरखेडायकूव	12	बरखेडायकूव मकान नं. 145 कमला बाई से मकान नं. 170 कुजीदास तक		
13	बरखेडायकूव	13	हमीदखेडी मकान नं. 1 लक्ष्मण सिंह से मकान नं. 13 फूलसिंह तक		
14	बरखेडायकूव	14	हमीदखेडी मकान नं. 14 प्रहलादसिंह से मकान नं. 24 गंद्रपसिंह तक		
15	बरखेडायकूव	15	हमीदखेडी मकान नं. 25 इन्दरसिंह से मकान नं. 32 मोहनसिंह तक		
16	बरखेडायकूव	16	हमीदखेडी मकान नं. 33 तखतसिंह से मकान नं. 52 रम्पो बाई तक		
17	बरखेडायकूव	17	हमीदखेडी मकान नं. 54 लालचंद से. मकान नं. 64 तखतसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बबचिया	1	बबचिया मकान नं.1 दूमा वाई से मकान नं. 17 कमल तक	अ.जा.	5
2	बबचिया	2	बबचिया मकान नं. 19 रईस खां से मकान नं. 29 शरीफ खां तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बबचिया	3	बबचिया मकान नं. 30 हसीना बी. से मकान नं. 45 कन्हैयालाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	बबचिया	4	बबचिया मकान नं.46 महाराज सिंह से मकान नं. 57 निरपत बाई तक	महिला अ0जा0	3
5	बबचिया	5	बबचिया मकान नं. 58 मूलचंद से मकान नं. 72 रामकली बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बबचिया	6	बबचिया मकान नं. 73 राम बाई से मकान नं. 83 मोहन सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	बबचिया	7	बबचिया मकान नं. 84 गनेशराम से मकान नं. 97 बटनलाल तक	महिला सामान्य	4
8	बबचिया	8	बबचिया मकान नं. 98 प्राणचंद से मकान नं. 114 सौदान सिंह तक		
9	बबचिया	9	बबचिया मकान नं.116 मोहर बाई से मकान नं. 132 महेश तक		
10	बबचिया	10	बबचिया मकान नं.134 वहीद खां से मकान नं. 144 शमीना बी तक		
11	बबचिया	11	बबचिया मकान नं.145 रफीक खां से मकान नं. 163 बल्ला तक		
12	बबचिया	12	बबचिया मकान नं.164 जबाहर सिंह से मकान नं. 181 हरी सिंह तक		
13	बबचिया	13	बबचिया मकान नं.183 संतोष कुमार से मकान नं. 206 गीता बाई तक		
14	बबचिया	14	बबचिया मकान नं.207 मोहन सेन से मकान नं. 228 प्रेम बाई तक		
15	बबचिया	15	बबचिया मकान नं.229 वहीद खां से मकान नं. 247 रामप्रसाद तक		
16	बबचिया	16	बबचिया मकान नं.248 सडुआ से मकान नं. 251 भान सिंह तक		
17	बबचिया	17	बबचिया मकान नं.252 माया बाई से मकान नं. 254 गोरधन तक		
18	बबचिया	18	बबचिया मकान नं.255 अय्युव खां से मकान नं. 271 हरी सिंह तक		
19	बबचिया	19	बबचिया मकान नं.272 सुन्दर बाई से मकान नं. 289 रामेश्वर सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अर्जुनखेडी	1	अर्जुनखेडी मकान नं. 1 करन सिंह से मकान नं. 12 करामत खां तक	अ.जा.	1
2	अर्जुनखेडी	2	अर्जुनखेडी मकान नं. 13 सुक्कू खां से मकान नं. 31 हरीसिंह तक	अ.ज.जा.	0
3	अर्जुनखेडी	3	अर्जुनखेडी मकान नं. 32 कगर बाई से मकान नं. 50 पन्नालाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	अर्जुनखेडी	4	अर्जुनखेडी मकान नं. 51 कला बाई से मकान नं. 67 जशोदी बाई तक	महिला अ0जा0	1
5	अर्जुनखेडी	5	अर्जुनखेडी मकान नं. 68 रामगोपाल से मकान नं. 85 लक्ष्मण सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	0
6	अर्जुनखेडी	6	अर्जुनखेडी मकान नं. 86 रामनाथसिंह से मकान नं. 101 हल्कूराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	अर्जुनखेडी	7	खेजडाघाट मकान नं. 1 विप्सा बाई से मकान नं. 19 देवचरण तक	महिला सामान्य	2
8	अर्जुनखेडी	8	खेजडाघाट मकान नं. 21 मथुरी बाई से मकान नं. 34 फूलसिंह तक		
9	अर्जुनखेडी	9	खेजडाघाट मकान नं. 35 मखी बाई से मकान नं. 49 प्रेम बाई तक		
10	अर्जुनखेडी	10	खेजडाघाट मकान नं. 50 कमल सिंह से मकान नं. 61 कमलेश तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जितकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मैगरानवीन	1	मैगरानवीन मकान नं. 3 हीरालाल से मकान नं. 19 शाति बाई तक	अ.जा.	2
2	मैगरानवीन	2	मैगरानवीन मकान नं. 21 जगन्नाथ से मकान नं. 33 घासीराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	मैगरानवीन	3	मैगरानवीन मकान नं. 34 मोहनलाल से मकान नं. 43 मोतीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	मैगरानवीन	4	मैगरानवीन मकान नं. 44 दरयाव बाई से मकान नं. 62 गंगा बाई तक	महिला अ0जा0	1
5	मैगरानवीन	5	मैगरानवीन मकान नं. 63 फूलिया बाई से मकान नं. 74 हरी सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	मैगरानवीन	6	सुमेर मकान नं. 1 भवरी बाई से मकान नं. 18 काशीराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	मैगरानवीन	7	सुमेर मकान नं. 19 हरीराम से मकान नं. 25 गंगाराम तक	महिला सामान्य	5
8	मैगरानवीन	8	विजावनकला मकान नं. 2 बिहारीलाल से मकान नं. 8 लक्ष्मी बाई तक		
9	मैगरानवीन	9	विजावनकला मकान नं. 10 सम्पत बाई से मकान नं. 14 रोड जी तक		
10	मैगरानवीन	10	विजावनकला मकान नं. 15 मेहताव सिंह से मकान नं. 24 हरीसिंह तक		
11	मैगरानवीन	11	विजावनकला मकान नं. 25 पन्नालाल से मकान नं. 32 राम सिंह तक		
12	मैगरानवीन	12	विजावनकला मकान नं. 33 गुलाव सिंह से मकान नं. 40 नौरंग बाई तक		
13	मैगरानवीन	13	विजावनकला मकान नं. 41 रामकिशन से मकान नं. 59 नारायणप्रसाद तक		
14	मैगरानवीन	14	बादीखेडी मकान नं. 1 हीरालाल से मकान नं. 14 प्रह्लाद सिंह तक		
15	मैगरानवीन	15	बादीखेडी मकान नं. 15 कनीराम से मकान नं. 25 सुमन बाई तक		
16	मैगरानवीन	16	बादीखेडी मकान नं. 26 अमर सिंह से मकान नं. 39 नाथूराम तक		
17	मैगरानवीन	17	बादीखेडी मकान नं. 40 भवरी बाई से मकान नं. 46 फूल सिंह तक		
18	मैगरानवीन	18	बादीखेडी मकान नं. 47 केशो से मकान नं. 53 मांगीलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मंगलगढ	1	मंगलगढ मकान नं. 3 जगन्नाथ से मकान नं. 14 प्रेम बाई तक	अ.जा.	1
2	मंगलगढ	2	मंगलगढ मकान नं. 15 रामप्रसाद से मकान नं. 34 नंदकुमार तक	अ.ज.जा.	2
3	मंगलगढ	3	मंगलगढ मकान नं. 35 श्रृंगारकुवर से मकान नं. 52 सज्जन सिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	मंगलगढ	4	मंगलगढ मकान नं. 56 भवरी बाई से मकान नं. 81 कल्याण तक	महिला अ0जा0	1
5	मंगलगढ	5	मंगलगढ मकान नं. 82 महेन्द्रप्रतापसिंह से मकान नं. 103 नानी बाई तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	मंगलगढ	6	मंगलगढ मकान नं. 105 अमर सिंह से मकान नं. 129 अमरी बाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	मंगलगढ	7	मंगलगढ मकान नं. 131 सुखिया बाई से मकान नं. 158 दयाशंकर तक	महिला सामान्य	2
8	मंगलगढ	8	मंगलगढ मकान नं. 160 राज बाई से मकान नं. 176 धन सिंह तक		
9	मंगलगढ	9	पाडली मकान नं. 1 गोपीलाल से मकान नं. 16 केदार सिंह तक		
10	मंगलगढ	10	पाडली मकान नं. 17 दौलत सिंह से मकान नं. 31 मदनलाल तक		
11	मंगलगढ	11	विजावनखुर्द मकान नं. 2 गंगाराम से मकान नं. 8 भवानी तक		
12	मंगलगढ	12	विजावनखुर्द मकान नं. 9 जगन्नाथ से मकान नं. 19 गोविन्द तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रुनाहा	1	रुनाहा मकान नं. 0 भगवतदास से मकान नं. 14 राम सिंह तक	अ.जा.	3
2	रुनाहा	2	रुनाहा मकान नं. 15 रामचरण से मकान नं. 24 नाथूराम तक	अ.ज.जा.	1
3	रुनाहा	3	रुनाहा मकान नं. 25 रतनसिंह से मकान नं. 37 भवरलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	रुनाहा	4	रुनाहा मकान नं. 38 अमरसिंह से मकान नं. 55 धापकचंद तक	महिला अ0जा0	2
5	रुनाहा	5	रुनाहा मकान नं. 56 अमर बाई से मकान नं. 68 गणेशी बाई तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	रुनाहा	6	रुनाहा मकान नं. 69 रामप्रसाद से मकान नं. 76 राम सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	रुनाहा	7	रुनाहा मकान नं. 77 नाथूराम से मकान नं. 92 जगन्नाथ तक	महिला सामान्य	4
8	रुनाहा	8	रुनाहा मकान नं. 96 दयाराम से मकान नं. 106 कुसुम बाई तक		
9	रुनाहा	9	रुनाहा मकान नं. 107 दलपत से मकान नं. 119 जयराम तक		
10	रुनाहा	10	रुनाहा मकान नं. 120 लक्ष्मण से मकान नं. 133 जमनी बाई तक		
11	रुनाहा	11	रुनाहा मकान नं. 134 कस्तूरी बाई से मकान नं. 148 कन्हैयालाल तक		
12	रुनाहा	12	रुनाहा मकान नं. 151 कन्हैयालाल से मकान नं. 165 बटनलाल तक		
13	रुनाहा	13	रुनाहा मकान नं. 166 लीलाकिशन से मकान नं. 178 रघुनाथ सिंह तक		
14	रुनाहा	14	रुनाहा मकान नं. 179 लालचंद से मकान नं. 201 धन्नालाल तक		
15	रुनाहा	15	रुनाहा मकान नं. 202 हीरालाल से मकान नं. 218 कदीर खों तक		
16	रुनाहा	16	रुनाहा मकान नं. 220 अचल सिंह से मकान नं. 230 भारत सिंह तक		
17	रुनाहा	17	रुनाहा मकान नं. 231 प्रेम बाई से मकान नं. 241 सत्यप्रकाश तक		
18	रुनाहा	18	रुनाहा मकान नं. 242 गीता बाई से मकान नं. 255 सूरज बाई तक		
19	रुनाहा	19	रुनाहा मकान नं. 256 केशर बाई से मकान नं. 262 राम सिंह तक		
20	रुनाहा	20	रुनाहा मकान नं. 263 छगनलाल से मकान नं. 283 रमेशकुमार तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सुनगा	1	सुनगा लाखनसिंह म.न. 1 से म.न. 21 मोहरसिंह तक	अ.जा.	4
2	सुनगा	2	सुनगा दयाल सिंह म.न.23 से म.न. 38 राकेश तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सुनगा	3	सुनगा संजीव कुमार म.न. 39 से म.न. 63 गुलजीराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	सुनगा	4	सुनगा धूरसिंह म.न. 65 से म.न. 90 भवरजी तक	महिला अ0जा0	2
5	सुनगा	5	सुनगा राधेकिशन म.न. 91 से म.न. 107 मुशीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सुनगा	6	सुनगा अमरसिंह म.न. 108 से म.न. 121 मुलचंद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	सुनगा	7	सुनगा सूरज बाई म.न. 122 से म.न. 132 दौलतसिंह तक	महिला सामान्य	4
8	सुनगा	8	सुनगा भमरजी म.न. 133 से म.न. 150 प्रेमबाई तक		
9	सुनगा	9	सुनगा रामचरण म.न. 151 से म.न. 164 पंचकवर बाई तक		
10	सुनगा	10	सुनगा भगवानसिंह म.न. 165 से म.न. 195 रामपाल सिंह तक		
11	सुनगा	11	जगमेरी एवं भुजपुरा वंशीलाल म.न. 1 से म.न. 16 भास्तसिंह तक		
12	सुनगा	12	जगमेरी केशरसिंह म.न. 18 से म.न. 33 मांगीलाल एवं भुजपुरा म.न. 1/2 क तक		
13	सुनगा	13	बडली नानाजी म.न. 2 से म.न. 17 जगन्नाथ तक		
14	सुनगा	14	बडली रविराम म.न. 18 से म.न. 39 मुन्नालाल तक		
15	सुनगा	15	बडली गंगाबाई म.न. 40 से म.न. 222 रामबाबू गुर्जर तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	परसौरा	1	परसौरा +रामटेक मकान नं. 1 चन्दपुरी से मकान नं. 15 मुरली भारती तक	अ.जा.	1
2	परसौरा	2	परसौरा +रामटेक मकान नं. 16 हजारी भारती से मकान नं. 25 मुरली भारती तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	परसौरा	3	परसौरा +रामटेक मकान नं. 26 दौलत गिरि से मकान नं. 26 रघुनाथ सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	परसौरा	4	परसौरा +रामटेक मकान नं. 43 उर्जन पर्वत से मकान नं. 58 वंशी गिर तक	महिला अ0जा0	1
5	परसौरा	5	परसौरा +रामटेक मकान नं. 59 श्यामगिरि से मकान नं. 74 देवा जी तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	परसौरा	6	परसौरा +रामटेक मकान नं. 75 तुलसीबाई से मकान नं. 90 जगन्नाथ भारती तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	परसौरा	7	परसौरा +रामटेक मकान नं. 91 श्याम भारती से मकान नं. 14 तुलसा बाई तक	महिला सामान्य	6
8	परसौरा	8	भमौरा मकान नं. 1 छत्रसाल से मकान नं. 13 भागीलाल तक		
9	परसौरा	9	भमौरा मकान नं. 14 हीरालाल से मकान नं. 28 सूरज बाई तक		
10	परसौरा	10	भमौरा मकान नं. 29 प्रेम सिंह से मकान नं. 90 सम्पत बाई तक		
11	परसौरा	11	हिनोतिया मकान नं. 1 मांगीलाल से मकान नं. 10 अमर सिंह तक		
12	परसौरा	12	हिनोतिया मकान नं. 11 शैतान कवर से मकान नं. 21 समन्दर सिंह तक		
13	परसौरा	13	हिनोतिया मकान नं. 22 हरनाथ सिंह से मकान नं. 33 ज्ञानेश्वर तक		
14	परसौरा	14	हिनोतिया मकान नं. 34 पन्नालाल से मकान नं. 53 जगन्नाथ तक		
15	परसौरा	15	शुक्ला मकान नं. 1 नाना जी से मकान नं. 13 देवा जी तक		
16	परसौरा	16	शुक्ला मकान नं. 14 मान सिंह से मकान नं. 26 शोभाराम तक		

17	परसौरा	17	शुक्ला मकान नं. 17 हरिराम से मकान नं. 40 मदनलाल तक		
18	परसौरा	18	नेतापुरा मकान नं. 1 रामरेखा बाई से मकान नं. 8 प्रसाद भारती तक		
19	परसौरा	19	नेतापुरा मकान नं. 9 जगन्नाथ भारती से मकान नं. 20 धांपू बाई तक		
20	परसौरा	20	नेतापुरा मकान नं. 21 मनिया बाई से मकान नं. 29 कांती बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खितवांस	1	खितवांस मकान नं. 1 भैरोप्रसाद से मकान नं. 11/3 जगन्नाथ तक	अ.जा.	4
2	खितवांस	2	खितवांस मकान नं. 12 मूलचन्द से मकान नं. 24/1 गुटटीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	खितवांस	3	खितवांस मकान नं. 25 बदीप्रसाद से मकान नं. 33/3 कमल सिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	खितवांस	4	खितवांस मकान नं. 34 मोहर सिंह से मकान नं. 38/2 जालम सिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	खितवांस	5	खितवांस मकान नं. 39 मांगीलाल से मकान नं. 50/1 परशराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	खितवांस	6	खितवांस मकान नं. 51 नानी बाई से मकान नं. 63 नवल सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	खितवांस	7	बागापुरा मकान नं. 1 दयाल सिंह से मकान नं. 11 गिरधारी लाल तक	महिला सामान्य	4
8	खितवांस	8	बागापुरा मकान नं. 12 भैरो सिंह से मकान नं. 22 उमरी बाई तक		
9	खितवांस	9	बागापुरा मकान नं. 23 दीप सिंह से मकान नं. 33 मोकम सिंह तक		
10	खितवांस	10	बागापुरा मकान नं. 34 सजनकुमारी से मकान नं. 46 सर्जन सिंह तक		
11	खितवांस	11	बागापुरा मकान नं. 47 भूली बाई से मकान नं. 53/2 ओमप्रकाश तक		
12	खितवांस	12	बागापुरा मकान नं. 1 सुआ बाई से मकान नं. 9 नानी बाई तक		
13	खितवांस	13	जूनापानी मकान नं. 10 हीरालाल से मकान नं. 15/2 सदाराम तक		
14	खितवांस	14	जूनापानी मकान नं. 16 पूना बाई से मकान नं. 21 कचन सिंह तक		
15	खितवांस	15	वोडपुरा मकान नं. 1 कल्ली बाई से मकान नं. 16/3 जगन्नाथ तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	चाटाहेडी	1	चाटाहेडी मकान नं. 2 दुर्गाप्रसाद से मकान नं. 13 पर्वत सिंह तक	अ.जा.	6
2	चाटाहेडी	2	चाटाहेडी मकान नं. 14 मान खों से मकान नं. 27 बालाराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	चाटाहेडी	3	चाटाहेडी मकान नं. 28 बदन सिंह से मकान नं. 39 मुरली तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	चाटाहेडी	4	चाटाहेडी मकान नं. 40 धिरोजी बाई से मकान नं. 49 मुन्शीलाल तक	महिला अ0जा0	3
5	चाटाहेडी	5	चाटाहेडी मकान नं. 50 मुरली से मकान नं. 59 बाबूलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	चाटाहेडी	6	चाटाहेडी मकान नं. 60 केशरबाई से मकान नं. 68 फूल सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	चाटाहेडी	7	चाटाहेडी मकान नं. 69 देवचन्द्र से मकान नं. 77 मिश्री बाई तक	महिला सामान्य	4
8	चाटाहेडी	8	चाटाहेडी मकान नं. 78 पर्वत सिंह से मकान नं. 82 छोटेराम तक		
9	चाटाहेडी	9	ढेकपुर मकान नं. 1 मुल्लो बाई से मकान नं. 11 गोपाल सिंह तक		
10	चाटाहेडी	10	ढेकपुर मकान नं. 12 कव्हीसिंह से मकान नं. 25 पार्वती बाई तक		
11	चाटाहेडी	11	ढेकपुर मकान नं. 26 मोहर बाई से मकान नं. 32 मुल्लो बाई तक		
12	चाटाहेडी	12	ढेकपुर मकान नं. 33 रामप्रसाद से मकान नं. 36 रघुवीर सिंह तक		
13	चाटाहेडी	13	ढेकपुर मकान नं. 37 तीरन सिंह से मकान नं. 41 लूमा बाई तक		
14	चाटाहेडी	14	ढेकपुर मकान नं. 42 नव्ही बाई से मकान नं. 45 वारेलाल तक		
15	चाटाहेडी	15	बिजोरीपुरा टपरा मकान नं. 1 शामबाबू से मकान नं. 47 नजरी बाई तक		
16	चाटाहेडी	16	बिजोरीपुरा मकान नं. 3 मजबूत सिंह से मकान नं. 44 कलियान सिंह तक		
17	चाटाहेडी	17	बिजोरीपुरा मकान नं. 45 भास्कर सिंह से मकान नं. 62 ताराबाई तक		

-10

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	संख्या
				प्रवर्ग	
1	2	3	4	5	6
1	मैगराकला	1	मैगराकला मकान नं. 1 रामवती से मकान नं. 14 फूल सिंह तक	अ.जा.	5
2	मैगराकला	2	मैगराकला मकान नं. 15 चैन सिंह से मकान नं. 26 अनार बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	मैगराकला	3	मैगराकला मकान नं. 27 राज बाई से मकान नं. 41 घीसूलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	मैगराकला	4	मैगराकला मकान नं. 42 रामसिंह से मकान नं. 60 श्याम सिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	मैगराकला	5	मैगराकला मकान नं. 61 दीवान सिंह से मकान नं. 77 उधम सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	मैगराकला	6	मैगराकला मकान नं. 78 बुदेल सिंह से मकान नं. 106 हजारीलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	मैगराकला	7	मैगराकला मकान नं. 112 बुलाखीराम से मकान नं. 124 श्याम बाई तक	महिला सामान्य	4
8	मैगराकला	8	मैगराकला मकान नं. 125 कपूरी बाई से मकान नं. 139 रामप्रसाद तक		
9	मैगराकला	9	मैगराकला मकान नं. 140 हजारीलाल से मकान नं. 150 घीसूलाल तक		
10	मैगराकला	10	मैगराकला मकान नं. 151 धारुसिंह से मकान नं. 165 कांता बाई तक		
11	मैगराकला	11	मैगराकला मकान नं. 166 हुकमचंद से मकान नं. 180 चैन सिंह तक		
12	मैगराकला	12	मैगराकला मकान नं. 181 सम्पत बाई से मकान नं. 190 रामप्रसाद तक		
13	मैगराकला	13	मैगराकला मकान नं. 191 हीरालाल से मकान नं. 208 रघुवीर तक		
14	मैगराकला	14	कीटखेडी मकान नं. 1 गो0 मकरसूद मिया से मकान नं. 9 रमेश तक		
15	मैगराकला	15	कीटखेडी मकान नं. 10 मालम सिंह से मकान नं. 21 फूलबाई तक		
16	मैगराकला	16	कीटखेडी (अमरपुर) मकान नं. 1 तुलसा बाई से मकान नं. 37 दिवान सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	डुंगरिया	1	डुंगरिया मकान नं. 3 भवरी बाई से मकान नं. 19 अजबी बाई तक	अ.जा.	4
2	डुंगरिया	2	डुंगरिया मकान नं. 20 किशन सिंह से मकान नं. 37 प्रहलाद सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	डुंगरिया	3	डुंगरिया मकान नं. 38 देवीराम से मकान नं. 53 नारायण सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	डुंगरिया	4	डुंगरिया मकान नं. 54 तुरसा बाई से मकान नं. 68 रमेश कुमार तक	महिला अ0जा0	2
5	डुंगरिया	5	डुंगरिया मकान नं. 69 हंसमत से मकान नं. 88 काशीराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	डुंगरिया	6	डुंगरिया मकान नं. 89 गम्भीर सिंह से मकान नं. 102 भावसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	डुंगरिया	7	डुंगरिया मकान नं. 106 रणजीत सिंह से मकान नं. 118 अजीम तक	महिला सामान्य	5
8	डुंगरिया	8	डुंगरिया मकान नं. 120 कालूराम से मकान नं. 136 घीसू खों तक		
9	डुंगरिया	9	डुंगरिया मकान नं. 137 रामप्रसाद से मकान नं. 145 बटनलाल तक		
10	डुंगरिया	10	डुंगरिया मकान नं. 146 पदम बाई से मकान नं. 170 मांगीलाल तक		
11	डुंगरिया	11	डुंगरिया मकान नं. 171 बाबूलाल से मकान नं. 190 विन्नो बाई तक		
12	डुंगरिया	12	डुंगरिया मकान नं. 193 सुक्को बाई से मकान नं. 201 रईसन बी तक		
13	डुंगरिया	13	डुंगरिया मकान नं. 202 उमर खों से मकान नं. 217 रणजीत सिंह तक		
14	डुंगरिया	14	डुंगरिया मकान नं. 218 अनार सिंह से मकान नं. 231 सूरत सिंह तक		
15	डुंगरिया	15	डुंगरिया मकान नं. 232 मेवा बाई से मकान नं. 244 देवीलाल तक		
16	डुंगरिया	16	डुंगरिया मकान नं. 245 गुमानीलाल से मकान नं. 253 प्रेम बाई तक		
17	डुंगरिया	17	डुंगरिया मकान नं. 258 मोहर बाई से मकान नं. 273 धन सिंह तक		
18	डुंगरिया	18	डुंगरिया मकान नं. 275 हीरालाल से मकान नं. 293 प्यारेलाल तक		
19	डुंगरिया	19	डुंगरिया मकान नं. 294 गोपाल सिंह से मकान नं. 378 राजेन्द्र सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नरेलादामोदर	1	नरेलादामोदर मकान नं. 2 उषा बाई से मकान नं. 12 बाबूलाल तक	अ.जा.	4
2	नरेलादामोदर	2	नरेलादामोदर मकान नं. 13 हरप्रसाद से मकान नं. 25 धन बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	नरेलादामोदर	3	नरेलादामोदर मकान नं. 26 जगदीश सिंह से मकान नं. 46 देवीराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	नरेलादामोदर	4	नरेलादामोदर मकान नं. 47 गोरिलाल से मकान नं. 60 शिम्पू बाई तक	महिला अ0जा0	2
5	नरेलादामोदर	5	नरेलादामोदर मकान नं. 61 धन्नालाल से मकान नं. 71 भीकमसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	नरेलादामोदर	6	नरेलादामोदर मकान नं. 72 पर्वतसिंह से मकान नं. 78 अयुद्धीप्रसाद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	नरेलादामोदर	7	नरेलादामोदर मकान नं. 79 सुनील पुरोहित से मकान नं. 99 मकसूद खां तक	महिला सामान्य	3
8	नरेलादामोदर	8	चंदनखेड़ी मकान नं. 2 राकेश से मकान नं. 14 के खातून बी तक		
9	नरेलादामोदर	9	चंदनखेड़ी मकान नं. 15 दानिश खां से मकान नं. 27 कपूरी बाई तक		
10	नरेलादामोदर	10	चंदनखेड़ी मकान नं. 28 बख्तयार खां से मकान नं. 70 श्याम बाई तक		
11	नरेलादामोदर	11	चंदनखेड़ी मकान नं. 71 फाजल खां से मकान नं. 582 अतीक खां तक		
12	नरेलादामोदर	12	उमरिया मकान नं.3 फूलसिंह से मकान नं. 19 जोरा सिंह तक		
13	नरेलादामोदर	13	उमरिया मकान नं.20 कमलसिंह से मकान नं. 37 अर्जुनसिंह तक		
14	नरेलादामोदर	14	उमरिया मकान नं.38 काशीराम से मकान नं. 60 भगवान सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धूतखेडी	1	धूतखेडी मकान नं. 1 भैयालाल से मकान नं. 14 रमको बाई तक	अ.जा.	3
2	धूतखेडी	2	धूतखेडी मकान नं. 15 पन्नालाल से मकान नं. 30 भप्पू तक	अ.ज.जा.	2
3	धूतखेडी	3	धूतखेडी मकान नं. 32 काशीराम से मकान नं. 47 भवरी बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	धूतखेडी	4	धूतखेडी मकान नं. 49 नन्नी बाई से मकान नं. 60 सम्पत बाई तक	महिला अ0जा0	2
5	धूतखेडी	5	धूतखेडी मकान नं. 61 मुकदी से मकान नं. 80 फूल कवर तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	धूतखेडी	6	धूतखेडी मकान नं. 81 शिम्बू से मकान नं. 83 बन्सीलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	धूतखेडी	7	धूतखेडी मकान नं. 86 प्रेम सिंह से मकान नं. 105 गुलाव बाई तक	महिला सामान्य	3
8	धूतखेडी	8	पारासोन मकान नं. 5 जानकी बाई से मकान नं. 15 शैतान बाई तक		
9	धूतखेडी	9	पारासोन मकान नं. 16 प्रताप बाई से मकान नं. 30 मोर बाई तक		
10	धूतखेडी	10	पारासोन मकान नं. 33 धूल जी से मकान नं. 45 मिश्रीलाल तक		
11	धूतखेडी	11	पारासोन मकान नं. 47 अमर सिंह से मकान नं. 56 लक्ष्मण तक		
12	धूतखेडी	12	पारासोन मकान नं. 58 अनारी बाई से मकान नं. 71 सुशीला बाई तक		
13	धूतखेडी	13	पारासोन मकान नं. 72 हरीनारायण भैयालाल से मकान नं. 86 रतनलाल तक		
14	धूतखेडी	14	पारासोन मकान नं. 87 कनीराम से मकान नं. 98 काशी बाई तक		
15	धूतखेडी	15	पारासोन मकान नं. 100 जानकी बाई से मकान नं. 110 रामचरण तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मनीखेडी (पार्वती)	1	मनीखेडी मकान नं. 1 फुलियाबाई से मकान नं. 16 जडाव बाई तक	अ.जा.	3
2	मनीखेडी (पार्वती)	2	मनीखेडी मकान नं. 17 भवरबाई से मकान नं. 28 हनुमत सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	मनीखेडी (पार्वती)	3	मनीखेडी मकान नं. 29 बुदराम से मकान नं. 41 कंचन सिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	मनीखेडी (पार्वती)	4	मनीखेडी मकान नं. 42 देववक्स से मकान नं. 53 मांगीलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	मनीखेडी (पार्वती)	5	भाउपुरा मकान नं. 1 गंगाराम से मकान नं. 13 गोपीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	मनीखेडी (पार्वती)	6	भाउपुरा मकान नं. 14 गंगाराम से मकान नं. 24 परसुराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	मनीखेडी (पार्वती)	7	भाउपुरा मकान नं. 25 धूरसिंह से मकान नं. 48 हल्की बाई तक	महिला सामान्य	3
8	मनीखेडी (पार्वती)	8	गोदाखेडी मकान नं. 1 कुजीलाल से मकान नं. 14 पारबती बाई तक		
9	मनीखेडी (पार्वती)	9	गोदाखेडी मकान नं. 15 हीरालाल से मकान नं. 26 राम सिंह तक		
10	मनीखेडी (पार्वती)	10	गोदाखेडी मकान नं. 27 सोलाल से मकान नं. 39 पर्वत सिंह तक		
11	मनीखेडी (पार्वती)	11	कालापिपल मकान नं. 1 चतरुलाल से मकान नं. 14 लालजीराम तक		
12	मनीखेडी (पार्वती)	12	कालापिपल मकान नं. 15 चंदन सिंह से मकान नं. 31 हरि सिंह तक		
13	मनीखेडी (पार्वती)	13	ठिकरियालक्ष्मणपुरा मकान नं. 1 देवीलाल से मकान नं. 17 जगन्नाथ तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मूडलाचंद	1	मूडलाचंद मकान नं.1 दीवान सिंह से मकान नं. 12 अमान सिंह तक	अ.जा.	4
2	मूडलाचंद	2	मूडलाचंद मकान नं. 13 मिश्रीलाल से मकान नं. 20 हमीर सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	मूडलाचंद	3	मूडलाचंद मकान नं. 21 राम सिंह से मकान नं. 35 मुकेश कुमार तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	मूडलाचंद	4	मूडलाचंद मकान नं.36 मलखान सिंह से मकान नं. 75 मीरा बाई तक	महिला अ0जा0	2
5	मूडलाचंद	5	लहारपुर मकान नं. 1 भैयालाल से मकान नं. 18 ग्यारसा तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	मूडलाचंद	6	लहारपुर मकान नं.19 हल्केराम से मकान नं. 35 नारायण सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	मूडलाचंद	7	लहारपुर मकान नं. 36 मलखान सिंह से मकान नं. 53 शिबा बाई तक	महिला सामान्य	3
8	मूडलाचंद	8	लहारपुर मकान नं. 54 कला बाई से मकान नं. 79 चन्दूलाल तक		
9	मूडलाचंद	9	खजूरीराकू मकान नं. 2 गंजराज सिंह से मकान नं. 16 बिनिया बाई तक		
10	मूडलाचंद	10	खजूरीराकू मकान नं. 18 करन सिंह से मकान नं. 27 भुजबल सिंह तक		
11	मूडलाचंद	11	खजूरीराकू मकान नं. 28 कस्तूरी बाई से मकान नं. 39 प्रेम बाई तक		
12	मूडलाचंद	12	खजूरीराकू मकान नं. 40 शक्कर बाई से मकान नं. 55 बिनिया बाई तक		
13	मूडलाचंद	13	खजूरीराकू मकान नं. 56 हरी सिंह से मकान नं. 71 ओमप्रकाश तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोल्हूखेडीकला	1	कोल्हूखेडी कला वीरेन्द्र सिंह म.न. 1 से 19 हरिराम तक	अ.जा.	6
2	कोल्हूखेडीकला	2	कोल्हूखेडी कला विमला म.न. 20 से 36 लक्ष्मण तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कोल्हूखेडीकला	3	कोल्हूखेडी कला नन्लाल म.न. 37 से 60 मांगीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	कोल्हूखेडीकला	4	कोल्हूखेडी कला देवीलाल म.न. 62 से 90 नन्नु तक	महिला अ0जा0	3
5	कोल्हूखेडीकला	5	कोल्हूखेडी कला जगन्नाथ म.न. 91 से 110 खुशीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कोल्हूखेडीकला	6	कोल्हूखेडी कला छोटेराम म.न. 111 से 123 गोरेलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	कोल्हूखेडीकला	7	कोल्हूखेडी कला गंगाराम म.न. 124 से 135 गंगाराम तक	महिला सामान्य	4
8	कोल्हूखेडीकला	8	कोल्हूखेडी कला बालकिशन म.न. 136 से 151 बालमुकंद तक		
9	कोल्हूखेडीकला	9	कोल्हूखेडी कला गंगाराम म.न. 154 से 167 विबो तक		
10	कोल्हूखेडीकला	10	कोल्हूखेडी कला कलिया बाई म.न. 168 से 178 मासूम तक		
11	कोल्हूखेडीकला	11	कोल्हूखेडी कला हसमत म.न. 179 से 189 भंवरीबाई तक		
12	कोल्हूखेडीकला	12	कोल्हूखेडी कला रामदयाल म.न. 190 से 197 पर्वत तक		
13	कोल्हूखेडीकला	13	कोल्हूखेडी कला भंवरलाल म.न. 198 से 208 पर्वतसिंह तक		
14	कोल्हूखेडीकला	14	कोल्हूखेडी कला हरिसिंह म.न. 209 से 216 विनयसिंह तक		
15	कोल्हूखेडीकला	15	कोल्हूखेडी कला मानसिंह म.न. 217 से 222 बापूलाल तक		
16	कोल्हूखेडीकला	16	कोल्हूखेडी कला भंवरी बाई म.न. 223 से 232 जालमसिंह तक		
17	कोल्हूखेडीकला	17	कोल्हूखेडी कला लीलाकिशन म.न. 233 से 244 भंवरलाल तक		
18	कोल्हूखेडीकला	18	कढैयाखुर्द मोरसिंह म.न. 01 से 18 कालूराम तक		
19	कोल्हूखेडीकला	19	कढैयाखुर्द मंगीलाल म.न. 19 से 28 घासीराम तक		
20	कोल्हूखेडीकला	20	कढैयाखुर्द भुली बाई म.न. 29 से 37 मांगीलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बागसी	1	बागसी मकान नं. 1 नारायणसिंह से मकान नं. 12 राजाराम तक	अ.जा.	4
2	बागसी	2	बागसी मकान नं. 13 सुन्दरबाई से मकान नं. 28 नारायण सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बागसी	3	बागसी मकान नं. 29 कमल सिंह से मकान नं. 35 छोटेशम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	बागसी	4	बागसी मकान नं. 37 राजबाई से मकान नं. 56 हरीसिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	बागसी	5	बागसी मकान नं. 57 जगन्नाथ से मकान नं. 72 माधोसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बागसी	6	बागसी मकान नं. 73 दौलत सिंह से मकान नं. 90 मोहर बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	बागसी	7	बागसी मकान नं. 91 बालमुकंद से मकान नं. 105 पर्वत सिंह तक	महिला सामान्य	4
8	बागसी	8	बागसी मकान नं. 107 कस्तूरी बाई से मकान नं. 122 बादाम बाई तक		
9	बागसी	9	बागसी मकान नं. 123 हल्की बाई से मकान नं. 141 पर्वत सिंह तक		
10	बागसी	10	बागसी मकान नं. 142 गजरी बाई से मकान नं. 163 मिश्रीलाल तक		
11	बागसी	11	बागसी मकान नं. 164 हजारी से मकान नं. 190 सुमन बाई तक		
12	बागसी	12	जाजनखेडी मकान नं. 1 आत्माराम से मकान नं. 11 रामप्यारी बाई तक		
13	बागसी	13	जाजनखेडी मकान नं. 13 घनश्याम से मकान नं. 23 बल्ली बाई तक		
14	बागसी	14	जाजनखेडी मकान नं. 24 तुलसीराम से मकान नं. 41 भवर जी तक		
15	बागसी	15	जाजनखेडी मकान नं. 42 हरचंद से मकान नं. 54 जमनाप्रसाद तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12. के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछडे वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रमगढा	1	रमगढा जमना बाई म.न. 5 से म.न. 24 पन्नालाल तक	अ.जा.	2
2	रमगढा	2	रमगढा हजारीलाल म.न. 25 से म.न. 37 सुनीता बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	रमगढा	3	रमगढा चैनसिंह म.न. 38 से म.न. 59 फतेहसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	रमगढा	4	रमगढा गोरेलाल म.न. 51 से म.न. 69 पंपकवर तक	महिला अ0जा0	1
5	रमगढा	5	रमगढा छन्नू म.न. 70 से म.न. 93 दौलतसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	रमगढा	6	रमगढा घासीराम म.न. 94 से म.न. 105 भूलीबाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	रमगढा	7	रमगढा केशर बाई म.न. 111 से म.न. 134 भगवानसिंह तक	महिला सामान्य	4
8	रमगढा	8	भोजापुरा बाबूसिंह म.न. 03 से म.न. 12 सुगनबाई तक		
9	रमगढा	9	भोजापुरा छोटेलाल म.न. 13 से म.न. 20 भंवरलाल तक		
10	रमगढा	10	भोजापुरा चैनसिंह म.न. 21 से म.न. 28 शैतान बाई तक		
11	रमगढा	11	भोजापुरा धनवीर सिंह म.न. 29 से म.न. 38 गोविन्दसिंह तक		
12	रमगढा	12	भोजापुरा प्रभुनाथ सिंह म.न. 39 से म.न. 47 अमानसिंह तक		
13	रमगढा	13	भोजापुरा जशोदी बाई म.न. 48 से म.न. 56 झब्बूलाल तक		
14	रमगढा	14	भोजापुरा घीसीलाल म.न. 57 से म.न. 70 तरसुपुर बरबा तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	हबीबगंज	1	हबीबगंज मकान नं. 1 नानाजी से मकान नं. 12 बालकिशन तक	अ.जा.	2
2	हबीबगंज	2	हबीबगंज मकान नं. 13 जगन्नाथ से मकान नं. 27 कंचन सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	हबीबगंज	3	हबीबगंज मकान नं. 28 रसूम बाई से मकान नं. 40 चैन सिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	हबीबगंज	4	हबीबगंज मकान नं. 41 गनपत सिंह से मकान नं. 55 लालजीराम तक	महिला अ0जा0	1
5	हबीबगंज	5	हबीबगंज मकान नं. 56 हरप्रसाद से मकान नं. 81 ब्रजेश तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	हबीबगंज	6	हबीबगंज मकान नं. 88 शब्बी बाई से मकान नं. 85 धूल सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	हबीबगंज	7	हबीबगंज मकान नं. 86 पन्नालाल से मकान नं. 102 माया बाई तक	महिला सामान्य	4
8	हबीबगंज	8	हबीबगंज मकान नं. 103 हरीसिंह से मकान नं. 117 पार्वतीबाई तक		
9	हबीबगंज	9	हबीबगंज मकान नं. 119 सौलाल से मकान नं. 127 बापूलाल तक		
10	हबीबगंज	10	हबीबगंज मकान नं. 128 फतेह सिंह से मकान नं. 139 पर्वत सिंह तक		
11	हबीबगंज	11	हबीबगंज मकान नं. 140 प्रेम बाई से मकान नं. 155 रामलाल तक		
12	हबीबगंज	12	हबीबगंज मकान नं. 156 कन्हैयालाल से मकान नं. 169 भारत सिंह तक		
13	हबीबगंज	13	हबीबगंज मकान नं. 170 बालकिशन से मकान नं. 179 बापूलाल तक		
14	हबीबगंज	14	हबीबगंज मकान नं. 180 जगन्नाथ से मकान नं. 848 कृष्णा बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	निदानपुर	1	निदानपुर मकान नं. 1 रत्तीराम से मकान नं. 11 मिटदूलाल तक	अ.जा.	1
2	निदानपुर	2	निदानपुर मकान नं. 12 जगन्नाथ से मकान नं. 21 वीर सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	निदानपुर	3	निदानपुर मकान नं. 22 विश्रवेश्वर से मकान नं. 32 सावित्री बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	निदानपुर	4	निदानपुर मकान नं. 33 अनार सिंह से मकान नं. 48 प्रेमनारायण तक	महिला अ0जा0	1
5	निदानपुर	5	सलोईसिंगराज मकान नं. 1 मीराबाई से मकान नं. 9 गंगाराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	निदानपुर	6	सलोईसिंगराज मकान नं. 10 पंखा बाई से मकान नं. 23 ओमप्रकाश तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	निदानपुर	7	सलोईसिंगराज मकान नं. 24 हमीर सिंह से मकान नं. 37 मालमसिंह तक	महिला सामान्य	4
8	निदानपुर	8	सलोईसिंगराज मकान नं. 38 कपूरी बाई से मकान नं. 90 फूली बाई तक		
9	निदानपुर	9	बरखेडामौजी मकान नं. 1 कनीराम से मकान नं. 10 मोती सिंह तक		
10	निदानपुर	10	बरखेडामौजी मकान नं. 11 घुन्नीलाल से मकान नं. 19 गोपाल सिंह तक		
11	निदानपुर	11	गंगाखेडी मकान नं. 1 जगराम से मकान नं. 9 ज्ञान सिंह तक		
12	निदानपुर	12	गंगाखेडी मकान नं. 10 अदार बाई से मकान नं. 15 मोतीलाल तक		
13	निदानपुर	13	गंगाखेडी मकान नं. 16 बैरो सिंह से मकान नं. 30 फतेह सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एक्ट 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ललरिया	1	ललरिया मकान नं. 1 भूरी बी से मकान नं. 20 रईस अहमद तक	अ.जा.	3
2	ललरिया	2	ललरिया मकान नं. 21 अब्दुल ब्रदूद खां से मकान नं. 39 फातमा बी तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	ललरिया	3	ललरिया मकान नं. 40 लुकमान खां से मकान नं. 65 कुरेशा बी तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	ललरिया	4	ललरिया मकान नं. 66 मो0 याकूब खां से मकान नं. 106 शकीला तक	महिला अ0जा0	2
5	ललरिया	5	ललरिया मकान नं. 107 लतीफ खां से मकान नं. 129 शायरा बी तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	ललरिया	6	ललरिया मकान नं. 131 तुरसी बाई से मकान नं. 162 नूर बी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	ललरिया	7	ललरिया मकान नं. 163 रामप्रसाद से मकान नं. 191 मोहम्मद खां तक	महिला सामान्य	5
8	ललरिया	8	ललरिया मकान नं. 193 अकीला बी से मकान नं. 233 रतन बाई तक		
9	ललरिया	9	ललरिया मकान नं. 235 बालमुकुंद से मकान नं. 254 सईद खां तक		
10	ललरिया	10	ललरिया मकान नं. 255 बहीद खां से मकान नं. 305 शमीउल्ला खां तक		
11	ललरिया	11	ललरिया मकान नं. 309 अजीमन बी से मकान नं. 345 करीमन बी तक		
12	ललरिया	12	ललरिया मकान नं. 347 मो0 अय्युब खां से मकान नं. 381 मरीयम बी तक		
13	ललरिया	13	ललरिया मकान नं. 384 सईद उल्ला से मकान नं. 412 क प्रेमनारायण तक		
14	ललरिया	14	ललरिया मकान नं. 416 रईस खां से मकान नं. 457 भूरे खां तक		
15	ललरिया	15	ललरिया मकान नं. 460 जमाल खां से मकान नं. 480 शाहजहां बिया तक		
16	ललरिया	16	ललरिया मकान नं. 482 मेहबूब से मकान नं. 536 मुस्ताक खां तक		
17	ललरिया	17	ललरिया मकान नं. 537 पप्पू खां से मकान नं. 568 लक्ष्मण सिंह तक		
18	ललरिया	18	ललरिया मकान नं. 569 काले खां से मकान नं. 594 सामीर खां तक		
19	ललरिया	19	ललरिया मकान नं. 595 हैदर खां से मकान नं. 614 खातून बी तक		
20	ललरिया	20	ललरिया मकान नं. 617 मुबारक खां से मकान नं. 703 सईद खां तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोटरा	1	कोटरा नारायणी बाई म.न. 1 से म.न. 10 रामरतन तक	अ.जा.	2
2	कोटरा	2	कोटरा माधोलाल म.न. 11 से म.न. 25 आनंदी बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कोटरा	3	कोटरा जमनी बाई म.न. 26 से म.न. 36 नंदराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	कोटरा	4	कोटरा हरिकिशन म.न. 37 से म.न. 47 पार्वती बाई तक	महिला अ0जा0	1
5	कोटरा	5	कोटरा जानकी बाई म.न. 48 से म.न. 58 राधेकिशन तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कोटरा	6	कोटरा हरिचरण म.न. 59 से म.न. 70 बालकृष्ण तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	कोटरा	7	धनौरा काशीदास म.न. 1 से म.न. 13 धापू बाई तक	महिला सामान्य	4
8	कोटरा	8	धनौरा कमला बाई म.न. 14 से म.न. 31 रामसिंह तक		
9	कोटरा	9	धनौरा माधौ सिंह म.न. 32 से म.न. 42 मिश्रीबाई तक		
10	कोटरा	10	धनौरा हीरा बाई म.न. 44 से म.न. 58 नंदराम तक		
11	कोटरा	11	धनौरा गुलाब सिंह म.न. 59 से म.न. 74 गोर्वधन तक		
12	कोटरा	12	जगलियापुरा पार्वती बाई म.न. 01 से म.न. 15 लाखनसिंह तक		
13	कोटरा	13	जगलियापुरा जालमसिंह म.न. 16 से म.न. 30 हरिसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	ललोई	1	ललोई मकान नं. 1 भाधो सिंह से मकान नं. 13 काशीराम तक	अ.जा.	4
2	ललोई	2	ललोई मकान नं. 14 प्यारेलाल से मकान नं. 25 घासीराम तक	अ.ज.जा.	1
3	ललोई	3	ललोई मकान नं. 26 हिम्मत सिंह से मकान नं. 35 गेंदी बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	ललोई	4	ललोई मकान नं. 36 रतनलाल से मकान नं. 49 लालराम तक	महिला अ0जा0	2
5	ललोई	5	ललोई मकान नं. 50 जयराम से मकान नं. 54 मेवा बाई तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	ललोई	6	ललोई मकान नं. 55 हरिप्रसाद से मकान नं. 66 भवर जी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	ललोई	7	ललोई मकान नं. 67 भारत सिंह से मकान नं. 78 रमेश तक	महिला सामान्य	3
8	ललोई	8	ललोई मकान नं. 79 रमेश से मकान नं. 90 गेंदी बाई तक		
9	ललोई	9	ललोई मकान नं. 91 सब्बो से मकान नं. 100 लालदास तक		
10	ललोई	10	ललोई मकान नं. 101 छोटाराम से मकान नं. 109 नन्नुलाल तक		
11	ललोई	11	ललोई मकान नं. 110 कलावती से मकान नं. 122 भागवती बाई तक		
12	ललोई	12	ललोई मकान नं. 123 गारसी बाई से मकान नं. 135 कनीराम तक		
13	ललोई	13	ललोई मकान नं. 136 अजब बाई से मकान नं. 148 कमला बाई तक		
14	ललोई	14	ललोई मकान नं. 149 सुमत्रा बाई से मकान नं. 161 रत्नी बाई तक		
15	ललोई	15	ललोई मकान नं. 163 मेवा बाई से मकान नं. 172 पार्वती बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	देवलखेडा	1	देवलखेडा मकान नं. 4 मांगीलाल से मकान नं. 98 खेमचन्द तक	अ.जा.	1
2	देवलखेडा	2	देवलखेडा मकान नं. 3 भागवान सिंह से मकान नं. 113 रामचरण तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	देवलखेडा	3	देवलखेडा मकान नं. 114 किशनलाल से मकान नं. 127 नैनसुख तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	देवलखेडा	4	देवलखेडा मकान नं. 129 छोटी बाई से मकान नं. 144 विनोद कुमार तक	महिला अ0जा0	0
5	देवलखेडा	5	खेजडागोपी मकान नं. 1 बल्लू से मकान नं. 15 रमजान खाँ तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	देवलखेडा	6	खेजडागोपी मकान नं. 16 हलीम से मकान नं. 33 संईद तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	देवलखेडा	7	खेजडागोपी मकान नं. 34 सुवानी बी से मकान नं. 49 सितारा बी तक	महिला सामान्य	4
8	देवलखेडा	8	खेजडागोपी मकान नं. 50 लियाकत से मकान नं. 122 भूरी बी तक		
9	देवलखेडा	9	इमलियास्वरुप मकान नं. 1 महेन्द्रसिंह से मकान नं. 16 प्रेम सिंह तक		
10	देवलखेडा	10	इमलियास्वरुप मकान नं. 17 फूलबाई से मकान नं. 21 लाखनसिंह तक		
11	देवलखेडा	11	इमलियास्वरुप मकान नं. 22 युवराजसिंह से मकान नं. 40 फैनीराम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के सङ्घ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	इमलियानरेन्द्र	1	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 0 निर्मय सिंह से मकान नं. 12 भवर लाल तक	अ.जा.	6
2	इमलियानरेन्द्र	2	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 13 कोमल बाई से मकान नं. 21 ख्यालीराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	इमलियानरेन्द्र	3	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 22 गंगाराम से मकान नं. 33 गंगाराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	इमलियानरेन्द्र	4	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 34 राम बाई से मकान नं. 43 नाथूराम तक	महिला अ0जा0	3
5	इमलियानरेन्द्र	5	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 45 दल सिंह से मकान नं. 52 जानकी बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	इमलियानरेन्द्र	6	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 53 खिमो बाई से मकान नं. 61 इभरती बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	इमलियानरेन्द्र	7	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 62 बाबूलाल से मकान नं. 67 नन्दी बी तक	महिला सामान्य	4
8	इमलियानरेन्द्र	8	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 68 नारीर खाँ से मकान नं. 77 गोपाल सिंह तक		
9	इमलियानरेन्द्र	9	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 78 कपूरी बाई से मकान नं. 84 प्यारेलाल तक		
10	इमलियानरेन्द्र	10	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 85 भैरी सिंह से मकान नं. 93 डालचंद तक		
11	इमलियानरेन्द्र	11	इमलियानरेन्द्र मकान नं. 94 धन्नालाल से मकान नं. 103 अर्जुनसिंह तक		
12	इमलियानरेन्द्र	12	मनख्याई मकान नं. 1 रीतु से मकान नं. 10 किशोर सिंह तक		
13	इमलियानरेन्द्र	13	मनख्याई मकान नं. 11 उमराव सिंह से मकान नं. 24 कलावती तक		
14	इमलियानरेन्द्र	14	मनख्याई मकान नं. 25 प्रेमनारायण से मकान नं. 38 नबीदाद खाँ तक		
15	इमलियानरेन्द्र	15	मनख्याई मकान नं. 39 विलकिस बी से मकान नं. 48 चरणसिंह तक		
16	इमलियानरेन्द्र	16	मनख्याई मकान नं. 49 भवर लाल से मकान नं. 60 लक्ष्मण सिंह तक		
17	इमलियानरेन्द्र	17	मनख्याई मकान नं. 61 सौदान सिंह से मकान नं. 71 रामसिंह तक		
18	इमलियानरेन्द्र	18	मनख्याई मकान नं. 72 सम्पत बाई से मकान नं. 83 अजवी बाई तक		
19	इमलियानरेन्द्र	19	मनख्याई मकान नं. 84 मेहताव सिंह से मकान नं. 94 रुपा बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कुल्हौर	1	कुल्हौर मकान नं. 1 गंगा बाई से मकान नं. 20 जयकिशन तक	अ.जा.	6
2	कुल्हौर	2	कुल्हौर मकान नं. 21 अजय कवर से मकान नं. 38 रामकुंवर तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कुल्हौर	3	कुल्हौर मकान नं. 39 जसवंत सिंह से मकान नं. 55 फुल्लो बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	कुल्हौर	4	कुल्हौर मकान नं. 56 रामनारायण से मकान नं. 73 आशाराम तक	महिला अ0जा0	3
5	कुल्हौर	5	कुल्हौर मकान नं. 74 उधम सिंह से मकान नं. 84 फुन्दीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कुल्हौर	6	कुल्हौर मकान नं. 85 कनीराम से मकान नं. 98 ऊँकार सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
7	कुल्हौर	7	कुल्हौर मकान नं. 99 सरुपा से मकान नं. 111 गोविन्दा तक	महिला सामान्य	4
8	कुल्हौर	8	कुल्हौर मकान नं. 112 जशोदी बाई से मकान नं. 124 शेर सिंह तक		
9	कुल्हौर	9	कुल्हौर मकान नं. 126 परसराम से मकान नं. 148 गोविन्दा तक		
10	कुल्हौर	10	कुल्हौर मकान नं. 149 गनपत से मकान नं. 171 रतनलाल तक		
11	कुल्हौर	11	कुल्हौर मकान नं. 172 शिवलाल से मकान नं. 191 मदनलाल तक		
12	कुल्हौर	12	कुल्हौर मकान नं. 192 लक्ष्मी बाई से मकान नं. 210 हरबो बाई तक		
13	कुल्हौर	13	कुल्हौर मकान नं. 211 मौर बाई से मकान नं. 223 धन्नालाल तक		
14	कुल्हौर	14	कुल्हौर मकान नं. 225 श्री वल्लभ शर्मा से मकान नं. 238 मदनसिंह तक		
15	कुल्हौर	15	कुल्हौर मकान नं. 239 सरदार बाई से मकान नं. 258 नर्वदा तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	झिकरियाखुर्द	1	झिकरियाखुर्द मकान नं. 1 खुमानसिंह से मकान नं. 9 भूरे खान तक	अ.जा.	2
2	झिकरियाखुर्द	2	झिकरियाखुर्द मकान नं. 10 बदूद खां से मकान नं. 21 इशतयाक खां तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	झिकरियाखुर्द	3	झिकरियाखुर्द मकान नं. 22 ख इदरीस खां से मकान नं. 36 रईस खां तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	झिकरियाखुर्द	4	झिकरियाखुर्द मकान नं. 37 अकीलाबी से मकान नं. 43 वली मोहम्मद तक	महिला अ0जा0	1
5	झिकरियाखुर्द	5	झिकरियाखुर्द मकान नं. 44 क जान मो0 से मकान नं. 56 अजवी बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	झिकरियाखुर्द	6	झिकरियाखुर्द मकान नं. 57 बहीद खां से मकान नं. 74 मुन्नी बी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	झिकरियाखुर्द	7	झिकरियाखुर्द मकान नं. 76 पप्पू सिंह से मकान नं. 99 एहसान खां तक	महिला सामान्य	5
8	झिकरियाखुर्द	8	झिकरियाखुर्द मकान नं. 100 जसोदी बाई से मकान नं. 119 मकसूदखां तक		
9	झिकरियाखुर्द	9	छपरयाई मकान नं. 1 मानसिंह से मकान नं. 13 तीरन सिंह तक		
10	झिकरियाखुर्द	10	छपरयाई मकान नं. 14 राधा बाई से मकान नं. 26 विशन लाल तक		
11	झिकरियाखुर्द	11	छपरयाई मकान नं. 28 हुकुम सिंह से मकान नं. 49 शांति बाई तक		
12	झिकरियाखुर्द	12	छपरयाई मकान नं. 51 बुदेल सिंह से मकान नं. 61 शिवनारायण तक		
13	झिकरियाखुर्द	13	छपरयाई मकान नं. 63 बबरी बाई से मकान नं. 76 मेवा बाई तक		
14	झिकरियाखुर्द	14	लतीफपुर मकान नं. 1 बूसरा से मकान नं. 9 युसुफ खां तक		
15	झिकरियाखुर्द	15	लतीफपुर मकान नं. 10 बारेलाल से मकान नं. 26 मेहफूज खां तक		
16	झिकरियाखुर्द	16	लतीफपुर मकान नं. 27 हारुन खां से मकान नं. 48 इब्राहीम खां तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेमराभैरोपुरा	1	सेमरा कमलसिंह म.न. 3 से म.न. 21 सर्जनसिंह तक	अ.जा.	4
2	सेमराभैरोपुरा	2	सेमरा शिम्भू सिंह म.न. 22 से म.न. 36 गनपतसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सेमराभैरोपुरा	3	सेमरा खुमानसिंह म.न. 37 से म.न. 54 बिहारीलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4	सेमराभैरोपुरा	4	सेमरा अनिया बाई म.न. 59 से म.न. 79 जगन्नाथ तक	महिला अ0जा0	2
5	सेमराभैरोपुरा	5	सेमरा घासीराम म.न. 80 से म.न. 94 देवीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सेमराभैरोपुरा	6	भैरोपुरा नानी बाई म.न. 95 से म.न. 110 मांगीलाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7	सेमराभैरोपुरा	7	भैरोपुरा जगन्नाथ म.न. 111 से म.न. 125 पन्नालाल तक	महिला सामान्य	4
8	सेमराभैरोपुरा	8	झिरनिया हरिप्रसाद म.न. 1 से म.न. 9 मथुरी बाई तक		
9	सेमराभैरोपुरा	9	झिरनिया भागवती बाई म.न. 10 से म.न. 22 नब्बी बाई तक		
10	सेमराभैरोपुरा	10	झिरनिया धन्नालाल म.न. 23 से म.न. 35 मनिया बाई तक		
11	सेमराभैरोपुरा	11	झिरनिया हरिप्रसाद म.न. 36 से म.न. 45 उमरी बाई तक		
12	सेमराभैरोपुरा	12	झिरनिया सड्डूलाल म.न. 46 से म.न. 56 कमलसिंह तक		
13	सेमराभैरोपुरा	13	झिरनिया मायाराम म.न. 57 से म.न. 69 गेंदी बाई तक		
14	सेमराभैरोपुरा	14	झिरनिया अमरसिंह म.न. 70 से म.न. 79 लखनलाल तक		
15	सेमराभैरोपुरा	15	झिरनिया किशनलाल म.न. 80 से म.न. 181 मोहनदास तक		
16	सेमराभैरोपुरा	16	मीठी छापरी जमनी बाई म.न. 1 से म.न. 15 भवानीलाल तक		
17	सेमराभैरोपुरा	17	मीठी छापरी संपत बाई म.न. 16 से म.न. 28 भुलिया बाई तक		
18	सेमराभैरोपुरा	18	मीठी छापरी रामरतन म.न. 29 से म.न. 45 दयाराम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज आधानयम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दौलतपुरा	1	दौलतपुरा मकान नं. 1 सुनील सिंह से मकान नं. 17 दयाराम तक	अ.जा.	3
2	दौलतपुरा	2	दौलतपुरा मकान नं. 18 गौरलाल से मकान नं. 32 मोहर सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	दौलतपुरा	3	दौलतपुरा मकान नं. 33 रामसिंह से मकान नं. 50 कमरी बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	दौलतपुरा	4	दौलतपुरा मकान नं. 51 सरजू बाई से मकान नं. 71 मिट्टूलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	दौलतपुरा	5	दौलतपुरा मकान नं. 72 कमा बाई से मकान नं. 87 काशीराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	दौलतपुरा	6	दौलतपुरा मकान नं. 88 कालूराम से मकान नं. 111 हरीसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	दौलतपुरा	7	झिरनियाकाकड मकान नं. 1 जगन्नाथ से मकान नं. 12 राम सिंह तक	महिला सामान्य	5
8	दौलतपुरा	8	झिरनियाकाकड मकान नं. 13 रुकया बाई से मकान नं. 23 रामकिशन तक		
9	दौलतपुरा	9	झिरनियाकाकड मकान नं. 24 निर्भयसिंह से मकान नं. 29 गंगाराम तक		
10	दौलतपुरा	10	झिरनियाकाकड मकान नं. 30 इन्दरसिंह से मकान नं. 36 अनूप सिंह तक		
11	दौलतपुरा	11	झिरनियाकाकड मकान नं. 37 देवीलाल से मकान नं. 44 गंगाराम तक		
12	दौलतपुरा	12	झिरनियाकाकड मकान नं. 45 मोहर से मकान नं. 65 प्रताप सिंह तक		
13	दौलतपुरा	13	झिरनियाकाकड मकान नं. 66 भूरासिंह से मकान नं. 82 भागमल तक		
14	दौलतपुरा	14	झिरनियाकाकड मकान नं. 83 हरप्रसाद से मकान नं. 114 राधेश्याम तक		
15	दौलतपुरा	15	अजबपुरा मकान नं. 1 टुआ बाई से मकान नं. 15 माथूराम तक		
16	दौलतपुरा	16	अजबपुरा मकान नं. 16 सोनिया बाई से मकान नं. 34 भागमल तक		
17	दौलतपुरा	17	अजबपुरा मकान नं. 35 मोहर सिंह से मकान नं. 56 चंदन नाथ तक		
18	दौलतपुरा	18	करनपुरा मकान नं. 1 मांगीलाल से मकान नं. 18 भारत सिंह तक		
19	दौलतपुरा	19	करनपुरा मकान नं. 20 रामचरण से मकान नं. 31 रामप्रसाद तक		
20	दौलतपुरा	20	करनपुरा मकान नं. 32 रामसिंह से मकान नं. 52 ध्यानसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कढैयाचवर	1	कढैयाचवर मकान नं. 0 सीमाबाई से मकान नं. 14 रामप्रसाद तक	अ.जा.	3
2	कढैयाचवर	2	कढैयाचवर मकान नं.15 मनीराम से मकान नं. 26 जानकीबाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कढैयाचवर	3	कढैयाचवर मकान नं. 27 रामरतन से मकान नं. 39 प्रभूलाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4	कढैयाचवर	4	कढैयाचवर मकान नं. 40 श्यामलाल से मकान नं. 54 भवरजी तक	महिला अ0जा0	2
5	कढैयाचवर	5	कढैयाचवर मकान नं. 55 मोतीलाल से मकान नं. 66 पार्वती तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कढैयाचवर	6	कढैयाचवर मकान नं. 67 सूरज से मकान नं. 79 जमनाप्रसाद तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7	कढैयाचवर	7	कढैयाचवर मकान नं. 80 छोटीबाई से मकान नं. 91 गंगाबाई तक	महिला सामान्य	5
8	कढैयाचवर	8	कढैयाचवर मकान नं. 92 गुटई से मकान नं. 105 ओमकारप्रसाद तक		
9	कढैयाचवर	9	कढैयाचवर मकान नं. 106 बद्रीप्रसाद से मकान नं. 115 रामसिंह तक		
10	कढैयाचवर	10	कढैयाचवर एंव मोतियाखेडी मकान नं. 116 जयसिंह से मकान नं. 125 जीवन तक		
11	कढैयाचवर	11	मोतियाखेडी मकान नं. 7 चैनसिंह से मकान नं. 20 पन्नालाल तक		
12	कढैयाचवर	12	कढैयाखोह मकान नं. 1 रामकुंवर से मकान नं. 7 हरिप्रसाद तक		
13	कढैयाचवर	13	कढैयाखोह मकान नं. 8 रतिसाम से मकान नं. 14 गोरेलाल तक		
14	कढैयाचवर	14	कढैयाखोह मकान नं. 15 मुशीलाल से मकान नं. 26 मोहर बाई तक		
15	कढैयाचवर	15	कढैयाखोह मकान नं. 27 कमला बाई से मकान नं. 34 श्रीकिशन तक		
16	कढैयाचवर	16	कढैयाखोह मकान नं. 35 शिवलाल से मकान नं. 42 रम्वो तक		
17	कढैयाचवर	17	कढैयाखोह मकान नं. 43 छोटी बाई से मकान नं. 47 गब्बरसिंह तक		
18	कढैयाचवर	18	रीछई मकान नं. 1 अमरसिंह से मकान नं. 11 भवरी बाई तक		
19	कढैयाचवर	19	रीछई एंव अग्रा मकान नं.12 गोरेलाल से मकान नं.6 हाकमसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खुकरिया	1	खुकरिया आशाराम म.न. 1 से 17 सेन छोटे तक	अ.जा.	2
2	खुकरिया	2	खुकरिया शाहजहा बी म.न. 19 से 36 अब्दुलसलीम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	खुकरिया	3	खुकरिया पानबाई म.न. 37 से 51 मांगीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	खुकरिया	4	खुकरिया मेवा बाई म.न. 52 से 62 विधावती तक	महिला अ0जा0	1
5	खुकरिया	5	खुकरिया पन्नालाल म.न. 63 से 68 रसूल खों तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	खुकरिया	6	खुकरिया शमशाद बी म.न. 69 से 81 जमनीबाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	खुकरिया	7	खुकरिया रामचरण म.न. 82 से 95 सगीर मो. तक	महिला सामान्य	4
8	खुकरिया	8	खुकरिया हमीदा बी म.न. 97 से 113 सुशीला बाई तक		
9	खुकरिया	9	चपडिया रामसिंह म.न. 1 से 8 भुरिया बाई तक		
10	खुकरिया	10	चपडिया पार्वती बाई म.न. 9 से 18 रामबाई तक		
11	खुकरिया	11	चपडिया चिरोजीबाई म.न. 19 से 29 दुर्गाप्रसाद तक		
12	खुकरिया	12	चपडिया कैलाशनारायण म.न. 30 से 40 विश्रनीबाई तक		
13	खुकरिया	13	चपडिया जगन्नाथ म.न. 41 से 50 कमलसिंह तक		
14	खुकरिया	14	मदनई कल्लो बाई म.न. 1 से 5 गोपी बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बिरहाश्यामखेडी	1	बिरहाश्यामखेडी मकान नं. 1 प्रभूलाल से मकान नं. 19 जशोदी बाई तक	अ.जा.	6
2	बिरहाश्यामखेडी	2	बिरहाश्यामखेडी मकान नं. 20 छोटेराम से मकान नं. 30 केशरबाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बिरहाश्यामखेडी	3	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.31 पूरनसिंह से मकान नं. 40 रामप्रसाद तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	बिरहाश्यामखेडी	4	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.41 रामकली बाई से मकान नं. 50 खूबचंद तक	महिला अ0जा0	3
5	बिरहाश्यामखेडी	5	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.52 नन्नूलाल से मकान नं. 69 परमा तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बिरहाश्यामखेडी	6	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.70 रेखा बाई से मकान नं. 80 गंगाप्रसाद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	बिरहाश्यामखेडी	7	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.81 मूलचन्द से मकान नं. 93 लालजीराम तक	महिला सामान्य	4
8	बिरहाश्यामखेडी	8	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.94 पूरन सिंह से मकान नं. 110 झबूलाल तक		
9	बिरहाश्यामखेडी	9	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.111 हरिसिंह से मकान नं. 126 जयकिशन तक		
10	बिरहाश्यामखेडी	10	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.127 नंदराम से मकान नं. 136 रमकोबाई तक		
11	बिरहाश्यामखेडी	11	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.137 बाबूलाल से मकान नं.144 गनेशराम तक		
12	बिरहाश्यामखेडी	12	बिरहाश्यामखेडी मकान नं.145 हरिसिंह से मकान नं.188 खुशीलाल तक		
13	बिरहाश्यामखेडी	13	महुआखेडा मकान नं. 1 रविकांत से मकान नं. 9 मिश्रीलाल तक		
14	बिरहाश्यामखेडी	14	महुआखेडा मकान नं. 13 शीलाबाई से मकान नं. 29 हरिप्रसाद तक		
15	बिरहाश्यामखेडी	15	महुआखेडा मकान नं. 30 भवर जी से मकान नं. 419 महेखान तक		
16	बिरहाश्यामखेडी	16	रेहटई मकान नं. 1 मन्नूलाल से मकान नं. 15 परसराम तक		
17	बिरहाश्यामखेडी	17	बिरहाइ मकान नं. 1 जेतुन बानी से मकान नं. 7 मनी कवर तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरीछीरखेडा	1	बरीछीरखेडा मकान नं. 7 गंगाराम से मकान नं. 11 अमरसिंह तक	अ.जा.	3
2	बरीछीरखेडा	2	बरीछीरखेडा मकान नं. 12 शेरसिंह से मकान नं. 25 प्रताप सिंह तक	अ.ज.जा.	2
3	बरीछीरखेडा	3	बरीछीरखेडा मकान नं. 26 सूरज बाई से मकान नं. 48 मत्थूलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	बरीछीरखेडा	4	बरीछीरखेडा मकान नं. 49 गोपीलाल से मकान नं. 58 गोपीलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	बरीछीरखेडा	5	बरीछीरखेडा मकान नं. 63 रामचरण से मकान नं. 109 बालमुकुंद तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	बरीछीरखेडा	6	भौरासा मकान नं. 1 दौलतसिंह से मकान नं. 13 खुमनीबाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	बरीछीरखेडा	7	भौरासा मकान नं. 14 बालमुकुंद से मकान नं. 28 मोहम्मद खॉ तक	महिला सामान्य	1
8	बरीछीरखेडा	8	भौरासा मकान नं. 29 सलीम खॉ से मकान नं. 40 फूलवती तक		
9	बरीछीरखेडा	9	भौरासा मकान नं. 41 लक्ष्मणसिंह से मकान नं. 52 वहीद खॉ तक		
10	बरीछीरखेडा	10	भौरासा मकान नं. 53 रमेश से मकान नं. 61 रामचंद्र मत्थूलाल तक		
11	बरीछीरखेडा	11	भौरासा मकान नं. 62 मुल्ली बाई से मकान नं. 75 भूरी बाई तक		
12	बरीछीरखेडा	12	भौरासा मकान नं. 76 करन सिंह से मकान नं. 92 संदेर सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	लंगरपुर	1	लंगरपुर मकान नं. 0/1 विनिता से मकान नं. 26 गीता बाई तक	अ.जा.	3
2	लंगरपुर	2	लंगरपुर मकान नं. 27 कुंवर बाई से मकान नं. 46 श्यामसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	लंगरपुर	3	लंगरपुर मकान नं. 46/1 राजकुंवर से मकान नं. 56 हरीसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	लंगरपुर	4	लंगरपुर मकान नं. 57 मिश्री बाई से मकान नं. 72 विशालसिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	लंगरपुर	5	लंगरपुर मकान नं. 72/1 सेवाराम से मकान नं. 86 ग्यारसी बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	लंगरपुर	6	लंगरपुर मकान नं. 88 घीसूलाल से मकान नं. 115 गजराजसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	लंगरपुर	7	लंगरपुर मकान नं. 116 रामप्यारी से मकान नं. 122 रामकली तक	महिला सामान्य	1
8	लंगरपुर	8	लंगरपुर मकान नं. 128 लीलाकिशन से मकान नं. 142 पन्नालाल तक		
9	लंगरपुर	9	लंगरपुर मकान नं. 143 नन्नूलाल से मकान नं. 151 बिहारीलाल तक		
10	लंगरपुर	10	लंगरपुर मकान नं. 152 सम्पत बाई से मकान नं. 175 नवलसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दामखेडा	1	दामखेडा मकान नं. 1 छोटी बाई से मकान नं. 18 शैतान सिंह तक	अ.जा.	5
2	दामखेडा	2	दामखेडा मकान नं. 19 दीवान सिंह से मकान नं. 34 कगोद सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	दामखेडा	3	दामखेडा मकान नं. 35 सुम्मा से मकान नं. 51 वंशीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	दामखेडा	4	दामखेडा मकान नं. 52 झनक सिंह से मकान नं. 61 रुपा बाई तक	महिला अ0जा0	3
5	दामखेडा	5	दामखेडा मकान नं. 62 खुमनी बाई से मकान नं. 77 हरिशंकर तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	दामखेडा	6	दामखेडा मकान नं. 79 रामस्वरूप से मकान नं. 86 रामरतन तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	दामखेडा	7	दामखेडा मकान नं. 87 मोकम सिंह से मकान नं. 98 गुलाब सिंह तक	महिला सामान्य	4
8	दामखेडा	8	दामखेडा मकान नं. 99 नन्नूलाल से मकान नं. 115 कला बाई तक		
9	दामखेडा	9	दामखेडा मकान नं. 118 समन्दर सिंह से मकान नं. 127 रतन सिंह तक		
10	दामखेडा	10	दामखेडा मकान नं. 131 शिवनारायण से मकान नं. 145 कला बाई तक		
11	दामखेडा	11	दामखेडा मकान नं. 146 घासीराम से मकान नं. 160 सुम्मा तक		
12	दामखेडा	12	दामखेडा मकान नं. 163 भवरी बाई से मकान नं. 175 बुन्देल तक		
13	दामखेडा	13	दामखेडा मकान नं. 184 बालमुकंद से मकान नं. 196 कानी बाई तक		
14	दामखेडा	14	दामखेडा मकान नं. 197 शिवचरण से मकान नं. 209 जवाहर सिंह तक		
15	दामखेडा	15	दामखेडा मकान नं. 210 हमीर सिंह से मकान नं. 223 उर्मिला बाई तक		
16	दामखेडा	16	दामखेडा मकान नं. 224 हकू से मकान नं. 235 रम्बो बाई तक		
17	दामखेडा	17	दामखेडा मकान नं. 237 बिन्नी बाई से मकान नं. 299 मुकेश कुमार तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रमपुरावालाचौन	1	रमपुरावालाचौन मकान नं. 1 काशीराम से मकान नं. 12 हरिनारायण तक	अ.जा.	8
2	रमपुरावालाचौन	2	रमपुरावालाचौन मकान नं. 13 धन्नी बाई से मकान नं. 28 लीला बाई तक	अ.ज.जा.	2
3	रमपुरावालाचौन	3	रमपुरावालाचौन मकान नं.31 श्रीकिशन से मकान नं. 43 सबोदरा बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	रमपुरावालाचौन	4	रमपुरावालाचौन मकान नं.44 छोटेराम से मकान नं. 60 पन्नालाल तक	महिला अ0जा0	4
5	रमपुरावालाचौन	5	रमपुरावालाचौन मकान नं.62 रामप्रसाद से मकान नं. 79 प्रेमनारायण तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	रमपुरावालाचौन	6	रमपुरावालाचौन मकान नं.80 गीताप्रसाद से मकान नं. 93 बाफूलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	रमपुरावालाचौन	7	रमपुरावालाचौन मकान नं.94 प्रभूलाल से मकान नं. 108 बिहारी तक	महिला सामान्य	2
8	रमपुरावालाचौन	8	रमपुरावालाचौन मकान नं.109 सुआबाई से मकान नं. 132 हरिनारायण तक		
9	रमपुरावालाचौन	9	रमपुरावालाचौन मकान नं.133 सीताबाई से मकान नं. 153 गंगाराम तक		
10	रमपुरावालाचौन	10	रमपुरावालाचौन मकान नं.154 रामकली बाई से मकान नं. 165 इमरत बाई तक		
11	रमपुरावालाचौन	11	रमपुरावालाचौन मकान नं.166 हरिप्रसाद से मकान नं. 180 आशाराम तक		
12	रमपुरावालाचौन	12	रमपुरावालाचौन मकान नं.181 कमल सिंह से मकान नं. 206 उमरावसिंह तक		
13	रमपुरावालाचौन	13	रमपुरावालाचौन मकान नं.207 विमला बाई से मकान नं. 227 गुडडी बाई तक		
14	रमपुरावालाचौन	14	रमपुरावालाचौन मकान नं.228 दयाराम से मकान नं. 243 सिंगार बाई तक		
15	रमपुरावालाचौन	15	रमपुरावालाचौन मकान नं.244 सिमंत्रा बाई से मकान नं. 261 तारा बाई तक		
16	रमपुरावालाचौन	16	रमपुरावालाचौन मकान नं.262 फूल सिंह से मकान नं. 278 चंदन सिंह तक		
17	रमपुरावालाचौन	17	रमपुरावालाचौन मकान नं.279 पन्नालाल से मकान नं. 302 नाथूराम तक		
18	रमपुरावालाचौन	18	बाबडीखार मकान नं. 1 सुखिया बाई से मकान नं. 23 खिमो बाई तक		
19	रमपुरावालाचौन	19	बाबडीखार मकान नं. 24 कमल सिंह से मकान नं. 42 धनीराम तक		
20	रमपुरावालाचौन	20	बाबडीखार मकान नं. 44 रिबिसा बाई से मकान नं. 57 करण सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कचनारिया	1	कचनारिया हल्की बाई म.न. 1 से म. न. 13 कवरबाई तक	अ.जा.	4
2	कचनारिया	2	कचनारिया शिवपति म.न. 14 से म.न. 22 धनाराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कचनारिया	3	कचनारिया करनसिंह म.न. 23 से म. न. 32 अवधनारायण तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	कचनारिया	4	कचनारिया पर्वतसिंह म.न. 33 से म.न. 41 बाबूलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	कचनारिया	5	कचनारिया मोहर सिंह म.न. 42 से म. न. 52 बाबूलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कचनारिया	6	कचनारिया गंगाराम म.न. 53 से म.न. 68 मूलचंद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	कचनारिया	7	कचनारिया नब्बी बाई म.न. 69 से म. न. 83 मानसिंह तक	महिला सामान्य	5
8	कचनारिया	8	कचनारिया वीरमान म.न. 84 से म.न. 92 मोतीलाल तक		
9	कचनारिया	9	कचनारिया दौलतराम 95 से म.न. 113 रामसिंह तक		
10	कचनारिया	10	कचनारिया गोरधन म.न. 114 से म.न. 122 विनयसिंह तक		
11	कचनारिया	11	कचनारिया कोमल सिंह म.न. 123 से म.न. 142 गणेशराम तक		
12	कचनारिया	12	गोडियासनखेडा गुलाब बाई म.न. 2 से म.न. 16 वाफूलाल तक		
13	कचनारिया	13	गोडियासनखेडा पन्नालाल म.न. 17 से म.न. 25 मुंशीलाल तक		
14	कचनारिया	14	गोडियासनखेडा पन्नालाल म.न. 26 से म.न. 39 तुलसीबाई तक		
15	कचनारिया	15	गोडियासनखेडा गेन्दी बाई म.न. 40 से म.न. 49 सोना बाई तक		
16	कचनारिया	16	गोडियासनखेडा अमरसिंह म.न. 50 से म.न. 58 घासीराम तक		
17	कचनारिया	17	गोडियासनखेडा टउभा बाई म.न. 59 से म.न. 69 जालमसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	तरावलीकला	1	तरावली कला केशर बाई म.न. 1 से म.न. 28 हरिसिंह तक	अ.जा.	8
2	तरावलीकला	2	तरावली कला बालकिशन म.न. 29 से म.न. 45 विनयसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	तरावलीकला	3	तरावली कला पुष्पा बाई म.न. 46 से म.न. 60 हरिराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	तरावलीकला	4	तरावली कला बालाराम म.न. 61 से म.न. 78 खुमान तक	महिला अ0जा0	4
5	तरावलीकला	5	तरावली कला दौलतसिंह म.न. 79 से म.न. 100 लखन तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	तरावलीकला	6	तरावली कला सीताराम म.न. 101 से म.न. 124 अभय सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	तरावलीकला	7	तरावली कला पन्नालाल म.न. 125 से म.न. 149 हरिओम तक	महिला सामान्य	3
8	तरावलीकला	8	तरावली कला प्रहलाद म.न. 155 से म.न. 179 इसेपद तक		
9	तरावलीकला	9	तरावली कला वंशीलाल म.न. 181 से म.न. 205 गुलाब तक		
10	तरावलीकला	10	हिरनखेडी पूरनसिंह म.न. 01 से म. न. 18 रतनलाल तक		
11	तरावलीकला	11	हिरनखेडी कमला बाई म.न. 19 से म.न. 30 सौदान सिंह तक		
12	तरावलीकला	12	हिरनखेडी रामकिशन म.न. 31 से म.न. 41 प्रेमबाई तक		
13	तरावलीकला	13	हिरनखेडी चरणसिंह म.न. 43 से म.न. 62 लालाराम तक		
14	तरावलीकला	14	हिरनखेडी मोहर बाई 64 से म.न. 78 भवरी बाई तक		
15	तरावलीकला	15	हिरनखेडी नरसिंह म.न. 79 से म. न. 95 बाबूलाल तक		
16	तरावलीकला	16	हिरनखेडी सुमित्रा बाई म.न. 96 से म.न. 112 गणेशराम तक		
17	तरावलीकला	17	हिरनखेडी कलाबाई म.न. 115 से म.न. 127 लालाराम तक		

18	तरावलीकला	18	हिरनखेडी रघुवीरप्रसाद म.न. 128 से म.न. 139 राजाराम तक		
19	तरावलीकला	19	हिरनखेडी करनसिंह म.न. 140 से म.न. 162 गीता बाई तक		
20	तरावलीकला	20	चाकखेडा मानकवर बाई 2 से म.न. 16 चन्द्रसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नलखेडा	1	नलखेडा प्रतापसिंह म.न. 1 से म. न. 19 नर्बदीबाई तक	अ.जा.	3
2	नलखेडा	2	नलखेडा चरणसिंह म.न. 20 से म. न. 34 सरुपीबाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	नलखेडा	3	नलखेडा भूरी बाई म.न. 36 से म. न. 46 रामनारायण तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4	नलखेडा	4	नलखेडा रामकली बाई म.न. 47 से म.न. 61 गुलाबबाई तक	महिला अ0जा0	2
5	नलखेडा	5	नलखेडा हरप्रसाद म.न. 62 से म. न. 77 लक्ष्मीनारायण तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	नलखेडा	6	नलखेडा जानकी बाई म.न. 78 से म.न. 94 भैयालाल तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7	नलखेडा	7	नलखेडा भंवरीबाई म.न. 96 से म. न. 107 हलीबनबी तक	महिला सामान्य	5
8	नलखेडा	8	नलखेडा कला बाई म.न. 109 से म.न. 117 छोटाराम तक		
9	नलखेडा	9	नलखेडा लालजीराम म.न. 118 से म.न. 130 हल्कीबाई तक		
10	नलखेडा	10	नलखेडा ताराबाई म.न. 131 से म. न. 140 बालमुकद तक		
11	नलखेडा	11	नलखेडा इमरतसिंह म.न. 141 से म.न. 156 रामचरण तक		
12	नलखेडा	12	नलखेडा पुनियाबाई म.न.158 से म. न. 175 मुशीलाल तक		
13	नलखेडा	13	नलखेडा सरदारसिंह म.न. 176 से म.न. 191 तक		
14	नलखेडा	14	नलखेडा गणेशीबाई म.न. 193 से म.न. 203 भारतसिंह तक		
15	नलखेडा	15	नलखेडा अमरसिंह म.न. 207 से म. न. 213 टीकाराम तक		
16	नलखेडा	16	नलखेडा जानकी बाई म.न. 214 से म.न. 225 फूलसिंह तक		
17	नलखेडा	17	नलखेडा बालाराम म.न. 226 से म. न. 239 पन्नालाल तक		
18	नलखेडा	18	नलखेडा गंगाराम म.न. 240 से म. न. 252 जगन्नाथ तक		
19	नलखेडा	19	नलखेडा रामचरण म.न. 254 से म. न. 344 संतोष तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भैसोदा	1	भैसोदा टीकाराम म.न. 1 से म.न. 15 लीला बाई तक	अ.जा.	3
2	भैसोदा	2	भैसोदा काशीबाई म.न. 16 से म.न.26 फूलसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	भैसोदा	3	भैसोदा रामसिंह म.न. 27 से म.न. 37 प्रेमसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	भैसोदा	4	भैसोदा मन्नीलाल म.न. 38 से म.न.48 मुन्नीलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	भैसोदा	5	भैसोदा रामनारायण म.न. 49 से म.न. 68 नवलसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	भैसोदा	6	भैसोदा नारानसिंह म.न. 69 से म.न.86 बलराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	भैसोदा	7	भैसोदा चिरोजीबाई म.न. 87 से म.न. 109 महाराज सिंह तक	महिला सामान्य	3
8	भैसोदा	8	भैसोदा सूरज बाई म.न. 110 से म.न. 131 अजुददी बाई तक		
9	भैसोदा	9	भैसोदा सावित्री बाई म.न. 132 से म. न.141 भुजबलसिंह तक		
10	भैसोदा	10	भैसोदा रम्पो बाई म.न. 142 से म.न. 149 कनीराम तक		
11	भैसोदा	11	भैसोदा दौलतराम म.न. 150 से म.न. 163 रघुनाथ सिंह तक		
12	भैसोदा	12	भैसोदा बददूलाल म.न. 164 से म.न. 177 माखनलाल तक		
13	भैसोदा	13	भैसोदा भंवरलाल म.न. 178 से म.न. 271 रमको बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	महोली	1	महोली वंशीलाल म.न. 2 से म.न. 10 भावसिंह तक	अ.जा.	4
2	महोली	2	महोली मोहनलाल म.न. 11 से म.न. 22 प्यारेलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	महोली	3	महोली म.न. 23 से म.न. 40 बाबूलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	महोली	4	महोली मोवतसिंह म.न. 43 से म.न. 50 गंगाबाई तक	महिला अ0जा0	2
5	महोली	5	महोली हरप्रसाद म.न. 51 से म.न. 57 हरचंद तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	महोली	6	महोली फुन्दीलाल म.न. 58 से म.न. 65 सिम्मा बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	महोली	7	महोली सिया बाई म.न. 66 से म.न. 73 नरबदा प्रसाद तक	महिला सामान्य	5
8	महोली	8	महोली शादीलाल म.न. 74 से म.न. 85 कमलाबाई तक		
9	महोली	9	महोली मल्था म.न. 86 से म.न. 92 अलीम खों तक		
10	महोली	10	उन्दरई घासीराम म.न. 01 से म.न. 19 अमरसिंह तक		
11	महोली	11	उन्दरई नानाजी म.न. 20 से म.न. 35 रमेश तक		
12	महोली	12	उन्दरई गोपीलाल म.न. 37 से म.न. 56 मानसिंह तक		
13	महोली	13	उन्दरई सरजूबाई म.न. 57 से म.न. 203 फतेसिंह तक		
14	महोली	14	बरी गूजर मोहरसिंह म.न. 2 से म.न. 10 जगन्नाथ तक		
15	महोली	15	बरी गूजर भमरीबाई म.न. 12 से म.न. 20 रामसिंह तक		
16	महोली	16	बरी गूजर दौलतसिंह म.न. 24 से म.न. 35 भमरजी तक		
17	महोली	17	बरी गूजर हरिसिंह म.न. 36 से म.न. 46 मुकन्दी तक		
18	महोली	18	बरी गूजर मागीलाल म.न. 47 से म.न. 61 कैलाश बाई तक		
19	महोली	19	बरखेडी केवलु सिंह म.न. 01 से म.न. 15 बन्ने खों तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	धमरा	1	धमरा बालाप्रसाद म.न. 2 से म.न. 31 रामबाई तक	अ.जा.	6
2	धमरा	2	धमरा बालाप्रसाद म.न. 32 से म.न. 46 रेवारांम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	धमरा	3	धमरा कालूराम म.न. 47 से म.न. 63 नन्नूलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	धमरा	4	धमरा श्यामलाल म.न. 64 से म.न. 85 गयाप्रसाद तक	महिला अ0जा0	3
5	धमरा	5	धमरा भागवती बाई म.न. 86 से म.न. 107 जमनाप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	धमरा	6	धमरारूपनारायण म.न. 108 से म.न. 123 वृजवल्लभ तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	धमरा	7	धमरा नंदकिशोर म.न. 124 से म.न. 137 बरेलाल तक	महिला सामान्य	4
8	धमरा	8	धमरा गोरेलाल म.न. 138 से म.न. 158 मर्दनसिंह तक		
9	धमरा	9	धमरा जानकी बाई म.न. 161 से म.न. 179 बालमुकन्द तक		
10	धमरा	10	धमरा फूलबाई म.न. 181 से म.न. 205 दयालबाई तक		
11	धमरा	11	धमरा अजुहया बाई म.न. 207 से म.न. 216 रामस्वरूप तक		
12	धमरा	12	धमरा रामप्यारी म.न. 218 से म.न. 235 भंवरीबाई तक		
13	धमरा	13	धमरा नारायण सिंह म.न.239 से म.न. 252 गब्रू तक		
14	धमरा	14	धमरा भागवती बाई म.न. 253 से म.न. 261 मोहर बाई तक		
15	धमरा	15	धमरा भंवरी म.न. 262 से म.न. 282 युसूफ तक		
16	धमरा	16	धमरा सुबराती म.न. 285 तक म.न. 314 बाबूलाल तक		
17	धमरा	17	धमरा ख्यालीराम म.न. 315 से म.न. 342 विनिया बाई तक		
18	धमरा	18	धमरा भंवरी म.न. 346 से म.न. 377 कन्हैयालाल तक		
19	धमरा	19	धमरा केसरसिंह म.न. 378 से म.न. 392 शौकतअली तक		
20	धमरा	20	धमरा लक्ष्मीनारायण म.न. 393 से म.न. 413 कुर्बानअली तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सोनकच्छ	1	सोनकच्छ मकान नं. 3 कमला बाई से मकान नं. 17 इन्दर सिंह तक	अ.जा.	3
2	सोनकच्छ	2	सोनकच्छ मकान नं. 19 हरिसिंह से मकान नं. 30 बटनलाल तक	अ.ज.जा.	1
3	सोनकच्छ	3	सोनकच्छ मकान नं. 31 नथन सिंह से मकान नं. 48 मुकेश तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सोनकच्छ	4	सोनकच्छ मकान नं. 49 दौली बाई से मकान नं. 68 रामदयाल तक	महिला अ0जा0	2
5	सोनकच्छ	5	सोनकच्छ मकान नं. 70 मुंशी से मकान नं. 81 विश्वेन्द्र तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	सोनकच्छ	6	सोनकच्छ मकान नं. 83 भगवान सिंह से मकान नं. 98 मिटटूलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	सोनकच्छ	7	सोनकच्छ मकान नं. 99 पदम सिंह से मकान नं. 107 हरिनारायण तक	महिला सामान्य	2
8	सोनकच्छ	8	टांडा मकान नं. 2 सम्पत बाई से मकान नं. 11 सम्पत बाई तक		
9	सोनकच्छ	9	टांडा मकान नं. 12 उमरी बाई से मकान नं. 30 शैतान बाई तक		
10	सोनकच्छ	10	टांडा मकान नं. 32 बापूलाल से मकान नं. 39 जडिया बाई तक		
11	सोनकच्छ	11	टांडा मकान नं. 40 जगन्नाथ से मकान नं. 57 प्रेमशंकर शर्मा तक		
12	सोनकच्छ	12	टांडा मकान नं. 59 भूली बाई से मकान नं. 74 जगन्नाथ तक		
13	सोनकच्छ	13	टांडा मकान नं. 77 धन्नालाल से मकान नं. 94 श्यामलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरखेडाबरामद	1	बरखेडाबरामद मकान नं. 2 द्रोपती बाई से मकान नं. 11 भवरी बाई तक	अ.जा.	6
2	बरखेडाबरामद	2	बरखेडाबरामद मकान नं. 13 मुशीलाल से मकान नं. 36 बदन सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बरखेडाबरामद	3	बरखेडाबरामद मकान नं. 37 हल्की बाई से मकान नं. 61 देवकी बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	5
4	बरखेडाबरामद	4	बरखेडाबरामद मकान नं. 63 दुर्जन सिंह से मकान नं. 77 किशनलाल तक	महिला अ0जा0	3
5	बरखेडाबरामद	5	बरखेडाबरामद मकान नं. 78 हरिलाल से मकान नं. 91 जयराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बरखेडाबरामद	6	बरखेडाबरामद मकान नं. 95 देवकरण से मकान नं. 108 गंगा बाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
7	बरखेडाबरामद	7	बरखेडाबरामद मकान नं. 112 इमरत सिंह से मकान नं. 126 सरस्वती तक	महिला सामान्य	4
8	बरखेडाबरामद	8	बरखेडाबरामद मकान नं. 127 ज्ञान सिंह से मकान नं. 151. किशोरसिंह तक		
9	बरखेडाबरामद	9	बरखेडाबरामद मकान नं. 152 किशोरसिंह से मकान नं. 171 जुगती बाई तक		
10	बरखेडाबरामद	10	बरखेडाबरामद मकान नं. 173 राज बाई से मकान नं. 192 फूल बाई तक		
11	बरखेडाबरामद	11	बरखेडाबरामद मकान नं. 197 रघुवीर सिंह से मकान नं. 212 कम्मू शाह तक		
12	बरखेडाबरामद	12	बरखेडाबरामद मकान नं. 214 अर्जन सिंह से मकान नं. 224 रुपसिंह तक		
13	बरखेडाबरामद	13	बरखेडाबरामद मकान नं. 225 लीला बाई से मकान नं. 234 रामचरण तक		
14	बरखेडाबरामद	14	बरखेडाबरामद मकान नं. 235 कालूराम से मकान नं. 245 धनराज तक		
15	बरखेडाबरामद	15	बरखेडाबरामद मकान नं. 246 बट्टीप्रसाद से मकान नं. 261 भमर लाल तक		
16	बरखेडाबरामद	16	बरखेडाबरामद मकान नं. 262 श्यामलाल से मकान नं. 288 राधेकिशन तक		
17	बरखेडाबरामद	17	बरखेडाबरामद मकान नं. 292 बिहारीलाल से मकान नं. 316 भैरोसिंह तक		
18	बरखेडाबरामद	18	बरखेडाबरामद मकान नं. 318 मनोहर से मकान नं. 346 रमेश तक		
19	बरखेडाबरामद	19	बरखेडाबरामद मकान नं. 348 रामकली बाई से मकान नं. 362. कमलेश तक		
20	बरखेडाबरामद	20	चारपहाडी मकान नं. 1 गुलाव सिंह से मकान नं. 19 रामदयाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गरेठियादागी	1	गरेठियादागी मकान नं. 1 हल्कू सिंह से मकान नं. 17 बाबूलाल तक	अ.जा.	7
2	गरेठियादागी	2	गरेठियादागी मकान नं. 18 महेशकुमार से मकान नं. 30 झारसी बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	गरेठियादागी	3	गरेठियादागी मकान नं. 31 किशन लाल से मकान नं. 45 भोगीराम तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
4	गरेठियादागी	4	गरेठियादागी मकान नं. 47 रुपी बाई से मकान नं. 62 हरिसिंह तक	महिला अ0जा0	4
5	गरेठियादागी	5	गरेठियादागी मकान नं. 64 रंजीत सिंह से मकान नं. 79 दीलतसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	गरेठियादागी	6	गरेठियादागी मकान नं. 80 निरपत सिंह से मकान नं. 89 चंदन सिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक
7	गरेठियादागी	7	गरेठियादागी मकान नं. 90 गंगाराम से मकान नं. 119 लीलाकिशन तक	महिला सामान्य	3
8	गरेठियादागी	8	गरेठियादागी मकान नं. 120 मेवा बाई से मकान नं. 139 राम सिंह तक		
9	गरेठियादागी	9	सागोनीकला मकान नं. 7 कमलसिंह से मकान नं. 20 अमानसिंह तक		
10	गरेठियादागी	10	सागोनीकला मकान नं. 21 गुमानसिंह से मकान नं. 41 मुल्लो बाई तक		
11	गरेठियादागी	11	सागोनीकला मकान नं. 42 रामदयाल से मकान नं. 52 राधा बाई तक		
12	गरेठियादागी	12	सागोनीकला मकान नं. 51 राधा बाई से मकान नं. 80 बाबूलाल तक		
13	गरेठियादागी	13	सागोनीकला मकान नं. 82 मिश्रीलाल राधाबाई से मकान नं. 100 धारुसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते है तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरोडी	1	बरोडी मकान नं. 1 छम्मी बाई से मकान नं. 10 सूरज सिंह तक	अ.जा.	4
2	बरोडी	2	बरोडी मकान नं. 11 अर्जुनसिंह से मकान नं. 25 मोहन सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बरोडी	3	बरोडी मकान नं. 27 भैयालाल से मकान नं. 45 हरभजन तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	बरोडी	4	बरोडी मकान नं. 46 मूलचंद से मकान नं. 63 हरि सिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	बरोडी	5	बरोडी मकान नं. 66 रामचरण से मकान नं. 86 सुनीता बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बरोडी	6	बरोडी मकान नं. 87 हरि सिंह से मकान नं. 104 भुजबल सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	बरोडी	7	बरोडी मकान नं. 110 नर्वदाप्रसाद से मकान नं. 139 गंगाराम तक	महिला सामान्य	3
8	बरोडी	8	बरोडी मकान नं. 140 काशीराम से मकान नं. 146 धनराज सिंह तक		
9	बरोडी	9	दरवाजी मकान नं. 1 राम बाई से मकान नं. 10 थान सिंह तक		
10	बरोडी	10	दरवाजी मकान नं. 11 पन्नालाल से मकान नं. 24 मजबूत सिंह तक		
11	बरोडी	11	दरवाजी मकान नं. 25 कन्हैयालाल से मकान नं. 38 काशी बाई तक		
12	बरोडी	12	खूजाखेडी मकान नं. 1 बटनलाल से मकान नं. 16 मर्दनसिंह तक		
13	बरोडी	13	खूजाखेडी मकान नं. 17 नरेन्द्रकुमार से मकान नं. 29 भुज्जी बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गाँव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अरविती	1	अरविती मकान नं. 1 मुंशीलाल से मकान नं. 14 सलीम खां तक	अ.जा.	4
2	अरविती	2	अरविती मकान नं. 15 हलीम खां से मकान नं. 29 राजाराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	अरविती	3	अरविती मकान नं. 30 गनेशी बाई से मकान नं. 46 कल्ली बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	अरविती	4	अरविती मकान नं. 47 गोपाल सिंह से मकान नं. 61 प्रेमनारायण तक	महिला अ0जा0	2
5	अरविती	5	अरविती मकान नं. 63 रघुनाथ से मकान नं. 84 गोकुलप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	अरविती	6	अरविती मकान नं. 86 रामभरोसे से मकान नं. 103 मेवा बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	अरविती	7	अरविती मकान नं. 104 जुगराज सिंह से मकान नं. 123 सरजू बाई तक	महिला सामान्य	5
8	अरविती	8	पीपलखेड़ी मकान नं. 1 भगवान सिंह से मकान नं. 19 मोती सिंह तक		
9	अरविती	9	पीपलखेड़ी मकान नं. 20 इमरत सिंह से मकान नं. 40 लक्ष्मण सिंह तक		
10	अरविती	10	पीपलखेड़ी मकान नं. 42 रेवाराम से मकान नं. 59 रुप सिंह तक		
11	अरविती	11	पीपलखेड़ी मकान नं. 60 लालसिंह से मकान नं. 87 बिहारीलाल तक		
12	अरविती	12	पीपलखेड़ी मकान नं. 88 दीवान सिंह से मकान नं. 110 रुघनाथ तक		
13	अरविती	13	चठौआ मकान नं. 1 कुंजीलाल से मकान नं. 18 मिश्रीलाल तक		
14	अरविती	14	चठौआ मकान नं. 19 मनीराम से मकान नं. 26 खुमानसिंह तक		
15	अरविती	15	चठौआ मकान नं. 28 धारुसिंह से मकान नं. 43 सरदार बाई तक		
16	अरविती	16	चठौआ मकान नं. 44 गनपत सिंह से मकान नं. 59 फूलसिंह तक		
17	अरविती	17	चठौआ मकान नं. 61 विमला बाई से मकान नं. 68 इन्दरसिंह तक		
18	अरविती	18	चठौआ मकान नं. 69 गजराज सिंह से मकान नं. 88 दिलीप सिंह तक		
19	अरविती	19	चठौआ मकान नं. 89 द्रोपती बाई से मकान नं. 97 बाबूलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जूनापानी	1	जूनापानी दुर्गाप्रसाद म.न. 1 से म.न. 17 मालमसिंह	अ.जा.	4
2	जूनापानी	2	जूनापानी बदीप्रसाद म.न. 18 से म.न. 28 देवीराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	जूनापानी	3	जूनापानी बाबूलाल म.न. 29 से म.न. 43 सुनील तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	जूनापानी	4	जूनापानी मन्साराम म.न. 44 से म.न. 55 पूरनलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	जूनापानी	5	जूनापानी फूलसिंह म.न. 56 से म.न. 67 रामकली तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	जूनापानी	6	जूनापानी सरस्वती म.न. 68 से म.न. 76 भूरियाबाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	जूनापानी	7	जूनापानी प्रभुलाल म.न. 77 से म.न. 85 गनपतलाल तक	महिला सामान्य	2
8	जूनापानी	8	जूनापानी किशोरीलाल म.न. 86 से म.न. 96 जमनाप्रसाद तक		
9	जूनापानी	9	जूनापानी प्रभुलाल म.न. 97 से म.न. 106 खेमचंद तक		
10	जूनापानी	10	जूनापानी मोहरसिंह म.न. 107 से म.न. 123 दौलीबाई तक		
11	जूनापानी	11	जूनापानी बालमुकंद म.न. 124 से म.न. 131 देवीसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रोडिया	1	रोडिया मकान नं.0 रुपसिंह से मकान नं. 18 काशी बाई तक	अ.जा.	3
2	रोडिया	2	रोडिया मकान नं.19 धारुसिंह से मकान नं. 37 चिरौजीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	रोडिया	3	रोडिया मकान नं.38 बाबूलाल से मकान नं. 47 मथुराप्रसाद तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	रोडिया	4	रोडिया मकान नं.49 लालाराम से मकान नं. 60 कृष्णा बाई तक	महिला अ0जा0	2
5	रोडिया	5	रोडिया मकान नं.61 रामदयाल से मकान नं. 71 राजेश नाथ तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	रोडिया	6	रोडिया मकान नं.72 केशर बाई से मकान नं. 86 केरा बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	रोडिया	7	रोडिया मकान नं.88 वंशीलाल से मकान नं. 100 भवर लाल तक	महिला सामान्य	3
8	रोडिया	8	रोडिया मकान नं.102 नन्लाल से मकान नं. 118 कोमल बाई तक		
9	रोडिया	9	रोडिया मकान नं.119 अंतर बाई से मकान नं. 127 प्रहलाद सिंह तक		
10	रोडिया	10	रोडिया मकान नं.129 कैलाश बाई से मकान नं. 139 दिनेश कुमार तक		
11	रोडिया	11	रोडिया मकान नं.140 मथुराप्रसाद से मकान नं. 151 रघुनाथ तक		
12	रोडिया	12	जाफराबाद मकान नं. 1 धीरजसिंह से मकान नं. 10 रुप सिंह तक		
13	रोडिया	13	जाफराबाद मकान नं.11 उधम सिंह से मकान नं. 17 कोमल सिंह तक		
14	रोडिया	14	जाफराबाद मकान नं.18 भीकम सिंह से मकान नं. 43 रिषीकुमार तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	दिल्लौद	1	दिल्लौद मकान नं.1 मकबूल शाह से मकान नं. 8ख केशर बाई तक	अ.जा.	6
2	दिल्लौद	2	दिल्लौद मकान नं.09 ओमवती से मकान नं. 26 कृष्णा बाई तक	अ.ज.जा.	3
3	दिल्लौद	3	दिल्लौद मकान नं.27 मौहरसिंह से मकान नं. 39 कमलकिशोर तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	दिल्लौद	4	दिल्लौद मकान नं.41 चतरदास से मकान नं. 54 देवीप्रसाद तक	महिला अ0जा0	3
5	दिल्लौद	5	दिल्लौद मकान नं.55 राजकिशोर से मकान नं. 73 रामचरण तक	महिला अ0ज0जा0	2
6	दिल्लौद	6	दिल्लौद मकान नं.76 कृष्णागोपाल से मकान नं. 84 मायादेवी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	दिल्लौद	7	दिल्लौद मकान नं.85 लालाराम से मकान नं. 93 भागवती बाई तक	महिला सामान्य	2
8	दिल्लौद	8	दिल्लौद मकान नं.94 रामस्वरूप से मकान नं. 103 राधा बाई तक		
9	दिल्लौद	9	दिल्लौद मकान नं.104 रविशंकर से मकान नं. 116 बाबूलाल तक		
10	दिल्लौद	10	दिल्लौद मकान नं.118 तिजिया बाई से मकान नं. 126 बृजकिशोर तक		
11	दिल्लौद	11	दिल्लौद मकान नं.127 गनपत लाल से मकान नं. 148 अनुसूइया बाई तक		
12	दिल्लौद	12	दिल्लौद मकान नं.149 कला बाई से मकान नं. 167 जगन्नाथप्रसाद तक		
13	दिल्लौद	13	दिल्लौद मकान नं.168 पार्वती बाई से मकान नं. 183 रामप्यारी बाई तक		
14	दिल्लौद	14	दिल्लौद मकान नं.184 कैदारप्रसाद से मकान नं. 203 रामप्रसाद तक		
15	दिल्लौद	15	दिल्लौद मकान नं.204 बाबूलाल से मकान नं. 225 डिसूजा तक		
16	दिल्लौद	16	दिल्लौद मकान नं.226 हरभजन से मकान नं. 253 मानसिंह तक		
17	दिल्लौद	17	दिल्लौद मकान नं.255 हल्कूराम से मकान नं. 273 सिद्धी बाई तक		
18	दिल्लौद	18	दिल्लौद मकान नं.274 पन्नालाल से मकान नं. 297 बाबूलाल तक		
19	दिल्लौद	19	दिल्लौद मकान नं.298 लीलाबाई से मकान नं. 319 विमला बाई तक		
20	दिल्लौद	20	दिल्लौद मकान नं.321 सहोदरी बाई से मकान नं. 335 राम बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	हराखेडा	1	हराखेडा मकान नं.1 हरीराम से मकान नं. 5 बाबूलाल तक	अ.जा.	4
2	हराखेडा	2	हराखेडा मकान नं.8 जुबेदा बी से मकान नं. 19 घीसा शाह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	हराखेडा	3	हराखेडा मकान नं.20 लालराम से मकान नं. 31 शम्भूदयाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	हराखेडा	4	हराखेडा मकान नं.33 मांगीलाल से मकान नं. 39 वहीद शाह तक	महिला अ0जा0	2
5	हराखेडा	5	हराखेडा मकान नं.40 बुलाखी से मकान नं. 59/1 रानी बी तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	हराखेडा	6	हराखेडा मकान नं.60 प्रेम बाई से मकान नं. 67 मुरली तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	हराखेडा	7	हराखेडा मकान नं.68 सलीम खां से मकान नं. 77 इस्माईल खां तक	महिला सामान्य	4
8	हराखेडा	8	हराखेडा मकान नं.80 बतूल बी से मकान नं. 90 जमनी बाई तक		
9	हराखेडा	9	हराखेडा मकान नं.91 रामकिशन से मकान नं. 95 रधिया बाई तक		
10	हराखेडा	10	हराखेडा मकान नं.99 दरयाव सिंह से मकान नं. 100 खैराती तक		
11	हराखेडा	11	हराखेडा मकान नं.108 रंगलाल से मकान नं. 135 अ.रहीम तक		
12	हराखेडा	12	हराखेडा मकान नं.136 इमरत सिंह से मकान नं. 148 मेहताव सिंह तक		
13	हराखेडा	13	हराखेडा मकान नं.149 लालाराम से मकान नं. 165 हेमराज तक		
14	हराखेडा	14	हराखेडा मकान नं.166 सम्पत बाई से मकान नं. 172 नूर अली तक		
15	हराखेडा	15	हराखेडा मकान नं.173 नसीब शाह से मकान नं. 199 विमला बाई तक		
16	हराखेडा	16	हराखेडा मकान नं.201 सागर बाई से मकान नं. 216 बूजलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेमरीकलां	1	सेमरीकलां मकान नं.1 धीसीलाल से मकान नं. 17 शारदा बाई तक	अ.जा.	3
2	सेमरीकलां	2	सेमरीकलां मकान नं.18 मोहर सिंह से मकान नं. 30 राजाराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सेमरीकलां	3	सेमरीकलां मकान नं.31 लीलाकिशन से मकान नं. 40 मनमोहनसिंह तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	सेमरीकलां	4	सेमरीकलां मकान नं.41 रामदयाल से मकान नं. 56 उमेद सिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	सेमरीकलां	5	सेमरीकलां मकान नं.57 जवाहरसिंह से मकान नं. 64 भागचंद तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सेमरीकलां	6	सेमरीकलां मकान नं. 65 मुनीया बाई से मकान नं. 77 सीताराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	सेमरीकलां	7	सेमरीकलां मकान नं.78 हल्की बाई से मकान नं. 86 हल्की बाई तक	महिला सामान्य	1
8	सेमरीकलां	8	सेमरीकलां मकान नं.87 जानकी बाई से मकान नं. 97 दौलत बाई तक		
9	सेमरीकलां	9	सेमरीकलां मकान नं.98 रामप्रसाद से मकान नं. 109 रामदयाल तक		
10	सेमरीकलां	10	सेमरीकलां मकान नं.110 कमोदसिंह से मकान नं. 136 क इंदिरा बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	उंटखेडा	1	उंटखेडा मकान नं.2 कोमलबाई से मकान नं. 11 प्रेम बाई तक	अ.जा.	2
2	उंटखेडा	2	उंटखेडा मकान नं.12 पन्नालाल से मकान नं. 22 धनिया बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	उंटखेडा	3	उंटखेडा मकान नं.23 पर्वत सिंह से मकान नं. 33 गंगाप्रसाद तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	उंटखेडा	4	उंटखेडा मकान नं.34 फूलचंद से से मकान नं. 47 साविर शाह तक	महिला अ0जा0	1
5	उंटखेडा	5	उंटखेडा मकान नं.50 धीरज सिंह से मकान नं. 55 हीरालाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	उंटखेडा	6	उंटखेडा मकान नं.56 हसियाबाई से मकान नं. 66 लालसिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	उंटखेडा	7	उंटखेडा मकान नं.68 कल्लू शाह से मकान नं. 89 प्यार खां तक	महिला सामान्य	6
8	उंटखेडा	8	उंटखेडा मकान नं.93 रुधनाथ से मकान नं. 99 रामप्रसाद तक		
9	उंटखेडा	9	उंटखेडा मकान नं.101 रामकिशन से मकान नं. 113 भूरी बाई तक		
10	उंटखेडा	10	उंटखेडा मकान नं.114 लीलाबाई से मकान नं. 126 पूनम बाई तक		
11	उंटखेडा	11	उंटखेडा मकान नं.127 फुन्दीलाल से मकान नं. 138 जंजील खां तक		
12	उंटखेडा	12	बगराज मकान नं.1 परमलाल से मकान नं. 8 लालजी तक		
13	उंटखेडा	13	बगराज मकान नं.10 भीकम सिंह से मकान नं. 18 सरस्वती बाई तक		
14	उंटखेडा	14	बगराज मकान नं.19 रतनलाल से मकान नं. 32 गंगी बाई तक		
15	उंटखेडा	15	बगराज मकान नं.33 बलवीर से मकान नं. 44 गंगाराम तक		
16	उंटखेडा	16	बगराज मकान नं.45 सुमेर सिंह से मकान नं. 55 सुंदल बी तक		
17	उंटखेडा	17	बगराज मकान नं.56 रंकीब से मकान नं. 68 अमोली तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बरीबगराज	1	बरी मकान नं. 1 हमीदन बी से मकान नं. 10 घीसी बाई तक	अ.जा.	5
2	बरीबगराज	2	बरी मकान नं. 11 मिश्रीलाल से मकान नं.27/1 भगवानसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	बरीबगराज	3	बरी मकान नं. 28 जयराम से मकान नं. 41 रामरतन तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	बरीबगराज	4	बरी मकान नं. 42 रमेशप्रसाद से मकान नं. 53 नसीवन बी तक	महिला अ0जा0	3
5	बरीबगराज	5	बरी मकान नं. 54 हफीज खों से मकान नं.64 सम्पत बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	बरीबगराज	6	बरी मकान नं. 65 कमल सिंह से मकान नं. 84 महेश तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	बरीबगराज	7	रौजिया मकान नं. 1 गोवर्धन से मकान नं. 15 रामसिंह तक	महिला सामान्य	4
8	बरीबगराज	8	रौजिया मकान नं. 16 दौलत सिंह से मकान नं. 27 नारायणसिंह तक		
9	बरीबगराज	9	रौजिया मकान नं. 28 भुरिया बाई से मकान नं. 39 श्रीकिशन तक		
10	बरीबगराज	10	रौजिया मकान नं. 40 नाथूराम से मकान नं. 49 गनेशी बाई तक		
11	बरीबगराज	11	रौजिया मकान नं. 50 फूल सिंह से मकान नं. 62 वृन्दा बाई तक		
12	बरीबगराज	12	रौजिया मकान नं. 63 सिंगार बाई से मकान नं. 79 रमेश तक		
13	बरीबगराज	13	बुधोरकला मकान नं. 1 रामकिशन से मकान नं. 17 प्रभूलाल तक		
14	बरीबगराज	14	बुधोरकला मकान नं. 18 भवरलाल से मकान नं. 30 मोच खों तक		
15	बरीबगराज	15	बुधोरकला मकान नं. 33 नन्ने खों से मकान नं. 49 बटनलाल तक		
16	बरीबगराज	16	बुधोरकला मकान नं. 50 सीताराम से मकान नं. 69 बल्लो बाई तक		
17	बरीबगराज	17	बुधोरकला मकान नं. 70 घीसीलाल से मकान नं. 83 राधा बाई तक		
18	बरीबगराज	18	बुधोरकला मकान नं. 84 सोमल सिंह से मकान नं. 302 नफीसा बी तक		
19	बरीबगराज	19	खेजडाबब्बर मकान नं. 1 परमो बाई से मकान नं. 16 घुन्नु खों तक		
20	बरीबगराज	20	खेजडाबब्बर मकान नं. 18 जरीना बी से मकान नं. 32 शांति बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कलारा	1	कलारा रोशनलाल म.न. 1 से म.न. 14 नन्नुलाल तक	अ.जा.	4
2	कलारा	2	कलारा कैलाशी म.न. 15 से म.न. 20 बेनीप्रसाद तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कलारा	3	कलारा राजनारायण म.न. 21 से म.न. 34 ज्वालामुखाद तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	कलारा	4	कलारा गणेशराम म.न. 35 से म.न. 50 बाबूलाल तक	महिला अ0जा0	2
5	कलारा	5	कलारा कैलाश म.न. 51 से म.न. 66 हरिनारायण तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कलारा	6	कलारा सरजूबाई म.न. 67 से म.न. 76 मुंशीलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	कलारा	7	कलारा मिश्रीबाई म.न. 77 से म.न. 92 लालाराम तक	महिला सामान्य	5
8	कलारा	8	कलारा जमनप्रसाद म.न. 93 से म.न. 106 नारायणसिंह तक		
9	कलारा	9	कलारा रामलाल म.न. 107 से म.न. 117 हरलाल तक		
10	कलारा	10	कलारा छोटीबाई म.न. 118 से म.न. 132 भागवती बाई तक		
11	कलारा	11	कलारा पार्वतीबाई म.न. 135 से म.न. 151 रतनबाई तक		
12	कलारा	12	कलारा सरूप बाई म.न. 152 से म.न. 168 सुन्दरबाई तक		
13	कलारा	13	कलारा गयांराम म.न. 170 से म.न. 185 नन्नुलाल तक		
14	कलारा	14	कलारा फातमा बी म.न. 186 से म.न. 197 जुजु बाई तक		
15	कलारा	15	कलारा माधूलाल म.न. 200 से म.न. 206 शाहिदा बी तक		
16	कलारा	16	कलारा अनीसा बी म.न. 207 से म.न. 220 काशीराम तक		
17	कलारा	17	कलारा छोटेराम म.न. 221 से म.न. 241 रामनिवास तक		
18	कलारा	18	कलारा हरिराम म.न. 242 से म.न. 252 धन्नालाल तक		
19	कलारा	19	कलारा बटनलाल म.न. 253 से म.न. 277 पर्वतसिंह तक		
20	कलारा	20	कलारा शंकरलाल म.न. 278 से म.न. 298 नंदलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पीपलखेडा	1	पीपलखेडा मकान नं.1 शरीफन बी से मकान नं. 19 भीकम सिंह तक	अ.जा.	2
2	पीपलखेडा	2	पीपलखेडा मकान नं.20 कुजीलाल से मकान नं. 36 राजेन्द्र सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	पीपलखेडा	3	पीपलखेडा मकान नं.38 निर्भय सिंह से मकान नं. 48 कस्तूरी बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	पीपलखेडा	4	पीपलखेडा मकान नं.47 कमल सिंह से मकान नं. 64 दिलीप सिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	पीपलखेडा	5	पीपलखेडा मकान नं.65 सूरत सिंह से मकान नं. 81 सुल्तान बी तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	पीपलखेडा	6	पीपलखेडा मकान नं.82 मासूम बी से मकान नं. 93 मालम सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	पीपलखेडा	7	पीपलखेडा मकान नं.96 पुनीया बाई से मकान नं. 110 कोमलबाई तक	महिला सामान्य	4
8	पीपलखेडा	8	पीपलखेडा मकान नं.111 पन्नालाल से मकान नं. 120 बाबू अली तक		
9	पीपलखेडा	9	पीपलखेडा मकान नं.121 मुस्ताक अली से मकान नं. 133 देवीसिंह तक		
10	पीपलखेडा	10	पीपलखेडा मकान नं.134 गंगाराम से मकान नं. 144 नारायण सिंह तक		
11	पीपलखेडा	11	पीपलखेडा मकान नं.145 नवल सिंह से मकान नं. 155 तुलसा बाई तक		
12	पीपलखेडा	12	पीपलखेडा मकान नं.156 धन सिंह से मकान नं. 164 मदनलाल तक		
13	पीपलखेडा	13	पीपलखेडा मकान नं.165 पर्वत सिंह से मकान नं. 179 सलीम शाह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	मनीखेडी (गुनगा)	1	मनीखेडी राजकुमार म.न. 1 से म.न. 13 मुकन्दी तक	अ.जा.	2
2	मनीखेडी (गुनगा)	2	मनीखेडी अजबसिंह म.न. 14 से म.न. 24 अमरसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	मनीखेडी (गुनगा)	3	मनीखेडी जानकी बाई म.न. 25 से म.न. 32 अमरसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	मनीखेडी (गुनगा)	4	मनीखेडी पर्वतसिंह म.न. 34 से म.न. 46 फूलसिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	मनीखेडी (गुनगा)	5	मनीखेडी हरिसिंह म.न. 47 से म.न. 54 संता बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	मनीखेडी (गुनगा)	6	मनीखेडी विक्रमसिंह म.न. 58 से म.न. 71 तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	मनीखेडी (गुनगा)	7	मनीखेडी कमलसिंह म.न. 72 से म.न. 88 इमरत बाई तक	महिला सामान्य	2
8	मनीखेडी (गुनगा)	8	मनीखेडी प्रेमबाई म.न. 89 से म.न. 99 रामदयाल तक		
9	मनीखेडी (गुनगा)	9	मनीखेडी मोतीलाल म.न. 100 से म.न. 106 चंदनसिंह तक		
10	मनीखेडी (गुनगा)	10	मनीखेडी लालाराम म.न. 107 से म.न. 118 तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं -	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जैतपुरा	1	जैतपुरा म.न. (1) पुनिया बाई म.न. (17) सुखिया बाई तक	अ.जा.	3
2	जैतपुरा	2	जैतपुरा म.न. (18) श्यामलाल से म.न. (32) रघुवीर तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	जैतपुरा	3	जैतपुरा म.न. (33) गन्ना बाई से म.न. (42) चंदन सिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	जैतपुरा	4	जैतपुरा म.न. (45) जमनाप्रसाद म.न. (53) जयनारायण	महिला अ0जा0	2
5	जैतपुरा	5	जैतपुरा म.न. (54) लीलाकिशन म.न. (60) जीतमल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	जैतपुरा	6	जैतपुरा म.न. (61) हब्बी बाई म.न. (68) तुलसीराम तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	जैतपुरा	7	जैतपुरा म.न. (70) प्यारेलाल म.न. (77) देवीसिंह तक	महिला सामान्य	2
8	जैतपुरा	8	जैतपुरा म.न. (78) रामसिंह से म.न. (89) कान्ती बाई तक		
9	जैतपुरा	9	मुडियाखेडा म.न. (02) जमनाप्रसाद से म.न. (15) गंगा बाई तक		
10	जैतपुरा	10	मुडियाखेडा म.न. (16) परसराम से म.न. (27) मुशीलाल तक		
11	जैतपुरा	11	मुडियाखेडा म.न. (28) देवेन्द्र से म.न. (41) लालाराम तक		
12	जैतपुरा	12	मुडियाखेडा म.न. (42) नर्बदाप्रसाद से म.न. (387) सरिता तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पारदी	1	पारदी म.न. (1) निहालसिंह से म.न. (13) प्रदीप तक	अ.जा.	4
2	पारदी	2	पारदी म.न. (14) घासीराम से म.न. (21) अकलेश तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	पारदी	3	पारदी म.न. (22) नन्लाल से म.न. (33) राजेश तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	पारदी	4	पारदी म.न. (34) धनीराम से म.न. (45) सुनीता बाई तक	महिला अ0जा0	2
5	पारदी	5	पारदी म.न. (47) बालचंद से म.न. (61) प्रभूलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	पारदी	6	पारदी म.न. (62) किशनसिंह से म.न. (398) राधा बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	पारदी	7	बांदीखेडी म.न. (1) बंसतकुमार से म.न. (14) दौली बाई तक	महिला सामान्य	1
8	पारदी	8	बांदीखेडी म.न. (16) पप्पू से म.न. (28) प्रेमनारायण तक		
9	पारदी	9	बांदीखेडी म.न. (29) बाबूलाल से म.न. (38) बाबूलालगुप्ता तक		
10	पारदी	10	बांदीखेडी म.न. (39) तोरनसिंह से म.न. (54) जगन्नाथसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	हिनोतीसडक	1	हिनोतीसडक म.न. (1) तुलसीराम से म. न. (23) इमरतलाल तक	अ.जा.	3
2	हिनोतीसडक	2	हिनोतीसडक म.न. (25) सुगनबाई से म. न. (35) गोरीशंकर तक	अ.ज.जा.	1
3	हिनोतीसडक	3	हिनोतीसडक म.न. (36) फूलसिंह से म. न. (47) जानकी तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	हिनोतीसडक	4	हिनोतीसडक म.न. (50) पार्वती से म.न. (64) नर्बदा प्रसाद तक	महिला अ0जा0	2
5	हिनोतीसडक	5	हिनोतीसडक म.न. (66) नर्बदी से म.न. (84) रतनसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	हिनोतीसडक	6	हिनोतीसडक म.न. (85) संपत बाई म.न. (94) शफीक खॉं तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	हिनोतीसडक	7	हिनोतीसडक म.न. (99) छोटेलाल म. न. (137) सआदन तक	महिला सामान्य	3
8	हिनोतीसडक	8	हिनोतीसडक म.न. (138)कनीजाखातून म.न. (147) गणेशराम तक		
9	हिनोतीसडक	9	हिनोतीसडक म.न. (148)भगवानसिंह से म.न. (165)श्यामलाल तक		
10	हिनोतीसडक	10	हिनोतीसडक म.न. (167) करनसिंह से म.न. (183) भागचंद तक		
11	हिनोतीसडक	11	हिनोतीसडक म.न. (185) श्यामलाल से म.न. (196) कमलसिंह		
12	हिनोतीसडक	12	हिनोतीसडक म.न. (197) प्रमुलाल से म. न. (206) बालाप्रसाद तक		
13	हिनोतीसडक	13	हिनोतीसडक म.न. (207) मांगीलाल से म.न. (217) उर्मिला तक		
14	हिनोतीसडक	14	हिनोतीसडक म.न. (218) सावित्री से म. न. (229) धनिया बाई तक		
15	हिनोतीसडक	15	हिनोतीसडक म.न. (230) परसराम से म.न. (243) मेहताब तक		
16	हिनोतीसडक	16	हिनोतीसडक म.न. (244) बालमुकंद से म.न. (258) रामसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पिपलियाहसनावाद	1	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 1 रोशन खों से मकान नं. 9 उलफत बी तक	अ.जा.	निरंक
2	पिपलियाहसनावाद	2	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 10 हुसैनी बी से मकान नं. 23 बेगम बी तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	पिपलियाहसनावाद	3	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 24 सईद खों से मकान नं. 31 सुन्दर बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	पिपलियाहसनावाद	4	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 33 एहसान अली से मकान नं. 41 शाहिद तक	महिला अ0जा0	निरंक
5	पिपलियाहसनावाद	5	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 42 सरदार बाई से मकान नं. 56 हलीम बी तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	पिपलियाहसनावाद	6	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 57 आफताव बी से मकान नं. 69 सहीदन बी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	पिपलियाहसनावाद	7	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 70 इमरान से मकान नं. 76/2 फुकरान तक	महिला सामान्य	4
8	पिपलियाहसनावाद	8	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 77 कुरवान अली से मकान नं. 82 शहजाद तक		
9	पिपलियाहसनावाद	9	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 83 सलाउद्दीन से मकान नं. 92 गफफार खों तक		
10	पिपलियाहसनावाद	10	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 93 बेगम बी से मकान नं. 98 शराफत अली तक		
11	पिपलियाहसनावाद	11	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 99 मजीद अली से मकान नं. 105 लतीफ खों तक		
12	पिपलियाहसनावाद	12	पिपलियाहसनावाद मकान नं. 107 एहसान अली से मकान नं. 128 हनीफ तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सुकलिया	1	सुकलिया म.न. (1) बालकिशन से म.न. (20) नंदराम तक	अ.जा.	6
2	सुकलिया	2	सुकलिया म.न. (23) लक्ष्मणसिंह से म.न. (42) मोरबाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सुकलिया	3	सुकलिया म.न. (43) काशीराम से म.न. (62) खुशीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	सुकलिया	4	सुकलिया म.न. (63) संपतबाई से म.न. (78) महेशकुमार तक	महिला अ0जा0	3
5	सुकलिया	5	सुकलिया म.न. (79) सूरजसिंह से म.न. (90) देवीसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सुकलिया	6	सुकलिया म.न. (91) बलदेव से म.न. (100) गोरेलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	सुकलिया	7	सुकलिया म.न. (101) सुक्को बाई से म.न. (111)मेवाबाई तक	महिला सामान्य	4
8	सुकलिया	8	सुकलिया म.न. (113)बटनलाल से म.न. (133) रमकोबाई तक		
9	सुकलिया	9	सुकलिया म.न. (134)भागीरथ से म.न. (145) रमेश तक		
10	सुकलिया	10	सुकलिया म.न. (148) कलाबाई से म.न. (162) चिमनलाल तक		
11	सुकलिया	11	पिपलियाकदीम म.न. (02) मांगीलाल से म.न. (18) गुलाब बाईतक		
12	सुकलिया	12	पिपलियाकदीम म.न. (19) श्यामलाल से म.न. (31) दयाराम तक		
13	सुकलिया	13	पिपलियाकदीम म.न. (32) प्रभुलाल से म.न. (43) शिवचरण तक		
14	सुकलिया	14	पिपलियाकदीम म.न. (44) कुन्जीलाल से म.न. (63) भीकमसिंह तक		
15	सुकलिया	15	पिपलियाकदीम म.न. (65) रामसिंह से म.न. (80) देवकरण तक		
16	सुकलिया	16	पिपलियाकदीम म.न. (81) प्रतापसिंह से म.न. (94) भैरोसिंह तक		
17	सुकलिया	17	पिपलियाकदीम म.न. (95) कुवर बाई से म.न. (127) लालमिया तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कुटकीपुरा	1	कुटकीपुरा रामगोपाल म.न. 1 से म.न. 8 भागवती बाई तक	अ.जा.	2
2	कुटकीपुरा	2	कुटकीपुरा दुर्जन म.न. 10 से म.न. 21 प्रेमचंद तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कुटकीपुरा	3	कुटकीपुरा हजारी म.न. 22 से म.न. 32 मानसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	कुटकीपुरा	4	कुटकीपुरा रामचरण म.न. 33 से म.न. 39 मोहरबाई तक	महिला अ0जा0	1
5	कुटकीपुरा	5	कुटकीपुरा हकीमशाह म.न. 41 से म.न. 55 हरप्रसाद तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कुटकीपुरा	6	कुटकीपुरा गोरिलाल म.न. 56 से म.न. 68 तुलसाबाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	कुटकीपुरा	7	कुटकीपुरा कालूराम म.न. 69 से म.न. 76 नरेश तक	महिला सामान्य	4
8	कुटकीपुरा	8	खेडी वीरमान म.न. 1 से म.न. 19 अवधनारायण तक		
9	कुटकीपुरा	9	खेडी बाबूलाल म.न. 20 से म.न. 31 द्वारकाप्रसाद तक		
10	कुटकीपुरा	10	खेडी प्रेमनारायण म.न. 32 से म.न. 43 घीसीलाल तक		
11	कुटकीपुरा	11	नामदारपुरा फूलसिंह म.न. 1 से म.न. 11 मुबारिक तक		
12	कुटकीपुरा	12	नामदारपुरा केशर बाई म.न. 12 से म.न. 21 केशरी तक		
13	कुटकीपुरा	13	नामदारपुरा हीरालाल म.न. 22 से म.न. 31 सत्येन्द्र शर्मा तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गुनगा	1	गुनगा मथरीबाई म.न. 1 से म.न. 21 कोमलबाई तक	अ.जा.	2
2	गुनगा	2	गुनगा नासिर खॉ म.न. 24 से म.न. 46 गथुराप्रसाद तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	गुनगा	3	गुनगा महेशदयाल म.न. 48 से म.न. 69 कामतीबाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	गुनगा	4	गुनगा दुनिया बाई म.न. 71 से म.न. 96 हरप्रसाद तक	महिला अ0जा0	1
5	गुनगा	5	गुनगा दौलतराम म.न. 97 से म.न. 121 छम्मू खॉ तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	गुनगा	6	गुनगा हमीद खॉ म.न. 122 से म.न. 151 प्रकाश तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	गुनगा	7	गुनगा शरीफ खॉ म.न. 152 से म.न. 172 सदाराम तक	महिला सामान्य	6
8	गुनगा	8	गुनगा नर्वदाप्रसाद म.न. 173 से म. न. 194 हम्मू खॉ तक		
9	गुनगा	9	गुनगा प्रेमबाई म.न. 195 से म.न. 219 बरकत खॉ तक		
10	गुनगा	10	गुनगा राजलबाई म.न. 220 से म.न. 233 संपतबाई तक		
11	गुनगा	11	गुनगा परमोबाई म.न. 234 से म.न. 269 मोहनबाई तक		
12	गुनगा	12	गुनगा काशीबाई म.न. 270 से म.न. 291 विरिया बाई तक		
13	गुनगा	13	गुनगा कूगरमल म.न. 292 से म.न. 314 फूलिया बाई तक		
14	गुनगा	14	गुनगा कृष्णा म.न. 315 से म.न. 352 अजीम तक		
15	गुनगा	15	गुनगा मुमताज मो. म.न. 353 से म. न. 369 मकरंद सिंह तक		
16	गुनगा	16	गुनगा वृजलाल म.न. 370 से म.न. 389 गुलाब बाई तक		
17	गुनगा	17	गुनगा सुक्को बाई म.न. 390 से म. नं. 407 हलीम मिया तक		
18	गुनगा	18	गुनगा प्यारेलाल म.न. 408 से म.न. 431 सिंती बाई तक		
19	गुनगा	19	गुनगा भगवानसिंह म.न. 432 से म. न. 453 सीताराम तक		
20	गुनगा	20	गुनगा दुलीचंद म.न. 454 से म.न. 752 राजेश तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रतुआरतनपुर	1	रतुआरतनपुर म.न. (1) मिश्रीलाल से म.न. (04) रमको बाई तक	अ.जा.	6
2	रतुआरतनपुर	2	रतुआरतनपुर म.न. (05) राजबाई से म.न. (07) नारयणी बाई तक	अ.ज.जा.	2
3	रतुआरतनपुर	3	रतुआरतनपुर म.न. (08) बहादुरसिंह से म.न. (13) ठाकुरप्रसाद तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	रतुआरतनपुर	4	रतुआरतनपुर म.न. (14) गौरा बाई से म.न. (17) नारायणप्रसाद तक	महिला अ0जा0	3
5	रतुआरतनपुर	5	रतुआरतनपुर म.न. (18) जगन्नाथ से म.न. (22) रामकिशन तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	रतुआरतनपुर	6	रतुआरतनपुर म.न. (23) भंवरलाल से म.न. (28) खेमचंद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7	रतुआरतनपुर	7	रतुआरतनपुर म.न. (29) लखपतराम से म.न. (33) रामप्यारी तक	महिला सामान्य	3
8	रतुआरतनपुर	8	रतुआरतनपुर म.न. (34) विजयराम से म.न. (41) (क) नर्बदी तक		
9	रतुआरतनपुर	9	रतुआरतनपुर म.न. (42) नाथूराम से म.न. (48) भंवरलाल तक		
10	रतुआरतनपुर	10	रतुआरतनपुर म.न. (52) कलाबाई से म.न. (62) रूकसाना तक		
11	रतुआरतनपुर	11	रतुआरतनपुर म.न. (63) अजबसिंह से म.न. (70) हरकिशन तक		
12	रतुआरतनपुर	12	रतुआरतनपुर म.न. (71) बालो बाई से म.न. (82) मोतीलाल तक		
13	रतुआरतनपुर	13	रतुआरतनपुर म.न. (83) भंवरलाल से म.न. (93) हजारीलाल तक		
14	रतुआरतनपुर	14	रतुआरतनपुर म.न. (94) रमेशदयाल से म.न. (109) वटनलाल तक		
15	रतुआरतनपुर	15	रतुआरतनपुर म.न. (110) शिवचरण से म.न. (120) सीताराम तक		
16	रतुआरतनपुर	16	रतुआरतनपुर म.न. (121) छगन से म.न. (162) अशोक तक		
17	रतुआरतनपुर	17	रतुआरतनपुर म.न. (177) अर्जुन से म.न. (187) मांगीलाल तक		
18	रतुआरतनपुर	18	रतुआरतनपुर म.न. (189) भोलानाथ से म.न. 229) (क) अगीर र्खों तक		
19	रतुआरतनपुर	19	सगोनीजोरा म.न. (01) तुलसीराम से म.न. (14) कमोदीलाल तक		
20	रतुआरतनपुर	20	सगोनीजोरा म.न. (15) लक्ष्मणसिंह से म.न. (42) रामप्रसाद तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोटराचोपडा	1	कोटराचोपडा म.न. (1) श्रवणकुमार से म.न. (08) लालसिंह तक	अ.जा.	2
2	कोटराचोपडा	2	कोटराचोपडा म.न. (09) घासीराम से म.न. (16) सरजू बाई तक	अ.ज.जा.	1
3	कोटराचोपडा	3	कोटराचोपडा म.न. (17) नन्तूलाल से म.न. (22) देवचंद तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	कोटराचोपडा	4	कोटराचोपडा म.न. (23) पदम बाई से म.न. (25) चुन्नीलाल तक	महिला अ0जा0	1
5	कोटराचोपडा	5	कोटराचोपडा म.न. (26) समन्दरसिंह से म.न. (31) हमीरसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	कोटराचोपडा	6	कोटराचोपडा म.न. (32) हरिसिंह से म.न. (42) तोरनसिंह तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	कोटराचोपडा	7	कोटराचोपडा म.न. (43) सीता बाई से म.न. (52) हुकुमचंद तक	महिला सामान्य	3
8	कोटराचोपडा	8	कोटराचोपडा म.न. (53) चतुर से म.न. (67) मूल्यचंद तक		
9	कोटराचोपडा	9	बेरखेडी कला म.न. (01) दुलावो से म.न. (14) उदमसिंह तक		
10	कोटराचोपडा	10	बेरखेडी कला म.न. (15) मुबीन खों से म.न. (30) सलीम खों तक		
11	कोटराचोपडा	11	बेरखेडी कला म.न. (31) गुफरान खों से म.न. (40) नर्बदीप्रसाद तक		
12	कोटराचोपडा	12	बेरखेडी कला म.न. (41) मूलिया बाई से म.न. (52) दौलीबाई तक		
13	कोटराचोपडा	13	बेरखेडी कला म.न. (53) माधौसिंह से म.न. (64) गोरेलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भैसखेडा	1	भैसखेडा म.न. 1 बदनसिंह से म.न. 06 लक्ष्मीनारायण तक	अ.जा.	3
2	भैसखेडा	2	भैसखेडा म.न. 09 कपूरबाई से म.न. 24 सुरजनसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	भैसखेडा	3	भैसखेडा म.न. 25 प्रेमबाई से म.न. 39 हीरालाल तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	भैसखेडा	4	भैसखेडा म.न. 40 अजबसिंह से म.न. 49 जीवनराम तक	महिला अ0जा0	2
5	भैसखेडा	5	भैसखेडा म.न. 50 कालूराम से म.न. 59 राजाराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	भैसखेडा	6	भैसखेडा म.न. 60 बाबूलाल से म.न. 72 भाव सिंह तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	भैसखेडा	7	भैसखेडा म.न. 73 रामसिंह से म.न. 88 शांति बाई तक	महिला सामान्य	2
8	भैसखेडा	8	भैसखेडा म.न. 89 लक्ष्मीबाई से म.न. 100 रतनसिंह तक		
9	भैसखेडा	9	भैसखेडा म.न. 101 गोजा बाई से म.न. 113 बटनलाल तक		
10	भैसखेडा	10	भैसखेडा (क्र.2) म.न. 01 सरदारसिंह से म.न. 06 मोहरसिंह तक		
11	भैसखेडा	11	भैसखेडा (क्र.2) म.न. 07 मोहरबाई से म.न. 19 भैयालाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कढैयाकलां	1	कढैयाकलां मिट्टूलाल मकान नं. 2 से मकान नं. 12 मोतीसिंह तक	अ.जा.	5
2	कढैयाकलां	2	कढैयाकलां बने सिंह मकान नं.13 से मकान नं. 26 महेन्द्र प्रतापसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	कढैयाकलां	3	कढैयाकलां पन्नालाल मकान नं. 32 से मकान नं. 40 रामकुंवर तक	अन्य पिछडा वर्ग	4
4	कढैयाकलां	4	कढैयाकलां लोकेन्द्र सिंह मकान नं. 40/1 से मकान नं. 58 जालमसिंह तक	महिला अ0जा0	3
5	कढैयाकलां	5	कढैयाकलां दयाराम मकान नं. 60 से मकान नं. 67 करणसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	कढैयाकलां	6	कढैयाकलां जसवंतसिंह मकान नं. 71 से मकान नं. 92 बेजन्ती बाई तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	कढैयाकलां	7	कढैयाकलां मन्लाल मकान नं. 94 से मकान नं. 108 देवचंद तक	महिला सामान्य	3
8	कढैयाकलां	8	कढैयाकलां पांची बाई मकान नं. 110 से मकान नं. 128 हजारीलाल तक		
9	कढैयाकलां	9	बरखेडाखुर्द इब्राहिम खॉ मकान नं. 1 से मकान नं. 6 मिश्रीलाल तक		
10	कढैयाकलां	10	बरखेडाखुर्द कोमलसिंह मकान नं. 7 से मकान नं. 12 आबिद मिया तक		
11	कढैयाकलां	11	बरखेडाखुर्द करनसिंह मकान नं. 13 से मकान नं. 14 प्रतापसिंह तक		
12	कढैयाकलां	12	बरखेडाखुर्द कस्तूरी मकान नं. 15 से मकान नं. 19 लीला तक		
13	कढैयाकलां	13	बरखेडाखुर्द रामचरण मकान नं. 20 से मकान नं. 25 रामस्वरूप		
14	कढैयाकलां	14	बरखेडाखुर्द हजारीलाल मकान नं. 26 से मकान नं. 28 जानकीबाई तक		
15	कढैयाकलां	15	बरखेडाखुर्द मिट्टूलाल मकान नं. 29 से मकान नं. 33 गोपीलाल तक		
16	कढैयाकलां	16	बरखेडाखुर्द दयाराम मकान नं. 34 से मकान नं. 423 अनवर खॉ तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्ड की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गंगापिपलिया	1	गंगापिपलिया कैलाश म.न. 1 से 12 जमनाप्रसाद तक	अ.जा.	1
2	गंगापिपलिया	2	गंगापिपलिया फूलसिंह म.न. 13 से 20 गंगाराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	गंगापिपलिया	3	गंगापिपलिया बाबूलाल म.न. 21 से 32 रामरतन तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	गंगापिपलिया	4	गंगापिपलिया गुलाब बाई म.न. 33 से 43 भागवती तक	महिला अ0जा0	1
5	गंगापिपलिया	5	गंगापिपलिया ग्यारसीबाई म.न. 44 से 54 गिरजेश तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	गंगापिपलिया	6	गंगापिपलिया रामदयाल म.न. 55 से 71 रमेश तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	गंगापिपलिया	7	गंगापिपलिया प्रताप म.न. 72 से 88 खुशीलाल तक	महिला सामान्य	3
8	गंगापिपलिया	8	गंगापिपलिया देवीराम म.न. 89 से 93 नारायण प्रसाद तक		
9	गंगापिपलिया	9	गंगापिपलिया समकली म.न. 94 से 108 लक्ष्मीबाई तक		
10	गंगापिपलिया	10	गंगापिपलिया सुजनसिंह म.न. 109 से 119 नन्नीबाई तक		
11	गंगापिपलिया	11	गंगापिपलिया कलिया म.न. 120 से 151 गोवर्धनसिंह तक		
12	गंगापिपलिया	12	गंगापिपलिया चैनसिंह म.न. 154 से 165 सईदउल्लाखा तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	इजगिरी	1	इजगिरी मकान नं.1 कनेरसिंह से मकान नं. 16 वलवीर सिंह तक	अ.जा.	4
2	इजगिरी	2	इजगिरी मकान नं.17 केवल सिंह से मकान नं. 20ग मुल्लो बाई तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	इजगिरी	3	इजगिरी मकान नं.21 चतर सिंह से मकान नं. 33 जुगराज सिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	इजगिरी	4	इजगिरी मकान नं.37 विशन सिंह से मकान नं. 59 मेहताव सिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	इजगिरी	5	इजगिरी मकान नं.61 हरी सिंह से मकान नं. 74 इमरत सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	इजगिरी	6	इजगिरी मकान नं.75 द्वारकाप्रसाद से मकान नं. 87 गबरुलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	इजगिरी	7	इजगिरी मकान नं.88 बिहारी लाल से मकान नं. 105 लीलाकिशन तक	महिला सामान्य	1
8	इजगिरी	8	इजगिरी मकान नं.107 पूरन लाल से मकान नं. 125 प्रभूलाल तक		
9	इजगिरी	9	इजगिरी मकान नं.126 गिरधारी लाल से मकान नं. 146ख अजबी बाई तक		
10	इजगिरी	10	इजगिरी मकान नं.146ग भुरिया बाई से मकान नं. 159 रतनलाल तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	उनीदा	1	उनीदा प्रनगरा बाई म.न. 1 से म.न. 6 किरण सिंह तक	अ.जा.	1
2	उनीदा	2	उनीदा जगन्नाथ म.न. 7 से म.न. 10 मसरुल्ला तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	उनीदा	3	उनीदा मोहबतसिंह म.न. 11 से म.न. 16 कुमरी तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	उनीदा	4	उनीदा अलुसाहब म.न. 17 से म.न. 21 पन्नालाल तक	महिला अ0जा0	1
5	उनीदा	5	उनीदा फातासाहब म.न. 22 से म.न. 27 भंवरलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	उनीदा	6	उनीदा उमेदी म.न. 28 से म.न. 33 भमरी तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	उनीदा	7	उनीदा फतेहसिंह म.न. 34 से म.न. 42 बाटी तक	महिला सामान्य	4
8	उनीदा	8	उनीदा भागचंद म.न. 43 से म.न. 937 ध्यानसिंह तक		
9	उनीदा	9	भुनग्याई मिश्रीलाल म.न. 1 से म.न. 16 धन्नालाल तक		
10	उनीदा	10	भुनग्याई बंदीप्रसाद म.न. 17 से म.न. 30 हरिकिशन तक		
11	उनीदा	11	भुनग्याई द्वारकाप्रसाद म.न. 31 से म.न. 43 रमेश तक		
12	उनीदा	12	भुनग्याई हरिनारायण म.न. 44 से म.न. 60 जनक सिंह तक		
13	उनीदा	13	भुनग्याई छोटेराम म.न. 61 से म.न. 178 आधार बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	उमरिया	1	उमरिया मकान नं.1 प्रेम सिंह से मकान नं. 10 आशाराम तक	अ.जा.	2
2	उमरिया	2	उमरिया मकान नं.11 प्रेमनाथरायण से मकान नं. 17 भवरलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	उमरिया	3	उमरिया मकान नं.18 हरबख्त से मकान नं. 25 मांगीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	उमरिया	4	उमरिया मकान नं.26 हरिनारायण से मकान नं. 32 विरोजी बाई तक	महिला अ0जा0	1
5	उमरिया	5	उमरिया मकान नं.33 धन्नालाल से मकान नं. 39 मोतीलाल तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	उमरिया	6	आमल्या मकान नं.2 रामप्रसाद से मकान नं. 11 जमनालाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	उमरिया	7	आमल्या मकान नं.12 हरबख्त से मकान नं. 20 मांगीलाल तक	महिला सामान्य	2
8	उमरिया	8	आमल्या मकान नं.21 लालचंद से मकान नं. 28 बांवरु जी तक		
9	उमरिया	9	आमल्या मकान नं.29 वैजनाथ से मकान नं. 54 श्री राम तक		
10	उमरिया	10	सहोदरा मकान नं.1 रतिराम से मकान नं. 12 बादाम कंवर बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात्:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पसैया	1	पसैया मकान नं. 1 बाबूलाल से मकान नं. 8 सुमित्रा बाई तक	अ.जा.	1
2	पसैया	2	पसैया मकान नं. 9 जगन्नाथ से मकान नं. 22 रामकिशन तक	अ.ज.जा.	1
3	पसैया	3	पसैया मकान नं. 23 आशाराम से मकान नं. 37 रुपा बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	पसैया	4	पसैया मकान नं. 38 जगन्नाथ से मकान नं. 50 भैरव सिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	पसैया	5	पसैया मकान नं. 51 मुशीलाल से मकान नं. 64 हरीसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	पसैया	6	पसैया मकान नं. 65 भागमल से मकान नं. 73 शैतान बाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	पसैया	7	सेमराजागीर मकान नं. 2 प्रेमनारायण से मकान नं. 17 दौलाजी तक	महिला सामान्य	2
8	पसैया	8	सेमराजागीर मकान नं. 18 भवर जी से मकान नं. 30 विनय सिंह तक		
9	पसैया	9	सेमराजागीर मकान नं. 31 सूरत सिंह से मकान नं. 44 बाबूलाल तक		
10	पसैया	10	सेमराजागीर मकान नं. 46 हरी सिंह से मकान नं. 56 बाबूलाल तक एवं महुआखेडा		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	गोंडीपुरा	1	गोंडीपुरा मकान नं. 1 रहीम खां से मकान नं. 8 सोहेल मोमिन तक	अ.जा.	1
2	गोंडीपुरा	2	गोंडीपुरा मकान नं. 9 मो० इब्राहीम से मकान नं. 19 राजनसिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	गोंडीपुरा	3	गोंडीपुरा मकान नं. 20 हिसाब खां से मकान नं. 24 मुशीलाल तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	गोंडीपुरा	4	गोंडीपुरा मकान नं. 25 प्रेमनारायण से मकान नं. 29 अनीशा बी तक	महिला अ०जा०	1
5	गोंडीपुरा	5	गोंडीपुरा मकान नं. 30 सलीम खां से मकान नं. 34 अकील खां तक	महिला अ०ज०जा०	निरंक
6	गोंडीपुरा	6	गोंडीपुरा मकान नं. 35 रसीद खां से मकान नं. 37 अनवर खां तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	गोंडीपुरा	7	गोंडीपुरा मकान नं. 38 मुन्ने खां से मकान नं. 42 मुन्ने खां तक	महिला सामान्य	2
8	गोंडीपुरा	8	गोंडीपुरा मकान नं. 43 समशाद खां से मकान नं. 48 दौल लाल तक		
9	गोंडीपुरा	9	गोंडीपुरा मकान नं. 49 जगन्नाथ से मकान नं. 56 मुजीम खां तक		
10	गोंडीपुरा	10	गोंडीपुरा मकान नं. 57 फूलबाई से मकान नं. 269 मुकेशकुमार तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	रानीखजूरी	1	रानीखजूरी मकान नं. 1 नीताबाई से मकान नं. 17 नंदकिशोर तक तक	अ.जा.	2
2	रानीखजूरी	2	रानीखजूरी मकान नं. 18 प्रोप्रसिंह से मकान नं. 29 अमरसिंह तक	अ.ज.जा.	0
3	रानीखजूरी	3	रानीखजूरी मकान नं. 30 दौलतसिंह से मकान नं. 39 छतरसिंह तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	रानीखजूरी	4	रानीखजूरी मकान नं. 40 मालमसिंह से मकान नं. 56 लखनसिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	रानीखजूरी	5	रानीखजूरी मकान नं. 57 पानबाई से मकान नं. 69 भगवानसिंह तक	महिला अ0ज0जा0	0
6	रानीखजूरी	6	रानीखजूरी मकान नं. 71 हरिसिंह से मकान नं. 93 बाबूलाल तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	रानीखजूरी	7	पुराखाना मकान नं. 1 कलियान सिंह से मकान नं. 6 केशरी सिंह तक	महिला सामान्य	3
8	रानीखजूरी	8	पुराखाना मकान नं. 7 गोजा बाई से मकान नं. 16 सिया बाई तक		
9	रानीखजूरी	9	पुराखाना मकान नं. 17 कामता बाई से मकान नं. 36 अमोल सिंह तक		
10	रानीखजूरी	10	पुराखाना मकान नं. 37 शिबूलाल से मकान नं. 50 दातार सिंह तक		
11	रानीखजूरी	11	पुराखाना मकान नं. 53 सोमा से मकान नं. 99 गीता बाई तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सेमरीखुर्द	1	सेमरीखुर्द मकान नं. 1 विजय सिंह से मकान नं. 18 राजाराम तक	अ.जा.	4
2	सेमरीखुर्द	2	सेमरीखुर्द मकान नं. 26 सामत सिंह से मकान नं. 46 प्रीतम सिंह तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सेमरीखुर्द	3	सेमरीखुर्द मकान नं. 47 हरीसिंह से मकान नं. 70 जसोदी बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सेमरीखुर्द	4	सेमरीखुर्द मकान नं. 71 लक्ष्मी बाई से मकान नं. 82 जगदीश तक	महिला अ0जा0	2
5	सेमरीखुर्द	5	सेमरीखुर्द मकान नं. 84 प्रेम सिंह से मकान नं. 96 हिम्मत सिंह तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सेमरीखुर्द	6	गरेठियावाज्याप्त मकान नं.1 हरगोविन्द से मकान नं. 12 लालचंद तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	सेमरीखुर्द	7	गरेठियावाज्याप्त मकान नं.14 मिटदूलाल से मकान नं. 25 शिवचरण तक	महिला सामान्य	2
8	सेमरीखुर्द	8	गरेठियावाज्याप्त मकान नं. 26 देवीसिंह से मकान नं. 34 भगवान सिंह तक		
9	सेमरीखुर्द	9	गरेठियावाज्याप्त मकान नं. 36 कमल सिंह से मकान नं. 46 हिरिया बाई तक		
10	सेमरीखुर्द	10	गरेठियावाज्याप्त मकान नं.49 रानी बाई से मकान नं. 60 राजेन्द्र सिंह तक		
11	सेमरीखुर्द	11	गरेठियावाज्याप्त मकान नं.61 वीरेन्द्र सिंह से मकान नं. 71 खिलान सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर



दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ-चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नरेलावाज्याप्त	1	नरेलावाज्याप्त प्यारेलाल म.न. 1 से म.न.06 राधा तक	अ.जा.	3
2	नरेलावाज्याप्त	2	नरेलावाज्याप्त कचन सिंह म.न. 11 से म.न.21 जयराम तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	नरेलावाज्याप्त	3	नरेलावाज्याप्त नर्बदी बाई म.न. 22 से म.न. 32 लीला बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	नरेलावाज्याप्त	4	नरेलावाज्याप्त गीता बाई म.न. 33 से म.न.43 नैहा तक	महिला अ0जा0	2
5	नरेलावाज्याप्त	5	नरेलावाज्याप्त काशीराम म.न.44 से म.न.53 ममता बाई तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	नरेलावाज्याप्त	6	नरेलावाज्याप्त चंदरसिंह म.न.54 से म.न.58 राकेश तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	नरेलावाज्याप्त	7	नरेलावाज्याप्त वीरेन्द्र म.न. 60 से म.न.70 केशर बाई तक	महिला सामान्य	1
8	नरेलावाज्याप्त	8	नरेलावाज्याप्त भगवानसिंह म.न. 71 से म.न.100 कुंती बाई तक		
9	नरेलावाज्याप्त	9	नरेलावाज्याप्त जमनाप्रसाद म.न. 101 से म.न. 144 चुन्नीलाल तक		
10	नरेलावाज्याप्त	10	आजमपुर मकान नं. 1 हरिप्रसाद से मकान नं. 10 दुर्गाप्रसाद तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	विनेका	1	विनेका मकान नं 1 नारायणदास से मकान नं. 13 राकूवर बाई तक	अ.जा.	5
2	विनेका	2	विनेका मकान नं 14 जयराम से मकान नं. 22 छन्नू तक	अ.ज.जा.	1
3	विनेका	3	विनेका मकान नं 23 बालकिशन से मकान नं. 31 प्रेम बाई तक	अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
4	विनेका	4	विनेका मकान नं 32 हरिराम से मकान नं. 42 बाबू दास तक	महिला अ0जा0	3
5	विनेका	5	डंगरोली मकान नं 1 घासीराम से मकान नं. 25 कन्हैया तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	विनेका	6	डंगरोली मकान नं 27 रामेश्वर से मकान नं. 33 छोटेराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	निरंक
7	विनेका	7	डंगरोली मकान नं 34 पान बाई से मकान नं. 51 विजयराम तक	महिला सामान्य	1
8	विनेका	8	डंगरोली मकान नं 52 कन्नूलाल से मकान नं. 69 गबरूलाल तक		
9	विनेका	9	चारपहाडी मकान नं 2 अनवर खॉ से मकान नं. 30 रामसिंह तक		
10	विनेका	10	चारपहाडी मकान नं 31 नवलसिंह से मकान नं. 46 भुजबलसिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सपौआ	1	सपौआ मकान नं. 3 इन्दरसिंह से मकान नं. 19 सुक्को बाई तक	अ.जा.	3
2	सपौआ	2	सपौआ मकान नं. 20 बाबूलाल से मकान नं. 31 हीरालाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	सपौआ	3	सपौआ मकान नं. 32 बाबूलाल से मकान नं. 40 काशी बाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सपौआ	4	सपौआ मकान नं. 41 प्रेम बाई से मकान नं. 45 प्राग सिंह तक	महिला अ0जा0	2
5	सपौआ	5	सपौआ मकान नं. 46 गजराज सिंह से मकान नं. 61 लीलाकिशन तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	सपौआ	6	सपौआ मकान नं. 63 भवानी सिंह से मकान नं. 76 राजकुमारी तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	सपौआ	7	झिकरियाकला मकान नं. 1 हेमसिंह से मकान नं. 19 सीताराम तक	महिला सामान्य	1
8	सपौआ	8	झिकरियाकला मकान नं. 20 भोला से मकान नं. 33 अमोल सिंह तक		
9	सपौआ	9	झिकरियाकला मकान नं. 34 लालाराम से मकान नं. 43 जडिया बाई तक		
10	सपौआ	10	झिकरियाकला मकान नं. 44 भमर जी से मकान नं. 81 मोहन सिंह तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महि के लिए आरक्षित क्रिये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित व संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	केशोखेडी	1	केशोखेडी मकान नं.1 शमा बाई से मकान नं. 15 युसुफ खां तक	अ.जा.	2
2	केशोखेडी	2	केशोखेडी मकान नं.16 कल्लू खां से मकान नं. 25 मुशीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	केशोखेडी	3	केशोखेडी मकान नं.26 गोपीलाल से मकान नं. 38 मतीन खां तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	केशोखेडी	4	केशोखेडी मकान नं.39 बिलात बी. से मकान नं. 47 देवीसिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	केशोखेडी	5	केशोखेडी मकान नं.48 मोहरसिंह से मकान नं. 56 काशीराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	केशोखेडी	6	कोल्हूखेडी मकान नं.1 रामकिशोरसिंह से मकान नं. 19 काशीराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	केशोखेडी	7	कोल्हूखेडी मकान नं.20 इमरत सिंह से मकान नं. 29 श्रीकिशन तक	महिला सामान्य	2
8	केशोखेडी	8	कोल्हूखेडी मकान नं.30 छोटाराम से मकान नं. 40 लखन सिंह तक		
9	केशोखेडी	9	कोल्हूखेडी मकान नं.41 रामबाई से मकान नं. 48 कदीर खां तक		
10	केशोखेडी	10	कोल्हूखेडी मकान नं.51 कलावती बाई से मकान नं. 84 गणेशराम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमाकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित क्रिये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	केशोखेडी	1	केशोखेडी मकान नं.1 शमा बाई से मकान नं. 15 युसुफ खां तक	अ.जा.	2
2	केशोखेडी	2	केशोखेडी मकान नं.16 कल्लू खां से मकान नं. 25 मुशीलाल तक	अ.ज.जा.	निरंक
3	केशोखेडी	3	केशोखेडी मकान नं.26 गोपीलाल से मकान नं. 38 मतीन खां तक	अन्य पिछडा वर्ग	3
4	केशोखेडी	4	केशोखेडी मकान नं.39 बिलात बी से मकान नं. 47 देवीसिंह तक	महिला अ0जा0	1
5	केशोखेडी	5	केशोखेडी मकान नं.48 मोहरसिंह से मकान नं. 56 काशीराम तक	महिला अ0ज0जा0	निरंक
6	केशोखेडी	6	कोल्हूखेडी मकान नं.1 रामकिशोरसिंह से मकान नं. 19 काशीराम तक	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
7	केशोखेडी	7	कोल्हूखेडी मकान नं.20 इमरत सिंह से मकान नं. 29 श्रीकिशन तक	महिला सामान्य	2
8	केशोखेडी	8	कोल्हूखेडी मकान नं.30 छोटाराम से मकान नं. 40 लखन सिंह तक		
9	केशोखेडी	9	कोल्हूखेडी मकान नं.41 रामबाई से मकान नं. 48 कदीर खां तक		
10	केशोखेडी	10	कोल्हूखेडी मकान नं.51 कलावती बाई से मकान नं. 84 गणेशराम तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर

दिनांक:- 06 सितम्बर 2019

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं अर्थात:-

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खादमपुर	1	खादमपुर म.न. (1) कल्लू खों से म.न. (14) साबिर खों तक	अ.जा.	निरंक
2	खादमपुर	2	खादमपुर म.न. (15) सहरा बी से म.न. (26) गपूरन बी तक	अ.ज.जा.	1
3	खादमपुर	3	खादमपुर म.न. (27) बुददे खों से म.न. (38) नूर खों तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	खादमपुर	4	खादमपुर म.न. (39) शफीक खों से म.न. (46) शरीफ खों तक	महिला अ0जा0	निरंक
5	खादमपुर	5	खादमपुर म.न. (47) वहीद खों से म.न. (63) नन्नूलाल तक	महिला अ0ज0जा0	1
6	खादमपुर	6	खादमपुर म.न. (64) बाबूलाल से म.न. (72) विसारत खों तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
7	खादमपुर	7	चांदबडकदीम म. न. 1 रुकसार से म.न. 9 रुवीना तक	महिला सामान्य	5
8	खादमपुर	8	चांदबडकदीम म. न. 10 अहमद से म.न. 21 मजू बाई तक		
9	खादमपुर	9	रुसल्ली म.न. (01) लियाकत खों म.न. (15) सलीमनबी तक		
10	खादमपुर	10	रुसल्ली म.न. (16) छोट बी म.न. (27) जमीला बी तक		
11	खादमपुर	11	रुसल्ली म.न. (29) हलीमन बी म.न. (38) जाहद शाह तक		
12	खादमपुर	12	रुसल्ली म.न. (39) फैयाद शाह से म.न. (50) गप्पू खों तक		
13	खादमपुर	13	रुसल्ली म.न. (52) समीरन बी से म.न. (61) रहमान खों तक		
14	खादमपुर	14	रुसल्ली म.न. (62) डल्लू खों से म.न. (66) मो. शफीक तक		
15	खादमपुर	15	रुसल्ली म.न. (67) छोटी बी से म.न. (83) सबीला बी तक		

तरुण पिथोड़े, कलेक्टर